


NERAMAC

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited



ANNUAL REPORT 2023-24

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

VISION STATEMENT

“To become a preferred and trusted brand in national and international market for authentic agro-horticultural produce of the North Eastern Region of India”

MISSION STATEMENT:

“To provide a comprehensive marketing solution to the farmers and entrepreneurs associated with agro-horticultural sector of the eight states of the North Eastern Region of India”

विजन वक्तव्य:

“भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रामाणिक कृषि-बागवानी उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक पसंदीदा और विश्वसनीय ब्रांड बनना”

मिशन वक्तव्य:

“भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के कृषि-बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों और उद्यमियों को एक व्यापक विपणन समाधान प्रदान करना”

BOARD OF DIRECTORS



Shri Angshuman Dey
Chairman



Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Director



Shri M. Iboyaima Meitei
Director



Shri. Umesh Kumar
Managing Director

Company Secretary

:

Shri. Sanjiv Kumar Rai

Statutory Auditors

:

M/s D Patwary & Co.
Chartered Accountants, Guwahati

Bankers

:

State Bank of India, Union Bank of
India, United Bank of India, Axis Bank, UCO
Bank, Syndicate Bank Punjab National
Bank.

Registered office

:

NERAMAC Complex, Panjabari Road (Near
Six Mile Flyover), Six Mile, Guwahati-
781022, Assam

From the Desk of the Chairman

Dear Members,

I am pleased to present the 42nd Annual Report of NERAMAC Ltd.. During the financial year 2023–24, the performance of the Company remained satisfactory, as we successfully registered a net profit for the second consecutive year following the implementation of the approved revival package. The business operations during this period were guided by the strategies and objectives set forth in the Revival Plan, focusing on holistic support to farmers and local entrepreneurs across the North Eastern Region (NER). Our key areas of emphasis included providing market linkages for agricultural produce, enhancing the marketing and branding of processed food products, implementing government-supported projects in the Agri and Agri-Horti sectors, and conducting capacity-building programmes through skill development initiatives.

During the year, the Company made significant progress in its operational activities. NERAMAC was able to register 208 Farmers Producer Organisations (FPO) across NER, covering around 19,000 farmers under the FPO scheme of Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. This initiative seamlessly converged with the core competence of the company, ensuring market linkage to the produces and thereby improving the livelihood of several small farmers and entrepreneurs. Additionally, the company implemented the project of setting up of 5 cold storage units in the Bodoland Territory Region of Assam, imparted skill training to around 7,900 farmers/small entrepreneurs in NER in Agri-Horti & Agri-Allied sector, Food Processing and Rubber Sector and marketed more than 427 MT of Agri-Horti produces of the region. Certain notable initiatives undertaken during the year included the revival of the Cashew Processing Plant at Agartala with financial support from North Eastern Council (NEC), facilitation of Geographical Indication (G.I.) user authorization registration of 1308 farmers of NER, implementing the project of setting up of Dragon Fruit Processing Plant at Aizawl and a minor processing plant for Assam Lemon in Dibrugarh, Assam. Further, during the year, the implementation of the Revival Package of Rs. 77.45 Cr. (*Rs. 17.00 Cr. fund-based support and Rs. 60.45 Cr. non-fund-based support*) progressed as per the approved revival plan and was monitored and periodically reviewed by the Administrative Ministry.

On the financial front, NERAMAC generated a total revenue of Rs. 40.17 Cr. during the year, achieving a net profit (PAT) of Rs. 1.27 Cr. While the total revenue marked a 63.54% decrease over the previous year, it still represented a 50.51% increase over the total revenue recorded in financial year 2021-22, making it the second-highest since the implementation of the revival package. More importantly, the Company sustained profitability for the second year

in a row, with a Net Profit Ratio of 3.43 %, as compared to 3.71 % during FY 2022-23 and loss (17.71) % during FY 2021-22. The earnings per share stood at Rs. 40/- and net worth of the Company turned positive to Rs. 6.01 Cr.

NERAMAC firmly believes in compliance with the guidelines laid down for Corporate Governance, in ensuring long term success and in transparent sharing of information on the affairs of the Company with the Stakeholders. I am pleased to announce that for the third consecutive year, including FY 2023-24, NERAMAC's score was 'EXCELLENT' in terms of compliance with the Guidelines for Corporate Governance prescribed by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Finance.

The performance of the Company over the past three years has been both remarkable and progressive. The on-going projects and the strategic initiatives affirm that the Corporation is on the growth trajectory and is assured of achieving the medium term and long-term goals set under the revival plan, along with achieving the long-term sustainability of NERAMAC.

Sd/-
Angshuman Dey
Chairman

S.L. No.	REPORTS/STATEMENTS	PAGE NO.
1	NOTICE OF THE 42 nd ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING	1-2
2	DIRECTORS REPORT	3-17
3	CORPORATE GOVERNANCE REPORT	18-23
5	MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT	24-28
6	MANAGEMENT REPLY TO STATUTORY AUDITORS' REMARKS	29-57
7	COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA	58-59
8	CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE	60-61
9	INDEPENDENT AUDITORS' REPORT	62-104
10	FINANCIAL STATEMENT AND NOTES TO ACCOUNTS	105-123

Notice is hereby given that the **42nd Adjoined Annual General Meeting** of NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD is to be held on **Tuesday, the 15th day of July, 2025** at the registered office of the Company at **NERAMAC Complex, Panjabari Road (Near Six Mile Flyover), Six Mile, Guwahati-781022, Assam at 03:00 p.m.** to transact the following unfinished business of the **42nd Annual General Meeting:**

ORDINARY BUSINESS:

ITEN NO.1: TO RECEIVE, CONSIDER AND ADOPT THE AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 31ST MARCH, 2024 AND DIRECTOR'S REPORT AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT THEREON AND THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA(C&AG):

The Members will be requested to pass the following resolution with or without modification as Ordinary resolution.

“RESOLVED THAT the Audited Financial Statement as on 31st, March, 2024 together with the Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditors thereon and Comments of the C&AG thereon be and is hereby received, considered and adopted”

**By Order of Board of Directors
NERAMAC Ltd**

**Sd/-
Sanjiv Kumar Rai
Company Secretary**

Encl: Proxy Form Attendance Slip

Date: 20.06.2025

Place: Guwahati

NOTE

- 1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON A POLL INSTEAD OF HIM/HER SELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.**
- 2. THE INSTRUMENT APPOINTING A PROXY, TO BE EFFECTIVE, MUST BE DULY FILLED, SIGNED AND STAMPED AND MUST REACH THE COMPANY'S REGISTERED OFFICE NOT LATER THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. A BLANK PROXY FORM IS ANNEXED TO THIS NOTICE.**

To,

- 1. The President of India.
C/o Shri Angshuman Dey, IFS
Joint Secretary to the Govt. of India.
Ministry of Development of North Eastern Region,
Jodhpur Officers Hostel,
Pandara Park, India Gate,
New Delhi-110003.
Email: angshuman.dey@nic.in**
- 2. The Secretary,
North Eastern Council.
NEC Secretariat, New office Complex,
Nongrim Hills, Shillong-793003, Meghalaya,
Email: sect-nec-meg@nic.in**
- 3. The Deputy Secretary,
North Eastern Council
NEC Secretariat, New office Complex
Nongrim Hills, Shillong-793003, Meghalaya
Email: muong.gangte@gov.in**
- 4. To All Members of the Board of Directors at their registered email ids**
- 5. To M/s D Patwary & Co., Statutory Auditors for the FY 2023-24 @
dpatwaryandco@gmail.com**

DIRECTORS' REPORT

To
The Members,
M/s North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd
Rajbari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam.

Your Directors are pleased to present the 42nd Annual Report of the Company along with the audited financial statement for the financial year 2023-24.


1. FINANCIAL PERFORMANCE

The financial performance of the Company based on the audited accounts for the financial year 2023-24 are produced hereunder:

Particulars	2023-24 (Rs.)	2022-23 (Rs.)
Revenue from operations	372,231,000/-	9,66,627,000
Other income	29,476,000/-	1,35,426,000
Total Revenue	401,707,000/-	1,102,053,000
Operation Expenses	371,976,000/-	104,90,09,000
Fixed & Administrative Expenses	3,68,56,000	3,16,25,000
Finance Cost & Depreciation	1,014,000/-	2,495,000
Total Expenses	409,846,000/-	108,31,29,000/-
Profit before extraordinary & Exceptional items	(8,139,000)/-	1,89,24,000/-
Exceptional items	22,000,000/-	2,49,95,000/-
Extraordinary items	3,407,000/-	(11,25,000/-)
Profit for the year (Before tax)	17,268,000/-	4,27,94,000/-
Tax expenses		
Current tax	4,490,000/-	0.00
Deferred tax	0.00	0.00
MAT	0.00	69,07,618/-
Profit after tax	12,778,000/-	35,886,382/-

**2. BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY'S AFFAIR WORKING DURING THE YEAR/
STATE OF COMPANY'S AFFAIR.**

During the year under review, your Corporation has generated total revenue of Rs. 40.17 Crore with net profit of Rs. 1.72 Cr. (after adjustment with extraordinary and exception items) and profit after tax stands at Rs. 1.27 Cr. Whereas as the Revenue from business operations stands at Rs. 37.22 Crore against the previous revenue of Rs. 96.66 Cr.



Revenue generated during the FY 2023-24 from the business operations is lower by 61.49% as compared to the revenue of the previous year. The primary reason for lower revenue during the reporting year, was lesser number of Agri-inputs supply orders from States Governments as compared to the last year. However, with less revenue, your corporation has managed to earn net profit consecutively for the second year.

HIGHLIGHTS OF MAJOR ACTIVITIES DONE DURING THE YEAR

- a. Procurement of Agri-horti Produce:** Procurement and marketing of more than 427 MT of produces like Pineapple, Avocado, Black Rice, Cashew nut, Large Cardamom, Cinnamon, Maize and Black Pepper etc. under its umbrella **brand 'NE Fresh'**. Apart from the above, several market linkages to entrepreneurs and FPO/ FPCs were also provided.
- b. NERAMAC has product basket of 150+ products in the retail segment.**
 - 30 nos. of local entrepreneurs/MSMEs associated with NERAMAC for branding and marketing of their processed products.
 - Retails products marketed through 12 stalls/retails outlets of NERAMAC covering 7 cities/towns. Including one stall each at Kamakhya and Dimapur Railway Station under One Station One Product (OSOP). Two kiosks were opened at Integrated Check Posts in Tripura bordering Bangladesh.



Product Basket of NERAMAC



OSOP Stall of NERAMAC

c. Supply of Agri-inputs and planting materials on behalf of State Governments - Vermi compost, Bio-Fertilizers, Rhizomes, Agri-shade net etc is ongoing.

d. Implementing Agency.

- **Formation and Promotion of FPOs in NER** under 'Formation and Promotion of 10000 FPOs under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India. **208 FPOs have been formed across NER covering over 19,000 farmers.**
- **Bamboo Plantation Project of State Bamboo Development Agency (SBDA), Govt. of Assam:** 900 ha of plantation in the three districts of Assam has been completed with 3.30 lakh saplings and 750 farmers beneficiaries.
- **G.I. Registration of Agri-Horti produces of North East Region:** During the year, NERAMAC has facilitated the User Authorization registration of 1308 farmers of NER for all 13 G.I. registered Agri-Horti products, whose G.I. registration was facilitated by NERAMAC. This activity was unique in many ways for the NER and saw active participation by the producers, state department officials and Agriculture/ Horticulture ministers of States.



- **Setting-up of 5 Cold storages in Bodoland Territorial Region (BTR), Assam:** Five contemporary technology cold storage plants have been established by NERAMAC in Bodoland Territorial Region, Assam with fund from BTR, Assam.
- NERAMAC is also successfully implemented a project of setting up of Dragon Fruit Processing Plant at Aizawl, Mizoram with fund support from NEC and a minor processing plant for Assam Lemon in Dibrugarh, Assam with fund support from NBCFDC. .

e. Skill Development & Livelihood Training.

Under the PMKVY 4.0 scheme of Govt. of India, NERAMAC facilitates the conduct of training programmes and certification for farmers and rural entrepreneurs to enhance their productivity and income. Sectors covered during the year:

- Agri-Horti & Agri-Allied
- Food Processing Training
- Rubber Sector

Through skill training programme more than 7900 individuals have benefitted during the year 2023-24.



Skill Development training programmes

f. Events

During the year NERAMAC participated/organized 17 events, covered around 2000 farmers/entrepreneurs.

3. Revival of Processing Plants:

During the year, Cashew Processing Plant (CPP) of NERAMAC at Agartala was made operational with fund support from NEC and the Integrated Ginger Processing Plant (IGPP) at Byrnihat, Meghalaya has been revived under PPP mode.

CPP Agartala commenced production w.e.f. 17.09.2023, whereas IGPP plant was handover over to the PPP Partner during the year. Renovation and installation of new machineries work initiated by the PPP partners.

Physical Performance of CCP Agartala during the FY 2023-24 (from 17.09.2023 to 31.03.2024

Production	Quantity (Kg)	Selling rate (Avg.)
Cashew nut Whole Grade 1	1502	529.07
Cashew nut Whole Grade 1	128	524.14
Cashew nut JH	1105	432.25
Cashew nut JH	721.85	377.56

4. ANNOUNCEMENT OF REVIVAL PACKAGE BY GOVT. OF INDIA

Govt. of India on 18th August, 2021 announced Revival package of Rs. 77.45 Crore for NERAMAC. The package consists of the following components:

- a. **Fund Based Support:** Fresh infusion of Rs. 17.00 Cr. as grant to be released in 2 instalments during FY 2021-22 and 2022-23, roughly in 2/3rd : 1/3rd ratio, for following activities:

Heads	Rs. in Cr.
Funds for VRS for Regular Employees	4.96
Working Capital Support	6.36
Supporting the operations	2.20
Computer & ERP System, E-commerce portal	2.23
Other statutory dues, committed and current liabilities	1.25
Total	17.00

- b. **Non- fund based support:**

Heads	Rs. in Cr.
Conversion of outstanding Govt. of India loan (as on 31.03.2021) into equity shares of the Company	28.23
Writing off of interest and penal interest calculated upto 30.09.2021 on outstanding Govt. of India loan	32.22
Total	60.45

- c. **Increase in authorised share capital of the Corporation from Rs. 10.00 Cr. to Rs. 60.00 Cr.** in order to accommodate the conversion of the outstanding long-term borrowings into equity.

5. IMPLEMENTATION OF THE REVIVAL PACKAGE DURING THE YEAR :

- a. Under fund-based support of Rs.17.00, NERAMAC received two-third amount of Rs. 11.33 Crore for the FY 2021-22 in February, 2022 and remaining one-third fund of Rs. 5.67 Crore in March 2023.
- b. Scheme for the Voluntary Retirement of 21 regular employees of the Corporation was approved by the Board of Directors in its 141st Meeting held on 10.03.2022. The approved scheme was floated on 01.04.2022 inviting application from the eligible employees for VRS. Total 20 application received and w.e.f. 31.05.2022 all of them given voluntary retirement under the Revival package.
- c. ERP with Procurement Module, Inventory Module and HR Management implemented w.e.f. August, 2022.

- d. E-commerce portal 'NE Farm Hub' launched on 14.12.2023.
- e. Payment of Statutory dues & committed liabilities: Rs. 1.12 Cr. paid as on the date of this report.
- f. Under non-fund based support, outstanding Govt. of India working capital loan of Rs. 28.23 Crore was converted into equity shares of the Company pursuant to section 62(4) of the Companies Act, 2013 w.e.f. 26.11.2021 and authorized capital of the Company is also stand altered and increased from Rs.10.00 Cr. to Rs. 38.23 Cr. pursuant to section 62(6) of the Companies Act, 2013.
- g. In compliance with the revival package announced by the Govt. of India, authorized share capital of the Company has been further increased from Rs. 38.23 Cr. to Rs. 60.00 Cr. pursuant to section 61(1)(a) of the Companies Act, 2013 with the approval of the members in the 39th Annual General Meeting held on 30.11.2021.
- h. With respect to the writing off of interest and penal interest of Rs. 32.22 Cr. The amount has been transferred to 'Reserve & Surplus'

6. DIVIDEND

Though the Corporation has earned profit during the financial year. However, the Corporation has accumulated losses of Rs. 62. 02 Cr. as on 31.03.2024, therefore the Board of Directors do not recommend for any dividend for the FY 2023-24. In this respect, your corporation has also obtained exemption from DIPAM, Ministry of Finance for payment of minimum dividend as per the guidelines prescribed by the DPE.

7. TRANSFER TO GENERAL RESERVE

During the year under review, the entire amount of profit after tax of Rs. 1.27 Cr. transferred to Profit & Loss A/c under head reserves & surplus to set-off against the accumulated losses of the past year.

8. SHARE CAPITAL

During the year under review there was no change in the authorised share capital of the Company. The authorized share capital was Rs. 60.00 Crore as on 31.03.2024 divided into 6,00,000 equity share of Rs. 100/- each.

However, under the revival package, the authorised share capital of the Company was increased from Rs. 10,000,000/- to Rs. 3,82,300,000/- on 26.11.2021 pursuant to section 62(6) of the Act, on conversion of Rs. 28,230,000/- outstanding Govt. of India loan into equity share capital. Later on 30.11.2021 based on the approved revival plan, the authorised share capital further increased from Rs. 3,82,300,000/- to Rs. 6,00,000,000/- pursuant to section 61(1)(a) of the Companies Act, 2013.

There was also no change in the paid up share capital of the Company, during the year under review. The Paid-up share capital was Rs. 35.85 Crore as on 31.03.2024 divided into 3, 58,500 of Rs. 1000/- each.

However, under the revival package during FY 2020-21, upon conversion of Rs. 28, 23,00,000/- of outstanding Govt. of India loan into equity share capital. 2, 82,300 equity shares were issued to the Govt. of India on 26.11.2021 as per section 62(4) of the Companies Act, 2013. Therefore, paid-up share capital of the Company increased from Rs. 7,62,00,000/- to Rs. 35,85,00,000/-.

9. COPY OF ANNUAL RETURN

Copy of Annual Return for the FY 2023-24 hosted at www.neramac.com/annual-return

10. DETAILS OF DIRECTORS OR KEY MANAGERIAL PERSONNEL WHO WERE APPOINTED OR RESIGNED DURING THE YEAR.

Your Company being a Public Sector Enterprise, all appointments and cessations in the Board of Directors are made by the Govt. of India (Through Administrative Ministry) only.

During the year under review following appointments/cessations made in the Board of Directors of your Company:

- a. Cessation of appointment of Shri Saurabh Endley, Govt. Nominee Director and Chairman of the Board w.e.f. 21.07.2023 vide MDoNER order no. NERMAC-17/1/2020-O/o US (NERAMAC) dated 21.08.2023.
- b. Appointment of Shri Angshuman Dey, Joint Secretary, MDoNER as the Govt Nominee Director and Chairman of the Board w.e.f. 21.08.2023 vide MDoNER order no. NERMAC-17/1/2020-O/o US (NERAMAC) dated 21.08.2023.
- c. Cessation of appointment of Shri Umesh Kumar, Govt. Nominee Director of the Board w.e.f. 26.03.2024 vide MDoNER order no. NERMAC-11/2/2017-O/o US (NEC)-Part (1) dated 27.06.2024.
- d. Termination of appointment of Shri Rajendra Prasad Gurung and Shri Rajan Lohia, Independent Director w.e.f. 11.03.2024 on completion of their maximum tenure as prescribed under the DPE Guidelines vide MDoNER order no. NERMAC-15/6/2023- Under Secretary (A) dated 11.03.2024.

11. NUMBER OF MEETINGS OF BOARD AND ITS COMMITTEE

The disclosures have been made under the Corporate Governance report annexed to this report as **Annexure A.**

12. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186

The Company has not granted any Loan and provided no guarantee and made no investment under section 186 of the Act during the year.

13. PARTICULARS OF CONTRACT AND ARRANGEMENTS WITH THE RELATED PARTIES UNDER SECTION 188

During the year under review, the Company has not entered into any contract and arrangement covered under section 188 of the Act.

14. CHANGE IN THE NATURE OF THE BUSINESS, IF ANY

During the reporting period, there was no change in the nature of the business.

15. NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR.

During the year under review, no company became or ceased to become the subsidiary, joint venture or associate of NERAMAC Ltd.

16. MATERIAL CHANGES IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR UNDER REVIEW AND THE DATE OF REPORTING.

No such material changes occurred affecting the financial position of the Company between the end of the financial year under review and the date of reporting.

17. DETAILS RELATING TO DEPOSITS COVERED UNDER CHAPTER V OF THE ACT

The Company have not accepted or renewed any deposited covered under chapter V of the Act.

18. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDER PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

During the year under reporting, no significant and material order passed by any Regulators or courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

19. RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors in its 147th meeting held on 24.03.2023 approved the Risk Management Policy. The approved policy has been implemented w.e.f. 17.05.2023. Copy of Risk Management Policy available at the website of the company at <https://www.neramac.com/codes-and-policies>

As per the approved policy, a Corporate Risk Management Committee (CRMC) has been constituted w.e.f. 17.05.2023. The committee is headed by Managing Directors and the HODs are the member of the Committee. The CRMC is *inter-alia* responsible for identifying the areas of risks, assess the status of risk management in the Company, recommend the mitigation measure, report to the Audit Committee of the Board on the areas on concerns. CRMC meetings held on the following dates during the FY 2023-24:

Meeting Number	Date of Meeting
1 st CRMC Meeting	28.07.2023
2 nd CRMC Meeting	20.10.2023
3 rd CRMC Meeting	16.02.2024

20. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company has internal financial control system is in place. All financial decisions are taken centrally at the head office with the approval of the Competent Authority. Laid down financial Guidelines of the Govt. of India are duly adhered.

Internal Audit are conducted every year and the report of the Internal Auditors reviewed by the Audit Committee/Board of Directors.

21. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the financial year under reporting, as the turnover/net worth/net profit of the Company were below the threshold limit as prescribed under section 135 of the Act, hence the clause is not applicable to the Company.

22. CORPORATE GOVERNANCE

A Corporate Governance Report prepared in accordance with Guideline on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprises (DPE) enclosed as **Annexure A**

23. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

In accordance with the DPE Guidelines on Corporate Governance, 2010, Management Discussion and Analysis Report is forming integral part of this report and annexed as **Annexure B**.

24. STATUTORY AUDITORS OF THE COMPANY FOR THE FY 2022-23

M/s D. Patwary & Co., Chartered Accountants, Guwahati were appointed by the Comptroller & Auditor General of India as the Statutory Auditors for the FY 2023-24 as per section 139 of the Act.

REMARKS OF AUDITORS REPORT

The Auditors report contains few remarks each of such remarks of the Statutory Auditors has been duly replied by the Management and the management reply is annexed as **Annexure-C**

25. COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA AUDIT

The comptroller & Auditor General (C&AG) has conducted supplementary Audit under section 143(6)(a) of the financial statements for the year ending 31.03.2024. Comments of the C&AG is enclosed as **Annexure- D**

26. DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS UNDER SECTION 149(6)

The Independent Directors have given declarations that they meet the criteria of Independence as laid down under section 149(6) of the Companies Act, 2013.

27. RELATED PARTY TRANSACTIONS UNDER SECTION 188 OF THE ACT

During the year under review, the Company has not entered into any contract and arrangement covered under section 188 of the Act.

28. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Conservation of Energy

Your Company at it level has adopted best practices for conservation of energy.

Technology absorption

There were no such events of technology absorption during the reporting financial year.

Foreign exchange earnings and outgo

The Company during the reporting financial year does not have any foreign exchange and outgo

29. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

NERAMAC constantly put best efforts for promotion and implementation of 'Hindi' as official language as per the directives of the Official Language Department, Ministry of Home Affairs. NERAMAC ensures to achieve the targets set for use of 'Hindi' in official communications for 'Region C'.

NERAMAC organise quarterly internal Hindi workshops for its employees and also participate in such workshops organized by the Central Govt. Dept./PSUs in the region.

Hindi learning through 'Aajka Shabd' for employees are being displayed on Display Boards daily. Hindi Pakwada (Fortnight) also organized during the year from 14th September to 29th September. During the Hindi Pakwada, competition like 'Tippani Lekhan' (Note sheet writing), 'Patra lekhan (Letter writing), Kavita lekhan (Poem writing) etc. was organized and prize was distributed to the winners.

NERAMAC received certificate for implementation of official language by the TOLIC (PSUs), Guwahati.

30. VIGILANCE MECHANISM AND IMPLEMENTATION

NERAMAC promote effective vigilance administration and ensure zero tolerance approach towards corrupt and unethical practices. Guidelines prescribed by the DPE and CVC for prevention, control and detection of the corrupt/unethical practises are implemented time to time.

Shri Iboyaima Meitei, Advisor, Horticulture, NEC and Board Member, NERAMAC has been appointed as part time Chief Vigilance Officer (CVO) of NERAMAC w.e.f. 20.12.2020 by the Ministry of DoNER.

NERAMAC actively participate in the Vigilance Campaign announced by the Govt. of India from 16th August 2023 to 15th November 2023. During this period activities like pledge taking, walkathon, Display of PIDPI Posters organised. NERAMAC employees also participated in the PIDPI workshop organized by MDoNER.

During last five financial years no cases reported under CVC.

31. MECHANISM UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT (RTI), 2005:

NERAMAC has established RTI mechanism as prescribed under the Act/DoPT Guidelines. Company Secretary has been designed as the Central Public Information Officer (CPIO) and the Managing Director as the First Appellate Authority.

Mandatory disclosures as prescribed under section 4(1) of the RTI Act, 2005 are available on the website of the Company at

<https://www.neramac.com/files/mandatory-disclosures.pdf>

Number of Applications/appeal received and disposed off during the year:

No. of Application received (Direct & Forwarded from other PA)	No. of Appeal received	Disposed off as on 31.03.2023	
		RTIs	Appeals
26	01	17*	01

**Remaining 09 Applications disposed off in April 2024 within 30 days of receipt of applications*

32. PURCHASE MADE FROM GOVERNMENT E-MARKET (GEM) PORTAL:

During the year under review goods worth Rs. 6.86 lakh purchased from GeM and services of Rs. 1.06 Cr. availed from GeM.

33. CONTINGENT LIABILITIES AS ON 31.03.2024:

<u>Ser</u>	<u>Creditors</u>	<u>Amount Claimed</u>	<u>Liabilities Provided</u>	<u>Contingent Liabilities</u>	<u>Legal status</u>
1	Sobhayaga Advertising, Kolkata	1,990,000/-	1,262,000/-	7,28,000	Sub-judice
2	M/s Harvel Agua Pvt Ltd	3,998,093/-	1,224,000/-	27,74,093/-*	Sub-judice
3	M/s R&Z Distributor	8,004,000/-	0.00	8,004,000/-	Sub-judice
4	Ratnagiri Impex Pvt Ltd	41,492,000/-*	18,725,000/-	22,767,000/-	Sub-judice
5	AIDC lease rent for Multi-Fruit Processing Unit of Silchar- Plant handed over on 20.10.2020.	3,646,000/-	0.00	3,646,000/-	No legal case pending. However, waiver request submitted to department
6	Penalty imposed by NCLT, Guwahati Bench for non-compliance of section 96 of the Companies Act, 2013 during FY 2014-15, 2015-16, 2016-17.	19,36,000/-	0.00	19,36,000/-	Appeal filed in NCLAT, Delhi Bench for waiving/reducing the penalty.
TOTAL		60,60,2,000/-	24,857,000/-	39,855,093/-	-

*In the latest claim filed before the Arbitrator, Ratnagiri claimed Rs. 15.65 Cr. (Rs. 4.15 Cr for claim for supply, Rs. 7.10 Cr. for 18% interest from 16.03.2015, Rs. 4.14 Cr. against damages for loss of profit and Rs. 0.25 Cr).

34. PARTICULARS OF EMPLOYEES

The Company did not have any employ, whose particulars are required to be given under Rule 5(2) and (3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Management Personnel) Rules, 2014.

35. DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARRASSEMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has constituted the Internal Complaint Committee in the manner as prescribed under section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

During the year under review, no complaint was reported relating to the sexual harassment of women at workplace.

36. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As required under Section 134 of the Companies Act 2013, the Directors hereby confirm that:

- i. in the preparation of the annual accounts for the financial year ending 31st March, 2024, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- ii. the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as on 31st March, 2024 and of the profit or loss of the Company for that period;
- iii. the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- iv. the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.
- v. the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

37. MAINTENANCE OF COST RECORDS

Provisions of section 148(1) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company hence no cost records are maintained.

38. DETAILS OF FRAUD REPORTED BY THE AUDITORS UNDER SECTION 143(12)

There was no incidence of fraud occurred/reported during the financial year under review.

However, during FY 2021-22, the Management and the auditor have reported a fraud committed by Ex-employee Rahul Bhattacharjee during FY 2020-21 at Tripura Zonal office of Rs. 11.98 lakh, by making unauthorized withdrawals and deposits in the Bank Accounts of Company and submitted forged Bank Statement at the head office. In the matter, the Management immediately lodged FIR against Mr. Rahul Bhattacharjee at A.D.Nagar Police Station, West Tripura. Recently, the Management has also filed Money Suit 110/2024 in the Civil Judge (Senior Division) of West Tripura against Mr. Rahul Bhattacharjee for recovery of Money.

ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors take this opportunity to express their gratitude to the shareholders, Ministry of DoNER, North Eastern Council, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and other Ministries and State Governments and other Government Agencies who have

maintained trust and lend their support to NERAMAC. Your Directors also place on record their sincere thanks and appreciation to Company's Bankers for their assistance, co-operation and encouragement and to the Dealers, Business Associates for their continuing support and unstinting efforts and to the Employees of the Corporation in ensuring efficient performance during the year.

**For and on behalf of the Board of Directors
NERAMAC Ltd**

**Sd/-
Kayio Kayina Th.
Managing Director
DIN: 10946847**

**Sd/-
M.Iboyaima Meitei
Director
DIN: 08220500**

**Date: 19.06.2025
Place: Guwahati/Shillong**

ANNEXURE-A

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Your Company's philosophy on Corporate Governance strive to meet its business objectives efficiently and accomplishing its responsibility towards its stakeholders. Your Company believes that Corporate Governance is not just complying with regulatory requirements but also to create highest standards of transparency in its every endeavour. In our commitment to practice sound governance principles, we are guided by the following core principles:

- ✓ Transparency
- ✓ Commitment
- ✓ Accountability
- ✓ Ethical conduct
- ✓ Safeguarding Stakeholders' interests

2. BOARD OF DIRECTORS & THEIR COMMITTEES

The Board of NERAMAC comprises of such Directors each of them either having expertise in the field of core business of the Corporation or in the Field of management/administration/finance/Governance. During the year, the Board consists of six members, however with the cessation of appointments of Independent Directors on completion of their maximum Tenure and cessation of one of the Govt. Nominee Director upon his relieving from the Ministry, the strength of the Board of Directors reduced to three Members only at the end of the financial year.

A. Board of Directors

i. Composition of Board of Directors

The Board of Directors comprises of One Functional Director, one Government Directors and one representative from the North Eastern Council with a total of three Directors in the Board as on 31.03.2024. The positions of two Independent Directors are vacant, request submitted to the Administrative Ministry to nominate the Independent Directors with the approval of the DPE. Whereas, the vacancy caused due to the cessation of appointment of Shri Umesh Kumar Government Director has been filed vide appointment of Shri Silabhadra Das, Deputy Secretary w.e.f.27.06.2024.

ii. Number of Board Meeting

During the Financial Year 2023-24, the Board of Directors Meeting was held four times on the following dates:

Ser	Number of Meeting	Date of Meeting
1.	148 th Board Meeting	30/06/2023
2.	149 th (Emergent) Board Meeting	31/08/2023
3.	150 th Board Meeting	20/12/2023
4.	151 st Board Meeting	27/03/2024

Following is the list of Directors of the Company showing their categories and also attendance in the Board Meeting of the Company:

Ser	Name	Category	Date of Appointment	No of Board meetings held	No of Board meetings attended
1	Shri Angshuman Dey	Nominee Director	21/08/2023	03	03
2	Cmde Rajiv Ashok (Retd)	Executive	03/07/2022	04	04
3	Shri Rajendra Prasad Gurung	Independent non-executive	12/09/2013	03	02
4	Shri. Rajan Lohia	Independent non-executive	12/09/2013	03	00
5	Shri. Mangsatabam Iboyaima Meitei	Nominee Director (NEC Representative)	11/11/2013	04	03
6	Shri Umesh Kumar	Nominee Director	20/10/2021	03	02

- 1. Shri Angshuman Dey appointed w.e.f. 21.08.2023 as Govt Nominee Director and Chairman in place of Shri Saurabh Endley*
- 2. Shri Rajendra Prasad Gurung and Shri Rajan Lohia. Independent Directors appointment ceased w.e.f. 11.03.2024 on completion of their maximum tenure.*
- 3. Shri Umesh Kumar, Govt. Nominee Director appointment ceased on relieving him from MDoNER w.e.f. 26.03.2024*

Appointment of new directors

During the year under review, Shri Angshuman Dey, IFS, Joint Secretary in Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) was appointed as the Director and Chairman of the Board of Directors w.e.f. 21.08.2023 in place of Shri Saurabh Endley.

iii. Code of Conduct

The Company is committed to conducting business in accordance with the highest standard of business ethics and complying with applicable laws, rules and regulations.

iv. Remuneration

Our Company being a Central Public Sector Undertaking, the appointment, tenure and remuneration of Directors are decided by the President of India (delegated power to Ministry of DoNER). Hence, the Board does not decide remuneration of the Directors. Independent Directors are paid only sitting fees for attending the Board Meetings. Rs. 1500/- for each Board of Directors and its Committee Meeting.

Remuneration to the Executive Directors is fixed by the Administrative Ministry. During the year, Remuneration paid to Cmde Rajiv Ashok (Retd), Managing Director is detailed below:

Name of Director	Salary & Allowances & reimbursement of Medical/LTC (Rs.)
Cmde Rajiv Ashok (Retd)	40,79,742/-

B. COMMITTEES OF THE BOARD

In order to carry out the responsibilities & decision making smoothly and in prudent manner, the Board has constituted an Audit Committee which is headed by an Independent Director of the Board having expertise and of experience in the field of finance, legal, accounts, marketing, etc. However, the Audit Committee has been dissolved by the Board of Directors w.e.f. 27.03.2024 due to non-appointment of new Independent Directors. As per the DPE Guidelines, Audit Committee of the Board should consist of two-third Independent Directors and headed by an Independent Director. Request submitted to Administrative Ministry (MDoNER) for appointment of new Independent Directors. The Audit Committee will be reconstituted on appointment of Independent Directors.

3. AUDIT COMMITTEE

Audit Committee has been constituted as per the DPE guidelines on the Corporate Governance. All the members of the committee are financially literate and have decent accounting or related knowledge. However, the Audit Committee has been dissolved w.e.f. 27.03.2024 as the appointment of existing Independent Directors was ceased on completion of their maximum tenure. The Audit Committee will be reconstituted on appointment of new Independent Directors.

A. Terms of Reference

The terms of reference of the Audit Committee is in consistency with the DPE Guidelines and other statutory requirements, the gist of terms of reference is as follows:

- a. The Audit Committee has power, to investigate any activity, seek information from any employee and to obtain outside legal or other professional advice when ever consider fit and proper by the Committee.
- b. Oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- c. Recommending the Board, the fixation of audit fees and other payments payable to

Auditor for other services rendered by him.

- d. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval.
- e. Reviewing, with the management and performance of statutory and internal auditors, and adequacy of the internal control systems and internal audit function, if any, including staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage.
- f. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- g. To review the functioning of the Whistle Blower mechanism, in case the same is existing.
- h. To review the follow up action on the audit observations of the CAG audit.
- i. The Audit Committee is empowered to review the Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations, statement of significant related party transactions, submitted by management, internal audit reports relating to internal control weaknesses, etc.

B. Composition

During the year, the Audit Committee is headed by Shri.Rajendra Prasad Gurung as the Chairman who is also an Independent Director and the Audit Committee consists of three members, two of them are the Independent Directors and One Non-executive Government Nominee.

C. Meetings

During the Financial year 2023-24 the Audit Committee met four times on the following dates:

Ser	Number of Meeting	Date of Meeting
1.	31 st Audit Committee Meeting	24/06/2023
2.	32 nd (Emergent) Audit Committee Meeting	07/08/2023
3.	33 rd Audit Committee Meeting	18/12/2023

List of audit committee members along with their attendance in the meetings held:

Ser	Name of the Member	Designation in Committee	Category	Attendance
1	Sh. Rajendra Prasad Gurung	Chairman	Independent Director	3/3
2	Umesh Kumar	Member	Govt. Nominee	3/3
3	Shri. Rajan Lohia	Member	Independent Director	0/3

4. **GENERAL BODY MEETINGS**

A. Annual General Meeting

The details of the last three AGMs held are as follows:

Ser	Year	Date of AGM/ Adjourned AGM	Day & Time	Venue	Details of Special Resolution, if any
1.	2020-21 (39 TH Adjourned AGM)	12.07.2023	Wednesday, 10:30 A.M.	Registered Office i.e. at 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S.Road, Guwahati through VC mode.	Nil
2.	2022-23 (41 st AGM)	27.12.2023	Wednesday, 11:00 A.M.	Registered Office i.e. at 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S.Road, Guwahati through VC mode.	Nil
3.	2021-22 (40 th Adjourned AGM)	29.01.2024	Monday, 03:00 P.M.	Registered Office i.e. at 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S.Road, Guwahati	Nil

B. Extra-ordinary General Meeting.

An Extra-Ordinary General Meeting held during the financial year on 12.07.2023 through VC Mode at the registered office of the Company.

5. **DISCLOSURES**

There were no transactions of material nature with the promoters or Directors or the Management etc, which have potential conflict with the interest of the Company at large. The Company has been particular in adhering to the provisions of the laws and guidelines of regulatory authorities.

6. MEANS OF COMMUNICATION

The Financial Results & other information about the Company are available on its website www.neramac.com.

7. AUDIT QUALIFICATIONS

The remarks of the Statutory Auditors in its report has been duly replied by the Management and has been attached as **Annexure - C** to this report.

8. COMPLIANCE WITH THE DPE GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE

NERAMAC comply with the guidelines on Corporate Governance laid down by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Finance. NERAMAC scored 'EXCELLENT' for the FY 2023-24 for complying with the prescribed guidelines.

9. DISCLOSURES AND COMPLIANCE

- a. During the Financial year under review, there were no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of company at large.
- b. During the year, no expenses were incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management.
- c. Administrative and office expenses as a percentage of total expenses were 8.99 % during the year.
- d. The Company has framed Whistle Blower Policy to report about unethical behavior, actual or suspected fraud. During the year under review no personnel has been denied access to the Audit Committee.

10. WHISTLE BLOWER POLICY

The Company framed the "***Whistle Blower Policy***" for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud, or violation of the company's General guidelines on conduct or ethics policy. The Whistle Blower Policy is available at the website of the Company at www.neramac.com.

**For and on behalf of the Board of Directors
NERAMAC Ltd**

**Sd/-
Kayio Kayina Th.
Managing Director
DIN: 10946847**

**Sd/-
M.Iboyaima Meitei
Director
DIN: 08220500**

**Date: 19.06.2025
Place: Guwahati/Shillong**

ANNEXURE-B

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

1. Industry Structure & Development:

Agriculture being the predominant business of the region, NERAMAC is playing vital role to support and grow the said business to the maximum reach. Particularly the horticulture sector of the region constitutes the major portion of the business and huge potential for growth. The agro-climatic conditions of the North-Eastern Region (NER) is favourable for production of good quality Agri-Horti produces like Pineapple, Jackfruit, Orange, Lemon, Chilli, Ginger and some exotic fruits like kiwi, Passion Fruit and Dragon Fruit.

North Eastern Region accounts for 72.3% of the area under pineapple production and 54.5% of India's pineapple production. NER accounts for 10% of the India Orange Production. Out of the total jackfruit production in the Country about 23.6% is contributed from the two north eastern State of Assam and Tripura, Tripura with 300,000 MT of production is the second largest producer in the country. India is the largest producer of Lemon, the NER produces nearly 226 thousand tons which is around 9% of the India's total lemon production. Ginger is the Key agricultural crops that is grown in almost all eight states of NER, together the region accounts for 24.1% of India's ginger production. NER is famous for its Naga King Chilli and Cherry pepper. The cultivation of Bhut Jholokiya is mainly practiced in Manipur and Assam. Arunachal Pradesh is the highest producer of kiwi in India producing around 6000 MT followed by Nagaland which is producing 2400 MT.

Despite huge potential there are number of challenges, which hinders the growth of Industry like remoteness of farm lands, hilly terrain, lack of proper infrastructure, lack of post-harvest management facilities, cluster based farmers, underdevelopment facilities for fruits and vegetables markets.

With the Intervention of number of programmes/schemes launched by the Government of India many of above-mentioned problems are being addressed and NERAMAC under such programmes/schemes playing essential roles to elevate the Agri-Horti sector of the NER.

NERAMAC intervene in the Agri-Horti sector of the region through following business verticals for holistic growth of the sector:

- a. **Bulk Marketing of Agri-Horti produces:** Fresh Agri-Horti produces in bulk are sourced from FPOs/Farmers grow and marketed.
- b. **Retail Sale of Agri-Horti produces:** Processed and value added Agri-Horti products are marketed under retail segment.
- c. **Agri-Business:** Supplies agri-inputs and planting implements to State Governments.
- d. **Implementing Agency for Government Projects;** Functioning as Implementing Agency under 'Formation and Promotion of 10000 FPOs' of Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Bamboo Plantation Project of State Bamboo Development, Assam are the major one.

- e. **Skill Development & Livelihood training:** Capacity building and livelihood generation in Agri-Horti and related sector through skill development programmes & livelihood training.
- f. **Event Management:** Organising and participating in exhibitions/events/buyer-seller meet for promotion of Agri-Horti produces of the region.

2. Strengths and weakness

The Corporation has presence and is operating in all eight states of the region and procuring the locally grown produces and working in collaboration with the State Governments, FPOs/FPCs, entrepreneurs and SHGs creating widespread linkages in different corners of the region. The Corporation has vast experience in operating in the agro-horti sector of the region and also acting as the nodal agency in implementing the Central Government schemes and programmes.

Lack of post harvest management facilities of its own, remoteness of the clusters and hilly terrain, very few organised Mandis and no large sized processing plants.

3. Opportunities and threats

Number of untapped opportunities is present in the Agri-Horti sector of the region. As the region is emerging as the organic basket, the corporation has all possibilities to become the market leader in organic food sector. Whereas, under the “Act East policy” of the Government, new ventures can be explored and export promotions can be encouraged.

The potential threats are existence of the middle man and participation of Corporate Groups and local entrepreneurs in the marketing of agri-horticultural produce of the region, high cost of maintaining the supply chain due to geographical remoteness and lack of infrastructure in the region , unpredictable price fluctuation of agro-commodity and chances of early damages of the produces procured as being the highly perishable in nature as lack of proper back-end infrastructure to maintain and preserve the produces.

4. Outlook:

With the formal clustering of the producers/farmers, through creation of FPOs/FPCs under the schemes of Govt. of India, the Agri-Horti sector of NER moved towards to become organised sector. This formalization of the Agri-Horti sector, not only ensure aggregation of fragmented produces, but also enhance the scope of multi-dimensional marketing, through bulk selling and bulk processing/valuation addition of the produces. Despite availability of unique and variety of Agri-Horti produces in the region, fragmented production, has always hindered the development of major food processing facilities in the region. Through aggregation of produces under FPOs/PFCs, will definitely enhance the possibilities of making the North-East a hub for food processing sector in the country. The Govt. of India, in the recent times, through its favourable schemes has already created an ecosystem for development and growth of the region as major food processing centre. With this vision, NERAMAC should also aligned it medium term/long term gaols to cater the requirements of the farmers by sourcing their bulk produces and market the same for packing, processing

and value addition, for the development of the Agri-Horti sector of the region and sustainable growth of the Corporation.

5. Risks & Concerns:

High volatile market of Agri-horti produces and less shelf life of the products is one of the major risk factors in this sector of business. In the absence of fixed mechanism for rates of Agri-horti produces, the rates are highly fluctuating, which impact the profitability to a large extent. Whereas the high logistics cost because of the remoteness of the farm gate and the hilly terrain also cuts the profit margins of the procurement operations.

6. Performance:

The Corporation has earned revenue of Rs. 37.23 Cr. from business operations and total revenue of Rs. 40.17 Cr. The Corporation has also registered net profit of Rs. 1.27 Cr. With this the Company has registered net profit for the second consecutive year. However, the revenue generated by the Company during the year is 61.49% lower than the previous year. The reduction in revenue is primarily due to the lesser number of Agri-Inputs supplies order from the State Government.

7. Product-wise Performance

SL NO	PRODUCTS	2023-24		2022-2023	
		QTY	VALUE (RS)	QTY	VALUE (RS)
1.	Large Cardamom	3601 kg	30,93,573.68	1392 kg	7,18,928.00
2.	Fresh Ginger	12228 kg	8,07,096.00	25204 kg	4,06,144.00
3.	Black Pepper	4758 kg	21,43,134.34	24947 kg	1,13,44,434.00
4.	Black Rice	6872 kg	8,26,015.21	2214 kg	2,75,767.88
5.	Bay leaves	33,117 Kg	12,48,411.40	-	-
6.	Fresh Pineapple	9007 kg	1,98,154.00	12689 kg	2,73,455.00
7.	Dehydrated Ginger	10,530 kg	22,63,950.00	-	-
8.	Maize/Corm	11,000	1,77,650.00	-	-
9.	Fresh Avocado	50 kg	11,000.00	-	-
10.	Lakadong Turmeric	7,384 kg	2,95,360.00	-	-
11.	Cinnamon	4866 kg	10,94,464.62	2500 kg	3,09,523.00
12.	Cashew nuts	3484 kg	16,39,080.16	15985 kg	17,30,989.00
13.	Fresh Carrot	-	-	12094 kg	3,17,401.02
14.	Fresh Taro	-	-	1500 kg	32,500.00
16	Kew Pineapple	12,170 kg	2,37,740.00	6533 kg	1,23,901.00
16.17.	Green Chilli	-	-	1000 kg	40,000.00
18	Onion	29972 kg	9,18,342.00	-	-
19.	Rock Bee Honey	132 kg	1,02,902.98	-	-
20.	Supply of Agri-inputs to State Govt. (Seeds & Fertilizers)	-	34,52,33,411.48	-	9,49,742,836.00
	Processed Food Items		51,56,328.00		4,114,049.00
	Total (Rs)		36,54,46,613.87		96,94,29,928.00

8. Internal Control System & their adequacy:

There is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business, for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services. Financial Powers are centralised at the Head office. Corporate Risk Management Committee and Procurement and Purchases Committee also play vital role in ensuring adoption of best practices of Internal Control within the Company.

The Company formed the Audit Committee of the Board of Directors with majority of Independent Director and Independent Chairman w.e.f. 13/12/2011 as per the DPE Guidelines. The Audit Committee periodically review the Internal Control with the Management. However, the Audit Committee Company has been dissolved w.e.f. 27.03.2024 due to non-appointment of Independent Directors and the powers of the Audit Committee is now entrusted with the Board of Directors. The Audit Committee will be reconstituted immediately on appointment of minimum number of Independent Directors required for constitution of the Audit committee.

Approval of Revival Package by Govt. of India:

- a. Process for a fresh revival package initiated in March 2015 based on recommendation of Task Force of DPE (During the negotiation meeting of MoU).
- b. In 2015-2017, NEDFi was entrusted by the MoDONER to prepare a revival plan for the organization. Part I and Part-II of the report were examined at the Ministry. The report of NEDFi recommended for revival of NERAMAC by infusing fresh fund and conversion of outstanding Govt. of India loan into equity and writing off the interest and penal interest and VRS for the 50% of its regular employees.
- c. The report of the NEDFi validated by the IIM, Shillong in the year 2018. The validation report recommended for review of the existing value chain, adoption of new initiative like facilitating contract farming, e-commerce, GI promotion etc. Introduction of VRS, Infusion and fund management working capital, salary and administrative expenses. Recommended one time interest free loan to be paid within five years. No further investment to be made into the processing plants. They should either be handed over to other parties to run with profit sharing agreement, or in absence thereof be divested off.
- d. Thereafter the proposal was reviewed by the Committee of Secretaries consisting of Secretary, DoNER, Secretary, DPE and Secretary DIPAM.
- e. Action plan for revival of NERAMAC was prepared by NEDFi in January, 2021. The Action Plan recommended for fund based support of Rs. 17 Crore and Non-Fund based support of Rs. 60.45 Crore.
- f. Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) approved the Revival proposal of NERAMCA on 16th August, 2021. The package consists of Rs. 17 Crore fund based support for business operations, implementation of ERP and E-commerce Portal and paying off the committed liabilities. Non-fund based support of Rs. 60.45 Crore in the form of conversion of outstanding Govt. of India working capital loan of Rs. 28.23 Crore into the equity share capital and writing off the Interest and Penal Interest of Rs. 32.22

Crore. Non fund based support will help in financial restructuring of the Company and to achieve positive net worth in the years to come.

9. Status of Processing Plants

- a. **Fruit Juice Concentration Plant, Nalkata, Tripura** : The Fruit Juice Concentration Plant at Nalkata, Tripura was commissioned in year 1988. Since 2012 the plant was non-operational as incurring losses due to Single product line operation. Options are being explored to revive the plan under Government schemes or through PPP mode.
- b. **Ginger Processing Plant, Byrnihat, Meghalaya**: The unit with a capacity of processing 5 MT of ginger per day started operating from 2002-03 to cater the needs of ginger growers of North East. The plant was non-operational since 2012 due to Obsolete Technology and fund Constraint to upgrade the technology. However recently the plant has been handed over to private partner selected through open tender process for Operation & Management (O&M). The O&M partner installed new machineries in the plant.
- c. **Cashew Processing Unit, Agartala, Tripura** : The unit was commissioned in 1994 to cater to the cashew growers of Tripura. The plant was closed by Pollution Control due to smoke in roasting section under the stricture of Pollution Control Board of Tripura. However, with the financial support of Rs. 57.50 lakh from NEC, the plant has been revived. After renovation the plant commissioned operation on 18.09.2023. The new plant has the processing capacity of 500 kg of raw cashew per day. Performance of the Plant during the year has been reported under point no. 3 of the Directors Report 2023-24.
- d. **Cashew Processing Plant, Mancachar, Assam**: Construction of the Cashew nut Processing Plant was initiated in the year 2009 with capacity to process 4 MT of Raw Cashew per day. 95% of the construction was completed by 2013-14, but could not be commissioned. Delay in disbursement of fund resulting in escalation of project cost and time over run. Options are being examined to commissioned the plant under schemes of Govt. of India or through PPP mode.
- e. **Construction of NERAMAC Complex at Six Mile, Guwahati.**

Construction of first phase of NEC funded Marketing Complex has been completed in January, 2023. The building is designed as Green Building Project and State-of-the -Art Landmark Buildings in the region. Construction for first phase consist of B+G+4 (Commercial Building) and B+G+1 (Guest House) started in September, 2020. M/s Hindustan Prefab Ltd was the Project Management Consultant for the project. During the year proposal/DPR moved in the NEC for fund support for interior works of the building.

**For and on behalf of the Board of Directors
NERAMAC Ltd**

Sd/-
Kayio Kayina Th.
Managing Director
DIN: 10946847

Sd/-
M.Iboyaima Meitei
Director
DIN: 08220500

Date: 19.06.2025
Place: Guwahati/Shillong

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC LTD)
Statutory Audit Management Reply 2024-25

Sl. No	Observation	Management Reply																				
1	<p>Qualification on Stock Valuation As part of our audit of the financial statements of the company for the year ended 31.03.2024, we have examined the inventory, which is a material item on the balance sheet. During our audit, we have identified the following matters related to the Inventory:</p>																					
a.	<p>Obsolete Inventory: We observed that the company has included obsolete or slow-moving inventory in its closing stock, which has not been adjusted for potential impairment. No provision for such old, obsolete & not available Inventory has been made amounting to Rs.418.73 lacs Summary of Old obsolete & unavailable stock are as follows:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zone</th> <th>Stock as per books(₹)</th> <th>Expiry and stock not available(₹)</th> <th>Physical stock after excluding Old, Obsolete & unavailable(₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zonal office Assam</td> <td>2108215.12</td> <td>1616452.57</td> <td>491762.55</td> </tr> <tr> <td>Zonal office Agartala</td> <td>1812334.36</td> <td>1752741.50</td> <td>59592.86</td> </tr> <tr> <td>Dilli unit</td> <td>711784.2</td> <td>711784.2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Manipur</td> <td>106311.43</td> <td>106311.43</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>As per prudence practice of accounting, provisions should have been made against these Inventories to reflect true & fair view of the financial statements. Non provision of the above has resulted in overstatement of inventories and understatement of Profits for the year</p>	Zone	Stock as per books(₹)	Expiry and stock not available(₹)	Physical stock after excluding Old, Obsolete & unavailable(₹)	Zonal office Assam	2108215.12	1616452.57	491762.55	Zonal office Agartala	1812334.36	1752741.50	59592.86	Dilli unit	711784.2	711784.2	0	Manipur	106311.43	106311.43	0	<p>The matter is under review by the Management. The Report will be placed before the Board of Directors with the proposal for writing off.</p>
Zone	Stock as per books(₹)	Expiry and stock not available(₹)	Physical stock after excluding Old, Obsolete & unavailable(₹)																			
Zonal office Assam	2108215.12	1616452.57	491762.55																			
Zonal office Agartala	1812334.36	1752741.50	59592.86																			
Dilli unit	711784.2	711784.2	0																			
Manipur	106311.43	106311.43	0																			
b.	<p>Stock Discrepancies: As pointed out, during the physical verification of inventory, certain stock items were found to be missing. However, these missing items have still been included in the inventory valuation reported in the financial statements. This constitutes a discrepancy between the physical stock and the book stock, which has not been adequately reconciled or adjusted in the accounts.</p>	<p>The matter is under review by the Management. The Report will be placed before the Board of Directors with the proposal for writing off.</p>																				
c	<p>Non-compliance with Accounting Standard (AS) 2: We further noted that the valuation of inventory was not in accordance with AS 2, as the company did not perform an appropriate assessment of the net realizable value of certain items. Instead, NRV is taken at the lowest sale price during the year leading to potential misstatement of inventory values.</p> <p>In our opinion, these matters result in a potential misstatement of the inventory value and the related current assets, which may have a material impact on the company's financial position. We recommend that the management reassess the</p>	<p>Noted for Compliance</p>																				

	<p>inventory valuation to ensure compliance with **AS 2** and make the necessary provisions for obsolete and missing stock items.</p> <p>Our opinion on the financial statements is qualified in respect of this matter.</p>																	
<p>2</p>	<p>Audit Qualification for Depreciation on Fixed Assets: During our audit, we observed that the company has not charged depreciation on the office building in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013. As per the Companies Act, the useful life of an office building is prescribed as 60 years. However, the company has not mentioned any useful life in the Notes on Accounts and has straightly taken depreciation on the basis of useful life of 30 years for the office building and, accordingly, depreciation has been charged over this shorter period.</p> <p>This deviation from the prescribed useful life in the Companies Act without any basis or record has resulted in a higher depreciation charge in the financial statements, thereby reducing the net book value of the office building and the company's profits. Had the company followed the useful life as prescribed in the Companies Act, the depreciation expense for the year would have been lower, and the net profit would have been higher to that extent.</p> <p>Depreciation Reserve not booked for the year. Only opening balance of 357749 remains as it is as Debit balance in Capital Account. Calculation of Depreciation has not been provided as such same could not be perused by us</p> <p>As pointed out in the Previous Audit Report Depreciation on fixed Assets was wrongly calculated as wrong block is taken into consideration for some of the assets leading to booking of lower depreciation and overvaluation of assets by Rs.124837.17 resulting in higher profit for the FY 2022-23. Further excess depreciation was also stated to be charged for some of the assets due to wrong block amounting to Rs.46725 resulting in undervaluation of profit by the same amount in FY 2022-23. These has not yet been corrected leading to the increased wrong effects in the current year also</p>	<p>As per Depreciation Schedule the useful life of the office building was taken 60 years as mention in depreciation chart</p> <p>Noted</p> <p>The company is not in practice for creation of Depreciation Reserve.. Again the depreciation calculation sheet has been provided.</p> <p>Noted.</p>																
<p>3</p>	<p>Audit Qualification for Long Outstanding Balances of Sundry Debtors:</p> <p>During our audit, we observed that the company's balance sheet includes following sundry debtors:-</p> <table border="1" data-bbox="196 1485 1051 2031"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Name of Party</th> <th>Amount (In Rupees)</th> <th>Remark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Head Office & ZO Assam</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Director of Horticulture, Khanapara Zonal Office, Assam</td> <td>19411040</td> <td>Outstanding for a period of More than 6 years over and above its normal credit period</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>MDoNER Vibrant North East</td> <td>1785278</td> <td>Outstanding for a period of More than 6</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Name of Party	Amount (In Rupees)	Remark	Head Office & ZO Assam				1.	Director of Horticulture, Khanapara Zonal Office, Assam	19411040	Outstanding for a period of More than 6 years over and above its normal credit period	2.	MDoNER Vibrant North East	1785278	Outstanding for a period of More than 6	<p>Noted. Management is scrutinize and verifying the stagnant debtor accounts. Debtors which are pending more than 8 years and no confirmation / proper records available are being segregated for placing before the board for creating provision / writing off</p>
S. No.	Name of Party	Amount (In Rupees)	Remark															
Head Office & ZO Assam																		
1.	Director of Horticulture, Khanapara Zonal Office, Assam	19411040	Outstanding for a period of More than 6 years over and above its normal credit period															
2.	MDoNER Vibrant North East	1785278	Outstanding for a period of More than 6															

			years over and above its normal credit period
3.	MDoNER World Food India	990495	Outstanding for a period of More than 6 years over and above its normal credit period
4.	Big Bazar	10838	
5.	Bipanan Khetra	8647	
6.	M/s Altitude exports	4570	
7.	Prime Bakes	1816	
8.	Ridhima DS Enterprise	1360	
9.	Shiv Shakti Ginger Co	844	
10.	Arabinda Nayar (Adv)	5000	
	Z/O Sikkim		
11.	SOM Rangopo	19745	
12.	M/s Jyoti Traders	660	
13.	Ravito	12475	
	Z/O Manipur		
14.	Garden Care	388.00	
15.	Mediterranean Trading Company	2,939.50	
16.	Rajmohan Sing	292.00	
17.	Organic, Manipur	12,090.00	
18.	Dr. S Zeshmarani	1.00	
19.	Nungshirei Agency	50,000.00	
20.	Tender leaf India Pvt. Ltd.	13,000.00	
	Z/O Agartala		
21.	Art entertainment & Services Ltd	62530	
22.	Dy Director of agriculture Khowai	24192	
23.	Sr Horticulturist, Nagichera, West tripura	103812	

24.	TIDC	33150	
25.	Swastik	18300	
26.	Dy. Director of Horticulture (North) Kumarghat	629936	Outstanding for a period of More than 10 years over and above its normal credit period
27.	Supdt Of Agriculture, Chawmanu	772671	
28.	Supdt Of Agriculture, Dukli, West Tripura	186977	
29.	Supdt Of Agriculture, Gandacharra, Dhalai	336450	
30.	Supdt Of Agriculture, Rupaichari	1170122	
31.	Supdt Of Agriculture, Panisagar	123200	
32.	Executive Engineer Dept. of Agriculture, Agartala	78533	
33.	Dy. Director of Horticulture, West, Agartala	127637	
34.	Supdt of Agrucultural Sabbroom, south Tripura	311071	
35.	Supdt of Agrucultural Salema, Dhalai Tripura	56042	
36.	SH & SC, Udaipur	507338	
37.	ZDO, Khumulwng, west Zone	363021	
38.	ZDO, TTAADC B C Manu	916720	
39.	BDO Dukli	225763	
40.	Tripura Apex Fisheries, Agartala	57705	
41.	Supdt of Agrucultural Teliamura	1790954	
	FJCP,Nalkata		

42.	M/s Prime Edible (P) Ltd, New Delhi	414754	Outstanding for a period of More than 6 years over and above its normal credit period
	Kolkata Unit		
43.	W B State Seed Corp Ltd, Managing director	49697480	
	Dilli Unit		
44.	Salsar Enterprise	1,260,584	
45.	Prithivii Agrofresh	65,327	
46.	APEDA	6,375	
47.	Stall Sale	6,348	
48.	Green Mart	11,000	
49.	Nouve Consultancy	2,550	
50.	TRIFED (RO Ahmedabad)	5,607	
51.	TRIFED (RO Bhopal)	32,919	
52.	TRIFED (RO Bangalore)	5,607	
53.	TRIFED (RO Delhi)	31,507.	
54.	TRIFED (RO Hyderabad)	5,607.	
55.	TRIFED (RO Joipur)	14,144	
56.	TRIFED (RO Ranchi)	9,232	

The above amount of long-outstanding balances under sundry debtors. There are no subsequent recovery or settlement and no recovery efforts made by the company.

The company has not provided for these long-outstanding balances, which raises concerns regarding their recoverability. In our opinion, the non-provision for potential bad debts may overstate the value of receivables and the overall financial position of the company. Had the company made an adequate provision for these doubtful debts, the profit for the year would have been lower, and the net current assets would have been reduced to that extent.

Provision for Debtors was once said to be created in the past by debiting Provisions for Debtors and crediting Debtors Account but without charging it from the Profit & Loss Account. Provision for Debtors is appearing as Debit Balance 8933049.19. Provision for Debtors 7716995 is found to be appearing in the Books of Agartala against which no satisfactory explanation could be provided

4	<p>Audit Qualification for Long Outstanding Balances of Sundry Creditors: During our audit, we noted that the Company's financial statements include sundry creditors amounting to ₹ 6,80,63,312 that have been outstanding for a period exceeding 5 years. Based on our verification and inquiries, we were unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to substantiate the validity and completeness of these long outstanding balances. These creditors have not been confirmed by the respective parties, and the Company has not taken any steps to write back or settle these liabilities in accordance with applicable accounting standards. Consequently, we are unable to determine the adjustments, if any, that may be required in respect of these sundry creditor balances.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">S. No.</th> <th style="width: 60%;">Location</th> <th style="width: 30%;">Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Head Office</td> <td>2652399</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Zonal Office, Assam</td> <td>18831288</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zonal Office, Agartala</td> <td>3345</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Cashew processing unit, Agartala</td> <td>287054</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kolkata Unit</td> <td>44647378</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Zonal Office Sikkim</td> <td>907559</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Dilli Unit</td> <td>230418</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Zonal office, Manipur</td> <td>80000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>GPP Byrnihat</td> <td>423871</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>68063312</td> </tr> </tbody> </table> <p>There is unnamed creditors of 450000 lying under Sundry Creditors in ZO Agartala Provision for Creditors 11415097 has been found to be existence in the Books at ZO Agartala against 18 nos of Creditors. As explained by the Company the same has been created for the proposed write back of creditors just by carving it off from the Creditors ledger but without routing through the Profit & Loss Account. This has resulted in understatement of profits in the past years</p>	S. No.	Location	Amount	1.	Head Office	2652399	2.	Zonal Office, Assam	18831288	3.	Zonal Office, Agartala	3345	4.	Cashew processing unit, Agartala	287054	5.	Kolkata Unit	44647378	6.	Zonal Office Sikkim	907559	7.	Dilli Unit	230418	8	Zonal office, Manipur	80000	9	GPP Byrnihat	423871		TOTAL	68063312	<p>Noted. Management has reviewed and aged the list of stagnant debtor accounts. Debtors which are pending more than 8 years and no confirmation / proper records available are being segregated for placing before the board for creating provision / writing off.</p>
S. No.	Location	Amount																																	
1.	Head Office	2652399																																	
2.	Zonal Office, Assam	18831288																																	
3.	Zonal Office, Agartala	3345																																	
4.	Cashew processing unit, Agartala	287054																																	
5.	Kolkata Unit	44647378																																	
6.	Zonal Office Sikkim	907559																																	
7.	Dilli Unit	230418																																	
8	Zonal office, Manipur	80000																																	
9	GPP Byrnihat	423871																																	
	TOTAL	68063312																																	
5	<p>Audit Qualification on Government Grant As per Note o) of Notes on Accounts of the Company for the YE 31032024, Government Grants or Subsidies relating to an expense item are recognized as Asset at the time of its receipt. Government Grants in relation to Fixed Assets are reduced from the actual cost of concerned Fixed Assets. Whereas Grants related to revenue are sometimes presented as a credit in the profit & loss statement, either separately or under a general heading such as "Other Income". Alternatively, they are deducted in reporting the related expense.</p> <p>We note that</p> <p>a) The above note on accounts states that Govt. grants relating to an expense item are recognized as Assets at the time of its receipt. The same is not in line with AS-20 as recognition of the same as Asset is not permitted.</p> <p>b) The above note on accounts states that Govt Grants in relation to Fixed Assets</p>	<p>Noted & Matter will be disclosed in the Directors Report for the FY 2023-24.</p>																																	

<p>are reduced from the actual cost of the concerned Fixed Assets whereas in the Financials under audit no such treatment has been noticed.</p>	<p>Noted for compliances</p>
<p>c) The notes on Account is silent on the Company's policy for treating the Govt Grants in the nature of promoters contribution</p>	<p>Noted for compliance</p>
<p>d) The notes on Account is silent on the Company's policy for treating the Govt Grants that are receivable as compensation for expenses or losses incurred in a previous accounting period or for the purpose of giving immediate financial support to the enterprise</p>	<p>Noted for compliance</p>
<p>e) No segregation of different types of grants received are found to be reported in Notes on Account No 24(g) between grants related to fixed assets, grants relating to expenses or revenue, grants in the nature of promoters contribution etc</p>	<p>Noted for compliance</p>
<p>f) The Company has treated Building Grant of Rs.14.18 Crs (funded by NEC Shillong) under the Heading Reserves & Surplus as "Building Grant" instead of reducing the same from the cost of assets as mentioned in the Company's Accounting Policy. Even if the alternative method as stipulated in AS-20 is to be followed, government grants related to depreciable fixed assets should have been treated as deferred income which should have been recognized in the profit & loss statement on a systematic & rational basis over the useful life of the asset. Further no Depreciation has been charged on Building even though Construction has been completed and capitalized in the Books.</p>	<p>The Construction of Building (B+G+4) was completed on January 2023, however the lift and transformer installed/set-up by end of March 2024. After completion of the project NERAMAC has applied for occupancy certificate from the concern department (GMDA). As no occupancy certificate was received as on 31 March 2024, therefore the building has not 'put-to-use' and recognized under 'PPE' during the financial year. However the building was recognized as assets as on 31st March 2024 and 'ZERO' depreciation charged.</p>
<p>g) During the year, the Company has utilized revival grant relating to computer systems ERP systems and E-commerce portal which are in the nature tangible/intangible assets by reducing the amount from the cost incurred but without recording such assets at Nominal value as required by the AS. AS-20 states "Where the grant related to a specific fixed asset equals the whole, or virtually the whole, of the cost of the asset, the asset should be shown in the balance sheet at a nominal value"</p>	<p>Noted.</p>
<p>h) The revival grant balance are shown under the head "Current Liabilities" even though a part of the same are earmarked for working capital support and supporting operations are in view of the Company in the nature of Promoters Contribution and be treated as Shareholders fund. AS-20 stipulates: Government grants of the nature of promoters' contribution should be credited to capital reserve and treated as a part of shareholders' funds</p>	<p>Noted</p>

<p>i) An amount of Rs. 19906029 has been shown recognized as CWIP for Mankachar Cashew Processing Plant which could not be completed and the Project is at Halt. is being shown as Work in Progress for a period exceeding 3 years and there is no change in the amount since past many years. There is no corresponding Govt Grant appearing in the liabilities side of Balance Sheet against the same. Company failed to provide any explanation with regard to the same.</p> <p>j) An amount of Rs.13.40 Crs in the nature of grants are appearing in the Books of Accounts under Current Liabilities which requires reconciliation and proper accounting.</p> <p>k) An amount of Rs.455.51 lacs received from various sources as grants are not reported under note 24(g) of Notes on Accounts. Details are as below: Forest Department 26226</p> <p>GI Mahautsav Kashmir 109400 Skill Prog from IIE 2075084 LRP from NEDFi 200000 Mahavir International 8931 M/o Agriculture & Farmers Welfare(217145838-174630817)=42515021 NHDP 51050 Nedfi Kiosk Sonamura 490000</p> <p>l) Bifurcation of government grants as per accounting policy of the company and AS 12 was not done, which is contrary to provision contained in the AS-12</p> <p>m) Grant of Rs.16,00,000 was sanctioned by NEC for awareness program in FY 2017-18 but total expenditure amounts to Rs.17,75,547 balance amount of Rs.1,75,547.00 (1775547-1600000) is still lying under grants (dr balance) which needs to be adjusted</p> <p>n) During the past years, the Company had transferred the non-fund based support of Rs.32.33 Cr of interest and penal interest (calculated upto 30.09.2021) on the outstanding Govt of India loan of Rs.28.23 (upto 31.03.2021) under the head "Capital Grant - Non Fund based support" under Reserves & Surplus" based on the opinion obtained from the Tax professional. In this regard, the Company has also submitted request letter to the Administrative Ministry to treat the said amount as capital grant. The approval for the same is still awaited from the Ministry</p>	<p>The matter was prior to 2007 and the details was untraceable as NERAMAC implemented Tally in FY 2012-13 However the NERAMAC has submitted the UC to the concern department.</p> <p>Noted for compliance</p> <p>Noted & Matter will be disclosed in the Directors Report for the FY 2023-24.</p> <p>Noted</p> <p>Noted, After scrutinize the matter will be placed before the Board of Directors for writing off.</p> <p>Amount of interest and penal interest on the outstanding Govt. of India loan of Rs. 28.23 as on 31.03.2021 is recorded in the books of accounts as 33.99 Cr. However the amount approved for writing off of Rs. 32.33 under the revival package, which resulted into a difference of Rs. 1.77 Cr. This difference amounts as arise due wrong estimation of interest</p>
---	--

	<p>o) On our test check of UCs, we found that a) for UC relating to Honey Bee Grant, UC was issued for Rs.1035000 including agency charges of 35000 (@3.5%), however the agency charge has not been booked in the Accounts but only reported in UC</p> <p>b) for Revival Grant in the utilization schedule provided by management, the employee expenses amounted to ₹54033889 which was adjusted against the funded VRS amounting to ₹4.96 crores. The cost overrun of ₹4433889 was adjusted from the head "other statutory dues, committed and current liabilities" in the revival package.</p>	<p>figure. Request has been submitted to the Ministry of DoNER for allowing the excess interest amount of Rs. 1.77 Cr. to be written off.</p> <p>The UC not submitted as on 31-3-2024 and accordingly the agency charge will be book during the FY 2024-25 through PL</p> <p>No Comments</p>
6	<p>Audit Qualification on Non-Capitalization of Non-Defect Liability An amount of Rs.65.04 lacs was kept on hold for non-defect liability relating to construction of market complex at sixmile from NEC fund. The same has not been capitalized in the Books.</p>	<p>The amount was not released till date. After releasing the amount the same will be capitalized.</p>
7	<p>Audit Qualifications on Bank Balances Bank Statements for SBI Naharlagun, United Bank of India Kolkata and SBI Tadong showing book balances of 20888.50, 37558.50 & 307622.26 has not been made available for our verification for FY 2023-24.</p>	<p>No transactions were made in these Accounts (In active accounts) since 2015. Notice had been served to close the account vide letter No. 20/CB/Acctts/Part-II/1864 dt. 1-12-2021</p>
8	<p>Audit Qualification on Inventories</p> <p>a. There is a mismatch in physical inventory and stock as per books of accounts. Although the cost or NRV of actual inventory is not available, we have a schedule prepared the difference between the physical inventory and stock as per books.</p> <p>b. The difference between the physical stock and stock as per books is primarily due to the following reasons:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Differences which exists from the opening balances itself 	<p>Noted</p> <p>The matter will be place before board.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Gifts to ministries • Old and obsolete stocks. <p>c. Inventory value taken as at the Balance Sheet date does not exclude value of material which were not found during the physical verification.</p> <p>d. Few Negative balances in stocks were found at Agartala</p>	<p>Noted, for write off of old & obsolete stocks will place before board.</p> <p>Noted, As the bill was not presented on the date of finalization of accounts therefore negative balance of Rs. 278.33 appearing in books. However the bill has been received and necessary entry / adjustment has been made in the accounts of current year.</p>
<p>9</p>	<p>Audit Observations on Revenue Recognition FPO Supervision Charges receivable @3% as per Implementation guide of the Farmers Producer Organization (FPO) Scheme of the Ministry of Agriculture & Family Welfare for the periods upto FY 2022-23. The Company has also not claimed such funds from the Ministry. This has resulted in understatement of Revenue from Operations and Profits Income of Rs.750950 during the year was adjusted with Freight & Handling Expenses by ZO Guwahati thereby revenue recognition was not done Under Fixed Deposits ledger, Reconciliation with 26AS is not found to be done. Further no records are there evidencing booking of differential interest as pointed out in the last years audit report</p>	<p>Sanction letters received from Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (MoAFW) during the FY 2020-21 and 2021-22, nothing specific was mentioned relating to the supervision charges of Implementing Agency. Hence no amount recorded in the account as revenue from supervision charges (Considered it not accrued in the FY 2020-21 and 2021-22). However on 29.11.2022 NERAMAC sent a request letter to MoAFW to release the supervision cost as per the guidelines. The sanction letters issued in the 2023-24 to NERAMAC has specifically mentioned for upfront supervision cost and accordingly the supervision cost is booked in the FY 2023-24. Notwithstanding, clarity on supervision cost for earlier year has been sought from MoAFA</p> <p>Noted and Interest was not credited by Bank as</p>

	No Interest booked for SBI-TDR-32355985984 lying under ZO guwahati	on 31-3-2024										
10	<p>Audit Observations on Suspense Account Balance There exists suspense account balance of 294346/- Cr under current liabilities details of which could not be provided Suspense Account credit balance 78551 lying in the TB of ZO guwahati An amount of Rs.175137.13 Cr is outstanding under suspense account</p>	Noted. The matter was placed before the Audit Committee meeting and as directed by the Committee, necessary documents are being scrutinized to reconcile the balance of suspense accounts in FY 2024-25.										
11	<p>Audit Observations on Generic Ledgers in Books of Accounts During the course of our Audit, we have found certain generic ledgers of which no details are available with the office details of which are as below: There is a generic ledger Head Office (SC) 941144.10 lying under Sundry Creditors since a very long time There is a generic ledger Head Office (CL) 16799172.28 lying under Other Current Liabilities since a very long time Under Deposits we find a generic ledger named as Head Office (Deposits) with balance of 1205082.12 Dr since beginning There is a generic ledger named as outstanding liabilities lying under Other Current Liabilities with an amount of 4840 outstanding since a very long time There is a generic ledger named as outstanding liabilities with an amount of 144365 outstanding since a very long time Apart from the above there is unnamed creditors of 450000 lying under Sundry Creditors in ZO Agartala There is a generic ledger in the name of 'Loans & Advances to related parties' under Receivable Account in Loans & Advances (Assets) carrying a balance of 4126870/- outstanding since a very long time</p>	Noted The matter is under review by the Management. The Report will be placed before the Board of Directors with the proposal for writing off / write back.										
12	<p>Audit Observations on Balance Confirmation from Parties There is no practice of obtaining balance confirmations from parties under Debtors, Creditors, Loans, Advances, Deposits, Liabilities & Assets. Accordingly we are unable to check verify and comment as to the existence & correctness of the amounts booked under various heads</p>	Noted for compliance.										
13	<p>Audit Observations on Non Provision of Expenses As pointed out in the last years audit report, no provision for doubtful recover/refund of TDS was made in the books of accounts for the period upto FY 2015-16 as condonation for claim can be filed upto six years from the end of the relevant assessment year as per circular no. 9/2015 [F.NO.312/22/2015-OT] dated 09.06.2015. Non-provision of the same had resulted in understatement of provision for doubtful debts/receivable and over statement of profit by Rs.38.15 lakh each</p> <table border="1" data-bbox="199 1825 1066 1993"> <thead> <tr> <th>Assessment Year</th> <th>Financial Year</th> <th>Particulars</th> <th>Amount (Rs)</th> <th>IT Return filing date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Assessment Year	Financial Year	Particulars	Amount (Rs)	IT Return filing date						Noted, the provision will be made after necessary approval from BOD
Assessment Year	Financial Year	Particulars	Amount (Rs)	IT Return filing date								

2014-15	2013-14	TDS Receivable Prior to FY 2013-14	1349343.00	31-05- 2021
2015-16	2014-15	TDS Receivable	1109455.00	31-05- 2021
2016-17	2015-16	TDS Receivable	841489.00	31-05- 2021
2017-18	2016-17	TDS Receivable	515238.00	07-12- 2021

NERAMAC had also requested the Income Tax Authorities for condonation of delay in filing ITR for the FY 2017-18 to FY 2020-21 u/s 119(2)(b) of the Income Tax Act 1961

14 Audit Observations on Prior period items

The Company is not in the practice of correctly creating provisions on expenses at the year-end resulting in carrying forward as Prior-period items in the next year As per paragraph 15 of AS-5 " Net Profit or Loss for the period, Prior period items and changes in accounting policies", the nature and amount of prior period items should be separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that their impact on the current profit or loss can be perceived.
Profit and loss account has been debited/credited with the following items

Noted

Particulars	Year	Debit (₹)	Credit (₹)
Zonal office Assam(Rent, Zoo stall rent and EMD)	2022- 23		6226
Dynatek	2022- 23	61046	
Sudha and Associates	2022- 23	263800	
Adv Sanjeev Rai CS	2022- 23	24694	
Revival grant	2022- 23		4133568
SBI TDR (opening balance adjustment)	202223	15055	
Advances	2022- 23	91131	
M Borar & Co	2022- 23	22656	
Krishna Associates	2022- 23	27572	

UCO Bank, Mankachar	2022-23	780	
Manoj Pathak	2022-23	10000	
Assam Seva Samiti	2022-23	42000	
KESHRI AND ASSOCIATE	2022-23	94400	
TDS-194 J	2022-23	30000	
T K Ghosh and Co Chartered Accountant	2022-23	22420	
DILLI HAAT UNIT (CL)	2022-23	27465	
Z.O AGARTALA (CL)	2022-23	50	

<p>15 Audit Observations on Advances against Sales & Advances against Purchases Advance against Sale (liability) remains outstanding for a very long period of time. Details as below</p>				<p>Noted After scrutinizes the matter the matter will be place before the board.</p>	
	Party	Op Bal	Closing Bal 31.03.2024		Remarks
	CPU Agartala	5000	5000		No adjustment has taken place
	ZO Agartala	743784.35	743784.35		No adjustment has taken place
	ZO AP	14355184	14355184		No adjustment has taken place
	ZO Assam	10347166	13452166		Advance against sale has increased from 10347166 to 13452166
	<p>Advance against Purchase (Assets) remains outstanding for a very long period of time. Details as below</p>				
Sl.no	Party Name	Amount (Rs)	Remarks	<p>Noted, After scrutinize the matter the matter will be place before the board.</p>	

1	ITV Agro & Food Technologies Pvt. Ltd.	5,283.00	> 5 Years
2	A. B. Nursery, Kailasahar	592,812.00	> 5 Years
3	Nath Seeds & Agro Chemicals, Agartala.	150,615.00	> 5 Years
4	Nath Seeds Enterpriase, Agartala.	8,626.00	> 5 Years
5	Sahara Industrial Syndicate, Udaipur	28,440.00	> 5 Years
6	Sonamura Krishi Udyog, Sonamura.	59,629.00	> 5 Years
7	Organic Supply Agrncy, Agartala.	10,689.00	> 5 Years
8	T.H.C. Ltd, Agartala.	39,940.00	> 5 Years
9	Das Lime & Hardware Supplier, Agartala.	28,113.00	> 5 Years
10	North East Seeds & Agro Chemicals, Agartala.	382,115.00	> 5 Years
11	Akash Sales Agency, Udaipur.	6.00	> 5 Years
12	BVFC Ltd.	0.29	> 5 Years
13	Sheel Bio Tech Ltd	8,326,327.00	> 5 Years
14	NSFI	(90,000.00)	> 5 Years
15	Harval Aqua India Pvt. Ltd.	(1,223,943.85)	> 5 Years

16 Audit Observations on Advances

Under Advances HO there are many ledgers with credit balances. Also there are many ledgers where there has been no movement during the year under audit and majority of these are outstanding for more than 5 years Details as below

Party	Op Bal 01.04.2023	Closing Bal 31.03.2024	Remarks
Head Office		7766848.97	6930738.13 >5 Years
CPU Agartala Adv	62645	62645	All > 5 Years
Dilli Hat Adv	686742.87	686742.87	All > 5 Years
FJCP Nalkata Adv	809560	809560	All > 5 Years
GPP Adv	1578	1578	All > 5 Years
Kolkata Unit Adv	409	409	All > 5 Years
ZO Agartala Adv	2573817.21	2579567.21	1326023 > 5 Years
ZO AP Adv	8660	8660	All > 5 Years

The matter is under review by the Management. The Report will be placed before the Board of Directors with the proposal for writing off / Write Back

ZO Assam Adv	2492968.98	2492968.98	2493270.95 > 5 Years
ZO Manipur Adv	1002612.62	1002612.62	971086 > 5 Years
ZO Meghalaya Adv	1724195.83	1724195.83	All > 5 Years
ZO Mizoram Adv	233857	233857	All > 5 Years
ZO Nagaland	16973	16973	All > 5 Years
ZO Sikkim	721314.75	721314.75	All > 5 Years

Following is the table of long outstanding deposits zonal office and head office wise:-

Sl no	Particulars	Amount()	Remarks
1	Zonal office Agartala	296992.96	284791 > 5 years
2	FJCP,Nalkata	4000.00	All >5 Years
3	Zonal office, Arunachal Pradesh	50000.00	All >5 Years
4	Zonal office, Sikkim	27902.00	All >5 Years
5	Head office	9419987.12	1416002.12
6	Zonal office Assam	875626.00	725626 > 5 years
7	Zonal Office, Nagaland	10000.00	All >5 Years
8	Dilli Haat	150000.00	All >5 years

Following are long outstanding advances appearing under loans & advances (assets)

Party	Op Bal	Closing Bal
	01.04.2023	31.03.2024
Bonus Recoverable	31028	31028
District & Sessions Judge Kamrup	2398856	2398856
ESSC Entrepreneurship Sector Skill Council	56600	56600
Manoj Kr Das	21808 Cr	21808 Cr
Security Deposit (Adani)	224000	224000

There is one ledger named as Receivable Account under Loans & Advances (Assets) where many items are there and except for one ledger there all are very long outstanding and with no movement. Most of them are appearing as credit balances meaning that these are payables and are wrongly classified as receivable

under Loans & Advances		
Party	Op Bal	Closing Bal 31.03.2024
APEDA	258485 Dr	451285 Cr
District Horticulture Office Bijnore	6069 Cr	6069 Cr
Horticulture and Food Processing Branch Bareliey	2711 Cr	2711 Cr
ICRA Research Complex for New Region Umori Road	25000 Cr	25000 Cr
Kerela State Seed Development Authority	447888 Cr	447888 Cr
Loans & Advances to related parties	4126870 Dr	4126870 Dr
Ministry of MFPI	1342107 Cr	1342107 Cr
Receivable from S C Dey	1205205 Dr	1205205 Dr
<p>Advance to 23 parties amounting to Rs.2551806.44 lying in the ZO Guwahati Books remains same from a very long time Advance to Staff amounting to Rs.58837.49 lying in the Books of ZO Guwahati remains same from a very long time</p>		
17	Audit Observations on Current Liabilities	
	<p>Under Current Liabilities there are many ledgers with debit balances. Also there are many ledgers where there has been no movement during the year under audit. Some of such ledgers without any movement and carrying high balances are :Defect liability payable 6504193, Head Office (CL) 16799172.28 NEGGWS 3647675</p> <p>Interest Accrued & Due DONER 17706797.44 Cr appearing as current liabilities since a very long time and has not been written off due to incorrect computation & communication of interest & penal interest from MoDONER</p>	
		<p>Noted</p> <p>Noted, The Company has submitted request letter to the Administrative Ministry to treat the said amount as capital grant. The approval for the same is still awaited from the Administrative Ministry.</p>
18	Audit Observations on Statutory Compliances	
	<p>There exists an amount of Rs.7380 (Cr) under Duties & Taxes against GST at HO since a very long time</p> <p>Company is in the practice of depositing advance TDS even before incurring of liability and booking of TDS nad parking it in Advance TDS ledger resulting in loss of interest for the period it had remained unadjusted. No reconciliations are ever</p>	
		<p>The matter is under review by the Management. The Report will be placed before the Board of Directors with the proposal for writing off.</p> <p>Noted.</p>

carried out. Further there is an unreconciled balance of 1667 (Dr) as at 31.03.2024	
CPF-12% (Employee) ledger is carrying a liability of Rs.198 since a very long time remaining unpaid	Noted.
Duties & Taxes Meghalaya ledger is carrying an advance payment of Rs.6107 since a very long time remaining unadjusted	Noted.
P Tax ledger is carrying a liability of Rs.67741.56 since a very long time remaining unpaid	Noted
TDS Salary ledger is carrying a an advance payment of Rs.38652 since a very long time remaining unadjusted	Noted
Tripura VAT ledger is carrying a liability of Rs.30331 since a very long time remaining unpaid	Noted.
RCM on legal fees appearing under current assets 107492.60 since a very long time without any adjustment	
On our test check we found that GST not charged on	Noted for compliances
a) Agency Charge-Skill Project	
b) FPO Supervision & Other Administrative Charges	
c) Misc Income	
d) Processing Fee	
e) Freight & Handling Income	
Certain amount paid to Colours of India against designing & labelling expenses, against which TDS is not found to be deducted	Noted
GST RCM is not found to be complied on eligible payments	Noted
CGST payable 51491.42 Dr & VAT payable 4346 Cr outstanding since a very long time at ZO Agartala	Noted, After scrutinize the matter the matter will be place before the board.
Differences were observed in the Turnover as per GST Returns filed and as per the Books of Accounts of all the Units of the Corporation.	Noted, After scrutinize the matter the matter will be place before the board.
CGST, SGST & IGST balances as appearing is not found to be reconciled with GST Portal	Noted
An amount of Rs.4696 is outstanding under P Tax liability since a very long time with no movement	Noted
An amount of Rs.842051 was paid to Pranay Goswami against manpower supply - CPU during the year however no TDS was deducted against the Bills.	
Following cases of TDS deductions were made but not reflected in the TDS returns filed	Tax Paid and Revised Return has been filed.

In Zonal office Assam, TDS receivable from North East logistic (₹12000) & Director					TDS Return has not been filed by the party.														
Sl no	Quarter	name of party	section	TDS amt(₹)															
1	II	Krishna associates	194I	2710															
2	II	Sushila foundation	194C	15000															
3	II	ATMS	194C	5000															
4	II	Taurionzeus Structures and Technologies Private Ltd	194C	15000															
5	III	APRINS	194C	10000															
		TOTAL		47710	Noted														
of Agriculture, Assam(₹ 129727.07, ₹57573.5, ₹148294.02) is not reflecting in 26AS for F.Y 2023-24					Noted														
Company has not been able to provide us with the details of Statutory dues payable within 6 months & beyond 6 months as at 31.03.2024																			
Company has not been able to provide us with a reconciliation statement of ITC existing in the GSTIN portal and the Books of Accounts																			
There exists demand against TDS in the TRACES portal as below: FY 2011-12 Rs.11410/- FY 2023-24 Rs.19190/-					Noted														
There exists outstanding demand against Income Tax in the Income Tax portal as per the details below:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Demand Ref No</th> <th>AY</th> <th>Sec code</th> <th>Outstanding Demand</th> <th>Accrued Interest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023202337239079641C</td> <td>2023</td> <td>1431a</td> <td>963440</td> <td>87580</td> </tr> <tr> <td>2012201010027854634C</td> <td>2010</td> <td>1433</td> <td>3529147</td> <td>2934034</td> </tr> </tbody> </table>						Demand Ref No	AY	Sec code	Outstanding Demand	Accrued Interest	2023202337239079641C	2023	1431a	963440	87580	2012201010027854634C	2010	1433	3529147
Demand Ref No	AY	Sec code	Outstanding Demand	Accrued Interest															
2023202337239079641C	2023	1431a	963440	87580															
2012201010027854634C	2010	1433	3529147	2934034															
19	Audit Observations on EMD/SD No Register is maintained for Security Deposit & EMD as such at-a-glance position is not known. Both the Ledgers are merged in Tally Accounts. It is further noted that for Earnest Money for Pet Shop, as against balance of Rs.60000, an amount of Rs.160000 was released during the year Security Deposits amounting to 501275 against 66 parties are outstanding in the Books with no movements at ZO Agartala Security Deposit (Saveer Bio Tech) 436636 lying as credit balance has been booked under Deposits (Assets) at ZO Guwahati				Noted for Compliance														
20	Audit Observations on Income Tax & TDS Reconciliation We have found different ledgers appearing in different names related to Income Tax & TDS Receivables in the Books of the Company as per details given below:				Year wise break up enclosed herewith – Annex - 1														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Bal 01.04.2023</th> <th>Bal 31.03.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Type	Bal 01.04.2023		Bal 31.03.2024													
Type	Bal 01.04.2023	Bal 31.03.2024																	

Income Tax Receivable	1942139	1942139
TDS on Interest on FD	3458146	4017190
TDS on Professional Services	112000	112000
TDS Receivable (Others)	2135323	4148639.59

No reconciliation as to the same has been made. Schedule showing year-wise break-up is not available. No adjustments, if any, has ever been said to be done.

Further the TDS/TCS refund as per the ITR of NERAMAC for the FY 2022-23 was Rs.9.64 lacs whereas the same as per accounts of the company was Rs.8.28 lacs i.e., diff of Rs.1.36 lacs is due to 3 TDS entries which are not taken in the books of accounts.

Further, provision for Deferred Tax Assets/Deferred tax liabilities is not found to be created as required by AS

The Fund was not received from the Department Horticulture, Bihar therefor the TDS amount was not taken in Accounts.

Noted

21 Audit Observations on Reporting of Ratios in the Financial Statements

We have found significant differences in the ratios reported as per Financial Statements vis-a-vis ratios to be calculated as per standard formula. Following are some of the notings:

Particulars	Auditor's ratio calculation		Management's ratio calculation		Reason for difference
	2022/23	2023/24	2022/23	2023/24	
Debt-Equity ratio	2.54	0.44	1.7	0.92	The debt component comprises any short-term borrowings, long-term debt, and any debt-like items on the company's

Noted for compliance.

						balan ce sheet The equit y comp onent is includ ive of any equit y contri buted by the owne rs (i.e. found ers), equit y raise d in the capita l mark ets, and retain ed earn ings.
	Debt-Service Coverage Ratio	2.04	NIL	2.1	NIL	Differ ence in the value taken for net opera ting incom

						e
Return on equity	9.04%	21.23%	11.93 %	3.56%		No payment of taxes shown in financial statements of 2022-23. Management should have considered the amount of reserves in shareholders equity
Inventory Turnover ratio	239.258	76.484	4.89	7.64		
Trade receivables turnover ratio	4.70	4.62	0.014	1		No explanations given for credit sales

Trade payable turnover ratio	3.66	1.567	1.04	0.39	No information is available for credit purchases so we took the entire purchase amount
Net Capital turnover	-6.47	45.603	60	11.28	Explanations required for net sales and negative working capital in F.Y 22-23 and 21-22
Net profit ratio	4.43%	3.43%	4.24	3.49	No taxes paid in 2022-23 as per financials

	Return on capital employed	30.27%	8.57%	5.46%	6.34%	Discr epanc y in the figure s taken for ratio calcul ations	
22	Audit Observations on Reporting of EPS As per Schedule III of Companies Act 2013, EPS are to be reported as a) EPS including extra-ordinary items both Basic & Diluted and b) EPS after excluding extra-ordinary items both basic & diluted Company has reported same EPS of 0.04 in both the categories i.e., EPS including extra-ordinary items and EPS after excluding extra-ordinary items Further there is no mention of Diluted EPS in the First category i.e., EPS including extra-ordinary items						Noted for compliance.
23	Audit Observations on Non-Current Liabilities reported Other Current liabilities: Rs. 240.89 (note No.6) The above did not include an amount of Rs. 36.45 lakh towards rent payable to District Industries & Commerce Centre Silchar (DI&CC). The company had taken (January 2009) a plot from DI&CC, Silchar for setting up of Multi Fruit processing plant for a period of 30 years on rent of Rs. 0.60 per sq. ft. per month. However, the aforesaid land was taken back by DI&CC in January 2020. The company has neither paid rent for last nine years nor made provision in its books of accounts but included the same under contingent liabilities. Non provisioning of this amount has resulted in understatement of Other Current Liabilities (other Payables) and overstatement of Reserve and Surplus and profit for the year by Rs. 36.45 Lakh. Consequently, profit for the year is also overstated to the same extent.						Vide lease deed dated. 05-01-2009 executed between District Industries & Commerce Department (DI&CD), Silchar, Cachar and NERAMAC, a plot of land measuring of 16 Bigha (230400 Sq Ft) was allotted to NERAMAC on lease for setting up Multi Fruit Processing Plant for period of 30 years. However, the DI&CA has cancelled the allotment in April 2019 as lease rent amounting to Rs. 36.45 lakh was due. Accordingly the plot was handed over and request letter given to Industry & Commerce Dept. Govt. of Assam to waive the lease rent amounting to 36.45 lakh considering the poor financial condition of the corporation. The Dept. has forwarded the letter to General Manager, District, Industry Centre, Cachar, Silchar on 16.02.2019 to submit the detailed report on the matter of waiving off

		of lease rent. The matter is being followed up with the concerned department in the Govt. of Assam. The same was disclosed in Notes to Accounts									
24	Audit Observations on wrong reporting of Trade Payables due for Payment Ageing Schedule for Trade Payables due for payment reported in Note no 24 w) has been shown as Nil which is grossly wrong	Noted and disclosed on directors report.									
25	Audit Observations on wrong nomenclature used in Note No 7 As per Division I of Schedule III of the Companies Act as well as Accounting Standard 10, fixed assets should be titled Property, Plant & Equipment etc. This has not been followed in Note No 7	Noted for compliances									
26	Audit Qualification on Non-Compliance of AS-17 Segment Reporting Segment Reporting as stipulated by AS-17 has not been followed by the Company.	Segment Reporting is not applicable during the reporting FY.									
27	Other Observations a) Shortage of stock amounting to Rs.0.35 lacs in Secretarial Stall, Agartala which was incorrectly adjusted through cash book by booking false sales & advance to Kanti Lashkar in FY 2021-22 is not written off from books of accounts although the matter has been discussed in the 28th & 29th Audit Committee Meeting b) TDS wrongly deposited under TAN instead of PAN amounting to Rs.5717915 for AY 2010-11 & AY 2012-13. Action for refund has been initiated by the Management but proper follow up recommended c) The Company do not have a system of identifying amounts due to Micro Enterprises or Small Enterprises on the basis of documents in their possession and accounting software used by them . Hence, the Company is not identifying Micro Enterprises or Small Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006. d) "Horti Sangram" has been appearing as a credit balance in the Capital account without any movement since F.Y 2020-21 e) "Cm Care fund" has been appearing in the books of Zonal office Agartala without any movement for a very long time f) According to the records of the company examined by us and as per the information and explanations given to us, the company has taken working capital loan from NEDFI/Ministry of DoNER. Pending principal amount of ₹28.23 cr has been converted into equity and interest/penal interest of ₹32.22 cr is written off through reserves and surplus, although approval from ministry of DoNER is still pending. Also ₹1.77 cr of interest and penal interest is not written off due to incorrect computation and communication of interest and penal interest from Ministry of DoNER. The company has not issued debentures:	Noted, the matter was placed before BOM but not approve by the Board. Noted Noted Noted Noted No Comments									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Period(since)</th> <th>Amount(₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interest</td> <td>01/04/2016</td> <td>₹27,25,08,521.00</td> </tr> <tr> <td>Penal interest on working capital</td> <td>01/04/2016</td> <td>₹6,73,98,276.00</td> </tr> </tbody> </table>	Particulars	Period(since)	Amount(₹)	Interest	01/04/2016	₹27,25,08,521.00	Penal interest on working capital	01/04/2016	₹6,73,98,276.00	
Particulars	Period(since)	Amount(₹)									
Interest	01/04/2016	₹27,25,08,521.00									
Penal interest on working capital	01/04/2016	₹6,73,98,276.00									
		ICP Stall sale for the month of June (vide Invoice No.									

<p>g) There were Negative Cash in Hand on various days in the Month of April'23, May'23, June'23, July'23, August'23 and October'23 in the Agartala Zonal Office of the Corporation, authenticity of which could not be checked/established.</p>	<p>NER/AGT/2324/09) Amounting Rs. 25,298/- was wrongly entered in Tally in 1st July 2024. But in manual Cash book it was entered in 30th June an in manual cash book there was no negative balance</p>
<p>CARO</p>	
<p>(i) (a) According to the information & explanations provided to us The Company is not maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situations of Property, Plant & Equipment and Intangible Assets.</p>	<p>Noted</p>
<p>(b) According to the information and explanations provided to us, the Fixed Assets are physically verified at reasonable intervals and no material discrepancies were noticed on such verifications.</p>	<p>No Comments</p>
<p>(c) There has been mismatch in number and type of assets as per physical verification report and as per books of accounts. As the cost of certain old asset as per physical verification is not available, so the same cannot be quantified in terms of rupees</p>	<p>Noted</p>
<p>(d) During physical verification it was also observed that, some of the assets are either damaged or not in working condition. These assets needs to be scrapped and written off from the books of accounts.</p>	<p>Noted</p>
<p>(e) Fixed Asset register does not reveal detailed information of asset such as unique ID, location, number of units purchased, cost of the asset, recoverable cost etc.</p>	<p>No Comments</p>
<p>(f) As per declaration reported to Ministry, the title deeds of all the immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in financial statement are held in the name of the company.</p>	<p>Noted</p>
<p>(g) As per information and explanations given to us, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment or intangible assets or both during the year. Accordingly, the provision of clause 3(i)(d) of order is not applicable</p>	<p></p>
<p>(h) As per information and explanations given to us, No proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the benami transaction (prohibition Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, the provision of clause 3(i)(e) of the order is not applicable</p>	<p>No Comments</p>
<p>(ii) (a) According to the Information & explanations provided to us, the Inventories are physically verified at reasonable intervals. But the accuracy of the same cannot be certified as there is a mismatch between the physical stock and inventory maintained in the books.</p>	<p>ERP system has been introduced for accounting of retail inventory and is being modified as required based on experience. Accordingly, a unique ID for each item would be introduced now to ensure no mis-match is there in cases where a similar product is being provided by different entrepreneurs.</p>

<p>(b) The procedures of physical verification of inventories followed by the management are not adequate in relation to the size of the company and nature of its business. Stock audit from an independent entity may be recommended..</p>	<p>Noted</p>
<p>(c) Manual records of inventory are maintained by the Management. The discrepancies noticed on verification between physical stocks and the book records were not properly dealt with in the books of accounts</p>	<p>ERP system has been introduced for accounting of retail inventory and is being modified as required based on experience. Accordingly, a unique ID for each item would be introduced now to ensure no mis-match is there in cases where a similar product is being provided by different entrepreneurs.</p>
<p>(d) During the year, the Company do not have any working capital limits so this point of the order is not applicable.</p>	<p>No Comments</p>
<p>(iii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not made any investment, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, LLP. Consequently, the provisions of iii (a), (b), (c), (d), (e) and (f) of the order are not applicable to the company.</p>	<p>No Comments</p>
<p>(iv) As per information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Sec 185 and 186 of the Companies Act, wherever applicable, in respect of loans, investments, guarantees and security given by the Company during the year.</p>	<p>No Comments</p>
<p>(v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits in terms of the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act 2013 and the Rules framed thereunder. Accordingly, the provision of clause 3(v) of the Order is not applicable.</p>	<p>No Comments</p>
<p>(vi) To the best of our knowledge & belief, the Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Act in respect of Company's products/services. Therefore, the provision of Clause 3(vi) of the said Order is not applicable to the Company.</p>	<p>No Comments</p>
<p>(vii) (a) According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues: the company except as reported herein (including Annexure-A) is regular in depositing the undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income tax and any other statutory dues to the appropriate authorities</p>	<p>No Comments</p>
<p>(b)The extent of arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they became payable has not been provided to us</p>	<p>Noted</p>
<p>(c) Details of statutory dues referred to in sub-clause (a) above which have not been deposited as on March 31, 2024 on account of disputes are given below:</p>	

Nature of the statute	Nature of dues	Forum where Dispute is Pending	Period to which the Amount Relates	Amount in Rs.										
Income Tax	Demand u/s 143(1)(a) Demand Ref No 20232023372 39079641C	Appeal & Other documents evidencing non-payment due to dispute not made available	AY 2023	Demand: 963440 Interest: 87580										
Income Tax	Demand u/s 143(3) Demand Ref No 20122010100 27854634C	-----Do----- ---	AY 2010	Demand: 3529147 Interest: 2934034	No Comments									
<p>(viii) As informed by the Company, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act,1961(43 of 1961).</p>					No Comments									
<p>(ix) a) According to the records of the company examined by us and as per the information and explanations given to us, the company has taken working capital loan from NEDFI/Ministry of DoNER. As per Revival Package of NERAMAC (said to be approved by Govt of India) outstanding principal amount of ₹28.23 cr has been converted into equity and interest/penal interest of ₹32.22 cr is written off through reserves and surplus in the past years. Also ₹1.77 cr of interest and penal interest is not written off due to incorrect computation and communication of interest and penal interest by NERAMAC. The company has not issued debentures:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Period(since)</th> <th>Amount(₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interest</td> <td>01/04/2016</td> <td>₹27,25,08,521.00</td> </tr> <tr> <td>Penal interest on working capital</td> <td>01/04/2016</td> <td>₹6,73,98,276.00</td> </tr> </tbody> </table>					Particulars	Period(since)	Amount(₹)	Interest	01/04/2016	₹27,25,08,521.00	Penal interest on working capital	01/04/2016	₹6,73,98,276.00	No Comments
Particulars	Period(since)	Amount(₹)												
Interest	01/04/2016	₹27,25,08,521.00												
Penal interest on working capital	01/04/2016	₹6,73,98,276.00												
<p>b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company is not a declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(b) of the Order is not applicable</p>					No Comments									
<p>c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not raised any term loans during the period under audit. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable</p>					No Comments									
<p>d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not raised any loans on short-term basis during the period under audit. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(d) of the Order is not applicable</p>					No Comments									
<p>e) According to the information and explanations given to us and on the</p>														

<p>basis of our examination of the records of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable</p>	No Comments
<p>f) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not raised any loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable</p>	No Comments
<p>(x) a) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised monies by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly the provisions of clause 3(x)(a) of the Order is not applicable</p>	No Comments
<p>b) As per information and explanations given to us and based on our examination of the records, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly the provisions of clause 3(x)(b) of the Order is not applicable</p>	No Comments
<p>(xi) a) Based upon the audit procedures performed and information and explanations given to us by the management, we report that no fraud by the company or on the company by its officers/employees have been noticed or reported during the course of our audit.</p>	No Comments
<p>b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.</p>	No Comments
<p>c) As per information and explanations given to us, the company has not received any whistle-blower complaints during the year.</p>	No Comments
<p>(xii) The Company is not a Nidhi Company. Accordingly, reporting under clause 3 (xii) of the Order is not applicable to the Company.</p>	No Comments
<p>(xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, for all transactions with the related parties however the details of related party transactions have not been fully disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.</p>	No Comments
<p>(xiv) a) According to the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.</p>	No Comments
<p>b) We have considered the internal audit report for the year under audit, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.</p>	No Comments
<p>(xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected to its directors during the year and hence provisions of section 192 of the Companies Act,</p>	No Comments

<p>xvi not applicable to the Company</p> <p>(xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934 as Non-Banking Financial Company. Accordingly the provisions of clause 3(xvi)(a), (b), (c) & (d) of Order is not applicable</p> <p>(xvii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has incurred cash losses in the financial year which has been set off by the revival grant of ₹220 lakhs (exceptional item), thereby showing an after tax profit of ₹127.78 lacs</p> <p>(xviii) As per information & explanations given to us, there has been no instance of resignation of Statutory Auditors of the Company during the year. Accordingly the provisions of clause 3(xviii) of Order is not applicable</p> <p>(xix) Material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is capable of its liabilities existing at the date of Balance Sheet as and when they fall due within a period of one year from the Balance Sheet date.</p> <p>(xx) As per information and explanations given to us, the provisions of Sec 135 of Companies Act 2013 are not applicable to the Company during the financial year. Accordingly, reporting under clause 3(xx) of the Order is not applicable.</p>	<p>No Comments</p> <p>No Comments</p>
---	---------------------------------------



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
~~DGAGR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002~~
Audit Bhawan

No.: CAW/2-17/NERAMAC/2024-25/613

Dated: 15.05.2025

सेवा में,

The Managing Director
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation
9, Rajbari Path, G.S. Road
Ganeshguri, Guwahati, Assam – 781 005

विषय: भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर "शून्य" टिप्पणी प्रमाणपत्र।

महोदया,

इस पत्र के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation, Guwahati के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर "शून्य" टिप्पणी प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजे।

भवदीया,

(एकता सिंह)

उप निदेशक (CAW)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED, GUWAHATI FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2024.

The preparation of financial statements North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, Guwahati for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26.11.2024

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, Guwahati for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

**Place: New Delhi
Date: 15.05.2025**



**(Saurav Kumar Jaipuriyar)
Director General of Audit
(Central Expenditure), New Delhi**

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF CORPORATE

To,

The Members

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited

9, Rajbari Path, Ganeshguri, G. S. Road, Guwahati - 781005

We have examined the records and compliances of **NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPN LTD** bearing CIN : U01409AS1982GOI001932 (referred to as the 'Company') for the financial year ended 31st March, 2024, in terms of the "Guidelines of Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises" circulated by the Department of Public Enterprises in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises of the Government of India (now allocated under Ministry of Finance) vide Memo No. 18(8)2005-GM dated 14.05.2010 (here-in-after referred to as 'Guidelines').

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that Company has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Guidelines, except the following clauses:

Clause 3.1.1 relating to Composition of Board: **The Board of Directors is not duly constituted as per Articles of Association throughout the year. While one Independent director is disqualified to hold directorship for absenteeing from all board meetings for a continuous period of 12 months, the other Independent Director has been holding office beyond 2 (two) consecutive terms. Further the Board is having only three directors; hence the Board is not duly constituted as per the Articles of Association.**

Clause 3.3.1 relating to Number of Board Meetings: Four Board meetings were held during the year and the meetings were held in compliance to the Companies Act, 2013. However, the provisions of clause 3.3.1 was not complied with in full as the gap between 149th and 150th Meeting is 3 months 21 days which exceeds twenty one days. Again gap between 150th and 151st meeting exceeds by 7 days beyond the minimum gap of 3 months. The Agenda of the Board

meetings did not cover the minimal information on quarterly results on the operating business of the Company.

Clause 3.3.3 relating to compliances of laws to be reviewed: Compliance and reviewal of only few laws applicable to the Company are being reported.

Clause 3.7 relating to Training of Directors: Various Training to Directors to enable them to impart their roles and regulations have not been provided and recorded in Corporate Governance Report.

Clause 4.4 relating to Meeting of Audit Committee: Since the audit Committee has been dissolved due to absence of any Independent director on the Board, hence this clause is not complied with by the Company.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the further viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For **SUDHA & Associates**

CS Sudha Sarma

Practicing Company Secretary

M. No. F6278 /COP: 15754

UDIN : **F006278G000542143**

Date : 04.06.2025

Place : Guwahati

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO,

THE MEMBERS OF

NORTH EAST REGIONAL AGRICULTURE MARKETING CORPORATION LIMITED.

I. Report on the Audit of the Financial Statements

1. Adverse Opinion

A. We have audited the accompanying Financial Statements of North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended , and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies (hereinafter referred to as "the standalone Financial Statements").

B. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, because of the significance of the matter discussed in the Basis for Adverse Opinion Section of our report, the financial statements do not give true and fair view in conformity with the Accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024, of its profits and the cash flows for the year ended on that date.

2. Basis for Adverse Opinion

We conducted our audit of the standalone Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act (SAs). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics and provisions of the Companies Act, 2013 that are relevant to our audit of the financial statements in India under the Companies Act, 2013, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code of Ethics and the requirements under the Companies act, 2013. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our adverse opinion on the standalone Financial Statements.

We draw attention to the matters described in "Annexure A" the effect of which, individually or in aggregate are material and pervasive to the standalone financial statements and matters where we are unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence. The effects of matters described in said "Annexure A" which could be reasonably determined are quantified and given therein. Our opinion is adverse in respect of these matters.

3. Information other than the standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

A. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

B. In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with

the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

4. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statement

A. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

B. In preparing the standalone Financial Statements, management and Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors of the Company are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

5. Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements

A. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

B. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

i) Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

ii) Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

iii) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

iv) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

v) Evaluate the overall presentation, structure, and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

C. Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone Financial Statements that, individually or in the aggregate, make it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements maybe influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and evaluating the results of our work, and (ii) evaluating the effect of any identified misstatements in the standalone Financial Statements.

D. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

E. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

F. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication

6. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1.As required by the Companies (Auditor's Report) Order,2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of section 143(11) of the Act, we give in "Annexure B" a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the order, to the extent applicable.

2.Based on the verification of books of accounts of the Company and according to the information and explanations given to us, we give below a report on the Directions and Sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143(5) of the Act we give in "Annexure D"

3. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:

A. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except for the matters stated in "Annexure A"

B. In our opinion, proper books of account as required by law have not been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and deficiencies as reported in Annexure-A. The books of accounts have not been fully maintained under the accrual basis as required under section 128 of the Act

Further proper returns adequate for the purposes of our audit have not been received from the branches not visited by us.

C. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account.

D. In our opinion and in terms of matters described in "Basis of Adverse Opinion Paragraph", the accompanying financial statements do not comply with the accounting standards prescribed u/s 133 of the Act, with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules 2014 as applicable.

In our opinion, the matters described in basis of adverse opinion paragraph may have adverse effects on the functioning of the Company.

E. The directors of the Government companies were exempted from the provision of Section 164(2) of the Companies Act 2013, vide notification no GSR 463 dated 5th June, 2015.

F. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses an adverse opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to financial statements.

G. With respect to the matter to be included in the Auditor's Report under Section 197(16) of the Act:

The provisions of Section 197(16) as amended read with Schedule V to the Act are applicable only to the public companies. Accordingly, reporting under Section 197(16) of the Act, as amended is not applicable to the Company

H. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Financial Statements.

ii. We are unable to comment on the adequacy of the provisions as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses. The Company did not have any long-term derivative contracts.

iii. No amount was required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company.

iv. a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person or entity, including foreign entities ("intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the intermediary shall, whether directly or indirectly lend or invest in other person or entity identified in any manner whatsoever by or behalf of the company ("ultimate beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate beneficiaries.

b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the company from any person or entity including foreign entities ("Funding Parties") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether directly or indirectly, lend or invest in other person or entity identified in any manner whatsoever by or behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the ultimate beneficiaries; and

c) Based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to the notice that has caused us to believe that representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. The Company has neither declared nor paid any dividend during the year.

vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2024 which did not had the recording of audit trail (edit log) and accordingly the same has not operated throughout the year for any of the transactions. As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024

For NERAMAC Ltd

For D.Patwari & Co.
Chartered Accountants

NERAMAC Ltd

"Annexure-A referred in our report under Basis of Adverse Opinion Paragraph"

1. Audit Qualification on Stock Valuation

As part of our audit of the financial statements of the company for the year ended 31.03.2024, we have examined the inventory, which is a material item on the balance sheet. During our audit, we have identified the following matters related to the Inventory:

a. Obsolete Inventory:

We observed that the company has included obsolete or slow-moving inventory in its closing stock, which has not been adjusted for potential impairment. No provision for such old, obsolete & not available Inventory has been made amounting to Rs.418.73 lacs Summary of Old obsolete & unavailable stock are as follows:-

Zone	Stock as per books(₹)	Expiry and stock not available(₹)	Physical stock after excluding Old, Obsolete & unavailable(₹)
Zonal office Assam	2108215.12	1616452.57	491762.55
Zonal office Agartala	1812334.36	1752741.50	59592.86
Dilli unit	711784.2	711784.2	0
Manipur	106311.43	106311.43	0

As per prudence practice of accounting, provisions should have been made against these Inventories to reflect true & fair view of the financial statements. Non provision of the above has resulted in overstatement of inventories and understatement of Profits for the year

b. Stock Discrepancies:

As pointed out, during the physical verification of inventory, certain stock items were found to be missing. However, these missing items have still been included in the inventory valuation reported in the financial statements. This constitutes a discrepancy between the physical stock and the book stock, which has not been adequately reconciled or adjusted in the accounts.

c. Non-compliance with Accounting Standard (AS) 2:

We further noted that the valuation of inventory was not in accordance with AS 2, as the company did not perform an appropriate assessment of the net realizable value of certain items. Instead, NRV is taken at the lowest sale price during the year leading to potential misstatement of inventory values.

In our opinion, these matters result in a potential misstatement of the inventory value and the related current assets, which may have a material impact on the company's financial position. We recommend that the management reassess the inventory valuation to ensure compliance with ****AS 2**** and make the necessary provisions for obsolete and missing stock items.

Our opinion on the financial statements is qualified in respect of this matter.

2. Audit Qualification for Depreciation on Fixed Assets:

During our audit, we observed that the company has not charged depreciation on the office building in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013. As per the Companies Act, the useful life of an office building is prescribed as 60 years. However, the company has not mentioned any useful life in the Notes on Accounts and has straightly taken depreciation on the basis of useful life of 30 years for the office building and, accordingly, depreciation has been charged over this shorter period.

This deviation from the prescribed useful life in the Companies Act without any basis or record has resulted in a higher depreciation charge in the financial statements, thereby reducing the net book value of the office building and the company's profits. Had the company followed the useful life as prescribed in the Companies Act, the depreciation expense for the year would have been lower, and the net profit would have been higher to that extent.

Depreciation Reserve not booked for the year. Only opening balance of 357749 remains as it is as Debit balance in Capital Account.

Calculation of Depreciation has not been provided as such same could not be perused by us

As pointed out in the Previous Audit Report Depreciation on fixed Assets was wrongly calculated as wrong block is taken into consideration for some of the assets leading to booking of lower depreciation and overvaluation of assets by Rs.124837.17 resulting in higher profit for the FY 2022-23. Further excess depreciation was also stated to be charged for some of the assets due to wrong block amounting to Rs.46725 resulting in undervaluation of profit by the same amount in FY 2022-23. These has not yet been corrected leading to the increased wrong effects in the current year also.

3. Audit Qualification for Long Outstanding Balances of Sundry Debtors:

During our audit, we observed that the company's balance sheet includes following sundry debtors:-

S. No.	Name of Party	Amount (In Rupees)	Remark	
Head Office & ZO Assam				
1.	Director of Horticulture, Khanapara Zonal Office, Assam	19411040	Outstanding for a period of More than 6 years over and above its normal credit period	
2.	MDoNER Vibrant North East	1785278	Outstanding for a period of More than 6 years over and above its normal credit period	
3.	MDoNER World Food India	990495	Outstanding for a period of More than 6 years over and above its normal credit period	
4.	Big Bazar	10838		
5.	Bipanan Khetra	8647		
6.	M/s Altitude exports	4570		
7.	Prime Bakes	1816		
8.	Ridhima DS Enterprise	1360		
9.	Shiv Shakti Ginger Co	844		
10.	Arabinda Nayar (Adv)	5000		
Z/O Sikkim				
11.	SOM Rangopo	19745		
12.	M/s Jyoti Traders	660		
13.	Ravito	12475		
Z/O Manipur				
14.	Garden Care	388.00		
15.	Mediterranean Trading Company	2,939.50		
16.	Rajmohan Sing	292.00		
17.	Organic, Manipur	12,090.00		
18.	Dr. S Zeshmarani	1.00		

19.	Nungshirei Agency	50,000.00	
20.	Tender leaf India Pvt. Ltd.	13,000.00	
	Z/O Agartala		
21.	Art entertainment & Services Ltd	62530	
22.	Dy Director of agriculture Khowai	24192	
23.	Sr Horticulturist, Nagichera, West tripura	103812	
24.	TIDC	33150	
25.	Swastik	18300	
26.	Dy. Director of Horticulture (North) Kumarghat	629936	Outstanding for a period of More than 10 years over and above its normal credit period
27.	Supdt Of Agriculture, Chawmanu	772671	
28.	Supdt Of Agriculture, Dukli, West Tripura	186977	
29.	Supdt Of Agriculture, Gandacharra, Dhalai	336450	
30.	Supdt Of Agriculture, Rupaichari	1170122	
31.	Supdt Of Agriculture, Panisagar	123200	
32.	Executive Engineer Dept. of Agriculture, Agartala	78533	
33.	Dy. Director of Horticulture, West, Agartala	127637	
34.	Supdt of Agrucultural Sabbroom, south Tripura	311071	
35.	Supdt of Agrucultural Salema, Dhalai Tripura	56042	
36.	SH & SC, Udaipur	507338	
37.	ZDO, Khumulwng, west Zone	363021	
38.	ZDO, TTAADC B C Manu	916720	
39.	BDO Dukli	225763	
40.	Tripura Apex Fisheries, Agartala	57705	
41.	Supdt of Agrucultural Teliamura	1790954	
	FJCP, Nalkata		
42.	M/s Prime Edible (P) Ltd, New Delhi	414754	Outstanding for a period of More than 6 years over and above its normal credit period
	Kolkata Unit		
43.	W B State Seed Corp Ltd, Managing director	49697480	
	Dilli Unit		
44.	Salsar Enterprise	1,260,584	
45.	Prithivii Agrofresh	65,327	
46.	APEDA	6,375	
47.	Stall Sale	6,348	
48.	Grean Mart	11,000	
49.	Nouve Consultancy	2,550	
50.	TRIFED(RO Ahmedabad)	5,607	
51.	TRIFED(RO Bhopal)	32,919	
52.	TRIFED(RO Bangalore)	5,607	

53.	TRIFED(RO Delhi)	31,507.	
54.	TRIFED(RO Hyderabad)	5,607.	
55.	TRIFED(RO Joipur)	14,144	
56.	TRIFED(RO Ranchi)	9,232	

The above amount of long-outstanding balances under sundry debtors. There are no subsequent recovery or settlement and no recovery efforts made by the company.

The company has not provided for these long-outstanding balances, which raises concerns regarding their recoverability. In our opinion, the non-provision for potential bad debts may overstate the value of receivables and the overall financial position of the company. Had the company made an adequate provision for these doubtful debts, the profit for the year would have been lower, and the net current assets would have been reduced to that extent.

Provision for Debtors was once said to be created in the past by debiting Provisions for Debtors and crediting Debtors Account but without charging it from the Profit & Loss Account. Provision for Debtors is appearing as Debit Balance 8933049.19. Provision for Debtors 7716995 is found to be appearing in the Books of Agartala against which no satisfactory explanation could be provided

4. Audit Qualification for Long Outstanding Balances of Sundry Creditors:

During our audit, we noted that the Company's financial statements include sundry creditors amounting to ₹ 6,80,63,312 that have been outstanding for a period exceeding 5 years. Based on our verification and inquiries, we were unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to substantiate the validity and completeness of these long outstanding balances. These creditors have not been confirmed by the respective parties, and the Company has not taken any steps to write back or settle these liabilities in accordance with applicable accounting standards. Consequently, we are unable to determine the adjustments, if any, that may be required in respect of these sundry creditor balances.

S. No.	Location	Amount
1.	Head Office	2652399
2.	Zonal Office, Assam	18831288
3.	Zonal Office, Agartala	3345
4.	Cashew processing unit,Agartala	287054
5.	Kolkata Unit	44647378
6.	Zonal Office Sikkim	907559
7.	Dilli Unit	230418
8	Zonal office,Manipur	80000
9	GPP Byrnihat	423871
	TOTAL	68063312

There is unnamed creditors of 450000 lying under Sundry Creditors in ZO Agartala

Provision for Creditors 11415097 has been found to be existence in the Books at ZO Agartala against 18 nos of Creditors. As explained by the Company the same has been created for the proposed write back of creditors just by carving it off from the Creditors ledger but without routing through the Profit & Loss Account. This has resulted in understatement of profits in the past years

5. Audit Qualification on Government Grant

As per Note o) of Notes on Accounts of the Company for the YE 31032024, Government Grants or Subsidies relating to an expense item are recognized as Asset at the time of its receipt. Government Grants in relation to Fixed Assets are reduced from the actual cost of concerned Fixed Assets. Whereas Grants related to revenue are sometimes presented as a credit in the profit & loss statement, either separately or under a general heading such as "Other Income". Alternatively, they are deducted in reporting the related expense.

We note that:-

- a) The above note on accounts states that Govt grants relating to an expense item are recognized as Assets at the time of its receipt. The same is not in line with AS-20 as recognition of the same as Asset is not permitted.
- b) The above note on accounts states that Govt Grants in relation to Fixed Assets are reduced from the actual cost of the concerned Fixed Assets whereas in the Financials under audit no such treatment has been noticed.
- c) The notes on Account is silent on the Company's policy for treating the Govt Grants in the nature of promoters contribution
- d) The notes on Account is silent on the Company's policy for treating the Govt Grants that are receivable as compensation for expenses or losses incurred in a previous accounting period or for the purpose of giving immediate financial support to the enterprise
- e) No segregation of different types of grants received are found to be reported in Notes on Account No 24(g) between grants related to fixed assets, grants relating to expenses or revenue, grants in the nature of promoters contribution etc
- f) The Company has treated Building Grant of Rs.14.18 Crs (funded by NEC Shillong) under the Heading Reserves & Surplus as "Building Grant" instead of reducing the same from the cost of assets as mentioned in the Company's Accounting Policy. Even if the alternative method as stipulated in AS-20 is to be followed, government grants related to depreciable fixed assets should have been treated as deferred income which should have been recognized in the profit & loss statement on a systematic & rational basis over the useful life of the asset. Further no Depreciation has been charged on Building even though Construction has been completed and capitalized in the Books.
- g) During the year, the Company has utilized revival grant relating to computer systems ERP systems and E-commerce portal which are in the nature tangible/intangible assets by reducing the amount from the cost incurred but without recording such assets at Nominal value as required by the AS. AS-20 states "**Where the grant related to a specific fixed asset equals the whole, or virtually the whole, of the cost of the asset, the asset should be shown in the balance sheet at a nominal value**"
- h) The revival grant balance are shown under the head "Current Liabilities" even though a part of the same are earmarked for working capital support and supporting operations are in view of the Company in the nature of Promoters Contribution and be treated as Shareholders fund. AS-20 stipulates: **Government grants of the nature of promoters' contribution should be credited to capital reserve and treated as a part of shareholders' funds**
- i) An amount of Rs. 19906029 has been shown recognized as CWIP for Mankachar Cashew Processing Plant which could not be completed and the Project is at Halt. is being shown as

Work in Progress for a period exceeding 3 years and there is no change in the amount since past many years. There is no corresponding Govt Grant appearing in the liabilities side of Balance Sheet against the same. Company failed to provide any explanation with regard to the same.

j) An amount of Rs.13.40 Crs in the nature of grants are appearing in the Books of Accounts under Current Liabilities which requires reconciliation and proper accounting.

k) An amount of Rs.455.51 lacs received from various sources as grants are not reported under note 24(g) of Notes on Accounts. Details are as below:

Forest Department 26226

GI Mahautsav Kashmir 109400

Skill Prog from IIE 2075084

LRP from NEDFi 200000

Mahavir International 8931

M/o Agriculture & Farmers Welfare(217145838-174630817)=42515021

NHDP 51050

Nedfi Kiosk Sonamura 490000

l) Bifurcation of government grants as per accounting policy of the company and AS 12 was not done, which is contrary to provision contained in the AS-12

m) Grant of Rs.16,00,000 was sanctioned by NEC for awareness program in FY 2017-18 but total expenditure amounts to Rs.17,75,547 balance amount of Rs.1,75,547.00 (1775547-1600000) is still lying under grants (dr balance) which needs to be adjusted

n) During the past years, the Company had transferred the non-fund based support of Rs.32.33 Cr of interest and penal interest (calculated upto 30.09.2021) on the outstanding Govt of India loan of Rs.28.23 (upto 31.03.2021) under the head "Capital Grant - Non Fund based support" under Reserves & Surplus" based on the opinion obtained from the Tax professional. In this regard, the Company has also submitted request letter to the Administrative Ministry to treat the said amount as capital grant. The approval for the same is still awaited from the Ministry

o) On our test check of UCs, we found that a) for UC relating to Honey Bee Grant, UC was issued for Rs.1035000 including agency charges of 35000 (@3.5%), however the agency charge has not been booked in the Accounts but only reported in UC b) for **Revival Grant** in the utilization schedule provided by management, the employee expenses amounted to ₹54033889 which was adjusted against the funded VRS amounting to ₹4.96 crores. The cost overrun of ₹4433889 was adjusted from the head "other statutory dues, committed and current liabilities" in the revival package.

6. Audit Qualification on Non-Capitalization of Non-Defect Liability

An amount of Rs.65.04 lacs was kept on hold for non-defect liability relating to construction of market complex at sixmile from NEC fund. The same has not been capitalized in the Books.

7. Audit Qualification on Bank Balances

Bank Statements for SBI Naharlagun, United Bank of India Kolkata and SBI Tadong showing book balances of 20888.50, 37558.50 & 307622.26 has not been made available for our verification for FY 2023-24

8. Audit Qualification on Inventories

- d. There is a mismatch in physical inventory and stock as per books of accounts. Although the cost or NRV of actual inventory is not available, we have a schedule prepared the difference between the physical inventory and stock as per books.
- e. The difference between the physical stock and stock as per books is primarily due to the following reasons:
 - Differences which exists from the opening balances itself
 - Gifts to ministries
 - Old and obsolete stocks.

d. Inventory value taken as at the Balance Sheet date does not exclude value of material which were not found during the physical verification.

e. Few Negative balances in stocks were found at Agartala

9. Audit Qualification on Revenue Recognition

FPO Supervision Charges receivable @3% as per Implementation guide of the Farmers Producer Organization (FPO) Scheme of the Ministry of Agriculture & Family Welfare for the periods upto FY 2022-23. The Company has also not claimed such funds from the Ministry. This has resulted in understatement of Revenue from Operations and Profits

Income of Rs.750950 during the year was adjusted with Freight & Handling Expenses by ZO Guwahati thereby revenue recognition was not done

Under Fixed Deposits ledger, Reconciliation with 26AS is not found to be done. Further no records are there evidencing booking of differential interest as pointed out in the last years audit report

No Interest booked for SBI-TDR-32355985984 lying under ZO guwahati

10. Audit Qualification on Suspense Account Balance

There exists suspense account balance of 294346/- Cr under current liabilities details of which could not be provided

Suspense Account credit balance 78551 lying in the TB of ZO guwahati

An amount of Rs.175137.13 Cr is outstanding under suspense account

11. Audit Qualification on Generic Ledgers in Books of Accounts

During the course of our Audit, we have found certain generic ledgers of which no details are available with the office details of which are as below:

There is a generic ledger Head Office (SC) 941144.10 lying under Sundry Creditors since a very long time

There is a generic ledger Head Office (CL) 16799172.28 lying under Other Current Liabilities since a very long time

Under Deposits we find a generic ledger named as Head Office (Deposits) with balance of 1205082.12 Dr since beginning

There is a generic ledger named as outstanding liabilities lying under Other Current Liabilities with an amount of 4840 outstanding since a very long time

There is a generic ledger named as outstanding liabilities with an amount of 144365 outstanding since a very long time

Apart from the above there is unnamed creditors of 450000 lying under Sundry Creditors in ZO Agartala

There is a generic ledger in the name of 'Loans & Advances to related parties' under Receivable Account in Loans & Advances (Assets) carrying a balance of 4126870/- outstanding since a very long time

12. Audit Qualification on Balance Confirmation from Parties

There is no practice of obtaining balance confirmations from parties under Debtors, Creditors, Loans, Advances, Deposits, Liabilities & Assets. Accordingly we are unable to check verify and comment as to the existence & correctness of the amounts booked under various heads

13. Audit Qualification on Non Provision of Expenses

As pointed out in the last years audit report, no provision for doubtful recover/refund of TDS was made in the books of accounts for the period upto FY 2015-16 as condonation for claim can be filed upto six years from the end of the relevant assessment year as per circular no. 9/2015 [F.NO.312/22/2015-OT] dated 09.06.2015. Non-provision of the same had resulted in understatement of provision for doubtful debts/receivable and over statement of profit by Rs.38.15 lakh each

Assessment Year	Financial Year	Particulars	Amount (Rs)	IT Return filing date
2014-15	2013-14	TDS Receivable Prior to FY 2013-14	1349343.00	31-05-2021
2015-16	2014-15	TDS Receivable	1109455.00	31-05-2021
2016-17	2015-16	TDS Receivable	841489.00	31-05-2021
2017-18	2016-17	TDS Receivable	515238.00	07-12-2021

NERAMAC had also requested the Income Tax Authorities for condonation of delay in filing ITR for the FY 2017-18 to FY 2020-21 u/s 119(2)(b) of the Income Tax Act 1961

14. Audit Qualification on Prior period items

The Company is not in the practice of correctly creating provisions on expenses at the year-end resulting in carrying forward as Prior-period items in the next year

As per paragraph 15 of AS-5 " Net Profit or Loss for the period, Prior period items and changes in accounting policies", the nature and amount of prior period items should be separately

disclosed in the statement of profit and loss in a manner that their impact on the current profit or loss can be perceived.

Profit and loss account has been debited/credited with the following items

Particulars	Year	Debit (₹)	Credit (₹)
Zonal office Assam(Rent, Zoo stall rent and EMD)	2022-23		6226
Dynatek	2022-23	61046	
Sudha and Associates	2022-23	263800	
Adv Sanjeev Rai CS	2022-23	24694	
Revival grant	2022-23		4133568
SBI TDR (opening balance adjustment)	2022-23	15055	
Advances	2022-23	91131	
M Borar & Co	2022-23	22656	
Krishna Associates	2022-23	27572	
UCO Bank, Mankachar	2022-23	780	
Manoj Pathak	2022-23	10000	
Assam Seva Samiti	2022-23	42000	
KESHRI AND ASSOCIATE	2022-23	94400	
TDS-194 J	2022-23	30000	
T K Ghosh and Co Chartered Accountant	2022-23	22420	
DILLI HAAT UNIT (CL)	2022-23	27465	
Z.O AGARTALA (CL)	2022-23	50	

15. Audit Qualification on Advances against Sales & Advances against Purchases

Advance against Sale (liability) remains outstanding for a very long period of time. Details as as below

Party	Op Bal	Closing Bal 31.03.2024	Remarks
CPU Agartala	5000	5000	No adjustment has taken place
ZO Agartala	743784.35	743784.35	No adjustment has taken place
ZO AP	14355184	14355184	No adjustment has taken place
ZO Assam	10347166	13452166	Advance against sale has increased from 10347166 to 13452166

Advance against Purchase (Assets) remains outstanding for a very long period of time. Details as as below

Sl.no	Party Name	Amount (Rs)	Remarks
1	ITV Agro & Food Technologies Pvt. Ltd.	5,283.00	> 5 Years
2	A. B. Nursery, Kailasahar	592,812.00	> 5 Years
3	Nath Seeds & Agro Chemicals, Agartala.	150,615.00	> 5 Years
4	Nath Seeds Enterpriase, Agartala.	8,626.00	> 5 Years
5	Sahara Industrial Syndicate, Udaipur	28,440.00	> 5 Years

6	Sonamura Krishi Udyog, Sonamura.	59,629.00	> 5 Years
7	Organic Supply Agrncy, Agartala.	10,689.00	> 5 Years
8	T.H.C. Ltd, Agartala.	39,940.00	> 5 Years
9	Das Lime & Hardware Supplier, Agartala.	28,113.00	> 5 Years
10	North East Seeds & Agro Chemicals, Agartala.	382,115.00	> 5 Years
11	Akash Sales Agency, Udaipur.	6.00	> 5 Years
12	BVFC Ltd.	0.29	> 5 Years
13	Sheel Bio Tech Ltd	8,326,327.00	> 5 Years
14	NSFI	(90,000.00)	> 5 Years
15	Harval Aqua India Pvt. Ltd.	(1,223,943.85)	> 5 Years

16. Audit Qualification on Advances

Under Advances HO there are many ledgers with credit balances. Also there are many ledgers where there has been no movement during the year under audit and majority of these are outstanding for more than 5 years Details as as below

Party	Op Bal 01.04.2023	Closing Bal 31.03.2024	Remarks
Head Office		7766848.97	6930738.13 >5 Years
CPU Agartala Adv	62645	62645	All > 5 Years
Dilli Hat Adv	686742.87	686742.87	All > 5 Years
FJCP Nalkata Adv	809560	809560	All > 5 Years
GPP Adv	1578	1578	All > 5 Years
Kolkata Unit Adv	409	409	All > 5 Years
ZO Agartala Adv	2573817.21	2579567.21	1326023 > 5 Years
ZO AP Adv	8660	8660	All > 5 Years
ZO Assam Adv	2492968.98	2492968.98	2493270.95 > 5 Years
ZO Manipur Adv	1002612.62	1002612.62	971086 > 5 Years
ZO Meghalaya Adv	1724195.83	1724195.83	All > 5 Years
ZO Mizoram Adv	233857	233857	All > 5 Years
ZO Nagaland	16973	16973	All > 5 Years
ZO Sikkim	721314.75	721314.75	All > 5 Years

Following is the table of long outstanding deposits zonal office and head office wise:-

Sl no	Particulars	Amount(₹)	Remarks
1	Zonal office Agartala	296992.96	284791 > 5 years
2	FJCP,Nalkata	4000.00	All >5 Years
3	Zonal office, Arunachal Pradesh	50000.00	All >5 Years
4	Zonal office, Sikkim	27902.00	All >5 Years
5	Head office	9419987.12	1416002.12
6	Zonal office Assam	875626.00	725626 > 5 years
7	Zonal Office, Nagaland	10000.00	All >5 Years
8	Dilli Haat	150000.00	All >5 years

Following are long outstanding advances appearing under loans & advances (assets)

Party	Op Bal 01.04.2023	Closing Bal 31.03.2024
Bonus Recoverable	31028	31028
District & Sessions Judge Kamrup	2398856	2398856
ESSC Entrepreneurship Sector Skill Council	56600	56600
Manoj Kr Das	21808 Cr	21808 Cr
Security Deposit (Adani)	224000	224000

There is one ledger named as Receivable Account under Loans & Advances (Assets) where many items are there and except for one ledger there all are very long outstanding and with no movement. Most of them are appearing as credit balances meaning that these are payables and are wrongly classified as receivable under Loans & Advances

Party	Op Bal	Closing Bal 31.03.2024
APEDA	258485 Dr	451285 Cr
District Horticulture Office Bijnore	6069 Cr	6069 Cr
Horticulture and Food Processing Branch Bareliey	2711 Cr	2711 Cr
ICRA Research Complex for New Region Umori Road	25000 Cr	25000 Cr
Kerela State Seed Development Authority	447888 Cr	447888 Cr
Loans & Advances to related parties	4126870 Dr	4126870 Dr
Ministry of MFPI	1342107 Cr	1342107 Cr
Receivable from S C Dey	1205205 Dr	1205205 Dr

Advance to 23 parties amounting to Rs.2551806.44 lying in the ZO Guwahati Books remains same from a very long time

Advance to Staff amounting to Rs.58837.49 lying in the Books of ZO Guwahati remains same from a very long time

17. Audit Qualification on Current Liabilities

Under Current Liabilities there are many ledgers with debit balances. Also there are many ledgers where there has been no movement during the year under audit. Some of such ledgers without any movement and carrying high balances are :Defect liability payable 6504193, Head Office (CL) 16799172.28 NEGGWS 3647675

Interest Accrued & Due DONER 17706797.44 Cr appearing as current liabilities since a very long time and has not been written off due to incorrect computation & communication of interest & penal interest from MoDONER

18. Audit Qualification on Statutory Compliances

There exists an amount of Rs.7380 (Cr) under Duties & Taxes against GST at HO since a very long time

Company is in the practice of depositing advance TDS even before incurring of liability and booking of TDS nad parking it in Advance TDS ledger resulting in loss of interest for the period it had remained unadjusted. No reconciliations are ever carried out. Further there is an unreconciled balance of 1667 (Dr) as at 31.03.2024

CPF-12% (Employee) ledger is carrying a liability of Rs.198 since a very long time remaining unpaid

Duties & Taxes Meghalaya ledger is carrying an advance payment of Rs.6107 since a very long time remaining unadjusted

P Tax ledger is carrying a liability of Rs.67741.56 since a very long time remaining unpaid

TDS Salary ledger is carrying a an advance payment of Rs.38652 since a very long time remaining unadjusted

Tripura VAT ledger is carrying a liability of Rs.30331 since a very long time remaining unpaid

RCM on legal fees appearing under current assets 107492.60 since a very long time without any adjustment

On our test check we found that GST not charged on a) Agency Charge-Skill Project b) FPO Supervision & Other Administrative Charges c) Misc Income d) Processing Fee e) Freight & Handling Income

Certain amount paid to Colours of India against designing & labelling expenses, against which TDS is not found to be deducted

GST RCM is not found to be complied on eligible payments

CGST payable 51491.42 Dr & VAT payable 4346 Cr outstanding since a very long time at ZO Agartala

Differences were observed in the Turnover as per GST Returns filed and as per the Books of Accounts of all the Units of the Corporation.

CGST, SGST & IGST balances as appearing is not found to be reconciled with GST Portal

An amount of Rs.4696 is outstanding under P Tax liability since a very long time with no movement

An amount of Rs.842051 was paid to Pranay Goswami against manpower supply -CPU during the year however no TDS was deducted against the Bills

Following cases of TDS deductions were made but not reflected in the TDS returns filed

Sl No	Quarter	Name Of Party	Section	TDS Amt(₹)
1	II	Krishna ssociates	194I	2710
2	II	Sushila foundation	194C	15000
3	II	ATMS	194C	5000

4	II	Taurionzeus Structures and Technologies Private Ltd	194C	15000
5	III	APRINS	194C	10000
		TOTAL		47710

In Zonal office Assam, TDS receivable from North East logistic (₹12000) & Director of Agriculture, Assam (₹ 129727.07, ₹57573.5, ₹148294.02) is not reflecting in 26AS for F.Y 2023-24

Company has not been able to provide us with the details of Statutory dues payable within 6 months & beyond 6 months as at 31.03.2024

Company has not been able to provide us with a reconciliation statement of ITC existing in the GSTIN portal and the Books of Accounts

There exists demand against TDS in the TRACES portal as below:

FY 2011-12 Rs.11410/-

FY 2023-24 Rs.19190/-

There exists outstanding demand against Income Tax in the Income Tax portal as per the details below:

Demand Ref No	AY	Sec code	Outstanding Demand	Accrued Interest
2023202337239079641C	2023	1431a	963440	87580
2012201010027854634C	2010	1433	3529147	2934034

19. Audit Qualification on EMD/SD

No Register is maintained for Security Deposit & EMD as such at-a-glance position is not known. Both the Ledgers are merged in Tally Accounts. It is further noted that for Earnest Money for Pet Shop, as against balance of Rs.60000, an amount of Rs.160000 was released during the year

Security Deposits amounting to 501275 against 66 parties are outstanding in the Books with no movements at ZO Agartala

Security Deposit (Saveer Bio Tech) 436636 lying as credit balance has been booked under Deposits (Assets) at ZO Guwahati

20. Audit Qualification on Income Tax & TDS Reconciliation

We have found different ledgers appearing in different names related to Income Tax & TDS Receivables in the Books of the Company as per details given below:

Type	Bal 01.04.2023	Bal 31.03.2024
Income Tax Receivable	1942139	1942139

TDS on Interest on FD	3458146	4017190
TDS on Professional Services	112000	112000
TDS Receivable (Others)	2135323	4148639.59

No reconciliation as to the same has been made. Schedule showing year-wise break-up is not available. No adjustments, if any, has ever been said to be done

Further the TDS/TCS refund as per the ITR of NERAMAC for the FY 2022-23 was Rs.9.64 lacs whereas the same as per accounts of the company was Rs.8.28 lacs i.e., diff of Rs.1.36 lacs is due to 3 TDS entries which are not taken in the books of accounts.

Further, provision for Deferred Tax Assets/Deferred tax liabilities is not found to be created as required by AS

21. Audit Qualification on Reporting of Ratios in the Financial Statements

We have found significant differences in the ratios reported as per Financial Statements vis-a-vis ratios to be calculated as per standard formula. Following are some of the notings:

Particulars	Auditor's ratio calculation		Management's ratio calculation		Reason for difference
	2022/23	2023/24	2022/23	2023/24	
Debt-Equity ratio	2.54	0.44	1.7	0.92	The debt component comprises any short-term borrowings, long-term debt, and any debt-like items on the company's balance sheet The equity component is inclusive of any equity contributed by the owners (i.e. founders), equity raised in the capital markets, and retained earnings.
Debt-Service Coverage	2.04	NIL	2.1	NIL	Difference in the value

Ratio					taken for net operating income
Return on equity	9.04%	21.23%	11.93%	3.56%	No payment of taxes shown in financial statements of 2022-23. Management should have considered the amount of reserves in shareholders equity
Inventory Turnover ratio	239.258	76.484	4.89	7.64	
Trade receivables turnover ratio	4.70	4.62	0.014	1	No explanations given for credit sales
Trade payable turnover ratio	3.66	1.567	1.04	0.39	No information is available for credit purchases so we took the entire purchase amount
Net Capital turnover	-6.47	45.603	60	11.28	Explanations required for net sales and negative working capital in F.Y 22-23 and 21-22
Net profit ratio	4.43%	3.43%	4.24	3.49	No taxes paid in 2022-23 as per financials
Return on capital employed	30.27%	8.57%	5.46%	6.34%	Discrepancy in the figures taken for ratio calculations.

22. Audit Qualification on Reporting of EPS

As per Schedule III of Companies Act 2013, EPS are to be reported as a) EPS including extra-ordinary items both Basic & Diluted and b) EPS after excluding extra-ordinary items both basic & diluted

Company has reported same EPS of 0.04 in both the categories i.e., EPS including extra-ordinary items and EPS after excluding extra-ordinary items

Further there is no mention of Diluted EPS in the First category i.e., EPS including extra-ordinary items

23. Audit Qualification on Non-Current Liabilities reported

Other Current liabilities: Rs. 240.89 (note No.6) The above did not include an amount of Rs. 36.45 lakh towards rent payable to District Industries & Commerce Centre Silchar (DI&CC). The company had taken (January 2009) a plot from DI&CC, Silchar for setting up of Multi Fruit processing plant for a period of 30 years on rent of Rs. 0.60 per sq. ft. per month. However, the aforesaid land was taken back by DI&CC in January 2020. The company has neither paid rent for last nine years nor made provision in its books of accounts but included the same under contingent liabilities. Non provisioning of this amount has resulted in understatement of Other Current Liabilities (other Payables) and overstatement of Reserve and Surplus and profit for the year by Rs. 36.45 Lakh. Consequently, profit for the year is also overstated to the same extent.

24. Audit Qualification on wrong reporting of Trade Payables due for Payment

Ageing Schedule for Trade Payables due for payment reported in Note no 24 w) has been shown as Nil which is grossly wrong

25. Audit Qualification on wrong nomenclature used in Note No 7

As per Division I of Schedule III of the Companies Act as well as Accounting Standard 10, fixed assets should be titled Property, Plant & Equipment etc. This has not been followed in Note No 7

26. Audit Qualification on Non-Compliance of AS-17 Segment Reporting

Segment Reporting as stipulated by AS-17 has not been followed by the Company.

27. Other Observations

a) Shortage of stock amounting to Rs.0.35 lacs in Secretarial Stall, Agartala which was incorrectly adjusted through cash book by booking false sales & advance to Kanti Lashkar in FY 2021-22 is not written off from books of accounts although the matter has been discussed in the 28th & 29th Audit Committee Meeting

b) TDS wrongly deposited under TAN instead of PAN amounting to Rs.5717915 for AY 2010-11 & AY 2012-13. Action for refund has been initiated by the Management but proper follow up recommended

c) The Company do not have a system of identifying amounts due to Micro Enterprises or Small Enterprises on the basis of documents in their possession and accounting software used by

them . Hence, the Company is not identifying Micro Enterprises or Small Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006.

d) "Horti Sangram" has been appearing as a credit balance in the Capital account without any movement since F.Y 2020-21

e) "Cm Care fund" has been appearing in the books of Zonal office Agartala without any movement for a very long time

f) According to the records of the company examined by us and as per the information and explanations given to us, the company has taken working capital loan from NEDFI/Ministry of DoNER. Pending principal amount of ₹28.23 cr has been converted into equity and interest/penal interest of ₹32.22 cr is written off through reserves and surplus, although approval from ministry of DoNER is still pending. Also ₹1.77 cr of interest and penal interest is not written off due to incorrect computation and communication of interest and penal interest from Ministry of DoNER. The company has not issued debentures:

Particulars	Period(since)	Amount(₹)
Interest	01/04/2016	₹27,25,08,521.00
Penal interest on working capital	01/04/2016	₹6,73,98,276.00

g) There were Negative Cash in Hand on various days in the Month of April'23, May'23, June'23, July'23, August'23 and October'23 in the Agartala Zonal Office of the Corporation, authenticity of which could not be checked/established.

For D.Patwari & Co.

Chartered Accountants

Annexure-B to the Independent Auditors' Report of even date to the Members of North Eastern Agricultural Marketing Corporation Limited

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of the Company on the financial statements for the year ended 31 March 2024, we report that:

To the best of our information and according to the explanations provided to us by the company and the books of account and records examined by us in the normal course of audit, we state that:

(i) (a) According to the information & explanations provided to us The Company is not maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situations of Property, Plant & Equipment and Intangible Assets.

(b) According to the information and explanations provided to us, the Fixed Assets are physically verified at reasonable intervals and no material discrepancies were noticed on such verifications.

(c) There has been mismatch in number and type of assets as per physical verification report and as per books of accounts. As the cost of certain old asset as per physical verification is not available, so the same cannot be quantified in terms of rupees

(d) During physical verification it was also observed that, some of the assets are either damaged or not in working condition. These assets needs to be scrapped and written off from the books of accounts.

(e) Fixed Asset register does not reveal detailed information of asset such as unique ID, location, number of units purchased, cost of the asset, recoverable cost etc.

(f) As per declaration reported to Ministry, the title deeds of all the immovable zproperties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in financial statement are held in the name of the company.

(g) As per information and explanations given to us, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment or intangible assets or both during the year. Accordingly, the provision of clause 3(i)(d) of order is not applicable

(h) As per information and explanations given to us, No proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the benami transaction (prohibition Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, the provision of clause 3(i)(e) of the order is not applicable

(ii)

(a) According to the Information & explanations provided to us, the Inventories are physically verified at reasonable intervals. But the accuracy of the same cannot be certified as there is a mismatch between the physical stock and inventory maintained in the books.

(b) The procedures of physical verification of inventories followed by the management are not adequate in relation to the size of the company and nature of its business. Stock audit from an independent entity may be recommended.

(c) Manual records of inventory are maintained by the Management. The discrepancies noticed on verification between physical stocks and the book records were not properly dealt with in the books of accounts

(d) During the year, the Company do not have any working capital limits so this point of the order is not applicable.

(iii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not made any investment, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, LLP. Consequently, the provisions of iii (a), (b), (c), (d), (e) and (f) of the order are not applicable to the company.

(iv) As per information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Sec 185 and 186 of the Companies Act, wherever applicable, in respect of loans, investments, guarantees and security given by the Company during the year.

(v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits in terms of the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act 2013 and the Rules framed thereunder. Accordingly, the provision of clause 3(v) of the Order is not applicable.

(vi) To the best of our knowledge & belief, the Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Act in respect of Company's products/services. Therefore, the provision of Clause 3(vi) of the said Order is not applicable to the Company.

(vii)

(a) According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues: the company except as reported herein (including Annexure-A) is regular in depositing the undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income tax and any other statutory dues to the appropriate authorities

(b) The extent of arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they became payable has not been provided to us

(c) Details of statutory dues referred to in sub-clause (a) above which have not been deposited as on March 31, 2024 on account of disputes are given below:

Nature of the statute	Nature of dues	Forum where Dispute is Pending	Period to which the Amount Relates	Amount in Rs.
Income Tax	Demand u/s 143(1)(a) Demand Ref No 20232023372390 79641C	Appeal & Other documents evidencing non-payment due to dispute not made available	AY 2023	Demand: 963440 Interest: 87580
Income Tax	Demand u/s 143(3) Demand Ref No 20122010100278 54634C	-----Do-----	AY 2010	Demand: 3529147 Interest: 2934034

(viii) As informed by the Company, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

(ix)

a) According to the records of the company examined by us and as per the information and explanations given to us, the company has taken working capital loan from NEDFI/Ministry of DoNER. As per Revival Package of NERAMAC (said to be approved by Govt of India) outstanding principal amount of ₹28.23 cr has been converted into equity and interest/penal interest of ₹32.22 cr is written off through reserves and surplus in the past years. Also ₹1.77 cr of interest and penal interest is not written off due to incorrect computation and communication of interest and penal interest by NERAMAC. The company has not issued debentures:

Particulars	Period(since)	Amount(₹)
Interest	01/04/2016	₹27,25,08,521.00
Penal interest on working capital	01/04/2016	₹6,73,98,276.00

b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of

the records of the Company, the Company is not a declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(b) of the Order is not applicable

c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not raised any term loans during the period under audit. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable

d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not raised any loans on short-term basis during the period under audit. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(d) of the Order is not applicable

e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable

f) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not raised any loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies. Accordingly the provisions of clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable

(x)

a) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised monies by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly the provisions of clause 3(x)(a) of the Order is not applicable

b) As per information and explanations given to us and based on our examination of the records, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly the provisions of clause 3(x)(b) of the Order is not applicable

(xi)

a) Based upon the audit procedures performed and information and explanations given to us by the management, we report that no fraud by the company or on the company by its officers/employees have been noticed or reported during the course of our audit.

b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.

c) As per information and explanations given to us, the company has not received any whistle-blower complaints during the year.

(xii) The Company is not a Nidhi Company. Accordingly, reporting under clause 3 (xii) of the Order is not applicable to the Company.

(xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, for all transactions with the related parties however the details of related party transactions have not been fully disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv)

a) According to the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.

b) We have considered the internal audit report for the year under audit, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

(xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected to its

directors during the year and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company

(xvi)

a) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934 as Non-Banking Financial Company. Accordingly the provisions of clause 3(xvi)(a), (b), (c) & (d) of Order is not applicable

(xvii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has incurred cash losses in the financial year which has been set off by the revival grant of ₹220 lakhs (exceptional item), thereby showing an after tax profit of ₹127.78 lacs

(xviii) As per information & explanations given to us, there has been no instance of resignation of Statutory Auditors of the Company during the year. Accordingly the provisions of clause 3(xviii) of Order is not applicable

(xix) Material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is capable of its liabilities existing at the date of Balance Sheet as and when they fall due within a period of one year from the Balance Sheet date.

(xx) As per information and explanations given to us, the provisions of Sec 135 of Companies Act 2013 are not applicable to the Company during the financial year. Accordingly, reporting under clause 3(xx) of the Order is not applicable.

For, D PATWARY & CO
Chartered Accountants
(Firm's Registration No.324523E)

Annexure C to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 3(f) under report on Other Legal and Regulatory Requirements of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act')

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited** ('the Company') as on 31 March 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of the Company's business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both, issued by ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over financial reporting

A Company's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being

made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Adverse Opinion

In our opinion and according to the information and explanations given to us, certain material weaknesses have been indentified as placed in Annexure 'A' to Independent Audit Report

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis

In our opinion, because of the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has not maintained adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were not operating effectively as of March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2024 standalone financial statements of the Company, and these material weaknesses have affected our opinion on the financial statements of the Company and we have issued an adverse opinion on the standalone financial statements

For NERAMAC Ltd

For D.Patwari & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
DIN:09598427
Managing Director

Sd/-
Silabhadra Das
DIN:1059210
Director

Sd/-
Sanjiv Kr. Rai
M.No. A52998
Company Secretary

Sd/-
Amit Patwari
Partner
M.No. 061971

Date: 23.07.2024
Place: Guwahati

Date: 26.11.2024

Annexure "D" to the Independent Auditors' Report

(Referred to in Paragraph... under Report on Other Legal and Regulatory requirements of our report of even date) Report on Directions and Sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143(5) of the Act.

Directions/Sub-directions u/s 143(5) for the year 2023-24	Auditor's Remark	Impact on Financial statements
Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system namely Tally ERP. Based on the Audit procedure carried out and as per the explanations and information given to us, no transactions have been processed / carried outside the IT system, Accordingly there are no implications on the integrity of the Accounts	NIL
Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated, Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company.)	Loan / Debt where company is a borrower: MODoNER has granted a revival package which states to convert Gol loan of 28.23 cr into equity share and write off interest and penal interest amounting to Rs 32.22 cr Loan / Debt where Company is lender : Based on the audit procedures carried out and as per information and explanations given to us, there were no cases of restructuring or waivers /write- off of debts/loans/interest etc during the year 2020-21 with regards to amounts lent by the company to the other parties.	The Company has transferred the non-fund based support of Rs. 32.33 Cr of interest and penal interest (calculated up to 30.09.2021) on the outstanding Govt. of India loan of Rs. 28.23 (up to 31.03.2021) under head Capital Grant Non Fund based support" under "Reserve & Surplus" based on the opinion obtained from the Tax professional. In this regard, the Company has also submitted request letter to the Administrative Ministry to treat the said amount as capital grant. Also Rs, 1.77 cr of interest & penal interest is not written off due to incorrect computation & of communication interest & penal interest by NERAMAC

<p>Whether funds received /receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation</p>	<p>Based on the test checks & audit procedures carried out and as per the information and explanations given to us, no reportable deviations has come to our notice with respect to accounting/utilization of the funds (Grant / Subsidy) received receivable for specific schemes from Central State Agencies</p>	<p>NIL</p>
--	--	------------

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)

Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India

CIN: U01409AS1982GOI001932

Tele: +91 361 2341427, Website : www.neramac.com

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024

Particulars	Note No.	As at	As at
		31.03.2024 (Rs. in '000)	31.03.2023 (Rs. in '000)
I. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholders' funds			
(a) Share capital	1	358,500	358,500
(b) Reserves and surplus	2	-156,970	-217,115
		<u>201,530</u>	<u>141,385</u>
2 Non-current liabilities			
(a) Long Term Borrowings	3		-
(b) Long Term Provision	4	1,691	1,212
		<u>1,691</u>	<u>1,212</u>
3 Current liabilities			
(a) Short Term Borrowings			
(b) Trade payables	5	88,558	358,679
(c) Other current liabilities	6	240,894	252,581
		<u>329,452</u>	<u>611,260</u>
	TOTAL	<u>532,674</u>	<u>753,857</u>
II. ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Fixed assets			
(i) Tangible assets	7	150,928	15,672
(ii) Capital Work In Progress	7A	19,906	142,989
(b) Long-term loans and advances			
(c) Other non-current assets			
		<u>170,834</u>	<u>158,660</u>
2 Current assets			
(a) Inventories	8	5,190	4,864
(b) Trade Receivables	9 & 9A	81,047	79,949
(c) Cash and Cash equivalents	10	179,259	426,712
(d) Short-term loans and advances	11	83,629	75,949
(e) Other Current Assets	12	12,715	7,723
		<u>361,840</u>	<u>595,197</u>
	TOTAL	<u>532,674</u>	<u>753,857</u>

The Accompanying Notes 1 to 21 are an integral part of the Financial Statements.

For NERAMAC Ltd

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
DIN:09598427
Managing Director
M.No. 061971

Sd/-
Silabhadra Das
DIN:1059210
Director

Sd/-
Sanjiv Kr. Rai
M.No. A52998
Company Secretary

For D.Patwari & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
Amit Patwari
Partner

Date: 23.07.2024
Place: Guwahati

Date: 26.11.2024

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.

Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2024

NOTE 1 SHARE CAPITAL

Particulars	As at	As at
	31.03.24	31.03.2023
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Authorised		
600000 Equity Shares of 1000/- each	600,000	600,000
Issued, Subscribed & Paid -UP		
358500 Equity Shares of 1000/- each	358,500	358,500
Total	358,500	358,500

The Company has only one class of shares referred to as equity share having a par value of `1000/-. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

NOTE 1 A

The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share capital as at March 31, 2024 is set out below:

Particulars	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023	
	Number	(Rs. In '000)	Number	(Rs. In '000)
Shares outstanding at the beginning of the year	358,500	358,500.00	358,500.00	358,500
Add:- Issued during the Year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	-	358,500.00	358,500.00	358,500

NOTE 1 B

The Shareholders holding more than 5% of total paid up capital as at March 31, 2024 are as under :

Sl No	Name of Shareholder	As at 31.03.2024	
		No. of Shares held	% Holding
1	President of India	358,480	99.99
2	Secretary ,North Eastern Council	10	0.00
3	Deputy Secretary,North Eastern Cour	10	0.00

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2024(contd.)

NOTE 2 RESERVE & SURPLUS

Particulars	As at	As at 31.03.2023
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In'ooo)
Surplus/(Deficit) in the Profit & Loss Statement		
Opening balance	-633,406	-676,200
(+) Net Profit/(Net Loss) For the current year	12,778	42,794
		-
Closing Balance	-620,628	-633,406.31
Building Grant	141,760	94,393
Capital Reserve- For Employes Benefit (VRS)		
Depreciation Reserve	-358	-358.000
Subsidy Reserve- Sale Subsidy	-	-
Grant-in Aid-Seminar under NMFP	56	56.0000
General reserve (Revival Grant)	322,200	322,200
Total	-156,970	-217,115

NOTE 3 LONG TERM BORROWINGS

Particulars	As at	As at 31.03.2022
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Unsecured		
Ministry of DoNER(unmatured)	-	-
Total		-

NOTE 4 LONG TERM PROVISION

Particulars	As at	As at 31.03.2022
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Long Term Provision		
Provision for Gratuity	831	646
Provision for Leave Encashment	860	566
Total	1,691	1,212

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2024(contd.)

NOTE 5 TRADE PAYABLES

Particulars	As at	As at 31.03.2022
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
(i)MSME		
(ii) Disputed dues – MSME		-
(iii) Disputed dues - Others	44,647	44,647
(iv) Others	43,911	314,031
Total	88,558	358,679

NOTE 6 OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As at	As at 31.03.2022
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Interest Accrued and due on Borrowings	17,707	17,707
Other Payables*	223,138	234,838
Gratuity Payable	22	19
Leave Encashment Payable	27	18
Revaluation of WC Loan and Interest/penal Interest		-
Total	240,894	252,581

*Other Payables includes Statutory dues , security deposit, grant and advances from customers.

NOTE 7 FIXED ASSETS

Particulars	As at	As at 31.03.2023
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Opening Balance	15,672	15,934
Add: Additions	136,300	715
Less: Transferred to Depreciation Reserve/sold	30	60
Less: Depreciation	1,014	918
	150,928	15,672

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2024 Cont...

NOTE 8 INVENTORIES

Particulars	As at	As at 31.03.2023
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Raw Materials		
Finished Goods	4,739	4,413
Stores and Spares	182	182
Others*	269	269
Total	5,190	4,864.27

*Others includes Stocks of packing Materials and Stock of Power and fuel Inventories are carried at cost

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2024(contd.)

NOTE 9 TRADE RECEIVABLES

Particulars	As at	As at 31.03.2023
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment	3,975	2,340
Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment	77,073	77,609
Total	81,047	79,949

NOTE 10 CASH & BANK BALANCES

Particulars	As at	As at 31.03.2023
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
a. Balances with banks	74,244	327,816
b. Cash in hand	314	94
c. Remittance in Transit		
d. Fixed Deposits with Banks	97,548	93,663
e. Fixed Deposits held against B.G.pledge with Bank	7,153	5,139
Total	179,259	426,712

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2024 Cont...

NOTE 11 SHORT-TERM LOANS & ADVANCES

Particulars	As at	As at 31.03.2023
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
b. Others		
Deposits	10,735	2,701
Loans and Advances	37,562	36,888
Others	35,332	36,360
Total	83,629	75,949

NOTE 12 OTHER CURRENT ASSETS

Particulars	As at	As at 31.03.2023
	31.03.24	
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Income Tax Receivable	12,638	7,647.61
Indirect taxes Receivable	77	75
Total	12,715	7,723

For M.Borar & Co
Chartered Accountants
FRN : 314255E

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam,
India
CIN: U01409AS1982GOI001932
Tele: +91 361 2341427, Website : www.neramac.com
STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

Particulars	Note No.	For the year ended 31.03.2024 (Rs. in '000)	For the year ended 31.03.2023 (Rs. in '000)
Continuing Operations (1)			
I Revenue from operations	13	372,231	966,627
II Other income	14	29,476	135,426
III Total Revenue (1+ 2)		401,707	1,102,053
IV Expenses:			
Cost of Material Consumed		350,318	928,318
Purchase of Stock-in-Trade		-326	-1,075
Changes in inventories of Stock-in-Trade	15	26,170	20,773
Employee benefits expenses	16	-	1,577
Finance costs	17	1,014	918
Depreciation	18	32,670	132,618
Other expenses			
Total expenses		409,846	1,083,129
V Profit / (-) Loss before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		-8,139	18,924
VI Exceptional items	19	22,000	24,995
VII Profit / (-) Loss before extraordinary items and tax (V-VI)		13,861	43,919
VIII Extraordinary Items	20	-3,407	1,125
IX Profit before tax (VII+VIII)		17,268	42,794
X Tax expense:		4,490	
(1) Current tax			
(2) Deferred tax			
XI Profit for the Year from Continuing Operations (IX-X)		12,778	42,794
XII Profit for the Year from Discontinuing Operations			
XIII Tax Expense for Discontinuing Operations			
XIV Profit for the Year from Discontinuing Operations after Tax (XII-XIII)		12,778	42,794
XV Profit for the Year		12,778	42,794
XVI Earnings per equity share (of Rs 1,000 each):			
1.Basic		0.04	0.12
2.Diluted			
XVII Earnings per equity share (excluding extraordinary items) (of Rs 1,000 each):			
1.Basic		0.04	0.12
2.Diluted		0.04	0.12

The Accompanying Notes 1 to 21 are an integral part of the Financial Statements

For NERAMAC Ltd

For D.Patwari & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
DIN:09598427
Managing Director

Sd/-
Silabhadra Das
DIN:1059210
Director

Sd/-
Sanjiv Kr. Rai
M.No. A52998
Company Secretary

Sd/-
Amit Patwari
Partner
M.No. 061971

Date: 23.07.2024
Place: Guwahati

Date: 26.11.2024

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India
CIN: U01409AS1982GOI001932
Tele: +91 361 2341427, Website : www.neramac.com

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2024

NOTE 13

REVENUE FROM OPERATIONS

Particulars	For the year	For the year
	ended	ended
	31.03.2024	31.03.2023
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Sales	365,447	965,952
Inter-Branch Sale		
Other Operating Revenue	6,785	675
Sale of Services		-
Total	372,231	966,627

NOTE 14

OTHER INCOME

Particulars	For the year	For the year
	ended	ended
	31.03.2024	31.03.2023
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Franchisee Fees		-
Interest	5,517	4,620
Income from Hiring of Vehicles		-
Misc. Receipt	312	142
Event and Exhibition Project	23,647	130,664
Total	29,476	135,426

NOTE 15 CHANGES IN INVENTORIES OF STOCK-IN-TRADE

Particulars	For the year	For the year
	ended	ended
	31.03.2024	31.03.2023
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Closing Stock	4,739	4,413
Opening Stock	4,413	3,338
Total	-326	-1,075

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2024 Cont...

NOTE 16 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

Particulars	For the year	For the year
	ended	ended
	31.03.2024	31.03.2023
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Wages and Salaries (Including Bonus)	23,164	19,043
Staff Welfare	1,905	615
Contribution to Provident & Other Funds including	1,101	1,115
Total	26,170.340	20,773

NOTE 17 FINANCE COST

Particulars	For the year	For the year
	ended	ended
	31.03.2024	31.03.2023
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Interest on Working Capital Loan	-	1,400
Penal Interest on Working Capital Loan	-	177
Total	-	1,577

NOTE 18 OTHER EXPENSES

Particulars	For the year	For the year
	ended	ended
	31.03.2024	31.03.2023
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Advertisement Expenses	26	49
Administrative Expenses	-	47
Accounting Fees	-	-
Internal Audit Fees	59	35
Auditor's Remuneration	110	161
Bank Charges	80	43
Board Meeting Expenses	-	-
Books & Periodicals	7	11
Consultancy Charges	46	24
Electricity Expenses	409	570
Exhibition & Trade Fair	-	458
Event & Exhibition	21,984	121,766
Freight and Transportation	575	162
Fuel Cost (Coal, LPG and Diesel)	338	196
GST Fees	-	236
Insurance	-	29
Interview Expenses	-	26
Labour Charges	0	118
Legal Fees	23	110

Meeting & Conference	49	28
Miscellaneous Expenses	12	55
Office Expenses	214	154
Packing Materials	991	493
Postage & Courier	39	58
Printing & Stationery	260	336
Processing Charges	0.5	-
Professional Fees	822	157
Rate and Taxes		111
Renewal Fees	50	3
Rent	3,262	3,338
Repairs and Maintenances	115	159
ROC Expenses	23	68
Commission Charges		-
Stall Expenses	201	491
TA Expenses	1,796	1,330
Telephone and Internet Expenses	60	66
Travelling and Conveyances	10	20
Upkeepment of Vehicle	109	117
Other Exp	952	1,393
Vehicle Hiring & Running Expenses	48	197
Loss on Fixed Asset sale	0.05	
Total	32,669.556	132,618

NOTE 19 Exceptional items

	For the year ended 31.03.2024 (Rs. In '000)	For the year ended 31.03.2023 (Rs. In '000)
a) Gratuity	-	13,683
b) Leave Encashment	-	7,235
c) Vat Payable	-	225
d) Reserve & Surplus	-	3,852
d)Revival Grant	22,000.00	
Total	22,000	24,995

NOTE 20 Extraordinary Items

	For the year ended 31.03.2024 (Rs. In '000)	For the year ended 31.03.2022 (Rs. In '000)
(a)Prior Period Adjustment	-3,407	1,125
(b)		

NOTE 21 Auditor Remuneration details

(a) Stattutory Audit Fees Previous years	-	43
b) Stattutory Audit Fees Current year	80	94
c) Tax Audit Fees	30	24

**NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD.
CASH FLOW STATEMENT
For the year ended 31st March,2023**

Particulars	2023-24		2022-23	
	(Rs in '000)	(Rs in '000)	(Rs in '000)	(Rs in '000)
<u>Cash Flows from Operating activities</u>				
Net Profit during the year	12,778		42,794	
Add:				
Depreciation	1,014		918	
Provision for Gratuity	185		-10,947	
Provision for Leave Encashment	294		-5,712	
Provision for Damage stock	-		-	
Profit on Sale of Fixed Assets	-0		60	
Interest Paid	-		1,577	
Interest Received	-5,517		-4,620	
Cash Generated from operations before working capital changes	8,754		24,070	
(Increase)/Decrease in Stock	-325		-1,075	
(Increase)/ Decrease in Debtors	-1,098		45,794	
(Increase)/ Decrease in Advances	-7,680		3,649	
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	-4,992		-1,439	
Increase/(Decrease) in Trade Creditors	-270,121		210,138	
Increase/(Decrease) in Reserve & Surplus	47,367		318,348	
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	-11,687		-381,815	
	-239,783		217,669	
<u>Net Cash Flow from Operating activities (A)</u>		-239,783		217,669
<u>Cash Flows from Investing activities</u>				
Purchase of Fixed Assets	-136,300.26		-715	
Disposal of Fixed Assets	30.00			
Interest Received	5,517.14		4,620	
Increase in Capital Work-in- Progress	123,082.50		-58,184	
<u>Net Cash Flow from Investing activities (B)</u>		-7,671		-54,280
<u>Cash Flows from Financing activities</u>				
Long term loan Borrowings	-		-20,000	
Share Capital	-		-	
Interest Paid	-		-1,577	
<u>Net Cash Flow from Financing activities (C)</u>				-21,577
Total inflow during the year		-247,453		141,813
Add: Cash at the beginning of the period		426,712		284,899
Cash at the end of the period		179,259		426,712

For NERAMAC Ltd

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
DIN:09598427
Managing Director

Sd/-
Silabhadra Das
DIN:1059210
Director

Sd/-
Sanjiv Kr. Rai
M.No. A52998
Company Secretary

For D.Patwari & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
Amit Patwari
Partner
M.No. 061971

Date: 23.07.2024
Place: Guwahati

Date: 26.11.2024

Note- 7 Fixed Asset

Description	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions /Adjustments during the year	Cost at the year end	As at the beginning of the year	During the year	Deductions/adjustments during the year	Total upto the year end	As at the current year end	As at the previous year end
Land	2,453,932			2,453,932					2,453,932	2,453,932
Building	11,344,766	135,982,446		147,327,212	25,246,912	552,490		25799402	146,774,722	11,344,766
Office Equipments	132,167	237,517		369,684	1,821,101	106,768		1,927,869	262,916	132,167
Computers	275,282	80,300		355,582	3,134,490	149,063		3,283,553	206,519	275,282
Electricals	328,259	-		328,259	844,474	58,386		902,860	269,873	328,259
Furnitures	265,262	-		265,262	3,605,126	33,129		3,638,255	232,133	265,262
Electrical Equipments	70,172			70,172	856,014	13,841		869,855	56,331	70,172
Plant & Machinery	503,783	-		503,783	21,450,037	7,505		21,457,542	496,278	503,783
Vehicle	298,873	-	-30,048	268,825	2,039,359	92,975		2,132,334	175,850	298,873
									-	
									-	
									-	
Total	15,672,496	136,300,263	-30,048	151,942,711	58,997,513	1,014,157	-	60,011,670	150,928,554	15,672,496

Note- 7A Capital Work In Progress

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED

Capital Work in progress aging schedule as on 31-03-24

(Amount in Rs.)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in Progress	-	-	-	19,906,029.00	19,906,029.00
Projects temporarily suspended				-	-

NOTE 9A Trade Receivable

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED
Trade Receivable ageing schedule as on 31.03.24

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#										2023-24 Total	2022-23 Total
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23		
	Less than 6 months	Less than 6 months	6 months - 1 year	6 months - 1 year	1-2 years	1-2 years	2-3 years	2-3 years	More than 3 years			
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	3,974,808.36	2,340,436.11	176971	-919462.13	740,381.93	4,345,507.86	1,786,613.81	333,909.96	24671244.34	24151393.4	31,350,019.44	30251785.2
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful											-	
(iii) Disputed Trade Receivables considered good											-	
(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful									49,697,480.00	49,697,480.00	49,697,480.00	49,697,480.00
										Total	81,047,499.44	79,949,265.20

**NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD.
H. No 9, RAJBARI PATH, GS ROAD, GUWAHATI - 781005, ASSAM**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT AS AT 31.03.2024

Note: 22

Note No. : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a) **BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT**

- The standalone financial statements have been prepared on the historical cost basis & on the basis of Going Concern assumption. These are prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India to comply with all material aspects with the Accounting Standards specified u/s 133 of the Companies Act, 2013 r/w Rule 7 of Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, as amended, as per the format prescribed by the Schedule III to the Companies Act, 2013. Accounting standards adopted in the preparation of the Financial Statements are consistent with those of previous year. Accounting policies not specifically referred to otherwise are being consistently followed.
- The Company follows the mercantile system of accounting and recognizes Income & Expenditure on accrual basis.
- Accounting policies unless specifically stated to be otherwise are consistent and are in consonance with generally accepted accounting principles.

b) **USE OF ESTIMATE:**

The preparation of financial statements requires the Management to make estimates & assumptions that effect the reported balances of assets & liabilities, revenues & expenses, disclosures relating to the contingent liabilities as on the date of financial statements. Management believes that the estimates used in the preparation of Financial Statements are prudent & reasonable. Actual results could differ from those estimates. Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which the results are known/materialized. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current & future periods.

c) **SMC STATUS**

The company is not under SMC status

d) **FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT):**

- i. Property, plant and equipment is stated at acquisition cost net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to the Statement of Profit and Loss during the period in which they are incurred.
- ii. Gains or losses arising on retirement or disposal of property, plant and equipment are recognized in the Statement of Profit and Loss.
- iii. Property, plant and equipment (if any) which are not ready for intended use as on the date of Balance Sheet are disclosed as "Capital work-in-progress".

- iv. Depreciation is provided on a pro-rata basis on written down value method based on estimated useful life as prescribed under Part C of Schedule II to the Companies Act, 2013. However, the assets costing Rs 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase.
- v. Freehold land is not depreciated.
- vi. The residual values, useful lives and method of depreciation of property, plant and equipment is reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.
- vii. The figures in balance sheet doesn't includes three leasehold land details as mentioned below because the ownership and title deed are not transferred in the name of NERAMAC:
 - Land on lease at Silchar measuring 2,30,400 sqft allotted by Govt of Assam on 05.01.2009-The allocation of the same was cancelled by the Govt. of Assam, O/o the General Manager, District Industries and Commerce Centre, Cachar vide its letter (12/2/2018).The plot was taken over by GM DI & CC on January 2020
 - Land on lease at Byrnihat measuring 4000 sq meter allotted by Govt of Meghalaya on 30.03.2001
 - Allotment of Land by Govt. of Tripura at Nalkata, Tripura measuring 3.64 hectare on 05.09.1986.

e) **DEPRECIATION:**

Depreciation on Fixed Assets is provided on Written Down Value basis in the manner prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

f) **IMPAIRMENT OF ASSETS:**

An asset is treated as impaired when the carrying the cost of assets exceed its recoverable value. An impairment loss is charged to the profit & loss account in the year in which an asset is identified as impaired.

g) **INVENTORIES:**

Inventories are valued at the lower of cost (on FIFO/ Weighted Average, as the case may be and the net realizable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary. Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including octroi and other levies, transit insurance and receiving charges. Stocks of consumable stores are valued at lower of cost or net realizable value.

h) **REVENUE RECOGNITION:**

Revenue from the sale of goods is recognized, net of returns and trade discounts, when the significant risks & rewards of ownership of the goods/services has been transferred to the buyer, which generally Revenue coincides with the delivery of goods to customers.

Other Incomes like interest income is recognized on accrual / time basis whereas dividend (if any) is recognized when the Company's right to receive the payment has been established.

Interest on refund of any tax, duty or cess,etc is accounted for as and when they are received.

i) **CASH FLOW STATEMENT**

Cash Flow Statement is prepared following the indirect method as set out in AS-3 on Cash Flow Statement. Cash & Cash equivalents represents cash & bank balances including term deposits.

j) **PRIOR PERIOD ITEMS**

The company prepares its accounts on accrual basis & therefore no such items exist in general. However, if any prior period item is there & found significant, it is shown separately in the Financial Statements.

k) **INVESTMENT**

There were no Investments in the reporting period.

l) **EMPLOYEE BENEFITS:**

Short-term employee benefits based on expected obligation on undiscounted basis are recognized as expenses in the statement of profit & loss of the period in which the related service is rendered.

Post-Employment Benefits:

- ***Defined Contribution Plan:***

Post-employment and other long term employee benefits are recognized as an expense in the profit & loss account for the year in which the employee has rendered services. The employees of the Corporation make monthly fixed contributions to the above schemes equal to a specified percentage of the covered employee's salary.

- ***Defined Benefit Plan:***

i) **Gratuity:** Provision towards gratuity is made on the basis of actuarial valuation at the end of the financial year, by an actuary in terms of Accounting Standards (AS) 15 – Employees Benefits

ii) **Leave Encashment:** Provision towards Leave Encashment is made on the basis of actuarial valuation at the end of the financial year, by an actuary in terms of Accounting Standard (AS) 15- Employees benefits

m) **EMPLOYEE SEPARATION COST:**

Compensation to employees who have opted for retirement under the voluntary retirement scheme of the Company is charged to the Profit & Loss account in the year of option.

n) **EARNING PER SHARE:**

Basic earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary item, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary item, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the dilutive potential equity shares,) by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares.

o) **GOVERNMENT GRANTS AND SUBSIDIES:**

Government Grants or Subsidies relating to an expense item are recognized as Asset at the time of its receipt. Government Grants in relation to Fixed Assets are reduced from the actual cost of

concerned Fixed Assets. Whereas Grants related to revenue are sometimes presented as a credit in the profit and loss statement, either separately or under a general heading such as 'Other Income'. Alternatively, they are deducted in reporting the related expense.

p) **PROPOSED DIVIDEND**

In compliance with Revised Accounting Standard 4 "Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date", Proposed Dividend on equity shares and tax thereon subject to the approval of the shareholders of the Company at the Annual General Meeting is not recognized as liability as at the Balance Sheet date and will be recognized as and when it is declared.

q) **BORROWING COST:**

Borrowing cost that attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Other borrowing costs are recognized as an expense in which they are incurred.

r) **CONTINGENT LIABILITIES:**

Contingent liabilities are disclosed in respect of present possible obligation that arise from past events but their existence is confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the company.

s) **SEGMENT REPORTING :**

The company has single business segment namely "Processing & marketing of agriculture based products". As such the company business does not fall under the different segment reporting as defined in AS-17 issued under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006

t) **ACCOUNTING FOR INVESTMENT:**

Investments are carried at cost. Investments in Fixed Deposit represent unutilized funds to be deployed for capital expenditure as well as revenue expenditures.

**NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD.
H. No 9, RAJBARI PATH, GS ROAD, GUWAHATI - 781005, ASSAM**

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT AS AT 31.03.2024 Contd.

Note:23

a) Share Capital

Particulars	As at 31 st March 2024	As at 31 st March 2023
Authorized Share Capital	60,00,00,000	60,00,00,000
Paid up Capital	35,85,00,000	35,85,00,000

b) Reconciliation of equity shares outstanding at the beginning & at the end of reporting period

Particulars	No	As at 31 st March 2024	No	As at 31 st March 2023
At the beginning of the period	35850	35,85,00,000	35850	35,85,00,000
Issued during the period	NIL	NIL	NIL	NIL
At the end of the period	358500	35,85,00,000	35850	35,85,00,000

c) Details of Equity shareholders holding

Particulars	As at 31 st March 2024		As at 31 st March 2023	
	No	%	No	%
President of India	358480	99.99	358480	99.99
North Eastern Council, Shillong (Dy. Secretary)	20	0.01	20	0.01

24. ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS

- The figures have been regrouped/reclassified whenever necessary to confirm with current year presentation.
- The Corporation owns 4000 Sq. m. a plot bearing Dag No. 12 in the EPIP, Byrnihat for setting up a Ginger Processing Unit, which has been provisionally allotted by the Govt. of Meghalaya and whose value has been taken as nil.
- The Corporation owns 1.54 Bighas of land(Dag / Patta No 531/2522) under Dispur Revenue Circle in the District of Kamrup, Assam for construction of Office building which has been allotted by the

Govt. of Assam for a total cost of Rs. 22,50,000/-. This payment was released in the month of May 2011 along with land revenue and taxes for twenty five years amounting to Rs. 28,210/-.

- d. The Corporation owns 6 bighas 2 khata and 4 lacha land at Mankachar, District South Salmara, Assam for setting up of Cashew nut factory which is valued at Rs. 2,03,932/-.
- e. The Corporation is establishing Mancachar Cashew Processing Plant which is Sanctioned through Central Financial Assistance under NLCPR towards the project of "Establishment of Cashew processing plant at Mancachar" in Assam amounting to Rs.248.34 Lac out of which total amount received is Rs 203.19 Lac. Due to escalation of the Project Cost, the construction could not be completed and is at halt. Request for the financial assistance has made to NEC for completion of the remaining work due to the escalation. However, the under-construction plant was valued on 24.02.2020 and the revalued amount stand at Rs 199.06 lakh. Same has been recognized in the accounts for the FY 2018-19 under head 'Prior Period Adjustment' and in the current year accounts under WIP in the Balance Sheet with the value as on the last revaluation date as stated above.
- f. NERAMAC is Constructing Marketing Complex at Six Mile, Guwahati which is being sanctioned by North Eastern Council (NEC) vide letter Dtd.14/03/2017, NEC with provision of B+G+5 for Office Cum Commercial Building (Block 1) and G+3 for Guest House (Block 2) with a total built up area of 6040.00 sq. m. The total project cost is Rs. 14.18 Cr. (Rs.12.89 Cr. received on during FY 2017-18 & Rs. 1.29 Cr. received during FY 2023-24) .The Architect Consultant, M/s Designers' Guild was appointed on 16/11/2017 through competitive bidding. Considering the commercial viability of the site and permissible F.A.R Considering the commercial viability of the site and permissible F.A.R with provision of B+G+7 for Office Cum Commercial Building and B+G+5 for Guest House, total built up area of 6835.45 Sq.m was proposed by the Corporation and placed for obtaining necessary permission for construction to GMDA/GMC Authorities on 28/03/2018. The Construction of Building (B+G+4) was completed on January 2023 & lift and transformer installed/set-up by end of March 2024.. After completion of the project NERAMAC has applied for occupancy certificate from the concern department. As no occupancy certificate received as on 31 March 2024, the building has not 'put-to-use' and recognized under 'PPE' during the financial year.
- g. Report of grant received from the Govt. of India, Assam Govt. & Others during the FY 2023-24 (Nature of Grant)

Sl. No.	Name of the Programme / Scheme	Sanctioning Authority	Amount
1	APEDA	Govt. of India	34,778,730.00
2	National Small Industries Corporation	Govt. of India	493,380.00
3	National Scheduled Caste Finance and Development Corporation	Govt. of India	1,881,390.00
4	National Backward Classes Finance & Development Corporation	Govt. of India	1,636,619.00
5	Food Industry Capacity & Skills (FICSI)	Govt. of India	3,778,197.00
6	Promotion & Formation of 10,000 FPO's	Govt. of India	174,630,817.00
		-	
7	<i>National Bamboo Mission</i>	<i>Govt. of Assam</i>	<i>8,100,000.00</i>
8	GI Registration Tripura	Govt. of Tripura	420,000.00
9	<i>Horticulture & Soil Conservation(Tripura)</i>	Govt. of Tripura	<i>525,000.00</i>
10	<i>Tripura Varanasi Event</i>	Govt. of Tripura	<i>2,800,000.00</i>

11	Grant Six Mile Building (2 nd Phase)	NEC	12,900,000.00
12	Grant in Aid for GAP Study (Clod Storages in NER)	NEC	1,255,159.00
13	Revival Grant CPU AGARTALA	NEC	5,735,540.00
14	Cold Storage Grant	BTC, Kokrajhar	6,000,000.00
15	Local Resource Person (LRP)	NEDFI	1,800,000.00
16	NABARD	NABARD	851,304.00
Total			257,586,136.00

h. NEC for construction of market complex at Six Mile, Guwahati

STATUS AS ON 31-03-2024

Project Name	Construction of Marketing Complex of NERAMAC LTD at Sixmile, Guwahati
Project Cost	Rs 12.89 Cr + 1.29 Cr. = 14.18 Cr.
Funded By	North Eastern Council, Shillong
Implementing Agency	NERAMAC Ltd.
Project Management Consultant	Phase 1 : M/s Hindustan Prefab Ltd. (HPL) Phase 2 : Assam P. W. Department (B)
Architect Consultant	M/s Designers' Guild
Built-up Area	3923 SQM
Storeys under scope of work	Block-1 (B+G+4) Block-2 (B+G+1)
Contractual Start Date	07.09.2020
Contractual Completion Date	06.03.2022
Time Extension approved upto	20.12.2022
Total Amount Sanctioned	Rs 12.89 Cr + 1.29 Cr. = 14.18 Cr.
Amount utilized	Full Amount
Amount on hold against Defect Liability (of 1 year from the date of handover)	Rs 65.04 Lakhs

- i. The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.
- j. Trade receivables includes receivables from **West Bengal State Seed Corporation Limited** amounting Rs 496.97 Lakhs towards supply of 1500.76 MT certified wheat seeds vide order reference no 920/WBSSC dated 31.10.2011, The amount is yet to settled even after 7 years and also the matter is under litigation and the receipt of the amount is doubtful. Amount of Rs. 446.47 payable to **M/S Tirupati Agro Seed Distributors Pvt. Ltd. against the receivables.**
- k. Non-Fund based Support of writing-off of interest and penal interest of Rs. 32.22 Cr. (Calculated upto 30.09.2021) on the outstanding loan of Rs. 28.23 Cr has been effected in this accounts through posting under "Capital Grant- Non Fund based support" under "Reserve & Surplus" in the accounts for the FY 2022-23.

- l. Amount of interest and penal interest on the outstanding Govt. of India loan of Rs. 28.23 as on 31.03.2021 is recorded in the books of accounts as 33.99 Cr. However the amount approved for writing off of Rs. 32.33 under the revival package, which resulted into a difference of Rs. 1.77 Cr. This difference amounts as arise due wrong estimation of interest figure. Request has been submitted to the Ministry of DoNER for allowing the excess interest amount of Rs. 1.77 Cr. to be written off.
- m. Vide lease deed dated. 05-01-2009 executed between District Industries & Commerce Department (DI&CD), Silchar, Cachar and NERAMAC, a plot of land measuring of 16 Bigha (230400 Sq Ft) was allotted to NERAMAC on lease for setting up Multi Fruit Processing Plant for period of 30 years. However, the DI&CA has cancelled the allotment in April 2019 as lease rent amounting to Rs. 36.45 lakh was due. Accordingly the plot was taken over and request letter given to Industry & Commerce Dept. Govt. of Assam to waive the lease rent amounting to 36.45 lakh considering the poor financial condition of the corporation. The Dept. has forwarded the letter to General Manager, District, Industry Centre, Cachar, Silchar on 16.02.2019 to submit the detailed report on the matter of waiving off of lease rent. The matter is being followed up with the concerned department in the Govt. of Assam.
- n. **Related Party Disclosure pursuant to AS- 18:** There is no related party transaction during the FY 2023-24 excluding an amount of Rs. 38,56,660.00/- was paid as Salary & Allowances, Rs. 1,38,707.00 was paid as Medical Reimbursement & Rs. 84,355/- was paid as LTC to Managing Director of the Corporation.
- o. During the FY 2023-24 the NERAMAC issued one Bank Guarantee drawn on Union Bank of India, GS Road Branch, Guwahati for an amount of Rs. 10,00,000/- against pledging Term Deposit bearing No. 55580IGL0000124 DT. 08-03-2027 in favour of National Beekeeping and Honey Mission (National Bee Board) against Project Mini Mission I
- p. During the financial year 2022 -23 the Company has issued one Bank Guarantee drawn on Union Bank of India, GS Road Branch, Guwahati for an amount of Rs.15,99,237/- against pledging Term Deposit bearing No. 55580IGL000322dt.31.12.2022.and an amount of Rs. 23,98,856/- dated 02-01-2023 vide Cheque No 069674 deposited to the Hon. District &Session Judge Kamrup Metro Guwahati against the M/s Harvel Agua Pvt Ltd matter pending in Session Court Kamrup District of Assam.
- q. During the financial year 2023-24 the Corporation deposited an amount of Rs. 80,03,985/- (i.e. Rs. 23,24,074.47/- with cost and interest at the rate of 12% per annum) before the Registry of Hon'ble Gujarat High Court as decretal amount , against the order passed by Hon'ble Gujarat High Court in Special Civil Application no. 13556 of 2023 dated 05-03-2023 in the decree dated 24-04-2009 passed by the learned 5th Additional Senior Civil Judge, Vadodara in Special Civil Suit no. 667 of 1998 in the matter of R&Z Distributors v/s NERAMAC.
- r. As past of Revival grant an amount of Rs. 2.20 Cr. given under head 'Supporting the Operation. As per the Revival Plan approved by the Govt. of India, the said grant is to set-off the losses to be incurred by the Corporation. Accordingly the grant of Rs. 2.20 Cr. has been adjusted through 'Extra-Ordinary Item', in the Profit &Loss Account for the year.
- s. Contingent liabilities not provided for (Rs in '000)

Creditors	Amount	Liabilities	Contingent
	Claimed	Provided	Liabilities
Sobhayaga Advertising, Kolkata	1,990.00	1,262.00	728.00
M/s Harvel Agua Pvt Ltd	3998.00	1223.00	2,775.00
M/s R&Z Distributor	8,003.00	249	7754
Ratnagiri ImpexPvt Ltd	41492	18725	22767
AIDC (Plot return back by AIDC vide memo No. CADIC (1/A)67/2014-15 DT. 10-01-2020	3645.81	0	3645.81
Total	59128.81	21459	37669.81

t. Prior period Items

Profit & Loss account has been debited /credited with the following items:

PARTICULARS	Debit	Credit
Zonal Office Assam		41600.00
Zonal Office Assam		5000.00
Zonal Office Assam	204.00	
DYNATEK	12200.00	
DYNATEK	2500.00	
DYNATEK	16580.00	
DYNATEK	5730.00	
DYNATEK	8011.00	
DYNATEK	16025.00	
SUDHA & ASSOCIATE	203800.00	
UCO Bank, Mankachar	780.00	
ADV SANJEEV RAI CS	8852.00	
ADV SANJEEV RAI CS	6928.00	
Advance A/c (Sanjeev Das)	50000.00	
ADV SANJEEV RAI CS	7914.00	
ADV SANJEEV RAI CS	1000.00	
Advance (Bhriku Kumar Medhi)	7421.00	
Krishna Associates	468.00	
M BORAR & CO	15104.00	
SBI TDR-36339174400	10118.00	
SBI TDR-36339183017	3400.00	
SBI TDR-36339184124	2537.00	
Krishna Associates	27104.00	
Advance (Lachit Kumar Nath)	5812.00	

Manoj Pathak	10000.00	
Revival Grant		4133568.00
SBI-TDR-39921082140		1000.00
Assam Seva Samiti	42000.00	
SUDHA & ASSOCIATE	60000.00	
KESHRI AND ASSOCIATE	94400.00	
TDS-194 J(PROFESSIONAL FEES)	30000.00	
Advance Krishna Roy	3028.00	
T K Ghosh and Co Chartered Accountant	22420.00	
M BORAR & CO	7552.00	
Advance (Anurag Kashyaap)	370.00	
Advance (Anurag Kashyaap)	3500.00	
Advance (Anurag Kashyaap)	21000.00	
DILLI HAAT UNIT (CL)	27465.00	
Z.O AGARTALA (CL)	50.00	
Z.O ASSAM(CL)	40170.00	
TOTAL	774443.00	4181168.00

u. The Govt. of India on 18th August, 2021 announced Revival package of Rs. 17.00Crore for NERAMAC. The package consists of the following components:

- a. **Fund Based Support:** Fresh infusion of Rs. 17.00 Cr. as grant to be released in 2 installments during FY 2021-22 and 2022-23, roughly in 2/3rd : 1/3rd ratio, for following activities:

Heads	Rs. in Cr.
Funds for VRS for Regular Employees	4.96
Working Capital Support	6.36
Supporting the operations	2.20
Computer & ERP System, E-commerce portal	2.23
Other statutory dues, committed and current liabilities	1.25
Total	17.00

- b. **Non-based support:**

Heads	Rs. in Cr.
Conversion of outstanding Govt. of India loan (as on 31.03.2021) into equity shares of the Company	28.23
Writing off of interest and penal interest calculated up-to 30.09.2021 on outstanding Govt. of India loan	32.22
Total	60.45

- c. **Increase in authorized share capital of the Corporation from Rs. 10.00 Cr. to Rs. 60.00 Cr.** in order to accommodate the conversion of the outstanding long-term borrowings into equity.

v. Implementation of Revival package during the FY 2023-24.

Sl. No.	Particular	Expenditure (Rs.) In Cr.	Remarks
Fund Based support			
1.	Working Capital Support	6.36	As part of Revival Package of NERAMAC Rs. 6.36 be allocated as Working Capital Support. This fund is being used in the prescribed manner to fund procurement and others business related activities. As would be appreciated, this fund is cyclic in nature and is paid out/returned based on business. Further as of Rs. 0.16 Cr has been utilized as working capital support to the NERAMAC CPU Agartala & Others.
2.	Supporting the operations	2.20	Adjusted for the losses in the accounts for the FY 2023-24
3.	Computer & ERP System, E-commerce portal	0.60	Towards the payment of ERP System, E Commerce Platform
4.	Other statutory dues, committed and current liabilities	0.41	1. Rs 0.41 Cr. MCA Fees booked under prior period adjustment.
Non-fund support			
1.	Outstanding Govt. of India loan of Rs. 28.23 Cr. as on 31.03.2021 has been converted into equity shares at face value of Rs. 1000/- each on 26.11.2021	28.23	
2.	Interest and penal interest of Rs. 32.33 Cr. as on 30.09.2021 has been transferred to 'Reserves & Surplus' under head 'Capital Grant- Non fund based support'	32.33	
3	Authorized share capital of the Company revised from 10.00 Cr. to 60.00 Cr. under section 62(6) and 61(1)(a) of the Companies Act 2013.	60.00	

- w. i) Reporting as per the Paragraph 8.4.4 of the GUIDANCE NOTE ON DIVISION I – NON IND AS SCHEDULE III TO THE COMPANIES ACT, 2013. The following disclosure of ageing schedule for ‘Trade Payables due for Payment’ as given below:

Particulars	(Amount in Rs.)				
	Outstanding for following period from due date of Payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
i. MSME	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
ii. Others	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
iii. Disputed dues – MSME	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
iv. Disputed dues – Other	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

x. Additional Disclosure as per Schedule III – Ratios

The following are the analytical ratios for the year ended March 31 2024

Particulars	Numerator	Denominator	UOM	2022-23	2023-24	Remarks
Current ratio	Current Assets	Current liabilities	Times	0.97	1.10	Favorable
Debt Equity Ratio	Total Debt	Shareholders equity	Times	1.70	0.92	Moderate
Debt Service Coverage Ratio	Earning available for debt services ^{^1}	Debt services ^{^2}	Times	2.10	NIL	-
Return on equity ratio	Net profit after tax	Average shareholders equity	%	11.93 %	3.56%	Unfavorable
Inventory turnover ratio	Cost of goods sold	Average Inventory ^{^3}	Times	4.89	7.64	Favorable
Trade receivables turnover ratio	Net credit sales	Average accounts receivables ^{^4}	Times	0.014	1.00	Unfavorable
Trade payables turnover ratio	Net credit purchase	Average trade payables ^{^5}	Times	1.04	0.39	Unfavorable
Net capital turnover	Net Sales	Working capital ^{^6}	Times	-60.00	11.28	Favorable

Net Profit ratio	Net profit after tax	Net sales	%	4.24%	3.49	Unfavorable
Return on capital employed	Earning before interest and taxes	Capital employed ^{^7}	%	5.46%	6.34	Unfavorable
Return on investment	Income from Investment	Investment	%	Nil ^{^8}	Nil	-

^{^1} Net Profit after Tax+ Depreciation + Interest (Income)

^{^2} Interest + Principal Repayments

^{^3} (Opening Inventory + Closing Inventory)/2

^{^4} (Opening trade receivables + Closing trade receivables) /2

^{^5} (Opening trade payable + Closing trade payable) /2

^{^6} Current Assets – Current Liabilities.

^{^7} Tangible Net worth + Total Debts.

^{^8} during the financial year 2022-23 no investment made.

24. DISCLOSURE RELATING TO EMPLOYEE BENEFIT IN ACCORDANCE WITH ACCOUNTING STANDARD 15:

(a) Actuarial Valuation of Gratuity Scheme as at 31 March 2024 under AS 15 (revised 2005)

1. Summary of Membership Data

As at	31-03-2023	31-3-2024
No. of employees	2	2
Total Monthly salary in Rupees	228,971	241,811
Average age of Employees (years)	53	54
Average past service (years)	14	15
Average future service (years)	7	6
Number of Completed Years valued	28	30
Decrement adjusted remaining working life	6	5

2. The key assumptions used in the calculations are as follows

Financial Assumptions	31-03-2023	31-3-2024
Discount Rate	7.15% p.a.	6.95% p.a.
Rate of increase in salaries	5% p.a.	5% p.a.
Expected Rate of return on Plan Assets	NA	NA

Demographic Assumptions	31-03-2023	31-3-2024
Mortality Rate	100% of IALM 2012-14	100% of IALM 2012-14
Normal Retirement Age	60 years	60 years

Attrition Rates, based on age (% p.a.) For all Ages	2	2
--	---	---

3. The benefits valued in this Report are summarized below :

Principal Plan Provisions	Payment of Gratuity Act 1972, as amended up to date
Normal Retirement Age	60 Years
Salary for calculation of gratuity	Last drawn Basic Salary + Dearness Allowance
Vesting period	5 years of continuous service
Benefit on normal retirement	15/26 x salary x number of years of Completed service
Limit on maximum gratuity payable	Rs. 20,00,000/-
Benefit on early retirement	Same as normal retirement benefit
Withdrawal/resignation	Same as normal retirement benefit
Benefit on death or disablement in service	Same as normal retirement benefit except that no vesting condition applies

4. Actuarial calculations of Gratuity Scheme under AS15 (revised 2005) Period ended 31 March 2024 (Assets, Liabilities and Experience History)

i) Summary of Assets and Liability (Balance Sheet Position)

Particulars	As on				
	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
Present value of Obligation	16902471	13442129	14661865	664652	853493
Fair Value of Plan Assets	0	0	0	0	0
Unrecognized Past Service Cost	0	0	0	0	0
Effects of Asset Celling	0	0	0	0	0
Net Asset / (Liability)	(16902471)	(13442129)	(14661865)	(664652)	(853493)

ii) Experience adjustments on Present Value of Benefit Obligation and Plan Assets

Particulars	As on				
	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
(Gain) / Loss on Plan Liabilities	1476851	(111034)	1450413	(29079)	11310
Gain / (Loss) on Plan Assets	0	0	0	0	0

iii) Total expense recognized in the Statement of Profit & Loss Period ended 31 March 2024

A	Components of employer expense	Rs.
1	Current Service cost	122355
2	Interest cost	47523
3	Expected return on plan assets	
4	Curtailement cost/(credit)	
5	Past Service Cost - (vested benefits)	
6	Past Service Cost - (non vested benefits)	
7	Unrecognized Past Service Cost - (non vested benefits)	
8	Net Actuarial Losses/(Gains)	18963
9	Total expense recognized in the Statement of Profit & Loss	188841
B	Actual Contribution and Benefits Payments for period ended 31 March 2024	
	Actual benefit payments	0
	Actual Contributions	0

iv) Actuarial calculations under AS15 (revised 2005) Net Asset/(Liability) recognized in the Balance Sheet - 31 March 2024

A	Funded Status	Rs.
1	Present value of Defined Benefit Obligation	853493
2	Fair value of plan assets	
3	Funded status [Surplus/(Deficit)]	(853493)
4	Effect of balance sheet asset limit	
5	Unrecognized Past Service Costs	
B	Net asset/(liability) recognized in balance sheet	(853493)
1	Net asset/(liability) recognised in balance sheet at beginning of period	(664652)
2	Employer expense	188841
3	Benefits Paid	
4	Net Acquisitions / Business Combinations	
5	Net asset/(liability) recognized in balance sheet at end of the period	(853493)

v) Reconciliation of Defined Benefit Obligation and Fair Value of Assets Period ended 31 March 2024

A	Change in Defined Benefit Obligations (DBO)	Rs.
1	Present Value of DBO at beginning of period	664652
2	Current Service cost	122355
3	Interest cost	47523
4	Curtailement cost/(credit)	0

5	Settlement cost/(credit)	0
6	Past Service Cost - (vested benefits)	0
7	Past Service Cost - (non vested benefits)	0
8	Acquisitions	0
9	Actuarial (gains)/ losses	18963
10	Benefits paid	0
10	Present Value of DBO at the end of period	853493
B	Change in Fair Value of Assets	
	Plan assets at beginning of period	0
	Expected return on plan assets	0
	Actuarial gain/(loss) on plan assets	0
	Actual Company contributions	0
	Fund Transferred	0
	Employee contributions	0
	Benefits paid	0
	Plan assets at the end of period	0
C	Actual Return on Plan Assets	0

(b) Actuarial Valuation of Leave Encashment Scheme as at 31 March 2024 under AS 15 (revised 2005)

1. Summary of Membership Data

As at	31-03-2023	31-3-2024
No. of employees	2	2
Total Monthly salary in Rupees	228,971	241,811
Average age of Employees (years)	53	54
Average past service (years)	14	15
Average future service (years)	7	6
Number of Completed Years valued	28	30
Decrement adjusted remaining working life	6	5

2. The key assumptions used in the calculations are as follows :

Financial Assumptions	31-03-2023	31-3-2024
Discount Rate	7.15% p.a.	6.95% p.a.
Rate of increase in salaries	5% p.a.	5% p.a.
Expected Rate of return on Plan Assets	NA	NA

Demographic Assumptions	31-03-2023	31-3-2024
Mortality Rate	100% of IALM 2012-14	100% of IALM 2012-14
Normal Retirement Age	60 years	60 years
Attrition Rates, based on age (% p.a.) For all Ages	2	2

3. The benefits valued in this Report are summarized below :

Normal Retirement Age	60 Years
Salary for calculation of gratuity	Last drawn Basic Salary + Dearness Allowance
Salary for calculation of Leave availment	Last Drawn Gross Salary
Annual Leave Entitlement	30 days
Maximum Allowable leave Accumulation at the time of exit from Service (applied on individual employee's leave balance in determination of leave liability)	300 days
Encashment during employment No allowed	No
Future Leave Availment	Yes
Future Leave Availment basis	LIFO basis *
Encashment at the time of Yes termination allowed	Yes
Leave encashment formula	Number of days of leave balance x salary at exit /30

4. Assets and Liability (Balance Sheet Position)

Particulars	As on				
	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
Present value of Obligation	9176196	7439723	7819258	583973	886880
Fair Value of Plan Assets	0	0	0	0	0
Unrecognized Past Service Cost	0	0	0	0	0
Effects of Asset Celling	0	0	0	0	0
Net Asset / (Liability)	(9176196)	(7439723)	(7819258)	(583973)	(886880)

5. Experience adjustments on Present Value of Benefit Obligation and Plan Assets

Particulars	As on				
	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024

(Gain) / Loss on Plan Liabilities	201636	(451655)	72948	(295605)	6739
Gain / (Loss) on Plan Assets	0	0	0	0	0

6. Total expense recognized in the Statement of Profit & Loss Period ended 31 March 2024

A	Components of employer expense	Rs.
1	Current Service cost	247264
2	Interest cost	41754
3	Expected return on plan assets	0
4	Curtailement cost/(credit)	0
5	Settlement cost/(credit)	0
6	Past Service Cost	0
7	Net Actuarial Losses/(Gains)	13889
8	Total expense recognized in the Statement of Profit & Loss	302907
B	Actual Contribution and Benefits Payments for period ended 31 March 2024	
	Actual benefit payments	0
	Actual Contributions	0

7. Net Asset/(Liability) recognized in the Balance Sheet - 31 March 2024

A	Funded Status	Rs.
1	Present value of Defined Benefit Obligation	886880
2	Fair value of plan assets	
3	Funded status [Surplus/(Deficit)]	(886880)
4	Effect of balance sheet asset limit	
5	Unrecognized Past Service Costs	
6	Net asset/(liability) recognized in balance sheet	(886880)
1	Net asset/(liability) recognized in balance sheet at beginning of period	(583973)
2	Employer expense	302907
3	Benefits Paid	
4	Net Acquisitions / Business Combinations	
5	Net asset/(liability) recognized in balance sheet at end of the period	(886880)

8. Reconciliation of Defined Benefit Obligation and Fair Value of Assets Period ended 31 March 2024

A	Change in Defined Benefit Obligations (DBO)	Rs.
1	Present Value of DBO at beginning of period	583973
2	Current Service cost	247264
3	Interest cost	41754
4	Curtailement cost/(credit)	0
5	Settlement cost/(credit)	0
6	Employee contribution	0
7	Past Service Cost	0
8	Acquisitions	0
9	Actuarial (gains)/ losses	13889
10	Benefits paid	0
11	Present Value of DBO at the end of period	886880
B		
	Change in Fair Value of Assets	
	Plan assets at beginning of period	0
	Expected return on plan assets	0
	Actuarial gain/(loss) on plan assets	0
	Actual Company contributions	0
	Fund Transferred	0
	Employee contributions	0
	Benefits paid	0
	Plan assets at the end of period	0
C		
	Actual Return on Plan Assets	0

निदेशक मंडल



श्री अंशुमान डे
अध्यक्ष



कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)
प्रबंध निदेशक



श्री एम. इबोयिमा मेइतेई
निदेशक



श्री.उमेश कुमार
निदेशक

कंपनी सचिव

श्री संजीव कुमार राय

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स डी पटवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी

बैंकर्स:

भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यूको बैंक,
सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक।

पंजीकृत कार्यालय:

NERAMAC कॉम्प्लेक्स, पंजाबी रोड (सिक्स
माइल फ्लाईओवर के पास), सिक्स माइल, गुवाहाटी-
781022, असम

अध्यक्ष महोदय की ओर से

प्रिय सदस्यगण,

मुझे **NERAMAC** लिमिटेड की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, क्योंकि स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद हमने लगातार दूसरे वर्ष सफलतापूर्वक शुद्ध लाभ दर्ज किया। इस अवधि के दौरान व्यावसायिक संचालन पुनरुद्धार योजना में निर्धारित रणनीतियों और उद्देश्यों द्वारा निर्देशित थे, जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र (**NER**) के किसानों और स्थानीय उद्यमियों को समग्र समर्थन पर केंद्रित थे। हमारे प्रमुख क्षेत्रों में कृषि उपज के लिए बाजार संपर्क प्रदान करना, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग को बढ़ाना, कृषि और कृषि-बागवानी क्षेत्रों में सरकार समर्थित परियोजनाओं को लागू करना और कौशल विकास पहलों के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी परिचालन गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति की। **NERAMAC**, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की **FPO** योजना के अंतर्गत, पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में 208 किसान उत्पादक संगठनों (**FPO**) को पंजीकृत करने में सक्षम रहा, जिससे लगभग 19,000 किसान जुड़े। यह पहल कंपनी की मुख्य क्षमता के साथ सहज रूप से जुड़ गई, जिससे उत्पादों का बाजार से जुड़ाव सुनिश्चित हुआ और इस प्रकार कई छोटे किसानों और उद्यमियों की आजीविका में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने असम के बोडोलैंड क्षेत्र में 5 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना की परियोजना को क्रियान्वित किया, कृषि-बागवानी एवं कृषि-संबद्ध क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण और रबर क्षेत्र में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लगभग 7,900 किसानों/छोटे उद्यमियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया और क्षेत्र के 427 मीट्रिक टन से अधिक कृषि-बागवानी उत्पादों का विपणन किया। वर्ष के दौरान की गई कुछ उल्लेखनीय पहलों में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) से वित्तीय सहायता प्राप्त अगरतला में काजू प्रसंस्करण संयंत्र का पुनरुद्धार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 1308 किसानों के भौगोलिक संकेत (जी.आई.) उपयोगकर्ता प्राधिकरण पंजीकरण की सुविधा, आइजोल में ड्रैगन फ्रूट प्रसंस्करण संयंत्र और डिब्रूगढ़, असम में असम लेमन के लिए एक लघु प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की परियोजना का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, 77.45 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज (17.00 करोड़ रुपये निधि-आधारित सहायता और 60.45 करोड़ रुपये गैर-निधि-आधारित सहायता) का कार्यान्वयन अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार आगे बढ़ा और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी और समय-समय पर समीक्षा की गई।

वित्तीय मोर्चे पर, **NERAMAC** ने वर्ष के दौरान कुल 40.17 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न किया, जिससे 1.27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (**PAT**) प्राप्त हुआ। जबकि कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 63.54% की कमी दर्ज की गई, फिर भी यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्ज कुल राजस्व की तुलना में 50.51%

की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यह पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद से दूसरा सबसे अधिक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष लाभप्रदता बनाए रखी, जिसका शुद्ध लाभ अनुपात 3.43% था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यह 3.71% और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हानि (17.71)% थी। प्रति शेयर आय 40/- रुपये रही और कंपनी की कुल संपत्ति 6.01 करोड़ रुपये हो गई।

NERAMAC कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन, दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने और कंपनी के मामलों की जानकारी को हितधारकों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करने में दृढ़ विश्वास रखता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2023-24 सहित, लगातार तीसरे वर्ष **NERAMAC** का स्कोर 'उत्कृष्ट' रहा।

पिछले तीन वर्षों में कंपनी का प्रदर्शन उल्लेखनीय और प्रगतिशील रहा है। चल रही परियोजनाएँ और रणनीतिक पहल इस बात की पुष्टि करती हैं कि निगम विकास पथ पर अग्रसर है और पुनरुद्धार योजना के तहत निर्धारित मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ **NERAMAC** की दीर्घकालिक स्थिरता को प्राप्त करने के लिए आश्वस्त है।

Sd/-

अंगशुमन डे

अध्यक्ष

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या.	रिपोर्टों/ विवरण	पृष्ठ सं.
1	42वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक की सूचना	128-129
2	निदेशकों की रिपोर्ट	130-142
3	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	143-148
5	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	149-153
6	वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	154-196
7	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	197
8	कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र	198-199
9	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	200-249
10	वित्तीय विवरण और खातों के लिए नोट्स	250-276

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 42वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 15 जुलाई, 2025 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय नेरामेक कॉम्प्लेक्स, पंजाबी रोड (सिक्स माइल फ्लाईओवर के पास), सिक्स माइल, गुवाहाटी-781022, असम में अपराह्न 03:00 बजे 42वीं वार्षिक आम बैठक के निम्नलिखित अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

मद संख्या 1: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और निदेशक की रिपोर्ट और उस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना:

सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करें।

“संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2024 तक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और उस पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर **C&AG** की टिप्पणियों के साथ, एतदद्वारा प्राप्त किए जाएं, उन पर विचार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

NERAMAC Ltd

Sd/

संजीव कुमार राय

कंपनी सचिव

दिनांक: 20.06.2025

स्थान: गुवाहाटी

नोट

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त सदस्य, स्वयं के स्थान पर मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2. प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला दस्तावेज, प्रभावी होने के लिए, विधिवत भरा हुआ, हस्ताक्षरित और मुहरबंद होना चाहिए और बैठक शुरू होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। इस सूचना के साथ एक रिक्त प्रतिनिधि प्रपत्र संलग्न है।

प्रति

1. भारत के राष्ट्रपति।

श्री अंशुमान डे, भारतीय विदेश सेवा

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय,

जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल,

पंडारा पार्क, इंडिया गेट,

नई दिल्ली-110003।

ईमेल: angshuman.dey@nic.in

2. सचिव,

पूर्वोत्तर परिषद।

एनईसी सचिवालय, नया कार्यालय परिसर,

नॉनग्रिम हिल्स, शिलांग-793003, मेघालय,

ईमेल: sect-nec-meg@nic.in

3. उप सचिव,

उत्तर पूर्वी परिषद

एनईसी सचिवालय, नया कार्यालय परिसर

नॉनग्रिम हिल्स, शिलांग-793003, मेघालय

ईमेल: muong.gangte@gov.in

4. निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर

5. मेसर्स डी पटवारी एंड कंपनी, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक @
dpatwaryandco@gmail.com

सदस्यों को,
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
राजबारी पथ, जी.एस. रोड, गणेशगुड़ी, गुवाहाटी-781005, असम।

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ कंपनी की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।


1. वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित खातों के आधार पर कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे प्रस्तुत किया गया है:

विवरण	2023-24 (.₹)	2022-23 (.₹)
परिचालन से राजस्व	372,231,000/-	9,66,627,000
अन्य आय	29,476,000/-	1,35,426,000
कुल राजस्व	401,707,000/-	1,102,053,000
संचालन व्यय	371,976,000/-	104,90,09,000
स्थिर और प्रशासनिक व्यय		
वित्त लागत और मूल्यहास	3,68,56,000/-	3,16,25,000
	1,014,000/-	2,495,000
कुल व्यय	409,846,000/-	108,31,29,000/-
असाधारण और अपवादात्मक मदों से पहले लाभ	(8,139,000)/-	1,89,24,000/-
असाधारण मदें	22,000,000/-	2,49,95,000/-
असाधारण मदें	3,407,000/-	(11,25,000)/-
वर्ष के लिए लाभ (कर से पहले)	17,268,000/-	4,27,94,000/-
कर व्यय		
वर्तमान कर		
स्थगित कर	4,490,000/-	0.00
मेट	0.00	0.00
	0.00	0.00
		69,07,618/-
कर के बाद लाभ	12,778,000	35,886,382/-

2. वर्ष के दौरान कंपनी के कामकाज का संक्षिप्त विवरण/कंपनी की स्थिति।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 1.72 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ (असाधारण और अपवाद मदों के साथ समायोजन के बाद) के साथ कुल 40.17 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है और कर के बाद लाभ 1.27 करोड़ रुपये है। जबकि व्यवसाय संचालन से राजस्व 96.66 करोड़ रुपये के पिछले राजस्व के मुकाबले 37.22 करोड़ रुपये है।



वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यावसायिक परिचालन से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के राजस्व की तुलना में 61.49% कम है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कम राजस्व का मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में राज्य सरकारों से कृषि-इनपुट आपूर्ति आदेशों की कम संख्या थी। हालाँकि, कम राजस्व के साथ, आपका निगम लगातार दूसरे वर्ष शुद्ध लाभ अर्जित करने में सफल रहा है।

वर्ष के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों की मुख्य विशेषताएँ

क. कृषि-बागवानी उत्पादों की खरीद: अन्नानास, एवोकैडो, काला चावल, काजू, बड़ी इलायची, दालचीनी, मक्का और काली मिर्च आदि जैसे 427 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादों की खरीद और विपणन अपने अम्ब्रेला ब्रांड 'एनई फ्रेश' के तहत किया गया। उपरोक्त के अलावा, उद्यमियों और एफपीओ/एफपीसी को कई बाजार संपर्क भी प्रदान किए गए।

ख. नेरामेक के पास खुदरा क्षेत्र में 150 से अधिक उत्पादों की उत्पाद टोकरी है।

- 30 संख्यक स्थानीय उद्यमी/एमएसएमई अपने प्रसंस्कृत उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन के लिए नेरामेक से जुड़े हैं।

7 शहरों/कस्बों में नेरामेक के 12 स्टॉल/खुदरा दुकानों के माध्यम से खुदरा उत्पादों का विपणन किया गया। इनमें एक स्टेशन एक उत्पाद (OSOP) के तहत कामाख्या और दीमापुर रेलवे स्टेशन पर एक-एक स्टॉल शामिल है। और बांग्लादेश की सीमा से लगे त्रिपुरा में एकीकृत चेक पोस्ट पर दो कियोस्क खोले गए।



नेरामेक की उत्पाद टोकरी



नेरामेक का OSOP स्टॉल

ग. राज्य सरकारों की ओर से कृषि-इनपुट और रोपण सामग्री की आपूर्ति - वर्मी कम्पोस्ट, जैव-उर्वरक, राइजोम, कृषि-छाया जाल आदि जारी है।

घ. कार्यान्वयन एजेंसी

- भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 10000 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के अंतर्गत पूर्वोत्तर में एफपीओ का गठन एवं संवर्धन। पूर्वोत्तर में 19,000 से अधिक किसानों को कवर करते हुए 208 एफपीओ का गठन किया गया है।
- असम सरकार के राज्य बांस विकास एजेंसी (एसबीडीए) की बांस रोपण परियोजना: असम के तीन जिलों में 900 मुख्यालय में 3.30 लाख पौधे और 750 किसान लाभार्थियों के साथ वृक्षारोपण पूरा हो चुका है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि-बागवानी उत्पादों का जी.आई. पंजीकरण: वर्ष के दौरान, नेरामेक ने सभी 13 जी.आई. पंजीकृत कृषि-बागवानी उत्पादों के लिए पूर्वोत्तर के 1308 किसानों के उपयोगकर्ता प्राधिकरण पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है, जिनका जी.आई. पंजीकरण नेरामेक द्वारा सुगम बनाया गया था। यह गतिविधि पूर्वोत्तर के लिए कई मायनों में अनूठी थी और इसमें सक्रिय भागीदारी देखी गई। इसमें उत्पादकों, राज्य विभाग के अधिकारियों और राज्यों के कृषि/बागवानी मंत्रियों की भागीदारी होगी।



- बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर), असम में 5 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना: बीटीआर, असम से प्राप्त निधि से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, असम में नेरामेक द्वारा पांच समकालीन प्रौद्योगिकी कोल्ड स्टोरेज संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
- नेरामेक ने उत्तर पूर्व परिषद से निधि समर्थन के साथ आइजोल, मिजोरम में ड्रैगन फ्रूट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना और एनबीसीएफडीसी से निधि समर्थन के साथ डिब्रूगढ़, असम में असम नींबू के लिए एक लघु प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की परियोजना को भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। जो को एनबीसीएफडीसी से वित्तीय सहायता मिली है।

ड. कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण

भारत सरकार की पीएमकेवीवाई 4.0 योजना के तहत, नेरामेक किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए उनकी उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाणन आयोजित करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्ष के दौरान कवर किए गए क्षेत्र:

- कृषि-बागवानी और कृषि-संबद्ध
- खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण
- रबर क्षेत्र

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2023-24 के दौरान 7900 से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिला है।



कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

च. कार्यक्रम

वर्ष के दौरान नेरामेक ने 17 कार्यक्रमों में भाग लिया/आयोजित किया, जिसमें लगभग 2000 किसान/उद्यमी शामिल हुए।

3. प्रसंस्करण संयंत्रों का पुनरुद्धार:

वर्ष के दौरान, अगरतला में नेरामेक के काजू प्रसंस्करण संयंत्र (सीपीपी) को उत्तर पूर्व परिषद से निधि समर्थन के साथ चालू किया गया और मेघालय के बर्नीहाट में एकीकृत अदरक प्रसंस्करण संयंत्र (IGPP) को PPP मोड के तहत पुनर्जीवित किया गया है।

काजू प्रसंस्करण इकाई(CPP)अगरतला ने 17.09.2023 से उत्पादन शुरू कर दिया, जबकि अदरक प्रसंस्करण संयंत्र (IGPP) को संयंत्र को वर्ष के दौरान PPP भागीदार को सौंप दिया गया। PPP भागीदारों द्वारा नई मशीनरी के नवीनीकरण और स्थापना का काम शुरू किया गया।

वित्त वर्ष 2023-24 (17.09.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान CCP अगरतला का भौतिक प्रदर्शन

उत्पादन	मात्र (किलो में)	विक्री दर (अधिकतम)
काजू होल ग्रेड 1	1520	529.07
काजू होल ग्रेड 1	128	524.14
काजू जेएस	1105	432.25
काजू जेएस	721.85	377.56

4. भारत सरकार द्वारा पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा

भारत सरकार ने 18 अगस्त, 2021 को नेरामेक के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की। पैकेज में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

क. निधि आधारित सहायता: निम्नलिखित गतिविधियों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान 2 किस्तों में 17.00 करोड़ रुपये का नया अनुदान जारी किया जाएगा, जो मोटे तौर पर 2/3: 1/3 अनुपात में होगा:

शीर्षक	रु.कोड़ो में
नियमित कर्मचारियों के लिए सेचवीक सेवी निवृत्ति हेतु धनराशि	4.96
कार्यशील पूंजी सहायता	6.36
संचालन का समर्थन	2.20
कंप्यूटर और ईआरपी सिस्टम, ईकॉमर्स पोर्टल-	2.23
अन्य वैधानिक बकाया, प्रतिबद्ध और चालू देयताएँ	1.25
कुल	17.00

ख. गैर-निधि आधारित सहायता:

Heads	रु.कोड़ो में
भारत सरकार के बकाया ऋण)31.03.2021 तकको कंपनी के इक्विटी (शेयरों में परिवर्तित करना	28.23
भारत सरकार के बकाया ऋण पर 30.09.तक की गणना किए गए 2021 ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालना	32.22
कुल	60.45

ग. बकाया दीर्घकालिक उधारों को इक्विटी में रूपान्तरण करने के लिए निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को 10.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60.00 करोड़ रुपये किया गया।

5. वर्ष के दौरान पुनरुद्धार पैकेज का कार्यान्वयन:

क. 17.00 रुपये के निधि आधारित समर्थन के तहत, नेरामेक को फरवरी, 2022 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 11.33 करोड़ रुपये की दो-तिहाई राशि और मार्च 2023 में 5.67 करोड़ रुपये की शेष एक-तिहाई राशि प्राप्त हुई।

ख. निगम के 21 नियमित कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना को निदेशक मंडल द्वारा 10.03.2022 को आयोजित अपनी 141वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। स्वीकृत योजना 01.04.2022 को पात्र कर्मचारियों से वीआरएस के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए शुरू की गई थी। कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए और 31.05.2022 से उन सभी को पुनरुद्धार पैकेज के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई।

ग. खरीद मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल और मानव संसाधन प्रबंधन के साथ ईआरपी अगस्त, 2022 से लागू किया गया।

घ ई-कॉमर्स पोर्टल 'एनई फार्म हब' 14.12.2023 को लॉन्च किया गया।

ड. वैधानिक बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान: इस रिपोर्ट की तिथि तक 1.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

च. गैर-निधि आधारित समर्थन के तहत, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(4) के अनुसार 28.23 करोड़ रुपये के बकाया भारत सरकार के कार्यशील पूंजी ऋण को 26.11.2021 से कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया और कंपनी की अधिकृत पूंजी भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(6) के अनुसार 10.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 38.23 करोड़ रुपये हो गई।

छ. भारत सरकार द्वारा घोषित पुनरुद्धार पैकेज के अनुपालन में, 30.11.2021 को आयोजित 39वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61(1)(ए) के अनुसार कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 38.23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ज. 32.22 करोड़ रुपये के ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालने के संबंध में, राशि को 'रिजर्व और अधिशेष' में स्थानांतरित कर दिया गया है।

6. लाभांश

यद्यपि निगम ने वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया है, तथापि, 31.03.2024 तक निगम को 62.02 करोड़ रुपये का संचित घाटा हुआ है, इसलिए निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं करता है। इस संबंध में, आपके निगम ने डीपीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु दीपम, वित्त मंत्रालय से छूट भी प्राप्त कर ली है।

7. सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 1.27 करोड़ रुपये के कर के बाद लाभ की पूरी राशि पिछले वर्ष के संचित घाटे के विरुद्ध सेट-ऑफ करने के लिए आरक्षित और अधिशेष शीर्षक के तहत लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दी गई।

8. शेयर पूंजी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 31.03.2024 को अधिकृत शेयर पूंजी 60.00 करोड़ रुपये थी, जो 1000 रुपये प्रति शेयर के 6,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित थी।

हालांकि, पुनरुद्धार पैकेज के तहत, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी अधिनियम की धारा 62(6) के अनुसार 26.11.2021 को 28,230,000 रुपये के बकाया भारत सरकार के ऋण को इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित करने पर 10,000,000 रुपये से बढ़कर 3,82,300,000 रुपये हो गई। बाद में 30.11.2021 को अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के आधार पर, अधिकृत शेयर पूंजी 3,82,300.000 रुपये से बढ़कर 3,82,300.000 रुपये हो गई। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61(1)(ए) के अनुसार 600,000,000/-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। 31.03.2024 को चुकता शेयर पूंजी 35.85 करोड़ रुपये थी, जिसे 1000/- रुपये के 3,58,500 में विभाजित किया गया था।

हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनरुद्धार पैकेज के तहत, भारत सरकार के बकाया ऋण के 28,23,00,000/- रुपये को इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित करने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(4) के अनुसार 26.11.2021 को भारत सरकार को 2,82,300 इक्विटी शेयर जारी किए गए। इसलिए, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रुपये से बढ़कर 2,82,300 रुपये हो गई। 7,62,00,000/- से रु. 35,85,00,000/- तक।

9. वार्षिक रिटर्न की प्रति

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न की प्रति www.neramac.com/annual-return पर उपलब्ध है

10. वर्ष के दौरान नियुक्त या त्यागपत्र देने वाले निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण।
आपकी कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए निदेशक मंडल में सभी नियुक्तियाँ और समाप्ति केवल भारत सरकार (प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से) द्वारा की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित नियुक्तियाँ/समाप्ति की गई:

क. श्री सौरभ एंडले, सरकार द्वारा नामित निदेशक और बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति 21.07.2023 से समाप्त, डोनर मंत्रालय के आदेश संख्या **NERMAC-17/1/2020-O/o US (NERAMAC)** दिनांक 21.08.2023 के तहत।

ख. श्री अंगशुमान डे, संयुक्त सचिव, डोनर की सरकार द्वारा नामित निदेशक और बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 21.08.2023 से नियुक्ति, डोनर मंत्रालय के आदेश संख्या **NERMAC-17/1/2020-O/o US (NERAMAC)** दिनांक 21.08.2023 के तहत।

ग. श्री उमेश कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक की नियुक्ति 26.03.2024 से समाप्त, डोनर मंत्रालय के आदेश संख्या **नेरामेक-11/2/2017-ओ/ओ यूएस (एनईसी)-भाग (1)** दिनांक 27.06.2024।

घ. श्री राजेंद्र प्रसाद गुरुंग और श्री राजन लोहिया, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की समाप्ति, जो कि डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अधिकतम कार्यकाल पूरा होने पर 11.03.2024 से प्रभावी होगी, जैसा कि डोनर मंत्रालय आदेश संख्या **नेरामेक-15/6/2023-अवर सचिव (ए)** दिनांक 11.03.2024 के अनुसार है।

11. बोर्ड और इसकी समिति की बैठकों की संख्या

इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण अनुलग्नक -क में किए गए हैं।

12. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया है और कोई गारंटी नहीं दी है और कोई निवेश नहीं किया है।

13. धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्था का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत आने वाले किसी भी अनुबंध और व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है।

14. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

15. उन कम्पनियों के नाम जो वर्ष के दौरान सहायक कम्पनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनियां बन गई हैं या नहीं रह गई हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई भी कंपनी नेरामेक की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी नहीं बनी या बनना बंद नहीं हुई।

16. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन, यदि कोई हों, जो समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्टिंग की तिथि के बीच हुए हों। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्टिंग की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुए।

17. अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण कंपनी ने अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली किसी भी जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत नहीं किया है।

18. विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश का विवरण जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करता है रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान, किसी भी विनियामक या न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करता हो।

19. जोखिम प्रबंधन प्रणाली

निदेशक मंडल ने 24.03.2023 को आयोजित अपनी 147वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी। स्वीकृत नीति 17.05.2023 से लागू कर दी गई है। जोखिम प्रबंधन नीति की प्रति कंपनी की वेबसाइट <https://www.neramac.com/codes-and-policies> पर उपलब्ध है।

स्वीकृत नीति के अनुसार, 17.05.2023 से एक कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (CRMC) का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक करते हैं और विभागाध्यक्ष समिति के सदस्य होते हैं। सीआरएमसी अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने, कंपनी में जोखिम प्रबंधन की स्थिति को आकलन करने, शमन उपाय की सिफारिश करने, चिंता वाले क्षेत्रों पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर सीआरएमसी की बैठकें आयोजित की गईं:

बैठक संख्या बैठक की तिथि

बैठक की संख्या	बैठक की तिथि
पहली सीआरएमसी बैठक	28.07.2023
दूसरी सीआरएमसी बैठक	20.10.2023
तीसरी सीआरएमसी बैठक	16.02.2024

20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है। सभी वित्तीय निर्णय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से मुख्यालय में केंद्रीय रूप से लिए जाते हैं। भारत सरकार के निर्धारित वित्तीय दिशा-निर्देशों का विधिवत पालन किया जाता है।

हर साल आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है और आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान, चूंकि कंपनी का टर्नओवर/नेट वर्थ/नेट प्रॉफिट अधिनियम की धारा 135 के तहत निर्धारित सीमा से कम था, इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।

22. कॉर्पोरेट प्रशासन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश के अनुसार तैयार कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है

23. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है और अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न है।

24. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स डी. पटवारी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियाँ

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का प्रबंधन द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया है और प्रबंधन का उत्तर अनुलग्नक-सी के रूप में संलग्न है।

25. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) ने 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। C&AG की टिप्पणियाँ अनुलग्नक-D के रूप में संलग्न हैं

26. धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

27. अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पक्ष लेन-देन समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत आने वाले किसी भी अनुबंध और व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है।

28. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय
ऊर्जा संरक्षण
आपकी कंपनी ने अपने स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है।

प्रौद्योगिकी अवशोषण
रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी अवशोषण की ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय
रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई विदेशी मुद्रा आय और व्यय नहीं है।

29. राजभाषा का कार्यान्वयन
नेरामेक ने गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार 'हिंदी' को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने और कार्यान्वयन के लिए लगातार सर्वोत्तम प्रयास किए हैं। नेरामेक 'क्षेत्र सी' के लिए आधिकारिक संचार में 'हिंदी' के उपयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करता है।
नेरामेक अपने कर्मचारियों के लिए हर तिमाही में आंतरिक हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है और क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयोजित ऐसी कार्यशालाओं में भी भाग लेता है। कर्मचारियों के लिए 'आज का शब्द' के माध्यम से हिंदी सीखने की जानकारी प्रतिदिन डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है। वर्ष के दौरान 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ भी आयोजित किया गया है। हिंदी पखवाड़ा के दौरान, 'टिप्पणी लेखन' (नोट शीट लेखन), 'पत्र लेखन', 'कविता लेखन' आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।
नेरामेक को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्वजनिक उपक्रम), गुवाहाटी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

30. सतर्कता तंत्र और कार्यान्वयन
नेरामेक प्रभावी सतर्कता प्रशासन को बढ़ावा देता है और भ्रष्ट और अनैतिक प्रथाओं के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। भ्रष्ट/अनैतिक प्रथाओं की रोकथाम, नियंत्रण और पता लगाने के लिए डीपीई और सीवीसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को समय-समय पर लागू किया जाता है।

श्री इबोइमा मीतेई, सलाहकार, बागवानी, उत्तर पूर्व परिषद और बोर्ड सदस्य, नेरामेक को डोनर मंत्रालय द्वारा 20.12.2020 से नेरामेक का अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) नियुक्त किया गया है।

नेरामेक भारत सरकार द्वारा 16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023 तक घोषित सतर्कता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस अवधि के दौरान प्रतिज्ञा लेना, वॉकथॉन, पीआईडीपीआई पोस्टर का प्रदर्शन जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। नेरामेक कर्मचारियों ने डोनर मंत्रालय द्वारा आयोजित पीआईडीपीआई कार्यशाला में भी भाग लिया।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सी.वी.सी. के अंतर्गत कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के तहत तंत्र:

नेरामेक ने अधिनियम/डीओपीटी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित आरटीआई तंत्र स्थापित किया है। कंपनी सचिव को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रबंध निदेशक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट <https://www.neramac.com/files/mandatory-disclosures.pdf> पर उपलब्ध हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों/अपीलों की संख्या:

		31.03.2024 तक प्राप्त	निपटाई गई अपीलों की संख्या	
प्राप्त आवेदनों की संख्या सीधे एवं अन्य) (पी.ए. से अग्रेषित		प्राप्त अपील की संख्या	31.03.2024 तक निपटारा कर दिया गया	
			आरटीआई	आवेदन
26		01	17	01

शेष 09 आवेदनों का निपटारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अप्रैल 2024 में किया जाएगा।

32. सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल से की गई खरीदारी:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जीईएम से 6.86 लाख रुपये मूल्य का सामान खरीदा गया तथा जीईएम से 1.06 करोड़ रुपये की सेवाएं प्राप्त की गईं।

33. 31.03.2024 तक आकस्मिक देयताएं:

क्र. सं.	लेनदार	दावा की गई राशि	देयताएँ	प्रदान की गई आकस्मिक देयताएँ	कानूनी स्थिति
1	सोभाग्य एडवरटाइजिंग, कोलकाता	1990,000/-	1,262,000/-	7,28,000/-	विचाराधीन
2	मेसर्स हार्वेल अगुआ प्राइवेट लिमिटेड	3,998,093	1,224,000/-	27,74,093/-	विचाराधीन
3	मेसर्स आर एंड जेड डिस्ट्रीब्यूटर	8,004,000/-	0.00	8,004,000/-	विचाराधीन
4	रत्नागिरी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	41,492,000/-	18,725,000/-	22,767,000/-	विचाराधीन
5	सिलचरट फ्रू-प्लांट की मल्टी-प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एआईडीसी पट्टा किराया 20.10.को सौंप दिया 2020 गया।	3,646,000/-	0.00	3,646,000/-	कोई कानूनी मामला लंबित नहीं है। हालाँकि, छूट का अनुरोध विभाग को प्रस्तुत किया गया है

6	वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-के दौरान 17 अधिनियम कंपनी, की 2013 धारा 96 का अनुपालन न करने पर एनसीएलटी, गुवाहाटी पीठ द्वारा जुर्माना लगाया गया।	19,36,000/-	0.00	19,36,000/-	जुर्माना माफ करनेकम करने के / लिए एनसीएलटी, दिल्ली बेंच में अपील दायर की गई।
कुल		60,60,2,000/-	24,857,000/-	39,855,093/-	-

*मध्यस्थ के समक्ष दायर नवीनतम दावे में, रत्नागिरी ने 15.65 करोड़ रुपए (आपूर्ति के दावे के लिए 4.15 करोड़ रुपए, 16.03.2015 से 18% ब्याज के लिए 7.10 करोड़ रुपए, लाभ की हानि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए 4.14 करोड़ रुपए और 0.25 करोड़ रुपए) का दावा किया।

34. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के पास कोई भी कर्मचारी नहीं था, जिसका विवरण कंपनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) एवं (3) के अंतर्गत दिया जाना आवश्यक है।

35. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।

36. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के तहत अपेक्षित अनुसार, निदेशकगण इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2024 को कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
3. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
4. निदेशकों ने वार्षिक लेखा चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से काम कर रही थी।

37. लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, इसलिए कोई लागत अभिलेख नहीं रखा जाता।

38. धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं हुई/रिपोर्ट नहीं की गई।

हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रबंधन और लेखा परीक्षक ने पूर्व कर्मचारी राहुल भट्टाचार्य द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान त्रिपुरा क्षेत्रीय कार्यालय में 11.98 लाख रुपये की धोखाधड़ी की रिपोर्ट की है, जिसमें कंपनी के बैंक खातों में अनधिकृत निकासी और जमा करके और मुख्यालय में जाली बैंक स्टेटमेंट जमा करके धोखाधड़ी की गई है। मामले में, प्रबंधन ने तुरंत श्री राहुल भट्टाचार्य के खिलाफ ए.डी. नगर पुलिस स्टेशन, पश्चिम त्रिपुरा में एफआईआर दर्ज कराई। हाल ही में, प्रबंधन ने पैसे की वसूली के लिए श्री राहुल भट्टाचार्य के खिलाफ पश्चिम त्रिपुरा के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) में मनी सूट 110/2024 भी दायर किया है।

आभार

आपके निदेशक इस अवसर पर शेयरधारकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने नेरामेक पर भरोसा बनाए रखा है तथा उसे अपना समर्थन दिया है। आपके निदेशक कंपनी के बैंकों को उनकी सहायता, सहयोग और प्रोत्साहन के लिए तथा डीलरों, व्यावसायिक सहयोगियों को उनके निरंतर समर्थन और अथक प्रयासों के लिए तथा वर्ष के दौरान कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करने में निगम के कर्मचारियों को अपना हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से
नेरामेक लिमिटेड

Sd/-

कायियो कायिना थ.

प्रबंध निदेशक

DIN: 10946847

Sd/-

एम. इबोयाइमा मेइतेई

प्रबंध निदेशक

DIN: 08220500

दिनांक: 19.06.2025

स्थान: गुवाहाटी/शिलांग

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का दर्शन

कॉर्पोरेट शासन पर आपकी कंपनी का दर्शन अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने और अपने हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करता है। आपकी कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट शासन केवल नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है, बल्कि अपने हर प्रयास में पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का निर्माण भी करता है। अच्छे शासन सिद्धांतों का अभ्यास करने की हमारी प्रतिबद्धता में, हम निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं:

- ✓ पारदर्शिता
- ✓ प्रतिबद्धता
- ✓ जवाबदेही
- ✓ नैतिक आचरण
- ✓ हितधारकों के हितों की रक्षा करना

2. निदेशक मंडल और उनकी समितियाँ

नेरामेक के बोर्ड में ऐसे निदेशक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास निगम के मुख्य व्यवसाय के क्षेत्र में या प्रबंधन/प्रशासन/वित्त/शासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता है। वर्ष के दौरान, बोर्ड में छह सदस्य होते हैं, हालांकि स्वतंत्र निदेशकों की अधिकतम अवधि पूरी होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाने और मंत्रालय से मुक्त होने पर सरकार द्वारा नामित निदेशकों में से एक के समाप्त हो जाने के बाद, वित्तीय वर्ष के अंत में निदेशक मंडल की संख्या घटकर केवल तीन सदस्य रह गई।

क. निदेशक मंडल

1. निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल में एक कार्यात्मक निदेशक, एक सरकारी निदेशक और उत्तर पूर्वी परिषद का एक प्रतिनिधि शामिल है, 31.03.2024 तक बोर्ड में कुल तीन निदेशक हैं। दो स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं, डीपीई की स्वीकृति से स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। जबकि, श्री उमेश कुमार सरकारी निदेशक की नियुक्ति समाप्त होने के कारण हुई रिक्ति को 27.06.2024 से प्रभावी श्री सिलभद्र दास, उप सचिव की नियुक्ति के माध्यम से दाखिल किया गया है।

2. बोर्ड मीटिंग की संख्या

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मंडल की बैठक निम्नलिखित तिथियों पर चार बार आयोजित की गई :

क्र. सं.	बैठक की संख्या	बैठक की दिनांक
1.	148वीं बोर्ड बैठक	30/06/2023
2.	वीं (आकस्मिक) बोर्ड बैठक 149	31/08/2023
3.	150वीं बोर्ड बैठक	20/12/2023
4.	151वीं बोर्ड बैठक	27/03/2024

कंपनी के निदेशकों की सूची निम्नलिखित है, जिसमें उनकी श्रेणियां तथा कंपनी की बोर्ड बैठक में उनकी उपस्थिति दर्शाई गई है:

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	नियुक्ती दिनांक	आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या
1	श्री अंशुमान दे	नामित निदेशक	21/08/2023	03	03
2	कमोडर राजीव अशोक	कार्यपालक	03/07/2022	04	04
	श्री राजेंद्र प्रसाद गूरुंग	स्वतंत्र गैरकार्यकारी-	12/09/2013	03	02
4	श्री राजन लोहिया	स्वतंत्र गैरकार्यकारी-	12/09/2013	03	00
5	श्री एम आई मेईटी	नामित निदेशक (एनईसी प्रतिनिधि)	11/11/2013	04	03
6	श्री उमेश कुमार	नामित निदेशक	20/10/2021	03	02

1. श्री अंशुमान डे को 21.08.2023 से श्री सौरभ एंडले के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक और अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
2. श्री राजेंद्र प्रसाद गुरुंग और श्री राजन लोहिया स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति उनके अधिकतम कार्यकाल के पूरा होने पर 11.03.2024 से समाप्त हो गई।
3. श्री उमेश कुमार, सरकारी नामित निदेशक की नियुक्ति उनके डोनर मंत्रालय से मुक्त होने पर 26.03.2024 से समाप्त हो गई।

3. नए निदेशकों की नियुक्ति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री अंशुमान डे, आईएफएस, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) में संयुक्त सचिव को श्री सौरभ एंडले के स्थान पर 21.08.2023 से निदेशक मंडल का निदेशक और अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

4. आचार संहिता

कंपनी व्यवसाय नैतिकता के उच्चतम मानक के अनुसार व्यवसाय संचालित करने और लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पारिश्रमिक

हमारी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति (डोनर मंत्रालय को सौंपी गई दायित्व के अनुसार) द्वारा तय किया जाता है। इसलिए, बोर्ड निदेशकों के पारिश्रमिक का फैसला नहीं करता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल बैठने की फीस का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक निदेशक मंडल और इसकी समिति की बैठक के लिए 1500/- रुपये।

कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। वर्ष के दौरान, प्रबंध निदेशक कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक के नाम	वेतन एवं भत्ते और मेडिकल(.एलटीसी) की प्रतिपूर्ति (₹)
कमोडोर राजीव अशोक(अव.प्राप्त)	40,79,742/-

ख. बोर्ड की समितियाँ

ज़िम्मेदारियों और निर्णय लेने को सुचारू रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए, बोर्ड ने एक ऑडिट समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है, जिसके पास वित्त, कानूनी, लेखा, विपणन आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव है। हालाँकि, नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण 27.03.2024 से निदेशक मंडल द्वारा ऑडिट समिति को भंग कर दिया गया है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड की ऑडिट समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में होना चाहिए। नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डोनर) को अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर ऑडिट समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

3. लेखापरीक्षा समिति

कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है। समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं और उन्हें लेखा या उससे संबंधित अच्छा ज्ञान है। हालाँकि, 27.03.2024 से लेखापरीक्षा समिति को भंग कर दिया गया है क्योंकि मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति उनके अधिकतम कार्यकाल के पूरा होने पर समाप्त हो गई थी। नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

क. संदर्भ की शर्तें

ऑडिट समिति की संदर्भ की शर्तें डीपीई दिशा-निर्देशों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, संदर्भ की शर्तों का सार इस प्रकार है :

क. ऑडिट समिति को किसी भी गतिविधि की जांच करने, किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगने और जब भी समिति द्वारा उचित और उचित समझा जाए, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने की शक्ति है।

ख. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

ग. बोर्ड को ऑडिटर द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए ऑडिट फीस और अन्य भुगतानों के निर्धारण की सिफारिश करना।

घ. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

च. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना।

छ. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना, यदि वह मौजूद है।

ज. सीएजी ऑडिट की ऑडिट टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

झ. लेखा परीक्षा समिति को वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण, आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण की समीक्षा करने का अधिकार है।

ख. संरचना

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद गुरुंग द्वारा की जाती है, जो एक स्वतंत्र निदेशक भी हैं और लेखा परीक्षा समिति में तीन सदस्य होते हैं, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक और एक गैर-कार्यकारी सरकारी नामित व्यक्ति होते हैं।

ग. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की निम्नलिखित तिथियों पर चार बार बैठक हुई:

क्र.सं.	बैठक की संख्या	बैठक के दिनांक
1.	31वीं लेखा समिति बैठक	24/06/2023
2.	32वीं (आकस्मिक) लेखा समिति बैठक	07/08/2023
3.	33वीं लेखा समिति बैठक	18/12/2023

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की सूची तथा आयोजित बैठकों में उनकी उपस्थिति:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद	श्रेणी	उपस्थिति
1	श्री राजेंद्र प्रसाद गुरुंग	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	3/3
2	उमेश कुमार	सदस्य	सरकारी नामिती	3/3
3	श्री राजन लोहिया	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	0/3

4. आम सभा की बैठकें

क. वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	वार्षिक आम बैठक/स्थगित वार्षिक आम बैठक की तिथि	दिन एवं समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव का ब्यौरा, यदि कोई हो
1.	2020-21 (39वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक)	12.07.2023	बुधवार 10:30 A.M.	पंजीकृत कार्यालय, 9 राजबारी पथ, गणेशगूरी, जी एस रोड, गुवाहाटी, वी सी के जरिए.	शुण्य
2.	2022-23 41 वीं वार्षिक आम बैठक)	27.12.2023	बुधवार 11:00 A.M.	पंजीकृत कार्यालय, 9 राजबारी पथ, गणेशगूरी, जी एस रोड, गुवाहाटी, वी सी के जरिए.	शुण्य
3.	2021-22 40 वीं स्थगित बैठक	29.01.2024	सोमवार 03:00 P.M.	पंजीकृत कार्यालय, 9 राजबारी पथ, गणेशगूरी, जी एस रोड, गुवाहाटी,	शुण्य

ख. असाधारण आम बैठक।

वित्तीय वर्ष के दौरान 12.07.2023 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वी.सी. मोड के माध्यम से असाधारण आम बैठक आयोजित की गई है।

5. प्रकटीकरण

प्रमोटरों या निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं हुआ, जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव की संभावना हो। कंपनी कानून के प्रावधानों और विनियामक प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विशेष रूप से शामिल रही है।

6. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम और अन्य जानकारी इसकी वेबसाइट www.neramac.com पर उपलब्ध है।

7. लेखापरीक्षा योग्यताएँ

अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों का प्रबंधन द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया है और इसे इस रिपोर्ट के अनुलग्नक- ग के रूप में संलग्न किया गया है।

8. कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

डोनर वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए डोनर ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 'उत्कृष्ट' स्कोर किया।

9. प्रकटीकरण और अनुपालन

क. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं हुआ, जो कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।

ख. वर्ष के दौरान, कोई भी ऐसा व्यय नहीं हुआ जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

ग. वर्ष के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 8.99% थे।

घ. कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी को ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

10. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या कंपनी के आचरण या नैतिकता नीति पर सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए "व्हिसल ब्लोअर नीति" तैयार की। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट www.neramac.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल की ओर से

नेरामेक लिमिटेड

Sd/-

कायियो कायिना थ.

प्रबंध निदेशक

DIN: 10946847

Sd/-

एम. इबोयाइमा मेइतेई

प्रबंध निदेशक

DIN: 08220500

दिनांक: 19.06.2025

स्थान: गुवाहाटी/शिलांग

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग संरचना एवं विकास:

कृषि इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय होने के कारण, **NERAMAC** इस व्यवसाय को अधिकतम पहुँच प्रदान करने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेष रूप से, इस क्षेत्र का बागवानी क्षेत्र व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा है और इसमें विकास की अपार संभावनाएँ हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र (**NER**) की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ अनानास, कटहल, संतरा, नींबू, मिर्च, अदरक जैसी अच्छी गुणवत्ता वाली कृषि-बागवानी उपज और कीवी, पैशन फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट जैसे कुछ विदेशी फलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं।

अनानास उत्पादन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का 72.3% और भारत के अनानास उत्पादन का 54.5% उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। भारत के संतरे के उत्पादन में 10% उत्तर पूर्वी क्षेत्र का योगदान है। देश में कुल कटहल उत्पादन में से लगभग 23.6% का योगदान दो उत्तर पूर्वी राज्य असम और त्रिपुरा का है, 300,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ त्रिपुरा देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र लगभग 226 हजार टन का उत्पादन करता है जो भारत के कुल नींबू उत्पादन का लगभग 9% है। अदरक प्रमुख कृषि फसल है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लगभग सभी आठ राज्यों में उगाई जाती है, इस क्षेत्र में भारत के अदरक उत्पादन का 24.1% हिस्सा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र नागा किंग मिर्च और चेरी काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है

प्रचुर संभावनाओं के बावजूद, कई चुनौतियाँ हैं जो उद्योग के विकास में बाधा डालती हैं, जैसे कृषि भूमि का दूरस्थ होना, पहाड़ी इलाके, उचित बुनियादी ढाँचे का अभाव, कटाई के बाद प्रबंधन सुविधाओं का अभाव, क्लस्टर-आधारित किसान, फलों और सब्जियों के बाजारों के लिए सुविधाओं का अभाव।

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों/योजनाओं के हस्तक्षेप से उपर्युक्त कई समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत **NERAMAC**, **NER** के कृषि-बागवानी क्षेत्र को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

NERAMAC क्षेत्र के कृषि-बागवानी क्षेत्र में इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के माध्यम से हस्तक्षेप करता है:

क. कृषि-बागवानी उत्पादों का थोक विपणन: ताज़े कृषि-बागवानी उत्पाद थोक में एफपीओ/किसानों से प्राप्त किए जाते हैं और उगाए जाते हैं और विपणन किए जाते हैं।

ख. कृषि-बागवानी उत्पादों की खुदरा बिक्री: प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित कृषि-बागवानी उत्पादों का विपणन खुदरा खंड के अंतर्गत किया जाता है।

ग. कृषि-व्यवसाय: राज्य सरकारों को कृषि-इनपुट और रोपण उपकरण की आपूर्ति करता है।

घ. सरकारी परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के '10000 एफपीओ के गठन और संवर्धन' के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए, राज्य बांस विकास, असम की बांस रोपण परियोजना प्रमुख हैं।

ड. कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण: कौशल विकास कार्यक्रमों और आजीविका प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि-बागवानी और संबंधित क्षेत्र में क्षमता निर्माण और आजीविका सृजन।

च. कार्यक्रम प्रबंधन: क्षेत्र के कृषि-बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों/क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और उनमें भाग लेना।

2. ताकत और कमजोरी

निगम की उपस्थिति क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में है और वह स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली उपज की खरीद कर रहा है और राज्य सरकारों, एफपीओ/एफपीसी, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर क्षेत्र के विभिन्न कोनों में व्यापक संपर्क स्थापित कर रहा है। निगम को क्षेत्र के कृषि-बागवानी क्षेत्र में काम

करने का व्यापक अनुभव है और यह केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है।

निगम के पास अपनी स्वयं की कटाई-पश्चात प्रबंधन सुविधाओं का अभाव, क्लस्टरों का दूरस्थ और पहाड़ी इलाका, बहुत कम संगठित मंडियाँ और बड़े आकार के प्रसंस्करण संयंत्र नहीं हैं।

3. अवसर और खतरे

क्षेत्र के कृषि-बागवानी क्षेत्र में अनेक अप्रयुक्त अवसर मौजूद हैं। चूँकि यह क्षेत्र जैविक खाद्य क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, निगम के पास जैविक खाद्य क्षेत्र में बाज़ार का अग्रणी बनने की सभी संभावनाएँ हैं। जबकि, सरकार की "एक्ट ईस्ट नीति" के तहत, नए उपक्रमों की खोज की जा सकती है और निर्यात प्रोत्साहन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

संभावित खतरे हैं क्षेत्र के कृषि-बागवानी उत्पादों के विपणन में बिचौलियों का अस्तित्व और कॉर्पोरेट समूहों व स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी, भौगोलिक दूरस्थता और क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने की उच्च लागत, कृषि-वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव और उत्पादों के रखरखाव और संरक्षण के लिए उचित बैक-एंड बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण अत्यधिक नाशवान होने के कारण खरीदे गए उत्पादों के जल्दी खराब होने की संभावना।

4. दृष्टिकोण:

भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत एफपीओ/एफपीसी के निर्माण के माध्यम से उत्पादकों/किसानों के औपचारिक समूहीकरण के साथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कृषि-बागवानी क्षेत्र संगठित क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर हुआ। कृषि-बागवानी क्षेत्र के इस औपचारिकीकरण से न केवल खंडित उपज का एकत्रीकरण सुनिश्चित हुआ, बल्कि उपज की थोक बिक्री और थोक प्रसंस्करण/मूल्यांकन संवर्धन के माध्यम से बहुआयामी विपणन की संभावना भी बढ़ी। क्षेत्र में कृषि-बागवानी उपज की अनूठी और विविध उपलब्धता के बावजूद, खंडित उत्पादन ने इस क्षेत्र में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास में हमेशा बाधा उत्पन्न की है। एफपीओ/पीएफसी के अंतर्गत उपज के एकत्रीकरण से निश्चित रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का केंद्र बनाने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। भारत सरकार ने हाल के दिनों में अपनी अनुकूल योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए एक प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। इस दृष्टिकोण के साथ, **NERAMAC** को अपने मध्यम अवधि/दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी संरेखित करना चाहिए, ताकि किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके थोक उत्पादों का स्रोत प्राप्त किया जा सके और उन्हें पैकिंग, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए बाजार में उतारा जा सके, जिससे क्षेत्र के कृषि-बागवानी क्षेत्र का विकास हो सके और निगम का सतत विकास हो सके।

5. जोखिम और चिंताएँ:

कृषि-बागवानी उत्पादों का अत्यधिक अस्थिर बाज़ार और उत्पादों की कम शेल्फ लाइफ इस व्यवसाय क्षेत्र के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। कृषि-बागवानी उत्पादों की दरों के लिए निश्चित व्यवस्था के अभाव में, दरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है, जिसका लाभप्रदता पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, कृषि-बागवानी क्षेत्र की दूरस्थता और पहाड़ी इलाकों के कारण उच्च रसद लागत भी खरीद कार्यों के लाभ मार्जिन को कम करती है।

6. प्रदर्शन:

निगम ने व्यावसायिक संचालन से 37.23 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है और कुल राजस्व 40.17 करोड़ रुपये रहा है। निगम ने 1.27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ भी दर्ज किया है। इसके साथ ही कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष शुद्ध लाभ अर्जित किया है। हालाँकि, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 61.49% कम है। राजस्व में यह कमी मुख्य रूप से राज्य सरकार से कृषि-इनपुट आपूर्ति के कम ऑर्डर के कारण हुई है।

7. उत्पाद-वार प्रदर्शन

क्रम संख्या	उत्पाद	2023-24		2022-2023	
		मात्रा	मूल्य (रुपये)	मात्रा	मूल्य (रुपये)
1.	बड़ी इलायची	3601 kg	30,93,573.68	1392 kg	7,18,928.00
2.	ताज़ा अदरक	12228 kg	8,07,096.00	25204 kg	4,06,144.00
3.	काली मिर्च	4758 kg	21,43,134.34	24947 kg	1,13,44,434.00
4.	काला चावल	6872 kg	8,26,015.21	2214 kg	2,75,767.88
5.	तेज पत्ता	33,117 Kg	12,48,411.40	-	-
6.	ताज़ा अनानास	9007 kg	1,98,154.00	12689 kg	2,73,455.00
7.	सूखा अदरक	10,530 kg	22, 63,950.00	-	-
8.	मक्का/कंद	11,000	1,77,650.00	-	-
9.	ताज़ा एवोकाडो	50 kg	11,000.00	-	-
10.	लाकाडोंग हल्दी	7,384 kg	2,95,360.00	-	-
11.	दालचीनी	4866 kg	10,94,464.62	2500 kg	3,09,523.00
12.	काजू	3484 kg	16,39,080.16	15985 kg	17,30,989.00
13.	ताज़ा तारो	-	-	12094 kg	3,17,401.02
14.	केव अनानास	-	-	1500 kg	32,500.00
16.	हरी मिर्च	12,170 kg	2,37,740.00	6533 kg	1,23,901.00
16.	प्याज	-	-	1000 kg	40,000.00
17.	रॉक बी शहद	29972 kg	9,18,342.00	-	-
18.	राज्य सरकार को कृषि- इनपुट की आपूर्ति (बीज और उर्वरक)	132 kg	1,02,902.98	-	-
19.	प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	-	34,52,33,411.48	-	9,49,742,836.00
			51,56,328.00		4,114,049.00
	कुल (रु.)		36,54,46,613.87		96,94,29,928.00

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप, इन्वेंट्री और अचल संपत्तियों की खरीद और वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के लिए एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। वित्तीय शक्तियाँ मुख्यालय में केंद्रीकृत हैं। कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति और खरीद एवं क्रय समिति भी कंपनी के भीतर आंतरिक नियंत्रण की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 13/12/2011 से स्वतंत्र निदेशकों और स्वतंत्र अध्यक्षों के बहुमत के साथ निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया। लेखा परीक्षा समिति समय-समय पर प्रबंधन के साथ आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा करती है। हालाँकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण 27.03.2024 से कंपनी को भंग कर दिया गया है और लेखा परीक्षा समिति की शक्तियाँ अब निदेशक मंडल को सौंप दी गई हैं। लेखा परीक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर लेखा परीक्षा समिति का तुरंत पुनर्गठन किया जाएगा।

9. भारत सरकार द्वारा पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी:

क. डीपीई के टास्क फोर्स (एमओयू की वार्ता बैठक के दौरान) की सिफारिश के आधार पर मार्च 2015 में एक नए पुनरुद्धार पैकेज की प्रक्रिया शुरू की गई।

ख. 2015-2017 में, NEDFi को MoDONER द्वारा संगठन के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार करने का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट के भाग I और भाग- II की मंत्रालय में जांच की गई। NEDFi की रिपोर्ट ने नए फंड को डालकर और भारत सरकार के बकाया ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करके और अपने नियमित कर्मचारियों के 50% के लिए ब्याज और दंडात्मक ब्याज और वीआरएस को लिखकर NERAMAC के पुनरुद्धार की सिफारिश की।

ग. NEDFi की रिपोर्ट को वर्ष 2018 में IIM, शिलांग द्वारा मान्य किया गया। मान्यकरण रिपोर्ट में मौजूदा मूल्य श्रृंखला की समीक्षा, अनुबंध खेती, ई-कॉमर्स, जीआई संवर्धन आदि की सुविधा जैसी नई पहल को अपनाने की सिफारिश की गई। पांच साल के भीतर एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण का भुगतान करने की सिफारिश की गई। प्रसंस्करण संयंत्रों में कोई और निवेश नहीं किया जाना चाहिए। या तो उन्हें लाभ साझाकरण समझौते के साथ चलाने के लिए अन्य पक्षों को सौंप दिया जाना चाहिए, या इसके अभाव में उनका विनिवेश किया जाना चाहिए।

घ. इसके बाद सचिवों की समिति ने प्रस्ताव की समीक्षा की, जिसमें सचिव, डोनर, सचिव, डीपीई और सचिव दीपम शामिल थे।

इ. एनईआरएएमएसी के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना जनवरी, 2021 में एनईडीएफआई द्वारा तैयार की गई थी। कार्य योजना में 17 करोड़ रुपये के निधि आधारित समर्थन और 60.45 करोड़ रुपये के गैर-निधि आधारित समर्थन की सिफारिश की गई थी।

च. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 16 अगस्त, 2021 को नेरामका के पुनरुद्धार प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस पैकेज में व्यावसायिक संचालन, ईआरपी और ई-कॉमर्स पोर्टल के कार्यान्वयन और प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान के लिए 17 करोड़ रुपये का निधि आधारित समर्थन शामिल है। भारत सरकार के 28.23 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण को इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित करने और 32.22 करोड़ रुपये के ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालने के लिए। गैर-निधि आधारित सहायता से कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन और आने वाले वर्षों में सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

10. प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

क. फल रस सांद्रण संयंत्र, नलकाटा, त्रिपुरा: फल रस सांद्रण संयंत्र, नलकाटा, त्रिपुरा वर्ष 1988 में चालू किया गया था। एकल उत्पाद लाइन संचालन के कारण घाटे में चल रहे इस संयंत्र का 2012 से परिचालन बंद था।

सरकारी योजनाओं के तहत या पीपीपी मोड के माध्यम से इस योजना को पुनर्जीवित करने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

ख. अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, बर्नीहाट, मेघालय: प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन अदरक के प्रसंस्करण की क्षमता वाली इस इकाई ने पूर्वोत्तर के अदरक उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2002-03 से परिचालन शुरू किया था। पुरानी तकनीक और तकनीक को उन्नत करने के लिए धन की कमी के कारण यह संयंत्र 2012 से परिचालन बंद था। हालाँकि, हाल ही में इस संयंत्र को संचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) के लिए खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी भागीदार को सौंप दिया गया है। ओ एंड एम भागीदार ने संयंत्र में नई मशीनें स्थापित की हैं।

ग. काजू प्रसंस्करण इकाई, अगरतला, त्रिपुरा: त्रिपुरा के काजू उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस इकाई को 1994 में चालू किया गया था। त्रिपुरा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के तहत रोस्टिंग सेक्शन में धुएं के कारण प्रदूषण नियंत्रण द्वारा संयंत्र को बंद कर दिया गया था। हालाँकि, एनईसी से 57.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से संयंत्र को पुनर्जीवित किया गया है। नवीनीकरण के बाद संयंत्र ने 18.09.2023 को परिचालन चालू कर दिया। नए संयंत्र की प्रतिदिन 500 किलोग्राम कच्चे काजू की प्रसंस्करण क्षमता है। निदेशकों की रिपोर्ट 2023-24 के बिंदु संख्या 3 के तहत वर्ष के दौरान संयंत्र के प्रदर्शन की सूचना दी गई है।

घ. काजू प्रसंस्करण संयंत्र, मनकाचर, असम: काजू प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण वर्ष 2009 में शुरू किया गया था धनराशि के वितरण में देरी के कारण परियोजना की लागत और समय में वृद्धि हुई है। भारत सरकार की योजनाओं के तहत या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से संयंत्र को चालू करने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

ई. सिक्स माइल, गुवाहाटी में नेरामेक कॉम्प्लेक्स का निर्माण।

एनईसी द्वारा वित्त पोषित मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का निर्माण जनवरी, 2023 में पूरा हो गया है। इस भवन को हरित भवन परियोजना और क्षेत्र की अत्याधुनिक ऐतिहासिक इमारतों के रूप में डिज़ाइन किया गया है। पहले चरण में बी+जी+4 (वाणिज्यिक भवन) और बी+जी+1 (अतिथि गृह) का निर्माण सितंबर, 2020 में शुरू हुआ था। मेसर्स हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड इस परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार था। वर्ष के दौरान, भवन के आंतरिक कार्यों के लिए निधि सहायता हेतु एनईसी में प्रस्ताव/डीपीआर प्रस्तुत किया गया।

निदेशक मंडल की ओर से
नेरामेक लिमिटेड

Sd/-

कायियो कायिना थ.

प्रबंध निदेशक

DIN: 10946847

दिनांक :19.06.2025

स्थान: गुवाहाटीशिलांग/

Sd/-

एमइबोयाइमा मेइतेई .

प्रबंध निदेशक

DIN: 08220500

अवलोकन	प्रबंधन के उत्तर																
स्टॉक मूल्यांकन योग्यता 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के																	
<p>अप्रचलित इन्वेंटरी:</p> <p>हमने पाया कि कंपनी ने अपने अंतिम स्टॉक में अप्रचलित या धीमी गति से चलने वाली इन्वेंटरी को शामिल किया है, जिसे संभावित हानि के लिए समायोजित नहीं किया गया है। ऐसी पुरानी, अप्रचलित और अनुपलब्ध इन्वेंटरी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसकी कुल राशि ₹418.73 लाख है। पुराने अप्रचलित और अनुपलब्ध स्टॉक का सारांश इस प्रकार है:-</p> <p>क्षेत्र पुस्तकों के अनुसार स्टॉक (₹) समाप्ति तिथि और स्टॉक उपलब्ध नहीं है(₹) पुराने, अप्रचलित और अनुपलब्ध को छोड़कर भौतिक स्टॉक (₹)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>क्षेत्रीय कार्यालय असम</td> <td style="text-align: right;">2108215.12</td> <td style="text-align: right;">1616452.57</td> <td style="text-align: right;">491 62.55</td> </tr> <tr> <td>क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला</td> <td style="text-align: right;">1812334.36</td> <td style="text-align: right;">1752741.50</td> <td style="text-align: right;">59592.86</td> </tr> <tr> <td>दिल्ली हाट</td> <td style="text-align: right;">711784.2</td> <td style="text-align: right;">711784.2</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>मणीपूर</td> <td style="text-align: right;">106311.43</td> <td style="text-align: right;">106311.43</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	क्षेत्रीय कार्यालय असम	2108215.12	1616452.57	491 62.55	क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला	1812334.36	1752741.50	59592.86	दिल्ली हाट	711784.2	711784.2	0	मणीपूर	106311.43	106311.43	0	<p>प्रबंधन द्वारा मामले की समीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट को बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव के साथ निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।</p>
क्षेत्रीय कार्यालय असम	2108215.12	1616452.57	491 62.55														
क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला	1812334.36	1752741.50	59592.86														
दिल्ली हाट	711784.2	711784.2	0														
मणीपूर	106311.43	106311.43	0														
<p>स्टॉक विसंगतियाँ:</p> <p>जैसा कि बताया गया है, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के दौरान, कुछ स्टॉक आइटम गायब पाए गए। हालाँकि, इन गायब वस्तुओं को वित्तीय विवरणों में दर्ज इन्वेंट्री मूल्यांकन में शामिल किया गया है। यह भौतिक स्टॉक और बही स्टॉक के बीच एक विसंगति है, जिसका लेखा-जोखा में पर्याप्त रूप से समाधान या समायोजन नहीं किया गया है।</p>	<p>प्रबंधन मामले की समीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट को बट्टे में डाला गया और निदेशक मंडल के साथ प्रस्ताव रखा गया।</p>																
<p>लेखांकन मानक (एएस) 2 का गैर-अनुपालन:</p> <p>हमने आगे पाया कि इन्वेंट्री का मूल्यांकन एएस 2 के अनुरूप नहीं था, क्योंकि कंपनी ने कुछ वस्तुओं के शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य का उचित आकलन नहीं किया था। इसके बजाय, एनआरवी को वर्ष के दौरान न्यूनतम बिक्री मूल्य पर लिया जाता है, जिससे इन्वेंट्री मूल्यों का संभावित गलत विवरण हो सकता है।</p> <p>हमारी राय में, इन मामलों के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री मूल्य और संबंधित चालू परिसंपत्तियों का संभावित गलत विवरण हो सकता है, जिसका कंपनी</p>	<p>अनुपालन के लिए टिप्पण किया</p>																

की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हम अनुशंसा करते हैं कि प्रबंधन **एस 2** के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इन्वेंट्री मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करे और अप्रचलित तथा अनुपलब्ध स्टॉक वस्तुओं के लिए आवश्यक प्रावधान करे।

इस मामले के संबंध में वित्तीय विवरणों पर हमारी राय योग्य है।
अनुपालन के लिए नोट किया गया

अचल संपत्तियों पर मूल्यहास के लिए लेखापरीक्षा योग्यता:
हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय भवन पर मूल्यहास नहीं लगाया है। कंपनी अधिनियम के अनुसार, कार्यालय भवन का उपयोगी जीवन 60 वर्ष निर्धारित है। हालाँकि, कंपनी ने लेखा टिप्पणियों में किसी उपयोगी जीवन का उल्लेख नहीं किया है और सीधे कार्यालय भवन के लिए 30 वर्ष के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास लिया है और तदनुसार, इस छोटी अवधि के लिए मूल्यहास लगाया गया है।

बिना किसी आधार या रिकॉर्ड के कंपनी अधिनियम में निर्धारित उपयोगी जीवन से इस विचलन के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में मूल्यहास शुल्क अधिक हो गया है, जिससे कार्यालय भवन का शुद्ध बही मूल्य और कंपनी का लाभ कम हो गया है। यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम में निर्धारित उपयोगी जीवन का पालन किया होता, तो वर्ष के लिए मूल्यहास व्यय कम होता और शुद्ध लाभ उस सीमा तक अधिक होता।
वर्ष के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि दर्ज नहीं की गई। केवल 357749 का आरंभिक शेष पूंजी खाते में डेबिट शेष के रूप में यथावत है। मूल्यहास की गणना प्रदान नहीं की गई है, इसलिए हम उसका अवलोकन नहीं कर सके।

जैसा कि पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गणना गलत तरीके से की गई थी क्योंकि कुछ संपत्तियों के लिए गलत ब्लॉक को ध्यान में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप कम मूल्यहास दर्ज किया गया और संपत्तियों का ₹124837.17 अधिक मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अधिक लाभ हुआ। इसके अलावा, कुछ संपत्तियों पर ₹46725 के गलत ब्लॉक के कारण अतिरिक्त मूल्यहास भी लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 में लाभ का उतनी ही राशि से कम मूल्यांकन किया गया। इसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में भी गलत प्रभाव बढ़े हैं।

विविध देनदारों के दीर्घकालिक बकाया शेषों के लिए लेखापरीक्षा योग्यता:

मूल्यहास अनुसूची के अनुसार, कार्यालय भवन का उपयोगी जीवन 60 वर्ष माना गया है, जैसा कि मूल्यहास चार्ट में दर्शाया गया है।

टिप्पण किया

कंपनी मूल्यहास रिजर्व के निर्माण के लिए अभ्यास में नहीं है। पुनः मूल्यहास गणना पत्रक प्रदान किया गया है।

टिप्पण किया

ध्यान दें: प्रबंधन स्थिर देनदार

हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी की बैलेंस शीट में निम्नलिखित विविध देनदार शामिल हैं:-

खातों की जाँच और सत्यापन कर रहा है। जिन देनदारों का 8 वर्ष से अधिक समय से बकाया है और जिनके कोई पुष्टिकरण/उचित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें प्रावधान बनाने/बट्टे खाते में डालने हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अलग किया जा रहा है।

क्र.सं	पार्टी के नाम	रकम(रु.में)	मंटव्य
	प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, असम		
1.	बागवानी निदेशक, खानापारा आंचलिक कार्यालय, असम	19411040	सामान्य ऋण अवधि से 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया
2.	डोनर मंत्रालय उत्तर पूर्व वाईब्रेंट	1785278	सामान्य ऋण अवधि से 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया
3.	डोनर मंत्रालय वर्ल्ड फुड इंडिया	990495	सामान्य ऋण अवधि से 6 वर्ष से अधिक की
4.	बीग बाजार	10838	अवधि के लिए
5.	विपणन केंद्र	8647	बकाया
6.	में अल्टीटेड एक्सपोर्ट	4570	
7.	प्राइम वेक्स	1816	
8.	रिद्धिमा डी एस एंटरप्राइज	1360	
9.	शीव शक्ती जीजर क.	844	
10.	अरविंद नायार अग्रिम	5000	
	क्षेका.. सिक्कीम		
11.	एस ओ एम रंगोपो	19745	

12.	मेज्योति ट्रेडर्स .	660	
13.	रेटिओ	12475	
	क्षेका, मणीपूर,		
14.	गार्देन केयर	388.00	
15.	मेडिटरानीन ट्रेडिंग क.	2,939.50	
16.	राजमोहन सींह	292.00	
17.	अर्गेनीक मणीपूर	12,090.00	
18.	डाएस जेस्मारानी .	1.00	
19.	नूंसीरेई एजेंसी	50,000.00	
20.	टेंडर लीफ ईंडिया पार.लि.	13,000.00	
	क्षेका अगरतला.		
21.	आर्ट एंतारटैमेंट एवं सर्वोच लि.	62530	
22.	उप निदेशक एग्री. खोवाई,	24192	
23.	वहार्टीकल्चरीष्ट, नागीचेरा, . प. त्रिपूरा	103812	
24.	टीआईडीसी	33150	
25.	स्वास्टीक	18300	
26.	उप निदेशकहार्टी. उ. , कुमारघाट	629936	सामान्य ऋण अवधि से 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि
27.	सुपारिटेन्ट एग्रीसौमानु ,	772671	
28.	सुपारिटेन्ट एग्रीदुकी, त्रिपूरा ,	186977	
29.	सुपारिटेन्ट एग्रीगंदाचारा, ,	336450	

	धालाई			
30.	सुपरिंटेंट एग्रीरूपाईचारी ,	1170122		
31.	सुपरिंटेंट एग्रीपानीसागर ,	123200		
32.	एगजीभियंता, अगरतलाअ.	78533		
33.	उप निदेशक हार्टी, प . अगरतला	127637		
34.	सुपरिंटेंट एग्रीचाब्रूम, , द.त्रिपूरा	311071		
35.	सुपरिंटेंट एग्रीचालीमा, , धालाई,त्रिपूरा	56042		
36.	एसएस एंड क ,.उदयपूर	507338		
37.	जेडदीओ खामलांग पक्षेत्र.	363021		
38.	जेडदीओ टीटीएएदीसी बीसी मन्	916720		
39.	बीडीओ दूकली	225763		
40.	त्रीपूरा एपेक्स फिसारीस , अगरतला	57705		
41.	सुपरिंटेंट एग्रीटेलीयामारा ,	1790954		
	एफजेसीपीनालकाटा ,			
42.	मे(प्राईम एडीवील (पी . नई दिल्ली	414754	सामान्य ऋण अवधि से 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया	

	कोलकाटा इकाई		
43.	पबंग. स्टेट सीड कॉर्प लिमिटेड, प्रबंध निदेशक	49697480	
	दिल्ली इकाई		
44.	सालसार एंटरप्राइज	1,260,584	
45.	पृथ्वी एरोफ्रेस	65,327	
46.	एपिडा	6,375	
47.	स्टॉल विक्री	6,348	
48.	ग्रीन मार्ट	11,000	
49.	नोउव कंसाल्टेंसी	2,550	
50.	ट्राईफेड आरओ)अहमदावाद(5,607	
51.	ट्राईफेड (आरओ भूपाल)	32,919	
52.	ट्राईफेड (आरओ बांगालोर)	5,607	
53.	ट्राईफेड आरओ दिल्ली)	31,507.	
54.	ट्राईफेड (आरओ हाईद्रावाद)	5,607.	
55.	ट्राईफेड (आरओ जयपूर)	14,144	
56.	ट्राईफेड (आरओ राँशी)	9,232	

विविध देनदारों के अंतर्गत लंबे समय से बकाया शेष राशि की उपरोक्त राशि। कंपनी द्वारा बाद में कोई वसूली या निपटान नहीं किया गया और न ही कोई वसूली प्रयास किए गए।

कंपनी ने इन लंबे समय से बकाया शेष राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जिससे उनकी वसूली को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। हमारी राय में, संभावित ऋणों के लिए प्रावधान न करने से प्राप्य राशि का मूल्य और कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति बढ़ाचढ़ाकर दिखाई दे सकती है। यदि कंपनी ने इन संदिग्ध ऋणों-

के लिए पर्याप्त प्रावधान किया होता, तो वर्ष का लाभ कम होता और शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ भी उसी सीमा तक कम हो जातीं।
देनदारों के लिए प्रावधान को अतीत में देनदारों के लिए प्रावधान को डेबिट करके और देनदार खाते को क्रेडिट करके बनाया गया था, लेकिन इसे लाभहानि खाते - के रूप 8933049.19 से चार्ज किए बिना। देनदारों के लिए प्रावधान डेबिट शेष में दिखाई दे रहा है। देनदारों के लिए प्रावधान अगरतला की पुस्तकों 7716995 में दिखाई दे रहा है, जिसके विरुद्ध कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका।

विविध लेनदारों की दीर्घकालिक बकाया राशि के लिए लेखापरीक्षा योग्यता:
हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी के वित्तीय विवरणों में ₹ 6,80,63,की राशि के विविध लेनदार शामिल हैं 312, जो वर्षों से अधिक 5 समय से बकाया हैं। हमारे सत्यापन और पूछताछ के आधार पर, हम इन दीर्घकालिक बकाया राशियों की वैधता और पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इन लेनदारों की संबंधित पक्षों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, और कंपनी ने लागू लेखांकन मानकों के अनुसार इन देनदारियों को वापस लिखने या निपटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। परिणामस्वरूप, हम इन विविध लेनदार शेषों के संबंध में आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

टिप्पण किया
प्रबंधन ने स्थिर देनदार खातों की सूची की समीक्षा की है और उसे पुराना कर दिया है। जिन देनदारों का वर्ष 8 से अधिक समय से बकाया है और जिनके उचित /कोई पुष्टिकरण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें प्रावधान बनानेबट्टे खाते में / डालने हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अलग किया जा रहा है।

क्र.सं.	स्थान	रकम
1.	प्रधान कार्यालय	2652399
2.	क्षेत्रीय कार्यालयअसम,	18831288
3.	क्षेत्रीय कार्यालयअगरतला ,	3345
4.	काजू संस्करण इकाईअगरतला ,	287054
5.	कोलकाता इकाई	44647378
6.	क्षेत्रीय कार्यालयसिक्कीम ,	907559
7.	दिल्ली इकाई	230418
8	क्षेत्रीय कार्यालयमणीपूर ,	80000
9	जीपीपीबर्नीहाट ,	423871
	कुल	68063312

क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला में विविध लेनदारों के अंतर्गत अनाम 450000 लेनदार हैं।

<p>क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला की पुस्तकों में लेनदारों के विरुद्ध लेनदारों के 18 पाया गया है। जैसा कि कंपनी द्वारा बताया गया है 11415097 लिए प्रावधान, लेनदारों के प्रस्तावित बट्टे खाते में डालने के लिए इसे लेनदारों के बहीखाते से काटकर बनाया गया है, लेकिन लाभहानि खाते में दर्ज किए बिना। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में लाभ को कम दर्शाया गया है।</p>	
<p>सरकारी अनुदान पर लेखापरीक्षा योग्यता वर्ष के लिए कंपनी के लेखा नोट्स के नोट 31032024o) के अनुसार, किसी व्यय मद से संबंधित सरकारी अनुदान या सब्सिडी को उसकी प्राप्ति के समय ही परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। अचल संपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत से घटा दिया जाता है। जबकि राजस्व से संबंधित अनुदानों को कभीहानि विवरण में -कभी लाभ-क्रेडिट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या तो अलग से या जैसे "अन्य आय" सामान्य शीर्षक के अंतर्गत। वैकल्पिक रूप से, संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में उन्हें घटा दिया जाता है।</p> <p>हम ध्यान दें कि</p> <p>a) उपरोक्त लेखा नोट में कहा गया है कि किसी व्यय मद से संबंधित सरकारी अनुदानों को उसकी प्राप्ति के समय ही परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। यह AS-के अनुरूप नहीं है क्योंकि इसे परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देने 20 की अनुमति नहीं है।</p> <p>खउपरोक्त लेखा टिप्पणी में कहा गया है कि अचल संपत्तियों से संबंधित (स सरकारी अनुदानों को संबंधित अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत से घटाया जाता है, जबकि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>गलेखा टिप्पणी में कंपनी की उस नीति का कोई उल्लेख नहीं है जिसके तहत (सरकारी अनुदानों को प्रवर्तकों के अंशदान के रूप में माना जाता है।</p> <p>घले (खा टिप्पणी में कंपनी की उस नीति का कोई उल्लेख नहीं है जिसके तहत प्राप्य सरकारी अनुदानों को पिछली लेखा अवधि में हुए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या उद्यम को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माना जाता है।</p> <p>ड)24 लेखा संख्या (छअ में (चल संपत्तियों से संबंधित अनुदानों, व्यय या राजस्व से संबंधित अनुदानों, प्रवर्तकों के अंशदान के रूप में अनुदानों आदि के बीच प्राप्त विभिन्न प्रकार के अनुदानों का कोई विभाजन नहीं पाया गया है।</p> <p>च के (एनईसी शिलांग द्वारा वित्तपोषित) करोड़ रुपये 14.18 कंपनी ने (भवन</p>	<p>नोट किया गया और मामले का खुलासा वित्त वर्ष के लिए 24-2023 निदेशकरिपोर्ट में किया जाएगा</p> <p>अनुपालन के लिए टिप्पण किया</p> <p>अनुपालन के लिए टिप्पण किया</p> <p>अनुपालन के लिए टिप्पण किया</p>

अनुदान को, कंपनी की लेखा नीति में उल्लिखित परिसंपत्तियों की लागत से घटाने के बजाय, "आरक्षित निधि एवं अधिशेषभवन" शीर्षक के अंतर्गत माना है। यदि "अनुदानAS-में निर्धारित वैकल्पिक पद्धति का पालन भी 20 किया जाता, तो भी मूल्यहास योग्य अचल परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय माना जाना चाहिए था, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में व्यवस्थित एवं तर्कसंगत आधार पर लाभहानि विवरण में - मान्यता दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा, भवन पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है, जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और पुस्तकों में पंजीकृत हो चुका है।

छवर्ष के दौरान (, कंपनी ने कंप्यूटर सिस्टम, ईआरपी सिस्टम और ईकॉमर्स - पोर्टल से संबंधित पुनरुद्धार अनुदान का उपयोग किया है, जो मूर्तअमूर्त संपत्ति / की प्रकृति के हैं। इसके लिए कंपनी ने व्यय की गई लागत सेराशि कम की है, लेकिन ऐसी संपत्तियों को लेखा मानक द्वारा अपेक्षित नाममात्र मूल्य पर (एस) 20-दर्ज नहीं किया है। एसमें कहा गया है, "जहाँ किसी विशिष्ट अचल संपत्ति से संबंधित अनुदान, संपत्ति की पूरी या लगभग पूरी लागत के बराबर हो, वहाँ संपत्ति को बैलेंस शीट में नाममात्र मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए।"

ज) पुनरुद्धार अनुदान शेष को शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया "वर्तमान देयताएँ" है, भले ही इसका एक भाग कार्यशील पूँजी सहायता और सहायक परिचालनों के लिए निर्धारित है, जो कंपनी के विचार में प्रवर्तक अंशदान के रूप में है और इसे शेयरधारक निधि माना जाएगा। AS-:में प्रावधान है 20 प्रवर्तकों के योगदान की प्रकृति को पूँजी आरक्षित में जमा किया जाना चाहिए और शेयरधारकों के कोष के एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए

झ) मनकाछार काजू प्रसंस्करण संयंत्र के लिए ₹ की राशि को 19906029CWIP के रूप में मान्यता प्राप्त दिखाई गई है, जो पूरी नहीं हो सकी और परियोजना रुकी हुई है। इसे वर्षों से अधिक समय से कार्य प्रगति पर दिखाया जा रहा है 3 और पिछले कई वर्षों से इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके विरुद्ध बैलेंस शीट के देयता पक्ष में कोई संबंधित सरकारी अनुदान नहीं दिखाया गया है। कंपनी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रही।

अनुपालन के लिए टिप्पण किया

भवन का (4+जी+बी) 2023 निर्माण जनवरी में पूरा हो गया था, हालाँकि लिफ्ट और ट्रांसफार्मर मार्च 2024 केअंत तक

स्थापितस्थापित किए /

जाएँगे। परियोजना पूरी होने के बाद,

NERAMAC ने संबंधित विभाग (GMDA) से अधिभोग प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है।

चूँकि 2024 मार्च 31 तक कोई अधिभोग

प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए भवन

का उपयोग नहीं किया गया है और इसे

'उपयोग में नहीं लाया गया' है।

वित्तीय वर्ष के दौरान 'पीपीई'। हालाँकि, भवन

को तक 2024 मार्च 31 संपत्ति के रूप में

मान्यता दी गई और 'शून्य' मूल्यहास लगाया

गया।

ज(अनुदान के रूप में करोड़ रुपये की राशि लेखा पुस्तकों में चालू 13.40 देनदारियों के अंतर्गत दिखाई दे रही है, जिसका समाधान और उचित लेखाजोखा - आवश्यक है।

ट) विभिन्न स्रोतों से अनुदान के रूप में प्राप्त लाख रुपये की राशि को 455.51)24 लेखा टिप्पणियों के नोटg) के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं किया गया है। विवरण नीचे दिया गया है:

वन विभाग 26226

जी आई महोत्सक कश्मीर 109400

स्कील कार्यक्रम आई आई ई 2075084

एलआरपी नेडफी से 200000

महावीर इंटरनेशनल 8931

मे . एग्रीकल्चर एंड फार्मास्य वेलफेयर (217145838-174630817)=42515021

एनएसडीपी 51050

नेडफी कियोक्स सोनामरा 490000

ठके अनुसार सरकारी अनुदानों 12 कंपनी की लेखा नीति और लेखा मानक (का विभाजन नहीं किया गया, जो लेखा मानक 12-में निहित प्रावधानों के विपरीत है।

ड में जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनईसी द्वारा 18-2017 वित्तीय वर्ष (₹16,00,का अनुदान स्वीकृत किया गया था 000, लेकिन कुल व्यय ₹17,75, हुआ। शेष 547₹1,75,) 547.00₹-1775547₹ (1600000अभी भी अनुदान के अंतर्गत पड़ा है (डीआर शेष), जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

ढ) पिछले वर्षों के दौरान, कंपनी ने कर पेशेवर से प्राप्त राय के आधार पर "गैर निधि आधारित सहायता - रिजर्व और अधिशेष के तहत पूंजी अनुदान" 31.03.2021) रुपये 28.23 शीर्षक के तहततकके बकाया भारत सरकार के (30.09.2021) ऋण पर ब्याज और दंडात्मक ब्याजतक की गणना 32.33 के (निधि आधारित समर्थन को स्थानांतरित किया था। इस संबंध -करोड़ रुपये के गैर में, कंपनी ने उक्त राशि को पूंजी अनुदान के रूप में मानने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसके लिए मंत्रालय से अभी भी मंजूरी का इंतजार है।

टिप्पण

टिप्पण

मामला से पहले 2007 का था और विवरण अप्राप्य था क्योंकि नेरामेक ने वित्तीय वर्ष में टैली को 13-2012 क्रियान्वित किया था। हालांकि नेरामेक ने संबंधित विभाग कोUC प्रस्तुत कर दिया है।

<p>ग) यूकी हमारी नमूना जाँच में .सी., हमने पाया कि</p> <p>क) मधुमक्खी अनुदान से संबंधित यूके लिए .सी.,) 35000@ (%3.5के एजेंसी शुल्क सहित जारी किया गया .सी.रुपये का यू 1035000 था, हालाँकि एजेंसी शुल्क को खातों में दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि केवल यूमें रिपोर्ट किया .सी. गया है।</p> <p>ख) प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई उपयोगिता अनुसूची में पुनरुद्धार अनुदान के लिए, कर्मचारी व्यय ₹था 54033889, जिसे वित्त पोषित वीआरएस की ₹ 4.96 करोड़ की राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया था। पुनरुद्धार पैकेज में ₹अन्य वैधानिक बकाया" की लागत वृद्धि को 4433889, प्रतिबद्ध और चालू देनदारियोंशीर्षक से समायोजित किया गया था। "</p>	<p>अनुपालन के लिए टिप्पण किया</p> <p>नोट किया गया और मामले का खुलासा वित्त वर्ष के लिए 24-2023 निदेशक रिपोर्ट में किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण टिप्पण, जांच के बाद मामले को बट्टे खाते में डालने के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।</p> <p>तक 31.03.2021 भारत सरकार के बकाया रुपये के ऋण 28.23 पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज की राशि लेखा 33.99 पुस्तकों में करोड़ रुपये दर्ज है। हालाँकि, पुनरुद्धार पैकेज के तहत 32.33 रुपये की राशि को बट्टे खाते में डालने की</p>
--	---

<p>गैरपंजीकरण पर लेखापरीक्षा योग्यता-दोष देयता के गैर-एनईसी निधि से छह मील दूर बाजार परिसर के निर्माण से संबंधित गैरदोष - लाख रुपये की राशि रोक कर रखी गई थी। इसे पुस्तकों 65.04 देयता के लिए में पंजीकृत नहीं किया गया है।</p>	<p>स्वीकृति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 1.77 करोड़ रुपये का अंतर आया। यह अंतर ब्याज राशि के गलत अनुमान के कारण उत्पन्न हुआ करोड़ रुपये 1.77 है। की अतिरिक्त ब्याज राशि को बट्टे खाते में डालने की अनुमति देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। यह राशि आज तक जारी नहीं की गई। राशि जारी होने के बाद इसे पंजीकृत किया जाएगा।</p>
<p>.बैंक बैलेंस पर ऑडिट योग्यताएँ एसबीआई नाहरलागुन, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता और एसबीआई ताड़ोंग के बैंक स्टेटमेंट, जिनमें क्रमशः 20888.50, और 37558.50 का बुक बैलेंस 307622.26 दिखाया गया है, वित्तीय वर्ष के लिए हमारे 24-2023 सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।</p>	<p>से इन खातों 2015 यूसी तक 2024-3-31 जमा नहीं किया गया है और तदनुसार एजेंसी -2024 शुल्क वित्त वर्ष के दौरान पीएल के 25 माध्यम से बुक किया जाएगा में (सक्रिय खातों में) कोई लेनदे कोई टिप्पणी नहीं न नहीं किया गया था। पत्र संख्या /20सीबी-भाग/खाता/ III-12-1 दिनांक 1864</p>
<p>इन्वेंटरी पर लेखापरीक्षा योग्यता</p>	<p>के तहत खाता 2021 बंद करने का नोटिस दिया गया था।</p>

<p>कलेखा पुस्तकों के अनुसार भौतिक इन्वेंटरी और स्टॉक में बेमेल है। यद्यपि . की लागत या एनआरवी उपलब्ध नहीं है वास्तविक इन्वेंटरी, फिर भी हमने पुस्तकों के अनुसार भौतिक इन्वेंटरी और स्टॉक के बीच अंतर को दर्शाने के लिए एक अनुसूची तैयार की है।</p> <p>खभौतिक स्टॉक और पुस्तकों के अनुसार स्टॉक के बीच अंतर मुख्यतः . :निम्नलिखित कारणों से है अंतर प्रारंभिक शेष राशि में • मंत्रालयों को दान • पुराना और अप्रचलित स्टॉक। •</p> <p>गबैलेंस शीट की तिथि के अनुसार लिए गए इन्वेंटरी मूल्य में भौतिक सत्यापन . के दौरान न मिली सामग्री का मूल्य शामिल नहीं है।</p> <p>घअग्रतला में स्टॉक में कुछ ऋणात्मक शेष पाए गए। .</p>	<p>टिप्पण</p> <p>यह मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।</p> <p>ध्यान दें, चूँकि खातों को अंतिम रूप देने की तिथि पर बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए पुस्तकों में रुपये 278.33 का ऋणात्मक शेष दिखाई दे रहा है। हालाँकि, बिल प्राप्त हो गया है और चालू वर्ष के खातों में आवश्यक प्रविष्टि समायोजन क/ दिया गया है।</p>
<p>राजस्व मान्यता पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ</p> <p>वित्त वर्ष तक की अवधि के लिए कृषि एवं परिवार 23-2022र कल्याण मंत्रालय की किसान उत्पादक संगठन योजना के कार्यान्वयन मार्गदर्शिका के (एफपीओ) अनुसार, एफपीओ पर्यवेक्षण शुल्क %3की दर से प्राप्त किया जा सकता है। कंपनी ने मंत्रालय से ऐसी धनराशि का दावा भी नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व और लाभ कम दर्शाए गए हैं। वर्ष के दौरान रुपये की आय को क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी द्वारा माल 750950 दुलाई और हैंडलिंग व्यय के साथ समायोजित किया गया, जिससे राजस्व मान्यता नहीं हो पाई। सावधि जमा बहीखाते के अंतर्गत, 26AS के साथ मिलान नहीं किया गया पाया गया। इसके अलावा, पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए गए अंतर ब्याज की बुकिंग का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।</p>	<p>वित्त वर्ष और 21-2020 के दौरान कृषि 22-2021 एवं किसान कल्याण) मंत्रालय(MoAFW) से प्राप्त स्वीकृति पत्रों में कार्यान्वयन एजेंसी के पर्यवेक्षण शुल्क के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए, पर्यवेक्षण शुल्क से प्राप्त राजस्व के रूप में खाते में कोई राशि दर्ज नहीं की गई यह माना) गया कि यह वित्त वर्ष</p>

<p>क्षे.का. गुवाहाटी के अंतर्गत SBI-TDR-पर कोई ब्याज नहीं लिया 32355985984 गया</p>	<p>22-2021 और 21-2020 । (में अर्जित नहीं हुई हालाँकि, को 29.11.2022 नेरामेक ने दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षण लागत जारी करने के लिए MoAFW को एक अनुरोध पत्र भेजा। -2023 में 24नेरामेक को जारी स्वीकृति पत्रों में विशेष रूप से अग्रिम पर्यवेक्षण लागत का उल्लेख किया गया है और तदनुसार, पर्यवेक्षण लागत वित्त वर्ष में दर्ज की गई 24-2023 है। इसके बावजूद, पिछले वर्ष के पर्यवेक्षण लागत पर MoAFA से स्पष्टता मांगी गई है।</p>
<p>उचंत खाते के शेष पर लेखापरीक्षा अवलोकन वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत करोड़ रुपये का उचंत खाता शेष है 294346, जिसका विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उचंत खाता जमा शेष 78551, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी के टीबी में पड़ा है। उचंत खाते के अंतर्गत करोड़ रुपये की राशि बकाया है। 175137.13</p>	<p>नोट किया गया। यह मामला लेखापरीक्षा समिति की बैठक में रखा गया था और समिति के निर्देशानुसार, वित्त वर्ष में सस्पेंस 25-2024 खातों के शेष को समेटने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है।</p>
<p>लेखा पुस्तकों में सामान्य खाता बही पर लेखापरीक्षा अवलोकन हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमें कुछ सामान्य खाता बही मिले हैं जिनका कोई</p>	<p>टिप्पण कियामामला : द्वारा समीक्षाधीन प्रबंधन है। रिपोर्ट को बट्टे खाते</p>

विवरण कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
मुख्यालय (SC) का एक सामान्य खाता बही लंबे समय से विविध 941144.10 नदारों के अंतर्गत पड़ा है।
मुख्यालय (CL) का 16799172.28 एक सामान्य खाता बही लंबे समय से अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत पड़ा है।
जमा के अंतर्गत, हमें मुख्यालय नामक एक सामान्य खाता बही मिली है (जमा) है। 1205082.12 जिसका शेष आरंभ से
अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत बकाया देनदारियों के नाम से एक सामान्य खाता बही है, जिसमें की राशि बहुत लंबे समय से बकाया है। 4840
बकाया देनदारियों के नाम से एक सामान्य खाता बही है, जिसमें की 144365 राशि बहुत लंबे समय से बकाया है।
उपरोक्त के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला में विविध लेनदारों के अंतर्गत के अनाम लेनदार भी हैं। 450000

ऋण और अग्रिम में प्राप्य खाते के अंतर्गत (परिसंपत्तियों) संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम के नाम से एक सामान्य खाता बही है, जिसमें बहुत लंबे समय से बकाया -/4126870 का शेष है।

बट्टे खाते में /में डालने डालने के प्रस्ताव के साथ निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

पक्षों से शेष राशि की पुष्टि पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ देनदारों, लेनदारों, ऋणों, अग्रिमों, जमाओं, देनदारियों और परिसंपत्तियों के अंतर्गत पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रथा नहीं है। तदनुसार, हम विभिन्न मदों के अंतर्गत दर्ज राशियों के अस्तित्व और शुद्धता की जाँच, सत्यापन और टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

अनुपालन के लिए टिप्पण किया

व्यय का प्रावधान न करने पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, वित्तीय वर्ष तक 16-2015 की अवधि के लिए लेखा पुस्तकों में टीडीएस की संदिग्ध वसूलीवापसी का कोई प्रावधान / नहीं किया गया था, क्योंकि परिपत्र संख्या] 2015/9एफ नांकदि [ओटी-2015/22/312.सं. के 09.06.2015

टिप्पण किया, यह प्रावधान बीओडी से आवश्यक अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

मूल्यांकन वर्ष	वित्त वर्ष	विवरण	रकम (रुमें.)	आईटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख
2014-15	2013-14	वित्तीय वर्ष से 14-2013 पहले प्राप्य	1349343.00	31-05-2021

		टीडीएस		
2015-16	2014-15	प्राप्य टीडीएस	1109455.00	31-05-2021
2016-17	2015-16	प्राप्य टीडीएस	8414 9.00	31-05-2021
2017-18	2016-17	प्राप्य टीडीएस	515238.00	07-12-2021

नेरामेक ने आयकर अधिनियम (2)119 की धारा 1961बी 18-2017 के तहत वित्त वर्ष (के लिए आईटीआर दाखिल करने में देरी के लिए आयकर 21-2020 से वित्त वर्ष किया था। अधिकारियों से भी अनुरोध

पूर्व अवधि की मदों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

कंपनी वर्ष के अंत में व्ययों के लिए सही प्रावधान नहीं बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप अगले वर्ष में उन्हें पूर्वआगे ले जाया जाता है। अवधि की मदों के रूप में- एस 5-के अनुच्छेद अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि" 15, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तनके अनुसार ", पूर्व अवधि की मदों की प्रकृति और राशि का लाभहानि विवरण में अलग से इस प्रकार खुलासा किया जाना चाहिए कि वर्तमान लाभ - हानि पर उनके प्रभाव को समझा जा सके। या लाभ:क्रेडिट किया गया है/हानि खाते से निम्नलिखित मदों को डेबिट-

टिप्पण किया

विवरण	वर्ष	डेबिट (₹)	क्रेडिट(₹)
क्षेत्रीय कार्यालय असम(किराया, जू स्टॉल किराया और ईएमडी)	2022-23		6226
डाईनाटेक	2022-23	61046	
सुधा एंड एशोसीयट	2022-23	263800	
अग्रिम सीएस राय	2022-23	24694	
पुनरुद्धार ग्रांट	2022-23		4133568
एसबीआई टीडीआर (प्रारंभिक शेष समायोजनकर्ता	202223	15055	
अग्रिम	2022-23	91131	
एम बोरा एंड कंपनी	2022-	22656	

				23			
बिक्री के विरुद्ध अग्रिम और खरीद के विरुद्ध अग्रिम पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ बिक्री के विरुद्ध अग्रिम बहुत लंबे समय तक बकाया रहता है। विवरण नीचे (देयता) दिया गया है।							मामले की जांच के बाद मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
पार्टी	प्रारंभिक जमा	शेष जमा	मंतव्य				
		31.03.2024					
कृष्णा एशोसीयट			2022-23	27572			
यूको बैंकमानकाछार ,			2022-23	780			
मनोज पाठक				20 2-	10000		
				23			
असम सेवा समिति				2022-23	42000		
कृषि ओ एशोसीयट				2022-23	94400		
टीडीएस-194 J				2022-23	30000		
टीके घोष एंड क. सीए				2022-23	22420		
दिल्ली हॉ इकाई),सीएल(2022-23	27465		
क्षेका अगरतला सीएल				2022-23	50		

सीपीइऊ अगरतला	5000	5000	कोई समायोजन नहीं हुआ है
क्षे. का. अगरतला	7 3784.35	743784.35	कोई समायोजन नहीं हुआ है
क्षे. का. अरुणाचल	14355184	14355184	कोई समायोजन नहीं हुआ है
क्षे. का. असम	10347166	13452166	बिक्री के विरुद्ध अग्रिम राशि से बढ़कर 13452166 10347166 हो गई है

मामले की जांच के बाद मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

खरीद के विरुद्ध अग्रिम राशि बहुत लंबे समय (परिसंपत्तियों) तक बकाया रहती है। विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं	पार्टी के नाम	रकम (रु.में)	मंटव्य
1	आईटीवी एग्रो एंड फूड टेकनोलाजीस्ट प्रा.लि.	5,283.00	> 5 वर्ष से
2	ए बी नार्चारी , कैलाशहर	592,812.00	> 5 वर्ष से
3	नाथ सीड्स एंड एग्रो केमिकेल्स, अगरतला.	150,615.00	> 5 वर्ष से
4	नाथ सीड्स एंड एग्रो एंटाप्राज, अगरतला.	8,626.00	> 5 वर्ष से
5	शाहारा इंग्रास्ट्रीयल चिंडीकेट उदयपूर	28,440.00	> 5 वर्ष से

6	सोनामरा कृषि उद्योगसोनामरा ,.	59,629 00	> 5 वर्ष से
7	आर्गेनीक साप्लाई एजेंसी , अगरतला	10,689.00	> 5 वर्ष से
8	टी एस सी लि. अगरतला	39,940.00	> 5 वर्ष से
9	दास लाईम एंड हार्डवेर साप्लाईयारअगरतला ,.	28,113.00	> 5 वर्ष से
10	नर्थ इष्ट सीड्स एंड एग्री केमिकल्स ,अगरतला	382,115.00	> 5 वर्ष से
11	आकाश चेल एजेंसीउदयपूर ,	6.00	> 5 वर्ष से
12	बीभीएफसी लि..	0.29	> 5 वर्ष से
13	शील वोयोचेक लि.	8,326,327.00	> 5 वर्ष से
14	एनएसएफआई	(90,000.00)	> 5 वर्ष से
15	हारवेल एकुवा ईडीया प्रा . लि	(1,223,943.85)	> 5 वर्ष से

अग्रिमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
प्रधान कार्यालय के अग्रिमों के अंतर्गत कई खाता बही में जमा शेष राशि है। इसके अलावा, कई ऐसे खाता बही भी हैं जिनमें लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कोई गतिविधि नहीं हुई है और इनमें से अधिकांश वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। विवरण नीचे दिया गया है।

पार्टी	प्रारंभिक जमा	शेष जमा	मंटव्य
		31.03 20	

प्रबंधन द्वारा मामले की समीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट को राइट-बैक के प्रस्ताव -राइट/ऑफ के साथ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

	31.03.23	24	
प्रधान कार्यालय		7766848.97	6930738.13 >5 वर्ष से
सापीड़ऊ अगरतला अग्रीम	62645	62645	All > 5 वर्ष से
दिल्ली हाट अग्रीम	686742.87	686742.87	All > 5 वर्ष से
एफजेसीपीनालकाटा , अग्रीम	809560	809560	All > 5 वर्ष से
जीपीपी अग्रीम	1578	1578	All > 5 वर्ष से
कोलकाटा अग्रीम	409	409	All > 5 वर्ष से
क्षेका. अगरतला . अग्रीम	2573817.21	2579567.21	1326023 > 5 वर्ष से
क्षेका.अरुणाचल . अग्रीम	8660	8660	All > 5 वर्ष से
क्षेका असम.	2492968.98	2492968.98	2493270.95> 5 वर्ष से
क्षे का मणीपूर अग्रीम	1002612.6	1002612.62	971086> 5 वर्ष से
क्षेका मेघालय अग्रीम	1724195.83	1724195.83	All > 5 वर्ष से
क्षे का मिजोराम अग्रीम	233857	233857	All > 5 Years
क्षे का नागानेंड अग्रीम	16973	16973	All > 5 Years
क्षेका सिक्कीम अग्रीम	721314.75	721314.75	All > 5 Years

अंचल कार्यालय एवं प्रधान कार्यालयवार दीर्घकालीन बकाया जमा की तालिका निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	विवरण	रकम(₹)	मंटव्य
1	क्षेत्रीय कार्यालयअगरतला ,	296992.96	284791> 5 वर्ष से
2	एफजेसीपीनालकाटा ,	4000.00	All >5 वर्ष से
3	क्षेत्रीय कार्यालयअरुणाचल ,	50000.00	All >5 वर्ष से
4	क्षेत्रीय कार्यालय सिक्कीम	27902.00	All >5 वर्ष से
5	प्रधान कार्यालय	9419987.1 2	1416002.12
6	क्षेत्रीय कार्यालयअसम ,	875626.00	725626> 5 वर्ष से
7	क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड ,	10000.00	All >5 वर्ष से
8	दिल्ली हाट	150000.00	All>5 वर्ष से

ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत आने वाले दीर्घकालीन बकाया अग्रिम (परिसंपत्तियां) निम्नलिखित हैं

पार्टी	प्रारंभिक जमा 31.03.23	शेष जमा 31.03.2024
बोनस वसूली योग्य	31028	31028
दिष्ट्रीक्ट एवं सेचन जर्जकारुप ,	2398856	2398856
इएसएससी एंटरप्रीनारसीप सेक्टर स्कील काउंसिल	56600	56600
मनोज कुमार दास	21808 Cr	21808 Cr
सिक्कीउरिटी जमा आडानी	224000	224000

ऋण और अग्रिम के अंतर्गत प्राप्य खाता नामक एक खाता बही है जिसमें कई (संपत्ति) मदें हैं और एक खाता बही को छोड़कर सभी बहुत लंबे समय सेबकाया हैं और उनमें कोई हलचल नहीं है। इनमें से अधिकांश ऋण शेष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ये देय हैं और ऋण और अग्रिम के अंतर्गत गलत तरीके से प्राप्य के रूप में वर्गीकृत हैं।

पार्टी	प्रारंभिक जमा	शेष जमा
		31.03.2024
एपीडा	258485 Dr	451285 Cr
दिस्ट्रीक हार्टीकल्चर अफिसबीजनोर ,	6069 Cr	6069 Cr
हार्टीकल्चर एंड फूड प्रोसेसींग ब्रांसबरैली ,	2711 Cr	2711 Cr
आईसाआईआर कमप्लेक्स नई दिल्ली क्षेत्र के लिए उमरोई रेड	25000 Cr	25000 Cr
केरेला चीड्स डेवलपमेंट ऑथरिटी	447888 Cr	447888 Cr
लोन एवं अग्रिम संपर्कित पार्टियाँ	4126 70 Dr	4126870 Dr
एमएफपीआई मंत्रालय	1342107 Cr	1342107 Cr
एस सी दे से प्राप्य	1205205 Dr	1205205 Dr

रुपये का अग्रिम 2551806.44 पार्टियों को दिया गया 23, जो क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी के खातों में लंबे समय से पड़ा हुआ है, एक समान है।

कर्मचारियों को दिया गया रुपये का अग्रिम 58837.49, जो क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी के खातों में लंबे समय से पड़ा हुआ है, एक समान है।

चालू देनदारियों पर लेखापरीक्षा अवलोकन

चालू देनदारियों के अंतर्गत कई ऐसे बहीखाते हैं जिनमें डेबिट शेष राशि है। साथ ही, कई ऐसे बहीखाते भी हैं जिनमें लेखापरीक्षित वर्ष के दौरान कोई गतिविधि नहीं हुई है। ऐसे कुछ बहीखाते जिनमें कोई गतिविधि नहीं है और जिनमें उच्च शेष राशि हैदोषपूर्ण : 6504193 देयता देय, प्रधान कार्यालय 16799172.28 (सीएल)NEGGWS 3647675

उपार्जित और देय ब्याज करोड़ 17706797.44, जो बहुत लंबे समय से चालू देनदारियों के रूप में दिखाई दे रहा है और मंत्रालय द्वारा ब्याज और दंडात्मक ब्याज की गलत गणना और संचार के कारण इसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

टिप्पण किया

उल्लेखनीय है कि कंपनी ने उक्त राशि को पूंजी

	<p>अनुदान मानने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है। प्रशासनिक मंत्रालय से अभी इसकी स्वीकृति का इंतजार है।</p>
<p>वैधानिक अनुपालन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ मुख्यालय में जीएसटी के विरुद्ध शुल्क और करों के अंतर्गत करोड़ रुपये की 7380 राशि बहुत लंबे समय से मौजूद है।</p> <p>कंपनी देनदारी बनने और टीडीएस दर्ज करने से पहले ही अग्रिम टीडीएस जमा कर उसे अग्रिम टीडीएस बहीखाते में रख देती है, जिससे उस अवधि के लिए ब्याज की हानि होती है जब तक वह समायोजित नहीं रहता। कभी भी कोई समाधान नहीं किया जाता। इसके अलावा,) 1667 तक 31.03.2024Dr) का एक असमाधानित शेष है।</p> <p>सीपीएफरुपये की देनदारी है 198 में खाता बही (कर्मचारी) %12-, जो लंबे समय से असंयोजित है।</p> <p>मेघालय के शुल्क एवं कर खाता बही में रुपये का अग्रिम भुगतान है 6107, जो लंबे समय से असंयोजित है।</p> <p>कर खाता बही में रुपये की देनदारी है 67741.56, जो लंबे समय से असंयोजित है। टीडीएस वेतन खाता बही में रुपये का अग्रिम भुगतान है 38652, जो लंबे समय से असंयोजित है।</p> <p>त्रिपुरा के वैट खाता बही में रुपये की देनदारी है 30331, जो लंबे समय से असंयोजित है।</p> <p>चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाई देने वाली कानूनी फीस पर आरसीएम 107492.60 बहुत लंबे समय से बिना किसी समायोजन के। हमारे नमूना जाँच में हमने पाया कि निम्नलिखित पर जीएसटी नहीं लगाया गया है: a) एजेंसी शुल्ककौशल परियोजना- b) एफपीओ पर्यवेक्षण और अन्य प्रशासनिक शुल्क</p>	<p>प्रबंधन द्वारा मामले की समीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट को बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव के साथ निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।</p> <p>टिप्पण किया</p> <p>टिप्पण किया</p> <p>टिप्पण किया</p> <p>टिप्पण किया</p> <p>टिप्पण किया</p> <p>टिप्पण किया</p>

c) विविध आय
d) प्रसंस्करण शुल्क ()
e) माल ढुलाई और हैंडलिंग आय ()

डिजाइनिंग और लेबलिंग खर्च के लिए कलर्स ऑफ इंडिया को कुछ राशि का भुगतान किया गया, जिस पर टीडीएस नहीं काटा गया।

पात्र भुगतानों पर जीएसटी आरसीएम का अनुपालन नहीं पाया गया।

सीजीएसटी देय करोड़ रुपये 4346 करोड़ रुपये और वैट देय 51491.42, जो क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला पर बहुत लंबे समय से बकाया है।

दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न और निगम की सभी इकाइयों की लेखा पुस्तकों के अनुसार टर्नओवर में अंतर पाया गया।

सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी शेष राशि का जीएसटी पोर्टल के साथ मिलान नहीं पाया गया।

काफी लंबे समय से पी टैक्स देयता के अंतर्गत शि बकाया है रुपये की रा 4696, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

वर्ष के दौरान प्रणय गोस्वामी को मैनपावर सप्लाईरुपये का 842051 सीपीयू के बदले-भुगतान किया गया, लेकिन बिलों पर कोई टीडीएस नहीं काटा गया।

टीडीएस कटौती के निम्नलिखित मामले सामने आए, लेकिन दाखिल किए गए टीडीएस रिटर्न में इसका उल्लेख नहीं किया गया।

क्र.सं	ति माही	पार्टी के नाम	अनुभाग	टीडीआरएमटी(₹)
1	II	कृष्णा एशोसीयट	194I	2710

टिप्पण किया

अनुपालन के लिए टिप्पण किया

टिप्पण किया

टिप्पण किया

टिप्पण किया, मामले की जांच के बाद मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

टिप्पण किया, मामले की जांच के बाद मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

टिप्पण किया

टिप्पण किया

कर का भुगतान कर दिया गया है और संशोधित रिटर्न दाखिल कर दिया गया है

2	II	सूशीला फाउंडेशन	194C	15000
3	II	एटीएमएस	194C	5000
4	II	टार्यानजास स्टाकसर औ टेकनोलाजिस्ट प्रा.लि .	194C	15000
5	III	एपीआरआईएनएस	194C	10000
		कुल		47710

असम के जोनल कार्यालय में, नॉर्थ ईस्ट लॉजिस्टिक से प्राप्त टीडीएस ₹(12000 औ,कृषि निदेशक, असम)₹129727.07, ₹57573.5, ₹ (148294.02वित्तीय वर्ष 26 के लिए 24-2023AS में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।
कंपनी हमें महीनों से आगे देय वैधानिक 6 भीतर और महीनों के 6 तक 31.03.2024 बकाया राशि का विवरण प्रदान नहीं कर पाई है।
कंपनी हमें GSTIN पोर्टल और लेखा पुस्तकों में मौजूद ITC का समाधान विवरण प्रदान नहीं कर पाई है।

TRACES पोर्टल पर **TDS** के विरुद्ध निम्नलिखित मांग मौजूद है:

वित्त वर्ष 12-2011₹-/11410

वित्त वर्ष 24-2023₹-/19190

आयकर पोर्टल पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयकर के विरुद्ध बकाया मांग मौजूद है:

मांग संदर्भ संख्या	ए वाई	अनुभाग कोड	बकाया मांग	उपार्जित ब्याज
2023202337239079641C	2023	1431a	963440	87580
2012201010027854634C	2010	1433	3529147	2934034

ईएमडीएसडी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां/

सुरक्षा जमा और ईएमडी के लिए कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता है, इसलिए एक नज़र में स्थिति ज्ञात नहीं है। दोनों खाता बही अनुभाग कोड हैं और टैली खातों में विलय कर दिए गए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पालतू जानवरों की दुकान के लिए बयाना राशि के रूप में, ₹60,की शेष राशि के विरुद्ध 000, वर्ष के दौरान ₹1,60,की राशि 000 की गई। जारी

पक्षों के विरुद्ध 66₹5,01,की सुरक्षा जमा राशि बकाया है और क्षेत्रीय कार्यालय 275 अगरतला में कोई गतिविधि नहीं हुई है।₹4,36,सवीर बायो) की सुरक्षा जमा राशि 636 जमा शेष के रूप में पड़ी है और इसे क्षेत्रीय कार् (टेकयालय गुवाहाटी में जमा (संपत्ति) तर्गत दर्ज किया गया है।के अं

पार्टी द्वारा टीडीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।

टिप्पण किया

टिप्पण किया

टिप्पण किया

अनुपालन के लिए टिप्पण किया

<p>आयकर और टीडीएस समाधान पर लेखापरीक्षा अवलोकन हमें कंपनी की पुस्तकों में आयकर और टीडीएस प्राप्तियों से संबंधित विभिन्न नामों से अलगअलग बहीखाते मिले हैं-, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: कंपनी की पुस्तकों में प्राप्य राशि का विवरण नीचे दिया गया है:</p>		<p>वर्षवार विवरण संलग्न है 1 - अनुलग्नक -</p>			
प्रकार	वकाया	वकाया			
	01.04.2023	31.03.2024			
प्राप्य आयकर	1942139	1942139			
एफडी ब्याज पर टीडीएस	3458146	4017190	बिहार के बागवानी विभाग से निधि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए टीडीएस राशि खातों में नहीं ली गई।		
पेशेवर सेवाओं पर टीडीएस	112000	112000			
प्राप्य टीडीएस (अन्य)	2135323	4148639.59			
<p>इस संबंध में कोई समाधान नहीं किया गया है। वर्षवार विवरण दर्शाने वाली अनुसूची उपलब्ध नहीं है। यदि कोई समायोजन किया गया है, तो ऐसा कभी नहीं कहा गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष के लिए 23-2022नेरामेक के आईटीआर के अनुसार टीडीएस/टीसीएस रिफंडलाख रुपये था 9.64 , जबकि कंपनी के खातों के अनुसार यह लाख रुपये था 8.28, अर्थात् लाख रुपये का अंतर तीन 1.36TDS प्रविष्टियों के कारण है, जिन्हें लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा, आस्थगित कर परिसंपत्तियों आस्थगित कर देनदारियों के लिए/प्रावधान, जैसा कि AS द्वारा अपेक्षित है, बनाया हुआ नहीं पाया गया है।</p>					
<p>वित्तीय विवरणों में अनुपातों की रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हमने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अनुपातों और मानक सूत्र के अनुसार गणना किए जाने वाले अनुपातों में महत्वपूर्ण अंतर पाया है। कुछ टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:</p>		<p>अनुपालन के लिए टिप्पण किया</p>			
विवरण	लेखा परीक्षक के अनुपात गणना		प्रबंधन की अनुपात गणना	मतभेद का कारण	
	2022/23	2023/24	2022/23	2023/24	
ऋण इक्विटी अनुपात	2.54	0.44	1.7	0.92	ऋण घटक में कंपनी

					<p>की बैलेंस शीट पर कोई भी अल्प कालि क उधार, दीर्घ कालि क ऋण और ऋण जैसी कोई भी वस्तु शामि ल होती है। इक्वि टी घटक में मालि कों अर्था)</p> <p>त संस्था (पकों द्वारा योग दान की गई कोई भी</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					इक्विटी, पूंजी बाजार में जुटाई गई इक्विटी और प्रतिधारित आय शामिल होती है।
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	2.04	NIL	2.1	NIL	शुद्ध परिचालन आय के लिए लिए गए मूल्य में अंतर
लाभान्श	9.04%	21.23%	11.93%	3.56%	2022-23-के वित्तीय विवरणों में करों का

					कोई भुगतान नहीं दिखाया गया है। प्रबंधन को शेयरधारकों की इक्विटी में आरक्षित निधियों की राशि पर विचार करना चाहिए था।
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	239.258	76.484	4.89	7.64	
व्यापार प्राप्त्य कारोबार अनुपात	4.70	4.62	0.014	1	क्रेडिट बिक्री के लिए कोई स्पष्टीकरण

					नहीं दिया गया
व्यापार प्राप्त व्यापार अनुपात	3.66	1.567	1.04	0.39	क्रेडिट खरीद के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस लिए हमने पूरी खरीद राशि ले ली
शुद्ध पूंजी कारोबार	-6.47	45.603	60	11.28	वित्तीय वर्ष -22 23 और -21 22 में शुद्ध बिक्री और ऋणात्मक कार्य शील पूंजी के

					लिए स्पष्टीकरण आवश्यक	
ईपीएस की रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ						अणुपालन के लिए टिप्पण किया.
कंसल्टेड अर्बि नियम अनुपात	4.43%	3.43%	4.24%	3.49%	वित्तीय आंक	
					डों के अनुसार 2022-23-में कोई कर नहीं चुकाया जाएगा	
पूँजी पर वापसी	30.27%	8.57%	5.46%	6.34%	अनुपात गणना के लिए लिए गए आंक डों में विसंगति।	

<p>र, ईपीएस की रिपोर्ट इस प्रकार की जानी है मूल (क) : और तनुकृत दोनों असाधा मूल और तनुकृत दोनों असाधारण मदों को (ख) ं सहित ईपीएस और मदो रण छोड़कर ईपीएस। कंपनी ने दोनों श्रेणियों में समान ईपीएस रिपोर्ट किया है 0.04, अर्थात, असाधारण मदों सहित ईपीएस और असाधारण मदों को छोड़कर ईपीएस। इसके अलावा, पहली श्रेणी में तनुकृत ईपीएस का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात, असाधारण मदों सहित ईपीएस।</p>	
<p>रिपोर्ट की गई गैरचालू देनदारियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ-</p> <p>अन्य चालू देनदारियाँ :₹) 240.89नोट संख्या (6उपरोक्त में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र सिलचर)DI&CC) को देय किराए के रूप में ₹लाख की राशि शामिल नहीं 36.45 मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए (में 2009 जनवरी) है। कंपनी ने ₹ वर्षों की अवधि के लिए 30 प्रति माह के किराए पर प्रति वर्ग फुट 0.60DI&CC, सिलचर से एक भूखंड लिया था। हालाँकि, उपरोक्त भूमि DI&CC द्वारा जनवरी 2020 में वापस ले ली गई थी। कंपनी ने पिछले नौ वर्षों से न तो किराए का भुगतान किया है और न ही अपने लेखा बहियों में प्रावधान किया है, बल्कि इसे आकस्मिक देनदारियों में शामिल कर लिया है। इस राशि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को (अन्य देय)कम दर्शाया गया है और आरक्षित एवं अधिशेष तथा वर्ष के लाभ को ₹लाख अधिक दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप 36.45, वर्ष का लाभ भी उसी सीमा तक बढ़ाचढ़ाकर बताया गया है।-</p>	<p>जिला उद्योग एवं वाणिज्य विभाग डीआई&सीडी(, सिलचर, कछार और एनईआरएएमएसी के बीच दिनांक को 2009-01-05 निष्पादित लीज डीड के अनुसार, बीघा 16 230400)वर्ग फीटभूमि () का एक भूखंड एनईआरएएमएसी को मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट 30 ने के लिएस्थापित कर वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित किया गया था। हालांकि, डीआई&सीए ने अप्रैल में आवंटन रद्द 2019 36.45 कर दिया क्योंकि लाख रुपये का पट्टा किराया देय था। तदनुसार, भूखंड सौंप दिया गया और निगम की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए का लाख रुपये 36.45 पट्टा किराया माफ करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, असम सरकार को अनुरोध पत्र दिया गया। विभाग ने पट्टा किराया माफ</p>

	<p>करने के मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए को 16.02.2019 महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कछार, सिलचर को पत्र भेज दिया है। असम का। इसका खुलासा लेखा नोट्स में किया गया था</p>
<p>भुगतान हेतु देय व्यापार देय राशियों की गलत रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नोट संख्या) 24w) में भुगतान हेतु देय व्यापार देय राशियों के लिए आयु निर्धारण अनुसूची शून्य दर्शाई गई है, जो घोर गलत है।</p>	<p>निदेशकों की रिपोर्ट पर उल्लेखित और खुलासा किया गया</p>
<p>नोट संख्या में प्रयुक्त गलत नामकरण पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ 7 कंपनी अधिनियम की अनुसूची III के खंड I और लेखा मानक के अनुसार 10, अचल संपत्तियों का शीर्षक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आदि होना चाहिए। नोट संख्या में 7 इसका पालन नहीं किया गया है।</p>	<p>अणुपालन के लिए टिप्पण किया</p>
<p>एस 17-खंड रिपोर्टिंग के गैरअनुपालन पर लेखापरीक्षा- योग्यता एस 17-द्वारा निर्धारित खंड रिपोर्टिंग का कंपनी द्वारा पालन नहीं किया गया है।</p>	<p>रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं है।</p>

	<p>ध्यान दें, मामला बीओएम के समक्ष रखा गया था लेकिन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।</p>
<p>अन्य टिप्पणियाँ कसचिवीय स्टॉक (, अगरतला में लाख रुपये के स्टॉक की कमी 0.35, जिसे वित्तीय वर्ष में कांति लश्कर को गलत बिक्री और अग्रिम राशि दर्ज करके रोकड़ बही के 22-2021 माध्यम से गलत तरीके से समायोजित किया गया था, को लेखा पुस्तकों से नहीं हटाया गया है, हालाँकि इस मामले पर वी लेखा परीक्षा समिति की बैठक में चर्चा 29 वीं और 28 की गई है।</p>	<p>टिप्पण किया</p>
<p>खवित्तीय वर (्ष के लिए 13-2012 और वित्तीय वर्ष 11-2010) की राशि 5717915 का टीडीएस गलत तरीके से पैन के बजाय टैन के नाम पर जमा किया गया। प्रबंधन कार्रवाई शुरू कर दी गई है द्वारा धनवापसी की, लेकिन उचित अनुवर्ती कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।</p>	<p>टिप्पण किया</p>
<p>ग कंपनी के पास सूक्ष्म (उद्यमों या लघु उद्यमों को देय राशि की पहचान उनके पास मौजूद दस्तावेजों और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेखा सॉफ्टवेयर के आधार पर करने की कोई प्रणाली नहीं है। इसलिए, कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, के तहत सूक्ष्म उद्यमों या लघु उद् 2006यमों की पहचान नहीं कर रही है।</p>	<p>टिप्पण किया</p>
<p>घसे बिना किसी गतिविधि के पूंजी खाते में जमा 21-2020 वित्तीय वर्ष "हॉर्टी संग्राम (शेष के रूप में दिखाई दे रहा है।</p>	
<p>डलंबे समय से क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला की पुस्तकों में बिना "सीएम केयर फंड" (. किसी गतिविधि के दिखाई दे रहा है।</p>	<p>टिप्पण किया</p>
<p>चहमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों (के अनुसार, कंपनी ने एनईडीएफआईकार्यशील पूंजी ऋण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से/ लिया है। ₹करोड़ की लंबित मूल राशि को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है 28.23 और ₹ 32.22 करोड़ का ब्याजदंडात्मक ब्याज आरक्षित निधि और अधिशेष के माध्यम / से बट्टे खाते में डाल दिया गया है, हालाँकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुमोदन अभी भी लंबित है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा ब्याज और दंडात्मक ब्याज की गलत गणना और सूचना के कारण ₹करोड़ का ब्याज और 1.77 :दंडात्मक ब्याज बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। कंपनी ने डिबेंचर जारी नहीं किए हैं</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं</p>

विवरण	अवधि(कब से)	रकम(₹)	जून माह के लिए आईसीपी स्टॉल बिक्री (इनवॉइस संख्या)
ब्याज	01/04/2016	₹27,25,08,52	09/2324/एजीटी/एनईआर
कार्यशील पूंजी पर दंडात्मक ब्याज	01/04/2016	₹6,73,98,276	देखें 25 की राशि (, 298 1 रुपये जुलाई को 2024 टैली में गलत तरीके से दर्ज की गई थी। लेकिन मैनुअल कैश बुक में इसे जून में दर्ज किया गया था और मैनुअल कैश बुक में कोई ऋणात्मक शेष नहीं था।

छ (निगम के अग्रतला क्षेत्रीय कार्यालय में अप्रैल 2023, मई 2023, जून 2023, जुलाई 2023, अगस्त के महीने में विभिन्न दिनों में नकारात्मक 2023 और अक्टूबर 2023 हाथ में थी नकदी, जिसकी प्रामाणिकता की जाँचस्थापना नहीं की जा/ सकी।

सीएआरओ

(i) (कहमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी संपत्ति (, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है।

(खअनुसार हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के (, अचल संपत्तियों का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया जाता है और ऐसे सत्यापनों में कोई भी भौतिक विसंगतियाँ नहीं पाई गईं।

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और लेखा पुस्तकों के अनुसार संपत्तियों की संख्या और (ग) के अनुसार कुछ पुरानी संपत्तियों प्रकार में विसंगति पाई गई है। चूँकि भौतिक सत्यापन की लागत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें रुपयों में निर्धारित नहीं किया जा सकता।

भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ संपत्तियाँ या तो क्षतिग्रस्त हैं (घ) से हटाकर बट्टे खाते में या कार्यशील स्थिति में नहीं हैं। इन संपत्तियों को लेखा पुस्तकों डालने की आवश्यकता है।

अचल संपत्ति रजिस्टर में संपत्ति की विस्तृत (ड)जानकारी जैसे विशिष्ट पहचान संख्या, स्थान, खरीदी गई इकाइयों की संख्या, संपत्ति की लागत, वसूली योग्य लागत आदि का खुलासा नहीं होता है।

टिप्पण किया

कोई टिप्पणी नहीं

टिप्पण किया

टिप्पण किया

(चके अनुसार मंत्रालय को दी गई घोषणा (, वित्तीय विवरण में प्रकटित सभी अचल संपत्तियों उन संपत्तियों को छोड़कर जहाँ कंपनी प)ट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैंके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। (

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार (छ), कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड)3i)(घका प्रावधान लागू नहीं होता है। (

(जहमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार (, बेनामी लेनदेन निषेध) अधिनियम, (45 का 1988) 1988और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड)3i)(e) का प्रावधान लागू नहीं होता।

)ii)

करण के अनुसारहमें दी गई जानकारी और स्पष्टी (क), इन्वेंट्री का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया जाता है। लेकिन इसकी सटीकता प्रमाणित नहीं की जा सकती क्योंकि भौतिक स्टॉक और पुस्तकों में रखी गई इन्वेंट्री के बीच मिलान नहीं है।

(भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएँ कंपनी के प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के (ख) आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्तनहीं हैं। किसी स्वतंत्र संस्था से स्टॉक ऑडिट कराने की सिफारिश की जा सकती है।

टिप्पण किया

कोई टिप्पणी नहीं

टिप्पण किया

कोई टिप्पणी नहीं

खुदरा इन्वेंट्री के लेखांकन के लिए ईआरपी प्रणाली शुरू की गई है और आवश्यकतानुसार अनुभव के आधार पर इसमें संशोधन किया जा रहा है। तदनुसार, अब प्रत्येक

प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का मैनुअल रिकॉर्ड रखा जाता है। भौतिक स्टॉक और बही (ग) के बीच सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में ठीक से दर्ज रिकॉर्ड नहीं किया गया।

वस्तु के लिए एक विशिष्ट आईडी शुरू की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न उद्यमियों द्वारा समान उत्पाद उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में कोई विसंगति न हो।

टिप्पण किया

खुदरा इन्वेंट्री के लेखांकन के लिए ईआरपी प्रणाली शुरू की गई है और आवश्यकतानुसार अनुभव के आधार पर इसमें संशोधन किया जा रहा है। तदनुसार, अब प्रत्येक वस्तु के लिए एक विशिष्ट आईडी शुरू की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न उद्यमियों द्वारा समान उत्पाद उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में कोई विसंगति न हो।

(वर्ष के दौरान (घ), कंपनी के पास कोई कार्यशील पूँजी सीमा नहीं है, इसलिए आदेश का यह बिंदु लागू नहीं होता।

iii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, एलएलपी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। परिणामस्वरूप, आदेश के अनुच्छेद iii (क), (ख), (ग), (घ), (ङ)के प्रावधान (च) और (कंपनी पर लागू नहीं होते।

कोई टिप्पणी नहीं

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूति के संबंध में, जहाँ कहीं लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा का अनुपालन किया है। के प्रावधानों 186 और 185

कोई टिप्पणी नहीं

)v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 76 से 73 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी 2013 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम न्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जमा माना जाता हो। तदनुसार, आदेश के खंड)3v) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

)vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/संयुक्तों के अंतर्गत (1) धारा-की उप 148 सेवाओं के संबंध में अधिनियम की धारा/अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड)3vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

) vii)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार (क), वैधानिक बकाया राशि के संबंध में कंपनी ;, यहाँ दी गई सूचना को छोड़कर (क सहित-अनुलग्नक), उचित प्राधिकारियों को निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर और अन्य वैधानिक बकाया राशि शामिल है, नियमित रूप से जमा करती है।

से अधिक की वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक देय होने की तिथि से छह महीने (ख) अवधि के लिए बकाया वैधानिक बकाया राशि की सीमा हमें प्रदान नहीं की गई है।

में उल्लिखित वैधानिक बकाया राशि का विवरण (क) खंड-उप (ग), जो विवादों के कारण मार्च 31, तक जमा नहीं किया गया है 2024, नीचे दिया गया है:

कानून की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	अवधि जिससे राशि संबंधित राशि रुपये में है	Amount in Rs.
आयकर	धारा)1)143a) के अंतर्गत मांग मांग संदर्भ संख्या 2023202337 239079641 C	विवाद के कारण भुगतान न होने के साक्ष्य के रूप में अपील और अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए	एवाई 2023	Demand: 963440 Interest: 87580

कोई टिप्पणी नहीं

कोई टिप्पणी नहीं

कोई टिप्पणी नहीं

कोई टिप्पणी नहीं

आयकर	धारा (3)143 के अंतर्गत मांग मांग संदर्भ संख्या 2012201010 027854634 C	-----वोही----- -----	एवाई 2010	Demand: 3529147 Interest: 2934034	टिप्पण किया
------	--	-------------------------	-----------	--	-------------

(viii) जैसा कि कंपनी द्वारा सूचित किया गया है, पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961(का 43 1961) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) कहमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी एवं (स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नेडफी/पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से कार्यशील पूंजी ऋण लिया है। नेरामेक के पुनरुद्धार पैकेज जिसे भारत सरकार द्वारा) अनुमोदित बताया गया है) के अनुसार, ₹28.करोड़ की बकाया मूल राशि को 23 धिशेष के इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है और पिछले वर्षों के भंडार और अ माध्यम से ₹32. करोड़ का ब्याज/दंडात्मक ब्याज बट्टे खाते में डाल दिया 22गया है। इसके अलावा, नेरामेक द्वारा ब्याज और दंडात्मक ब्याज की गलत गणना और सूचना के कारण ₹1.करोड़ का ब्याज और दंडात्मक ब्याज बट्टे खाते में नहीं 77 डाला गया है।

कंपनी ने निम्नलिखित डिबेंचर जारी नहीं किए हैं:

विवरण	अवधि(कब से)	रकम(₹)
ब्याज	01/04/2016	₹27,25,08,521.00
कार्यशील पूंजी पर दंडात्मक ब्याज	01/04/2016	₹6,73,98,276.00

कोई टिप्पणी नहीं

कहमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की (हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(खके प्रावधान लागू होते हैं।)

कहमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की (हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(c) के प्रावधान लागू नहीं होते।

कोई टिप्पणी नहीं

खहमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की (हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(d) के प्रावधान लागू नहीं होते।

कोई टिप्पणी नहीं

कहमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की (हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(e) के प्रावधान लागू नहीं होते।

खहमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की (हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(f) के प्रावधान लागू नहीं होते।

कहमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार (, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव ऋण उपकरणों सहित)) के माध्यमसे धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(a) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं

खहमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और अभिलेखों की हमारी (जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर पूर्णतः), आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीयका कोई अधिमान्य आवंटन या (निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(b) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं

)xi)

कऔर हमें दी गई जानकारी और प्रबंधन द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं (स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं / देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

कोई टिप्पणी नहीं

कोई टिप्पणी नहीं

क) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

कोई टिप्पणी नहीं

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन के लिए, जहाँ लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है। हालाँकि, संबंधित पक्षों के लेन-देन का विवरण वित्तीय विवरणों में पूरी तरह से प्रकट नहीं किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

क हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण (के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

खहमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति (, समय और सीमा निर्धारित करने के लिए, लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

)xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैरदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 192नकद लेन-, xvi के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi))xvi)

कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 1934-IA के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(a), (b), (c) और)d के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई ₹लाख 220 अपवादात्मक मद) के पुनरुद्धार अनुदान द्वारा की गई है), जिससे ₹127.लाख 78 पश्चात लाभ हुआ है।-का कर

)xviii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के इस्तीफे का कोई मामला नहीं है।

तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

)xix) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, इस बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता है कि कंपनी अपनी देनदारियों को बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद रखने में सक्षम है

और जब वे बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाएँ।

)xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 26.11.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 15.05.2025

Sd/-

(सौरव कुमार जयपुरियार) लेखापरीक्षा
महानिदेशक
(केन्द्रीय व्यय),
नई दिल्ली

कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सदस्यों को

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

9, राजबाड़ी पथ, गणेशगुड़ी, जी.एस. रोड, गुवाहाटी - 781005

हमने भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग (अब वित्त मंत्रालय के तहत आवंटित) द्वारा मेमो संख्या 18(8)2005-जीएम दिनांक 14.05.2010 (जिसे आगे 'दिशानिर्देश' कहा जाएगा) द्वारा प्रसारित "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देश" के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे 'कंपनी' कहा गया है) के रिकॉर्ड और अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित खंडों के:

बोर्ड की संरचना से संबंधित खंड 3.1.1: निदेशक मंडल का गठन पूरे वर्ष भर एसोसिएशन के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। एक स्वतंत्र निदेशक को लगातार 12 महीनों तक बोर्ड की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने के कारण निदेशक पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, जबकि एक अन्य स्वतंत्र निदेशक लगातार 2 (दो) कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर बने रहे हैं। इसके अलावा, बोर्ड में केवल तीन निदेशक हैं, इसलिए बोर्ड का गठन एसोसिएशन के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है।

बोर्ड बैठकों की संख्या से संबंधित खंड 3.3.1: वर्ष के दौरान चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और ये बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में आयोजित की गईं। हालाँकि, खंड 3.3.1 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया क्योंकि 149वीं और 150वीं बैठक के बीच 3 महीने 21 दिन का अंतराल है, जो इक्कीस दिन से अधिक है। 150वीं और 151वीं बैठक के बीच का अंतराल न्यूनतम 3 महीने के अंतराल से 7 दिन अधिक है। बोर्ड बैठकों के एजेंडे में कंपनी के परिचालन व्यवसाय के तिमाही परिणामों की न्यूनतम जानकारी शामिल नहीं थी।

समीक्षा किए जाने वाले कानूनों के अनुपालन से संबंधित खंड 3.3.3: कंपनी पर लागू केवल कुछ कानूनों के अनुपालन और समीक्षा की रिपोर्ट की जा रही है।

निदेशकों के प्रशिक्षण से संबंधित खंड 3.7: निदेशकों को उनकी भूमिका और विनियमों को समझाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान नहीं किए गए हैं और न ही उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठक से संबंधित खंड 4.4: चूंकि बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति के कारण लेखापरीक्षा समिति भंग कर दी गई है, इसलिए कंपनी द्वारा इस खंड का अनुपालन नहीं किया गया है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की आगे की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

सुधा एंड एसोसिएट्स के लिए

Sd/-

सीएस सुधा सरमा

प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

मो. संख्या F6278 /COP: 15754

UDIN: F006278G000542143

दिनांक: 04.06.2025

स्थान: गुवाहाटी

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए।

I. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. प्रतिकूल राय

क. हमने उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड ("कंपनी") के साथ दिए गए वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है (जिसे आगे "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा जाता है)।

ख. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय के आधार अनुभाग में चर्चा किए गए मामले के महत्व के कारण, वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, उसके मुनाफे और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण नहीं देते हैं।

2. प्रतिकूल राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के आचार संहिता और प्रावधानों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी प्रतिकूल राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। हम "अनुलग्नक ए" में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण और व्यापक है और ऐसे मामले हैं जहाँ हम पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उक्त "अनुलग्नक ए" में वर्णित मामलों के प्रभाव जिन्हें उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है, मात्राबद्ध हैं और उसमें दिए गए हैं। इन मामलों के संबंध में हमारी राय प्रतिकूल है।

3. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

क. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

ख. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

4. प्रबंधन और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए शासन का प्रभार संभालने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ क. कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

ख. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

5. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियाँ

क. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

ख. एसए के अनुसार एक ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

1) धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

2) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में

6. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक बी" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

2. कंपनी की लेखा पुस्तकों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर एक रिपोर्ट नीचे देते हैं, जो हम "अनुलग्नक डी" में देते हैं

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, सिवाय "अनुलग्नक ए" में बताए गए मामलों के।

ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखा पुस्तकें नहीं रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अनुलग्नक-ए में बताई गई कमियों से पता चलता है। अधिनियम की धारा 128 के तहत आवश्यक प्रोद्भव आधार पर लेखा पुस्तकों को पूरी तरह से बनाए नहीं रखा गया है। इसके अलावा, हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त नहीं हुए हैं।

ग. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, जिसमें नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है, संबंधित लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

ड. हमारी राय में और "प्रतिकूल राय के आधार पर पैराग्राफ" में वर्णित मामलों के संदर्भ में, संलग्न वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं, जिसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 का नियम 7 लागू है।

हमारी राय में, प्रतिकूल राय के आधार पर पैराग्राफ में वर्णित मामलों का कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

च. सरकारी कंपनियों के निदेशकों को अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 दिनांक 5 जून, 2015 के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान से छूट दी गई थी।

छ. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर प्रतिकूल राय व्यक्त करती है। जी. अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में अधिनियम की अनुसूची V के साथ संशोधित धारा 197(16) के प्रावधान केवल सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होते हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के तहत संशोधित रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित किया गया है:

- i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।
- ii. हम लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित प्रावधानों की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जो कि भौतिक पूर्वानुमानित घाटे के लिए आवश्यक हैं। कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv.क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम, ऋण या निवेश (उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्ति या संस्था ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधिकरण पक्ष") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी; और ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया था, ऐसा कुछ भी ध्यान में नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है।

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की रिकॉर्डिंग नहीं थी और तदनुसार, किसी भी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष में इसका संचालन नहीं किया गया है। चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

के लिए, डी पटवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म का पंजीकरण संख्या 324523ई)

अमित पटवारी
भागीदार स्थान: गुवाहाटी
सदस्यता संख्या 061971 दिनांक: 26-11-2024
यूडीआईएन: 24061971बीकेडीआईईई1172

नेरामेक लि.

"प्रतिकूल राय के आधार पर हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक-ए पैराग्राफ"

1. स्टॉक मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा योग्यता

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हमने इन्वेंट्री की जाँच की है, जो बैलेंस शीट पर एक महत्वपूर्ण मद है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने इन्वेंट्री से संबंधित निम्नलिखित मामलों की पहचान की है:

क. अप्रचलित इन्वेंट्री:

हमने पाया कि कंपनी ने अपने समापन स्टॉक में अप्रचलित या धीमी गति से चलने वाली इन्वेंट्री को शामिल किया है, जिसे संभावित हानि के लिए समायोजित नहीं किया गया है। ऐसी पुरानी, अप्रचलित और अनुपलब्ध इन्वेंट्री के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसकी कुल राशि ₹418.73 लाख है। पुराने अप्रचलित और अनुपलब्ध स्टॉक का सारांश इस प्रकार है:-

क्षेत्र	पुस्तकों के अनुसार स्टॉक (₹)	समाप्ति तिथि और स्टॉक उपलब्ध नहीं है (₹) पुराने, अप्रचलित और अनुपलब्ध को छोड़कर भौतिक स्टॉक (₹)	पुराने, अप्रचलित और अनुपलब्ध को छोड़कर भौतिक स्टॉक (₹)
क्षेत्रीय कार्यालय असम	2108215.12	1616452.57	491762.55
क्षेत्रीय कार्यालय अगतरतला	1812334.36	1752741.50	59592.86
दिल्ली हाट	711784.2	711784.2	0
मणीपूर	106311.43	106311.43	0

लेखांकन की विवेकपूर्ण पद्धति के अनुसार, वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष स्वरूप को दर्शाने के लिए इन इन्वेंट्री के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए थे। उपरोक्त प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए इन्वेंट्री का बढ़ा-चढ़ाकर विवरण और लाभ का कम विवरण प्रस्तुत किया गया है।

ख. स्टॉक विसंगतियाँ:

जैसा कि बताया गया है, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के दौरान, कुछ स्टॉक वस्तुएँ गायब पाई गईं। हालाँकि, इन गायब वस्तुओं को वित्तीय विवरणों में दर्ज इन्वेंट्री मूल्यांकन में शामिल किया गया है। यह भौतिक स्टॉक और बही स्टॉक के बीच एक विसंगति है, जिसका लेखाओं में पर्याप्त रूप से समाधान या समायोजन नहीं किया गया है।

ग. लेखांकन मानक (एएस) 2 का अनुपालन न करना:

हमने आगे पाया कि इन्वेंट्री का मूल्यांकन एएस 2 के अनुसार नहीं था, क्योंकि कंपनी ने कुछ वस्तुओं के शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य का उचित आकलन नहीं किया था। इसके बजाय, एनआरवी को वर्ष के दौरान सबसे कम बिक्री मूल्य पर लिया गया है, जिससे इन्वेंट्री मूल्यों का संभावित गलत विवरण हो सकता है।

हमारी राय में, इन मामलों के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री मूल्य और संबंधित चालू परिसंपत्तियों का संभावित गलत विवरण हो सकता है, जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हम अनुशंसा करते

हैं कि प्रबंधन **AS 2** के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इन्वेंट्री मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करे और अप्रचलित तथा अनुपलब्ध स्टॉक मदों के लिए आवश्यक प्रावधान करे।

इस मामले में वित्तीय विवरणों पर हमारी राय योग्य है।

2. अचल संपत्तियों पर मूल्यहास के लिए लेखापरीक्षा योग्यता:

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय भवन पर मूल्यहास नहीं लगाया है। कंपनी अधिनियम के अनुसार, किसी कार्यालय भवन का उपयोगी जीवन 60 वर्ष निर्धारित है। हालाँकि, कंपनी ने लेखा टिप्पणियों में किसी उपयोगी जीवन का उल्लेख नहीं किया है और सीधे कार्यालय भवन के लिए 30 वर्ष के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास लिया है और तदनुसार, इस छोटी अवधि के लिए मूल्यहास लगाया गया है।

बिना किसी आधार या रिकॉर्ड के कंपनी अधिनियम में निर्धारित उपयोगी जीवन से इस विचलन के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में मूल्यहास शुल्क अधिक हो गया है, जिससे कार्यालय भवन का शुद्ध बही मूल्य और कंपनी का लाभ कम हो गया है। यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम में निर्धारित उपयोगी जीवन का पालन किया होता, तो वर्ष के लिए मूल्यहास व्यय कम होता और शुद्ध लाभ भी उतना ही अधिक होता। वर्ष के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि दर्ज नहीं की गई है। केवल 357749 का आरंभिक शेष पूंजी खाते में डेबिट शेष के रूप में यथावत है।

मूल्यहास की गणना प्रदान नहीं की गई है, इसलिए हम उसका अवलोकन नहीं कर सके।

जैसा कि पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गणना गलत तरीके से की गई थी क्योंकि कुछ संपत्तियों के लिए गलत ब्लॉक को ध्यान में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप कम मूल्यहास दर्ज किया गया और संपत्तियों का ₹124837.17 अधिक मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अधिक लाभ हुआ। इसके अलावा, कुछ संपत्तियों पर ₹46725 के गलत ब्लॉक के कारण अतिरिक्त मूल्यहास भी लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 में लाभ का उतनी ही राशि से कम मूल्यांकन किया गया। इसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारण चालू वर्ष में भी गलत प्रभाव बड़े हैं।

3. विविध देनदारों के दीर्घकालिक बकाया शेष के लिए लेखापरीक्षा योग्यता:

हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी की बैलेंस शीट में निम्नलिखित विविध देनदार शामिल हैं:-

क्र . सं	पार्टी के नाम	रकम(रु.में)	मंटव्य
प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, असम			
1.	बागवानी निदेशक, खानापारा आंचलिक कार्यालय, असम	19411040	सामान्य ऋण अवधि से वर्ष 6 से अधिक की अवधि के लिए बकाया
2.	डोनर मंत्रालय उत्तर पूर्व वाइब्रेंट	1785278	सामान्य ऋण अवधि से 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया
3.	डोनर मंत्रालय वर्ल्ड फुड इंडिया	990495	सामान्य ऋण अवधि से 6 वर्ष
4.	बीग बाजार	10838	से अधिक की
5.	विपणन केंद्र	8647	अवधि के लिए
6.	में अल्टीटेड एक्सपोर्ट	4570	बकाया
7.	प्राईम वेक्स	1816	
8.	रिद्धिमा डी एस एंटरप्राइज	1360	
9.	शीव शक्ति जीजर क.	844	
10.	अरविंद नायार अग्नीम क्षेका.. सिक्कीम	5000	
11.	एस ओ एम रंगोपो	19745	
12.	मेज्योति ट्रेडर्स .	660	
13.	रेटिओ क्षेका, मणीपूर,	12475	
14.	गार्देन केयर	388.00	
15.	मेडिटरानीन ट्रेडिंग क.	2,939.50	
16.	राजमोहन सींह	292.00	
17.	अर्गेनीक मणीपूर	12,090.00	
18.	डाएस जेस्मारानी .	1.00	
19.	नूसीरेई एजेंसी	50,000.00	
20.	टैंडर लीफ इंडिया पार.लि. क्षेका अगरतला.	13,000.00	
21.	आर्ट एंटरटेमेंट एवं सर्विच	62530	

	लि.		
22.	उप निदेशक ईएग्री. खोवा,	24192	
23.	वहार्टीकल्चरीष्ट, नागीचेरा, . प. त्रिपूरा	103812	
24.	टीआईदीसी	33150	
25.	स्वास्टीक	18300	
26.	उप निदेशकहार्टी. उ. , कुमारघाट	629936	सामान्य ऋण अवधि से 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि
27.	सुपारिंटेंट एग्रीसौमानु ,	772671	
28.	सुपारिंटेंट एग्रीदुकी, त्रिपूरा ,	186977	
29.	सुपारिंटेंट एग्रीगंदाचारा, , धालाई	336450	
30.	सुपारिंटेंट एग्रीरूपाईचारी ,	1170122	
31.	सुपारिंटेंट एग्रीपानीसागर ,	123200	
32.	एगजीअभियंता, अगरतला.	78533	
33.	उप निदेशक हार्टीप. , अगरतला	127637	
34.	सुपारिंटेंट एग्रीचाब्रूम, , द.त्रिपूरा	311071	
35.	सुपारिंटेंट एग्रीचालीमा, , धालाई, त्रिपूरा	56042	
36.	एसएस एंड क ., उदयपूर	507338	
37.	जेडदीओ खामलांग पक्षेत्र.	363021	
38.	जेडदीओ टीटीएएदीसी बीसी मन्	916720	
39.	बीडीओ दूकली	225763	
40.	त्रिपूरा एपेक्स फिसारीस , अगरतला	57705	
41.	सुपारिंटेंट एग्रीटेलीयामारा , एफजेसीपीनालकाटा ,	1790954	
42.	मे(प्राईम एडीवील (पी . नई दिल्ली	414754	सामान्य ऋण अवधि से 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया
	कोलकाटा इकाई		

43.	पबंग. स्टेट सीड कॉर्प लिमिटेड, प्रबंध निदेशक	49697480	
	दिल्ली ईकाई		
44.	सालसार एंटरप्राइज	1,260,584	
45.	पृथ्वी एरोफ्रेस	65,327	
46.	एपिडा	6,375	
47.	स्टॉल विक्री	6,348	
48.	ग्रीन मार्ट	11,000	
49.	नोउव कंसाल्टेंसी	2,550	
50.	ट्राईफेड (आरओ अहमदावाद)	5,607	
51.	ट्राईफेड (आरओ भूपाल)	32,919	
52.	ट्राईफेड (आरओ बांगालोर)	5,607	
53.	ट्राईफेड आरओ दिल्ली)	31,507.	
54.	ट्राईफेड (आरओ हाईद्रावाद)	5,607.	
55.	ट्राईफेड (आरओ जयपूर)	14,144	
56.	ट्राईफेड (आरओ राँशी)	9,232	

विविध देनदारों के अंतर्गत लंबे समय से बकाया शेष राशि की उपरोक्त राशि। कंपनी द्वारा बाद में कोई वसूली या निपटान नहीं किया गया और न ही कोई वसूली प्रयास किए गए।

कंपनी ने इन लंबे समय से बकाया शेष राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जिससे उनकी वसूली को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। हमारी राय में, संभावित डूबत ऋणों के लिए प्रावधान न करने से प्राप्य राशि का मूल्य और कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई दे सकती है। यदि कंपनी ने इन संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया होता, तो वर्ष का लाभ कम होता और शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ भी उसी सीमा तक कम हो जातीं।

देनदारों के लिए प्रावधान को अतीत में देनदारों के लिए प्रावधान को डेबिट करके और देनदार खाते को क्रेडिट करके बनाया गया था, लेकिन इसे लाभ-हानि खाते से चार्ज किए बिना। देनदारों के लिए प्रावधान डेबिट शेष 8933049.19 के रूप में दिखाई दे रहा है। देनदारों के लिए प्रावधान 7716995 अग्रतला की पुस्तकों में दिखाई दे रहा है, जिसके विरुद्ध कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका।

4. विविध लेनदारों की दीर्घकालीन बकाया राशि के लिए लेखापरीक्षा योग्यता:

हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी के वित्तीय विवरणों में ₹ 6,80,63,312 की राशि के विविध लेनदार शामिल हैं, जो 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। हमारे सत्यापन और पूछताछ के आधार पर, हम इन दीर्घकालीन बकाया राशि की वैधता और पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इन लेनदारों की संबंधित पक्षों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, और कंपनी ने लागू लेखांकन मानकों के अनुसार इन देनदारियों को वापस लिखने या निपटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। परिणामस्वरूप, हम इन विविध लेनदार शेष राशि के संबंध में आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

क्र.सं.	स्थान	रकम
1.	प्रधान कार्यालय	2652399
2.	क्षेत्रीय कार्यालयअसम,	18831288
3.	क्षेत्रीय कार्यालयअगरतला ,	3345
4.	काजू संस्करण इकाईअगरतला ,	287054
5.	कोलकाता इकाई	44647378
6.	क्षेत्रीय कार्यालयसिक्कीम ,	907559
7.	दिल्ली इकाई	230418
8.	क्षेत्रीय कार्यालयमणीपूर ,	80000
9.	जीपीपीबर्नीहाट ,	423871
	कुल	68063312

क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला में विविध लेनदारों के अंतर्गत 450000 अनाम लेनदार हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला की पुस्तकों में 18 लेनदारों के विरुद्ध लेनदारों के लिए प्रावधान 11415097 पाया गया है। जैसा कि कंपनी द्वारा बताया गया है, लेनदारों के प्रस्तावित बट्टे खाते में डालने के लिए इसे लेनदारों के बहीखाते से काटकर बनाया गया है, लेकिन लाभ-हानि खाते में दर्ज किए बिना। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में लाभ को कम दर्शाया गया है।

5. सरकारी अनुदान पर लेखापरीक्षा योग्यता

वर्ष 31032024 के लिए कंपनी के लेखा नोट्स के नोट o) के अनुसार, किसी व्यय मद से संबंधित सरकारी अनुदान या सब्सिडी को उसकी प्राप्ति के समय ही परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। अचल संपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत से घटा दिया जाता है। जबकि राजस्व से संबंधित अनुदानों को कभी-कभी लाभ-हानि विवरण में क्रेडिट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या तो अलग से या "अन्य आय" जैसे सामान्य शीर्षक के अंतर्गत। वैकल्पिक रूप से, संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में उन्हें घटा दिया जाता है।

हम ध्यान दें कि

क) लेखा पर उपरोक्त नोट में कहा गया है कि किसी व्यय मद से संबंधित सरकारी अनुदानों को उसकी प्राप्ति के समय ही परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। यह AS-20 के अनुरूप नहीं है क्योंकि इसे परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देने की अनुमति नहीं है।

ख) लेखा पर उपरोक्त नोट में कहा गया है कि अचल संपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत से घटा दिया जाता है, जबकि लेखापरीक्षा के अधीन वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई व्यवहार नहीं देखा गया है।

ग) लेखा-टिप्पणियाँ, प्रवर्तकों के अंशदान के रूप में सरकारी अनुदानों को मानने की कंपनी की नीति के बारे में कुछ नहीं कहतीं।

घ) लेखा-टिप्पणियाँ, पिछली लेखा अवधि में हुए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या उद्यम को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्राप्त होने वाले सरकारी अनुदानों को मानने की कंपनी की नीति के बारे में कुछ नहीं कहतीं।

ड) खाता संख्या 24(जी) के नोट्स में अचल संपत्तियों से संबंधित अनुदानों, व्यय या राजस्व से संबंधित अनुदानों, प्रवर्तकों के अंशदान के रूप में अनुदानों आदि के बीच प्राप्त विभिन्न प्रकार के अनुदानों का कोई पृथक्करण नहीं दर्शाया गया है।

च) कंपनी ने 14.18 करोड़ रुपये (एनईसी शिलांग द्वारा वित्तपोषित) के भवन अनुदान को, कंपनी की लेखा नीति में उल्लिखित परिसंपत्तियों की लागत से घटाने के बजाय, आरक्षित निधि और अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत "भवन अनुदान" के रूप में माना है। यदि AS-20 में निर्धारित वैकल्पिक पद्धति का पालन भी किया जाता है, तो भी मूल्यहास योग्य अचल संपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय माना जाना चाहिए था, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा, भवन पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है, जबकि निर्माण पूरा हो चुका है और पुस्तकों में पूंजीकृत हो चुका है।

छ) वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंप्यूटर सिस्टम, ईआरपी सिस्टम और ई-कॉमर्स पोर्टल से संबंधित पुनरुद्धार अनुदान का उपयोग किया है, जो मूर्त/अमूर्त संपत्ति की प्रकृति के हैं। इसके लिए कंपनी ने व्यय की गई लागत से राशि कम की है, लेकिन ऐसी संपत्तियों को लेखा मानक (एएस) द्वारा अपेक्षित नाममात्र मूल्य पर दर्ज नहीं किया है। एएस-20 में कहा गया है, "जहाँ किसी विशिष्ट अचल संपत्ति से संबंधित अनुदान, संपत्ति की पूरी या लगभग पूरी लागत के बराबर हो, वहाँ संपत्ति को बैलेंस शीट में नाममात्र मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए।"

ज) पुनरुद्धार अनुदान शेष को "वर्तमान देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है, भले ही इसका एक भाग कार्यशील पूँजी सहायता के लिए निर्धारित है और सहायक परिचालन कंपनी के विचार में प्रवर्तकों के अंशदान के रूप में हैं और उन्हें शेयरधारकों की निधि माना जाना चाहिए। AS-20 में प्रावधान है: प्रवर्तकों के अंशदान के रूप में प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूँजी आरक्षित निधि में जमा किया जाना चाहिए और उन्हें शेयरधारकों की निधि का एक भाग माना जाना चाहिए।

झ) मानकछार काजू प्रसंस्करण संयंत्र के लिए ₹19906029 की राशि को CWIP के रूप में मान्यता प्राप्त दिखाई गई है, जो पूरी नहीं हो सकी और परियोजना रुकी हुई है। इसे 3 वर्षों से अधिक समय से प्रगतिरत कार्य के रूप में दर्शाया जा रहा है और पिछले कई वर्षों से इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके विरुद्ध बैलेंस शीट के देयता पक्ष में कोई संगत सरकारी अनुदान नहीं दर्शाया गया है। कंपनी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रही।

ञ) अनुदान के रूप में 13.40 करोड़ रुपये की राशि लेखा पुस्तकों में चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाई दे रही है, जिसका समाधान और उचित लेखा-जोखा आवश्यक है।

ट) विभिन्न स्रोतों से अनुदान के रूप में प्राप्त 455.51 लाख रुपये की राशि को लेखा टिप्पणियों के नोट 24(जी) के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं किया गया है। विवरण नीचे दिया गया है:

वन विभाग 26226

जीआई महोत्सव कश्मीर 109400

आईआईई से कौशल प्रगति 2075084

एनईडीएफआई से एलआरपी 200000

महावीर इंटरनेशनल 8931

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (217145838-174630817) = 42515021

एनएचडीपी 51050

नेडएफआई कियोस्क सोनामुरा 490000

ठ) कंपनी की लेखा नीति और लेखा मानक 12 के अनुसार सरकारी अनुदानों का विभाजन नहीं किया गया, जो लेखा मानक-12 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। (म) वित्तीय वर्ष 2017-18 में जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनईसी द्वारा 16,00,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था, लेकिन कुल व्यय 17,75,547 रुपये हुआ, शेष राशि 1,75,547.00 रुपये है। (1775547-1600000) अभी भी अनुदान (डीआर शेष) के अंतर्गत पड़ा है जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

ड) पिछले वर्षों के दौरान, कंपनी ने कर पेशेवर से प्राप्त राय के आधार पर, "आरक्षित निधि और अधिशेष के अंतर्गत पूंजी अनुदान - गैर-निधि आधारित सहायता" शीर्षक के अंतर्गत, 28.23 करोड़ रुपये (31.03.2021 तक) के बकाया भारत सरकार के ऋण पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज (30.09.2021 तक की गणना) के रूप में 32.33 करोड़ रुपये की गैर-निधि आधारित सहायता हस्तांतरित की थी। इस संबंध में, कंपनी ने उक्त राशि को पूंजी अनुदान मानने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसके लिए मंत्रालय से अभी भी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

6. दोषरहित देयता के गैर-पूँजीकरण पर लेखापरीक्षा योग्यता

एनईसी निधि से छह मील दूर एक बाजार परिसर के निर्माण से संबंधित दोषरहित देयता के लिए 65.04 लाख रुपये की राशि रोक दी गई थी। इसे बहीखातों में पूँजीकृत नहीं किया गया है।

7. बैंक शेषों पर लेखापरीक्षा योग्यता

एसबीआई नाहरलागुन, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता और एसबीआई ताडोंग के बैंक विवरण, जिनमें क्रमशः 20888.50, 37558.50 और 307622.26 का बहीखाता शेष दर्शाया गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हमारे सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

8. इन्वेंटरी पर लेखापरीक्षा योग्यता

क. लेखा पुस्तकों के अनुसार भौतिक इन्वेंटरी और स्टॉक में बेमेल है। हालाँकि वास्तविक इन्वेंटरी की लागत या एनआरवी उपलब्ध नहीं है, फिर भी हमने पुस्तकों के अनुसार भौतिक इन्वेंटरी और स्टॉक के बीच अंतर दर्शाने के लिए एक अनुसूची तैयार की है।

ख. भौतिक स्टॉक और पुस्तकों के अनुसार स्टॉक के बीच अंतर मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से है:

- प्रारंभिक शेष राशि में अंतर
- मंत्रालयों को दान
- पुराना और अप्रचलित स्टॉक।

घ. बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार इन्वेंटरी मूल्य में उन सामग्रियों का मूल्य शामिल नहीं है जो भौतिक सत्यापन के दौरान नहीं मिलीं।

ड. अगरतला में स्टॉक में कुछ ऋणात्मक शेष पाए गए।

9. राजस्व मान्यता पर लेखापरीक्षा योग्यता

कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना के कार्यान्वयन मार्गदर्शिका के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 तक की अवधि के लिए 3% की दर से एफपीओ पर्यवेक्षण शुल्क प्राप्त होगा। कंपनी ने मंत्रालय से ऐसी धनराशि का दावा भी नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व और लाभ कम दर्शाया गया है।

वर्ष के दौरान ₹750950 की आय को क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी द्वारा माल दुलाई एवं हैंडलिंग व्यय के साथ समायोजित किया गया, जिससे राजस्व की पहचान नहीं हो पाई।

सावधि जमा खाता बही के अंतर्गत, 26AS के साथ समाधान नहीं पाया गया। इसके अलावा, पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए गए अंतर ब्याज की बुकिंग के साक्ष्य के रूप में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी के अंतर्गत SBI-TDR-32355985984 के लिए कोई ब्याज बुक नहीं किया गया।

10. उचंत खाता शेष पर लेखापरीक्षा योग्यता

वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत ₹294346/- करोड़ का उचंत खाता शेष मौजूद है, जिसका विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी के टीबी में उचंत खाता जमा शेष ₹78551 पड़ा है।

उचंत खाते के अंतर्गत ₹175137.13 करोड़ की राशि बकाया है।

11. लेखा पुस्तकों में सामान्य खाता बही पर लेखा परीक्षा योग्यता

हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, हमें कुछ सामान्य खाता बही मिले हैं जिनका कोई विवरण कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

एक सामान्य खाता बही प्रधान कार्यालय (SC) 941144.10 बहुत लंबे समय से विविध लेनदारों के अंतर्गत पड़ा है।

एक सामान्य खाता बही प्रधान कार्यालय (CL) 16799172.28 बहुत लंबे समय से अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत पड़ा है।

जमा के अंतर्गत हमें प्रधान कार्यालय (जमा) नामक एक सामान्य खाता बही मिलती है जिसका शेष आरंभ से 1205082.12 D है।

एक सामान्य खाता बही बकाया देनदारियों के अंतर्गत अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत पड़ा है जिसमें 4840 की राशि बहुत लंबे समय से बकाया है।

एक सामान्य खाता बही बकाया देनदारियों के अंतर्गत 144365 की राशि बहुत लंबे समय से बकाया है।

उपरोक्त के अलावा, 450000 के अनाम लेनदार भी पड़े हैं। जेडओ अगरतला में विविध लेनदारों के अंतर्गत ऋण और अग्रिम (परिसंपत्तियों) में प्राप्य खाते के अंतर्गत 'संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम' के नाम से एक सामान्य खाता बही है, जिसमें बहुत लंबे समय से बकाया ₹4126870/- का शेष है।

12. पक्षों से शेष राशि की पुष्टि पर लेखापरीक्षा योग्यता

देनदारों, लेनदारों, ऋणों, अग्रिमों, जमाओं, देनदारियों और परिसंपत्तियों के अंतर्गत पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रथा नहीं है। तदनुसार, हम विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज राशियों के अस्तित्व और शुद्धता की जाँच, सत्यापन और टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

13. व्यय का प्रावधान न करने पर लेखापरीक्षा योग्यता

जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, वित्तीय वर्ष 2015-16 तक की अवधि के लिए लेखा पुस्तकों में टीडीएस की संदिग्ध वसूली/वापसी का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, क्योंकि परिपत्र संख्या 9/2015 [F.NO.312/22/2015-OT] दिनांक 09.06.2015 के अनुसार, संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष तक दावे के लिए क्षमादान दायर किया जा सकता है। इसका प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप संदिग्ध ऋणों/प्राप्य राशियों के लिए प्रावधान कम दिखाया गया और लाभ विवरण 38.15 लाख रुपये प्रत्येक से अधिक दिखाया गया।

मूल्यांकन वर्ष	वित्त वर्ष	विवरण	रकम (रुमें.)	आईटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख
2014-15	2013-14	वित्तीय वर्ष से 14-2013 पहले प्राप्य टीडीएस	1349343.00	31-05-2021

2015-16	2014-15	प्राप्य टीडीएस	1109455.00	31-05-2021
2016-17	2015-16	प्राप्य टीडीएस	841489.00	31-05-2021
2017-18	2016-17	प्राप्य टीडीएस	515238.00	07-12-2021

नेरामेक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119(2)(b) के तहत वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR दाखिल करने में देरी के लिए आयकर अधिकारियों से क्षमादान का भी अनुरोध किया था।

14. पूर्व अवधि की मदों पर लेखापरीक्षा योग्यता

कंपनी वर्ष के अंत में व्ययों पर सही प्रावधान नहीं बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप अगले वर्ष में पूर्व-अवधि की मदों के रूप में आगे ले जाया जाता है।

AS-5 "अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन" के पैराग्राफ 15 के अनुसार, पूर्व अवधि की मदों की प्रकृति और राशि का लाभ और हानि विवरण में अलग से इस प्रकार खुलासा किया जाना चाहिए कि वर्तमान लाभ या हानि पर उनके प्रभाव को समझा जा सके।

लाभ और हानि खाते से निम्नलिखित मदों को डेबिट/क्रेडिट किया गया है।

विवरण	वर्ष	डेबिट (₹)	क्रेडिट(₹)
क्षेत्रीय कार्यालय असम(किराया, जू स्टॉल किराया और ईएमडी)	2022- 23		6226
डाईनाटेक	2022- 23	61046	
सुधा एंड एशोसीयट	2022- 23	263800	
अग्रिम सीएस राय	2022- 23	24694	
पुनरुद्धार ग्रांट	2022- 23		4133568
एसबीआई टीडीआर (प्रारंभिक शेष समायोजनकर्ता	202223	15055	
अग्रिम	2022- 23	91131	
एम बोरा एंड कंपनी	2022- 23	22656	
कृष्णा एशोसीयट	2022- 23	27572	
यूको बैंकमानकाछार ,	2022- 23	780	
मनोज पाठक	2022- 23	10000	
असम सेवा समिति	2022- 23	42000	
कृषि ओ एशोसीयट	2022- 23	94400	
टीडीएस-194 J	2022- 23	30000	
टीके घोष एंड क. सीए	2022- 23	22420	
दिल्ली हॉ इकाई),सीएल(2022- 23	27465	
क्षेका अगरतला सीएल	2022- 23	50	

15. बिक्री के विरुद्ध अग्रिम और खरीद के विरुद्ध अग्रिम पर लेखापरीक्षा योग्यता

बिक्री के विरुद्ध अग्रिम (देयता) बहुत लंबी अवधि तक बकाया रहता है। विवरण नीचे दिया गया है।

पार्टी	प्रारंभिक जमा	शेष जमा 31.03.2024	मंटव्य
सीपीइऊ अगरतला	5000	5000	कोई समायोजन नहीं हुआ है
क्षे .का . अगरतला	743784.35	743784.35	कोई समायोजन नहीं हुआ है
क्षे .का . अरुणाचल	14355184	14355184	कोई समायोजन नहीं हुआ है
क्षे .का . असम	10347166	13452166	बिक्री के विरुद्ध अग्रिम राशि 10347166 हो गई है 13452166 से बढ़कर

खरीद (परिसंपत्तियों) के विरुद्ध अग्रिम राशि बहुत लंबे समय तक बकाया रहती है। विवरण नीचे दिया गया है।

16. अग्रिमों पर लेखापरीक्षा योग्यता

अग्रिमों के अंतर्गत, प्रधान कार्यालय में जमा शेष राशि वाले कई बहीखाते हैं। इसके अलावा, कई बहीखाते ऐसे भी हैं जिनमें लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कोई गतिविधि नहीं हुई है और इनमें से अधिकांश 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। विवरण नीचे दिया गया है।

पार्टी	प्रारंभिक जमा 31.03.23	शेष जमा 31.03.2024	मंटव्य
प्रधान कार्यालय		7766848.97	6930738.13 >5 वर्ष से
सापीइऊ अगरतला अग्रिम	62645	62645	All > 5 वर्ष से
दिल्ली हाट अग्रिम	686742.87	686742.87	All > 5 वर्ष से
एफजेसीपीनालकाटा अग्रिम ,	809560	809560	All > 5 वर्ष से
जीपीपी अग्रिम	1578	1578	All > 5 वर्ष से

कोलकाटा अग्रिम	409	409	All > 5 वर्ष से
क्षेका. अगरतला अग्रिम.	2573817.21	2579567.21	1326023 > 5 वर्ष से
क्षे का.अरुणाचल.अग्रिम	8660	8660	All > 5 वर्ष से
क्षेका असम.	2492968.98	2492968.98	2493270.95> 5 वर्ष से
क्षे का मणीपूर अग्रिम	1002612.62	1002612.62	971086> 5 वर्ष से
क्षेका मेघालय अग्रिम	1724195.83	1724195.83	All > 5 वर्ष से
क्षे का मिजोराम अग्रिम	233857	233857	All > 5 Years
क्षे का नागालैंड अग्रिम	16973	16973	All > 5 Years
क्षेका सिक्कीम अग्रिम	721314.75	721314.75	All > 5 Years

अंचल कार्यालय एवं प्रधान कार्यालयवार दीर्घकालीन बकाया जमा की तालिका निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	विवरण	रकमा(₹)	मंटव्य
1	क्षेत्रीय कार्यालय ,अगरतला	296992.96	284791> 5 वर्ष से
2	एफजेसीपीनालकाटा ,	4000.00	All >5 वर्ष से
3	क्षेत्रीय कार्यालयअरुणाचल ,	50000.00	All >5 वर्ष से
4	क्षेत्रीय कार्यालय सिक्कीम	27902.00	All >5 वर्ष से
5	प्रधान कार्यालय	9419987.12	1416002.12
6	क्षेत्रीय कार्यालयअसम ,	875626.00	725626> 5 वर्ष से
7	क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड ,	10000.00	All >5 वर्ष से
8	दिल्ली हाट	150000.00	All>5 वर्ष से

ऋण एवं अग्रिम (परिसंपत्तियां) के अंतर्गत आने वाले दीर्घकालीन बकाया अग्रिम निम्नलिखित हैं:

पार्टी	प्रारंभिक जमा	शेष जमा
	31.03.23	31.03.2024
बोनस वसूली योग्य	31028	31028
दिष्ट्रीक्ट एवं सेचन जर्जकामरुप ,	2398856	2398856
इएसएससी एंटरप्रीनारसीप सेक्टर स्कील काउंसिल	56600	56600
मनोज कुमार दास	21808 Cr	21808 Cr
सिक्कीउरिटी जमा आडानी	224000	224000

ऋण और अग्रिम (संपत्ति) के अंतर्गत प्राप्य खाता नामक एक खाता बही है जिसमें कई मर्दे हैं और एक खाता बही को छोड़कर सभी बहुत लंबे समय से बकाया हैं और उनमें कोई हलचल नहीं है। इनमें से अधिकांश ऋण

शेष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ये देय हैं और ऋण और अग्रिम के अंतर्गत गलत तरीके से प्राप्त के रूप में वर्गीकृत हैं।

पार्टी	प्रारंभिक जमा	शेष जमा 31.03.2024
एपीडा	258485 Dr	451285 Cr
दिस्ट्रीक हार्टीकल्चर अफिसबीजनोर ,	6069 Cr	6069 Cr
हार्टीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग ब्रांसबरेली ,	2711 Cr	2711 Cr
आईसाआईआर कमप्लेक्स नई दिल्ली क्षेत्र के लिए उमरोई रेड	25000 Cr	25000 Cr
केरेला चीड्स डेवलपमेंट ऑथरिटी	447888 Cr	447888 Cr
लोन एवं अग्रिम संपर्कित पार्टियाँ	4126870 Dr	4126870 Dr
एमएफपीआई मंत्रालय	1342107 Cr	1342107 Cr
एस सी दे से प्राप्य	1205205 Dr	1205205 Dr

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी की पुस्तकों में 23 पक्षों को दिया गया ₹2551806.44 का अग्रिम बहुत लंबे समय से एक समान पड़ा है।

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी की पुस्तकों में कर्मचारियों को दिया गया ₹58837.49 का अग्रिम बहुत लंबे समय से एक समान पड़ा है।

17. चालू देनदारियों पर लेखापरीक्षा योग्यता

चालू देनदारियों के अंतर्गत कई ऐसे खाते हैं जिनमें डेबिट शेष राशि है। इसके अलावा, कई ऐसे खाते भी हैं जिनमें लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कोई गतिविधि नहीं हुई है। बिना किसी गतिविधि वाले और उच्च शेष वाले ऐसे कुछ बहीखाते इस प्रकार हैं: दोषपूर्ण देयता देय 6504193, प्रधान कार्यालय (सीएल) 16799172.28 **NEGGWS** 3647675

उपार्जित और देय ब्याज डोनर 17706797.44 करोड़, जो बहुत लंबे समय से चालू देनदारियों के रूप में दिखाई दे रहा है और डोनर मंत्रालय द्वारा ब्याज और दंडात्मक ब्याज की गलत गणना और संचार के कारण इसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

18. वैधानिक अनुपालन पर लेखापरीक्षा योग्यता

बहुत लंबे समय से मुख्यालय में जीएसटी के विरुद्ध शुल्क एवं करों के अंतर्गत 7380 रुपये (करोड़) की राशि जमा है।

कंपनी देयता होने और टीडीएस दर्ज करने से पहले ही अग्रिम टीडीएस जमा कर उसे अग्रिम टीडीएस बहीखाते में रख देती है, जिसके परिणामस्वरूप उस अवधि के लिए ब्याज की हानि होती है जब तक वह समायोजित नहीं रहता। कभी भी कोई समाधान नहीं किया जाता। इसके अलावा, 31.03.2024 तक 1667 रुपये (खाते) का एक असमाधान शेष है।

सीपीएफ-12% (कर्मचारी) बहीखाते में 198 रुपये की देयता बहुत लंबे समय से अवैतनिक है।

शुल्क एवं कर मेघालय बहीखाते में 6107 रुपये का अग्रिम भुगतान बहुत लंबे समय से अवैतनिक है।

पी टैक्स लेजर पर 67741.56 रुपये की देनदारी लंबे समय से बकाया है।

टीडीएस सैलरी लेज़र पर 38652 रुपये का अग्रिम भुगतान लंबे समय से असमायोजित है।

त्रिपुरा वैट लेज़र पर 30331 रुपये की देनदारी लंबे समय से बकाया है।

चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाई देने वाली कानूनी फीस पर आरसीएम 107492.60 रुपये लंबे समय से बिना किसी समायोजन के बकाया है।

हमारे नमूना जाँच में हमने पाया कि निम्नलिखित पर जीएसटी नहीं लगाया गया है: (क) एजेंसी शुल्क-कौशल परियोजना (ख) एफपीओ पर्यवेक्षण और अन्य प्रशासनिक शुल्क (ग) विविध आय (घ) प्रसंस्करण शुल्क (ङ) माल ढुलाई और हैंडलिंग आय।

डिज़ाइनिंग और लेबलिंग व्यय के लिए कलर्स ऑफ इंडिया को भुगतान की गई कुछ राशि, जिस पर टीडीएस नहीं काटा गया है।

योग्य भुगतानों पर जीएसटी आरसीएम का अनुपालन नहीं पाया गया।

सीजीएसटी देय ₹51491.42 डीआर और वैट देय ₹4346 करोड़, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला में बहुत लंबे समय से बकाया है।

दायर किए गए जीएसटी रिटर्न और निगम की सभी इकाइयों की लेखा पुस्तकों के अनुसार टर्नओवर में अंतर पाया गया।

दिखाई दे रहे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी शेष राशि का जीएसटी पोर्टल के साथ मिलान नहीं पाया गया।

काफी लंबे समय से पी टैक्स देयता के तहत ₹4696 की राशि बकाया है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

वर्ष के दौरान प्रणय गोस्वामी को मैनपावर सप्लाई-सीपीयू के लिए ₹842051 का भुगतान किया गया, हालाँकि बिलों पर कोई टीडीएस नहीं काटा गया।

टीडीएस कटौती के निम्नलिखित मामले दर्ज किए गए, लेकिन दाखिल किए गए टीडीएस रिटर्न में नहीं दर्शाए गए

क्र. सं.	तिमाही	पार्टी के नाम	अनुभाग	टीडीआरएएमटी(₹)
1	II	कृष्णा एशोसीयट	194I	2710
2	II	सूशीला फाउंडेशन	194C	15000
3	II	एटीएमएस	194C	5000
4	II	टार्यानजास स्टाकसर औ टेकनोजिस्ट प्रा.लि .	194C	15000
5	III	एपीआरआईएनएस	194C	10000

	कुल	47710
--	-----	-------

वर्ष 2023-24 कंपनी हमें 31.03.2024 तक 6 महीने के भीतर और 6 महीने से आगे देय वैधानिक बकाया राशि का विवरण प्रदान नहीं कर पाई है।

कंपनी हमें GSTIN पोर्टल और लेखा पुस्तकों में मौजूद ITC का समाधान विवरण प्रदान नहीं कर पाई है।

TRACES पोर्टल पर TDS के विरुद्ध निम्नलिखित मांग मौजूद है:

वित्त वर्ष 2011-12 ₹11410/-

वित्त वर्ष 2023-24 ₹19190/-

आयकर पोर्टल पर आयकर के विरुद्ध निम्नलिखित विवरण के अनुसार बकाया मांग मौजूद है:

मांग संदर्भ संख्या	ए वाई	अनुभाग कोड	बकाया मांग	उपार्जित ब्याज
2023202337239079641C	2023	1431a	963440	87580
2012201010027854634C	2010	1433	3529147	2934034

19. ईएमडी/एसडी पर लेखापरीक्षा योग्यता

सुरक्षा जमा और ईएमडी के लिए कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता है, इसलिए एक नज़र में स्थिति ज्ञात नहीं है। दोनों बहीखातों को टैली खातों में मिला दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पालतू जानवरों की दुकान के लिए बयाना राशि के रूप में, ₹60,000 की शेष राशि के विरुद्ध, वर्ष के दौरान ₹1,60,000 की राशि जारी की गई।

66 पार्टियों के विरुद्ध ₹5,01,275 की सुरक्षा जमा राशि खातों में बकाया है और क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला में कोई गतिविधि नहीं हुई है।

क्रेडिट बैलेंस के रूप में पड़ी सुरक्षा जमा (सेवीर बायो टेक) 436636 को क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में जमा (संपत्ति) के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

20. आयकर और टीडीएस समाधान पर लेखापरीक्षा योग्यता

हमें कंपनी की पुस्तकों में आयकर और टीडीएस प्राप्तियों से संबंधित विभिन्न नामों से अलग-अलग बहीखाते मिले हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

प्रकार	वकाया 01.04.2023	वकाया 31.03.2024
प्राप्त आयकर	1942139	1942139
एफडी ब्याज पर टीडीएस	3458146	4017190

पेशेवर सेवाओं पर टीडीएस	112000	112000
प्राप्य टीडीएस (अन्य)	2135323	4148639.59

इस संबंध में कोई समाधान नहीं किया गया है। वर्ष-वार विवरण दिखाने वाली अनुसूची उपलब्ध नहीं है। यदि कोई समायोजन किया गया है, तो ऐसा कभी नहीं कहा गया है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए **NERAMAC** के **ITR** के अनुसार **TDS/TCS** रिफंड 9.64 लाख रुपये था, जबकि कंपनी के खातों के अनुसार यह 8.28 लाख रुपये था, अर्थात् 1.36 लाख रुपये का अंतर तीन **TDS** प्रविष्टियों के कारण है, जिन्हें लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

इसके अलावा, **AS 21** द्वारा अपेक्षित आस्थगित कर परिसंपत्तियों/आस्थगित कर देनदारियों के लिए प्रावधान नहीं बनाया गया पाया गया है।

वित्तीय विवरणों में अनुपातों की रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा योग्यता

हमने वित्तीय विवरणों के अनुसार रिपोर्ट किए गए अनुपातों और मानक सूत्र के अनुसार गणना किए जाने वाले अनुपातों में महत्वपूर्ण अंतर पाया है। कुछ टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

विवरण	लेखा परीक्षक के अनुपात गणना		प्रबंधन की अनुपात गणना		मतभेद का कारण	अनुपालन के लिए टिप्पण किया
	2022/23	2023/24	2022/23	2023/24		
ऋण इक्विटी अनुपात	2.54	0.44	1.7	0.92	ऋण घटक में कंपनी की बैलेंस शीट पर कोई भी अल्प कालिक उधार, दीर्घ कालिक ऋण और ऋण जैसी कोई भी वस्तु शामिल होती है। इक्विटी घटक में मालिकों	

						अर्था) त संस्था पको) द्वारा योग दान की गई कोई भी क्विड टी, पूंजी बाजार में जुटाई गई इक्विटी और प्रति धारित आय शामिल होती है।
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	2.04	NIL	2.1	NIL		शुद्ध परिचालन आय के लिए लिए गए मूल्य में

					अंतर
लाभांश	9.04%	21.23%	11.93%	3.56%	2022-23 के वित्तीय विवरणों में करों का कोई भुगतान नहीं दिखाया गया है। प्रबंधन को शेयरधारकों की इक्विटी में आरक्षित निधियों की राशि पर विचार करना चाहिए था।

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	239.258	76.484	4.89	7.64	
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	4.70	4.62	0.014	1	क्रेडिट बिक्री के लिए कोई स्प ष्टीक रण नहीं दिया गया
व्यापार प्राप्य व्यापार अनुपात	3.66	1.567	1.04	0.39	क्रेडिट खरीद के लिए कोई जान कारी उपल ब्ध नहीं है, इस लिए हमने पूरी खरीद राशि ले ली
शुद्ध पूंजी कारोबार	-6.47	45.603	60	11.28	वित्तीय वर्ष -22 23 और -21

						22 में शुद्ध बिक्री और ऋणा त्मक कार्य शील पूंजी के लिए स्प ष्टीक रण आव श्यक
शुद्ध लाभ अनुपात	4.43%	3.43%	4.24	3.49	वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 2022-23-में कोई कर नहीं चुकाया जाएगा	
पूंजी पर वापसी	30.27%	8.57%	5.46%	6.34%	अनुपात गणना के लिए लिए	

						गए आंक ड़ों में विसं गति।		
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

22. ईपीएस की रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा योग्यता

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार, ईपीएस की रिपोर्ट इस प्रकार की जानी है: (क) मूल और तनुकृत दोनों असाधारण मदों सहित ईपीएस और (ख) मूल और तनुकृत दोनों असाधारण मदों को छोड़कर ईपीएस।

कंपनी ने दोनों श्रेणियों में समान ईपीएस 0.04 रिपोर्ट किया है, अर्थात, असाधारण मदों सहित ईपीएस और असाधारण मदों को छोड़कर ईपीएस।

इसके अलावा, पहली श्रेणी में तनुकृत ईपीएस का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात, असाधारण मदों सहित ईपीएस।

23. रिपोर्ट की गई गैर-वर्तमान देनदारियों पर लेखापरीक्षा योग्यता

अन्य चालू देनदारियां: 240.89 रुपये (नोट संख्या 6) उपरोक्त में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र सिलचर (डीआई एंड सीसी) को देय किराए के तौर पर 36.45 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है। कंपनी ने मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए डीआई एंड सीसी, सिलचर से 30 साल की अवधि के लिए 0.60 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह के किराए पर एक प्लॉट (जनवरी 2009) लिया था। हालांकि, उपरोक्त जमीन को डीएल एंड सीसी ने जनवरी 2020 में वापस ले लिया। कंपनी ने पिछले नौ वर्षों से न तो किराए का भुगतान किया है और न ही अपने खातों की पुस्तकों में प्रावधान किया है, बल्कि इसे आकस्मिक देनदारियों के तहत शामिल किया है। इस राशि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों (अन्य देय) को कम करके दिखाया गया है और रिजर्व और अधिशेष और वर्ष के लिए लाभ को 36.45 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया है

24. भुगतान हेतु देय व्यापार देय राशियों की गलत रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा योग्यता

नोट संख्या 24 (w) में भुगतान हेतु देय व्यापार देय राशियों के लिए आयु निर्धारण अनुसूची शून्य दर्शाई गई है, जो घोर गलत है।

25. नोट संख्या 7 में प्रयुक्त गलत नामकरण पर लेखापरीक्षा योग्यता

कंपनी अधिनियम की अनुसूची III के प्रभाग I और लेखा मानक 10 के अनुसार, अचल संपत्तियों का शीर्षक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आदि होना चाहिए। नोट संख्या 7 में इसका पालन नहीं किया गया है।

26. AS-17 खंड रिपोर्टिंग के गैर-अनुपालन पर लेखापरीक्षा योग्यता

AS-17 द्वारा निर्धारित खंड रिपोर्टिंग का कंपनी द्वारा पालन नहीं किया गया है।

27. अन्य टिप्पणियाँ

क) सचिवीय स्टॉल, अगरतला में 0.35 लाख रुपये के स्टॉक की कमी, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में कांति लशकर को गलत बिक्री और अग्रिम राशि देकर रोकड़ बही के माध्यम से गलत तरीके से समायोजित किया गया था, को लेखा पुस्तकों से नहीं लिखा गया है, हालांकि इस मामले पर 28वीं और 29वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक में चर्चा की गई है।

ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹5717915 की राशि का टीडीएस गलत तरीके से पैन के बजाय टैन के नाम पर जमा किया गया। प्रबंधन द्वारा धनवापसी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन उचित अनुवर्ती कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

(ग) कंपनी के पास सूक्ष्म या लघु उद्यमों को देय राशि की पहचान उनके पास मौजूद दस्तावेजों और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेखा सॉफ्टवेयर के आधार पर करने की कोई प्रणाली नहीं है। इसलिए, कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों या लघु उद्यमों की पहचान नहीं कर रही है।

घ) "हॉर्टी संग्राम" वित्तीय वर्ष 2020-21 से बिना किसी गतिविधि के पूंजी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में दिखाई दे रहा है।

ड) "सीएम केयर फंड" बहुत लंबे समय से क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला की पुस्तकों में बिना किसी गतिविधि के दिखाई दे रहा है।

च) हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने NEDFI/पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से कार्यशील पूंजी ऋण लिया है। ₹28.23 करोड़ की लंबित मूल राशि को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है और ₹32.22 करोड़ का ब्याज/दंडात्मक ब्याज आरक्षित निधि और अधिशेष के माध्यम से बट्टे खाते में डाल दिया गया है, हालाँकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुमोदन अभी भी लंबित है। साथ ही, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा ब्याज और दंडात्मक ब्याज की गलत गणना और संचार के कारण ₹1.77 करोड़ का ब्याज और दंडात्मक ब्याज बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। कंपनी ने डिबेंचर जारी नहीं किए हैं:

विवरण	अवधी(कब से)	रकम(₹)
ब्याज	01/04/2016	₹27,25,08,521.00
कार्यशील पूंजी पर दंडात्मक ब्याज	01/04/2016	₹6,73,98,276.00

छ) निगम के अगरतला क्षेत्रीय कार्यालय में अप्रैल 2023, मई 2023, जून 2023, जुलाई 2023, अगस्त 2023 और अक्टूबर 2023 माह के विभिन्न दिनों में नकारात्मक नकदी उपलब्ध थी, जिसकी प्रामाणिकता की जाँच/स्थापना नहीं की जा सकी।

के लिए, डी पटवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म का पंजीकरण संख्या 324523E)

अमित पटवारी
भागीदार स्थान: गुवाहाटी
सदस्यता संख्या 061971 दिनांक: 26-11-2024
UDIN: 24061971BKDIEE1172

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की आज की रिपोर्ट का अनुलग्नक-बी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई खाता पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(i) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया जाता है और ऐसे सत्यापनों में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और लेखा पुस्तकों के अनुसार संपत्तियों की संख्या और प्रकार में विसंगति पाई गई है। चूंकि भौतिक सत्यापन के अनुसार कुछ पुरानी संपत्तियों की लागत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें रूपों में निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(घ) भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ संपत्तियाँ या तो क्षतिग्रस्त हैं या काम करने की स्थिति में नहीं हैं। इन संपत्तियों को रद्द करके लेखा पुस्तकों से हटा दिया जाना चाहिए।

(ङ) अचल संपत्ति रजिस्टर में संपत्ति की विस्तृत जानकारी जैसे विशिष्ट पहचान, स्थान, खरीदी गई इकाइयों की संख्या, संपत्ति की लागत, वसूली योग्य लागत आदि का खुलासा नहीं होता है।

(च) मंत्रालय को दी गई घोषणा के अनुसार, वित्तीय विवरण में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।

(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(d) का प्रावधान लागू नहीं होता।

(ज) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(e) का प्रावधान लागू नहीं होता।

(ii)

(क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन्वेंट्री का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया जाता है। लेकिन इसकी सटीकता प्रमाणित नहीं की जा सकती क्योंकि भौतिक स्टॉक और बहीखातों में रखी गई इन्वेंट्री में अंतर है।

(ख) प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएँ कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं। किसी स्वतंत्र संस्था से स्टॉक ऑडिट की सिफारिश की जा सकती है।

(ग) प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का मैनुअल रिकॉर्ड रखा जाता है। भौतिक स्टॉक और बहीखातों के बीच सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों का लेखा-जोखा बहीखातों में उचित रूप से समाधान नहीं किया गया।

(घ) वर्ष के दौरान, कंपनी के पास कोई कार्यशील पूँजी सीमा नहीं है, इसलिए आदेश का यह बिंदु लागू नहीं होता।

(iii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, एलएलपी को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं की है। परिणामस्वरूप, आदेश के iii (a), (b), (c), (d), (e) और (f)

के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों, निवेशों, गारंटियों और सुरक्षा के संबंध में, जहाँ कहीं भी लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) का प्रावधान लागू नहीं होता।

(vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

(vii)

(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वैधानिक बकाया राशि के संबंध में: कंपनी, यहाँ दी गई सूचना (अनुलग्नक-क सहित) को छोड़कर, उचित प्राधिकारियों को निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर और अन्य वैधानिक बकाया राशि शामिल है, नियमित रूप से जमा करती है।

(ख) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया वैधानिक बकाया राशि की सीमा हमें प्रदान नहीं की गई है।

(ग) उप-खंड (क) में उल्लिखित वैधानिक बकाया राशि का विवरण, जो विवादों के कारण 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

कानून की प्रकृति	बकाया की प्रकृति	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	राशि रुपये में
आय कर	धारा 143(1)(a) के अंतर्गत मांग मांग संदर्भ संख्या 2023202337239 079641C	विवाद के कारण भुगतान न होने के साक्ष्य के रूप में अपील और अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए	ए वाई 2023	मांग: 963440 रुचि: 87580
आय कर	धारा 143(3) के अंतर्गत मांग मांग संदर्भ संख्या 2012201010027 854634C	-----वोही-----	ए वाई 2010	Demand: 3529147 Interest: 2934034

((viii)) जैसा कि कंपनी द्वारा सूचित किया गया है, पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में

समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix)

a) हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने NEDFI/पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से कार्यशील पूंजी ऋण लिया है। NERAMAC के पुनरुद्धार पैकेज (जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बताया गया है) के अनुसार, बकाया मूल राशि ₹28.23 करोड़ को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है और पिछले वर्षों के भंडार और अधिशेष के माध्यम से ₹32.22 करोड़ का ब्याज/दंडात्मक ब्याज बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसके अलावा, NERAMAC द्वारा ब्याज और दंडात्मक ब्याज की गलत गणना और संप्रेषण के कारण ₹1.77 करोड़ का ब्याज और दंडात्मक ब्याज बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। कंपनी ने निम्नलिखित डिबेंचर जारी नहीं किए हैं:

विवरण	अवधि(कब से)	रकम(₹)
ब्याज	01/04/2016	₹27,25,08,521.00
कार्यशील पूंजी पर दंडात्मक ब्याज	01/04/2016	₹6,73,98,276.00

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई अल्पकालिक ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(d) के प्रावधान लागू नहीं होते।

ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(e) के प्रावधान लागू नहीं होते।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(च) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(x)

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे के सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान लागू नहीं होते।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते।

((xi)

क) प्रबंधन द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम

रिपोर्ट करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई विहिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन के लिए, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है, हालांकि संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण वित्तीय विवरणों में पूरी तरह से प्रकट नहीं किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

(xiv)

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा वर्ष की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi)

क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xvii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई ₹220 लाख (अपवाद मद) के पुनरुद्धार अनुदान द्वारा की गई है, जिससे कर-पश्चात लाभ ₹127.78 लाख दर्शाया गया है।

(xviii) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के त्यागपत्र का कोई मामला नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xix) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि कंपनी अपनी देनदारियों को बैलेंस शीट की तिथि पर, बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जब भी वे देय हों, चुकाने में सक्षम है।

(xx) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

डी पाटवारी एंड कंपनी के वास्ते
शीसपत्रीत लेखाकार
(फार्म पंजीकरण सं.324523E)

अमीट पाटवारी

साथी

स्थान: गुवाहाटी

सदस्यता सं..061971

दिनांक: 26-11-2024

UDIN: 24061971BKDIEE1172

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 3(एफ) में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 तक उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी और अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाने वाले मार्गदर्शन नोट और लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी और दोनों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू, अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनानी और उसे क्रियान्वित करना होगा कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

विपरीत राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कुछ भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है, जैसा कि स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ए' में दिया गया है।

'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों के कारण, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और इन भौतिक कमजोरियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक प्रतिकूल राय जारी की है।

डी पटवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म का पंजीकरण संख्या 324523E)

अमित पटवारी
भागीदार
स्थान: गुवाहाटी
सदस्यता संख्या 061971
दिनांक: 26-11-2024
यूडीआईएन: 24061971बीकेडीआईईई1172

नेरामेक लिमिटेड

डी. पटवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

Sd/-
कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)
DIN:09598427
प्रबंध निदेशक

Sd/-
शीलभद्र दास
DIN:1059210
निदेशक

Sd/-
संजीव कुमार राय
M.No. A52998
कंपनी सचिव

Sd/-
अमित पटवारी
भागीदार
M.No. 061971

दिनांक: 23.07.2024
स्थान: गुवाहाटी

दिनांक: 26.11.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "डी"

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ... में संदर्भित) अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर रिपोर्ट।

वर्ष 2023-24 के लिए धारा 143(5) के तहत निर्देश/उप-निर्देश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खर्चों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	हां, कंपनी के पास आईटी सिस्टम यानी टैली ईआरपी के माध्यम से सभी अकाउंटिंग लेनदेन को प्रोसेस करने की व्यवस्था है। ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, आईटी सिस्टम के बाहर कोई भी लेनदेन प्रोसेस/किया नहीं गया है, तदनुसार खर्चों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए, क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है।)	ऋण/कर्ज जहां कंपनी उधारकर्ता है: डोनर मंत्रालय ने पुनरुद्धार पैकेज दिया है, जिसमें 28.23 करोड़ रुपये के भारत सरकार के ऋण को इक्विटी शेयर में बदलने और 32.22 करोड़ रुपये के ब्याज और दंडात्मक ब्याज को माफ करने की बात कही गई है। ऋण/कर्ज जहां कंपनी ऋणदाता है: लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा अन्य पक्षों को उधार दी गई राशि के संबंध में ऋण/ऋण/ब्याज आदि के पुनर्गठन या छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।	कंपनी ने कर पेशेवर से प्राप्त राय के आधार पर "रिजर्व और अधिशेष" के अंतर्गत "पूंजी अनुदान गैर निधि आधारित सहायता" के अंतर्गत 28.23 करोड़ रुपये (31.03.2021 तक) के बकाया भारत सरकार के ऋण पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज (30,09.2021 तक की गणना) के 32.33 करोड़ रुपये के गैर निधि आधारित समर्थन को स्थानांतरित कर दिया है। इस संबंध में, कंपनी ने उक्त राशि को पूंजी अनुदान के रूप में मानने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत किया है। साथ ही NERAMAC द्वारा ब्याज और दंडात्मक ब्याज की गलत गणना और संचार के कारण 1.77 करोड़ रुपये के ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

<p>क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित तरीके से हिसाब-किताब किया गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।</p>	<p>परीक्षण जांच एवं लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे संज्ञान में कोई रिपोर्ट योग्य विचलन नहीं आया है।</p>	<p>शून्य</p>
<p>क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित तरीके से हिसाब-किताब किया गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं</p>	<p>नमूना जांच और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन (अनुदान / सब्सिडी) के लेखांकन / उपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट योग्य विचलन हमारे ध्यान में नहीं आया है।</p>	

के लिए, डी पटवारी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 (फर्म का पंजीकरण संख्या 324523E)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India
CIN: U01409AS1982GOI001932
Tele: +91 361 2341427, Website : www.neramac.com
31च 2024 तक की तुलन पत्र

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024 तक (000 रु. में)	31.03.2023 तक (000 रु. में)
I. साम्य और देयताएं			
1 शेयर धारक का निधी			
(a) शेयर मूलधन	1	358,500	358,500
(b) आरक्षित और अधिशेष	2	-156,970	-217,115
		201,530	141,385
2 निवर्तमान देयताएं			
(a) अल्प कालीन ऋण	3	-	-
(b) दीर्घ कालीन ऋण	4	1,691	1,212
		1,691	1,212
3 वर्तमान देयताएं			
(a) अल्प कालीन ऋण			
(b) व्यापार देय राशि	5	88,558	358,679
(c) अन्य वर्तमान देय	6	240,894	252,581
		329,452	611,260
		532,674	753,857
II. परिसंपत्तियाँ			
1 निवर्तमान संपत्तियाँ			
(a) नियत संपत्तियाँ			
मूर्त संपत्तियाँ	7	150,928	15,672
प्रगतिधीन कार्य	7A	19,906	142,989
(b) दीर्घ कालीन ऋण और अग्रिम			
(c) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति			
		170,834	158,660
2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(a) माल सूची	8	5,190	4,864
(b) व्यापार प्राप्तियाँ	9 & 9A	81,047	79,949
(c) नकद और बैंक में जमा राशि	10	179,259	426,712
(d) अल्प कालीन ऋण और अग्रिम	11	83,629	75,949
(e) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	12	12,715	7,723
		361,840	595,197
		532,674	753,857
		532,674	753,857

1 से 21 तक की सहवर्ती वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग है।
कृते नेरामेक लिमिटेड

नेरामेक लिमिटेड

डी. पटवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

Sd/-

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)

DIN:09598427

प्रबंध निदेशक

Sd/-

शीलभद्र दास

DIN:1059210

निदेशक

Sd/-

संजीव कुमार राय

M.No. A52998

कंपनी सचिव

Sd/-

अमित पटवारी

भागीदार

M.No. 061971

दिनांक: 23.07.2024

स्थान: गुवाहाटी

दिनांक: 26.11.2024

विवरण	टिप्पणी सं.	2023-24 (000 रु. में)	2022-23 (000 रु. में)
जारी संचालन(1)			
1. संचालन से राजस्व	13	372,231	966,627
2. अन्य आय	14	29,047	135,426
3. कुल राजस्व (1+2)		<u>401,707</u>	<u>1,102,053</u>
4. व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत			
व्यापारिक स्टॉक की खरीद		350,318	928,318
व्यापारिक स्टॉक की सूची में प	15	326	1,075
कर्मचारी लाभ व्यय	16	26,170	20,773
वित्तीय लागत मूल्यहास	17		1,577
मूल्यहास		1,014	918
अन्य व्यय	18	32,670	132,618
कुल व्यय		<u>409,846</u>	<u>1,083,129</u>
असाधारण और असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(-)हानि			
6. असाधारण सामग्री	19	22,000	24,995
7. साधारण मदों और कर से पहले लाभ/(-)हानि(5-6)		13,861	43,919
8. असाधारण सामग्री	20	3,407	1,125
9. कर से पहले लाभ(7+8)		17,268	42,794
10. कर व्यय			
1. चालू कर		4,490	
2. स्थगित कर			
निरंतर परिचालन से वर्ष के लिए लाभ (9+10)		<u>12,778</u>	<u>42,794</u>
12. अप्रचलित परिचालन से लाभ			
13. अप्रचलित परिचालन से कर व्यय			
14. अप्रचलित परिचालन के कर के वाद लाभ(12-12)		12,778	42,794
15. वर्ष के दौरान लाभ		12,778	42,794
17. प्रति साम्य शेयर पर आय(रु 1,000)			
1. मूल		0.04	0.12
2. पतला			
18. प्रति साम्य शेयर पर आय(असाधारण सामग्री के वाद)(रु 1000)			
1. मूल		0.04	0.12
2. पतला		0.04	0.12

संलग्न नोट 1 से 21 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

नेरामेक लिमिटेड

डी. पटवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

Sd/-

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)

DIN:09598427

प्रबंध निदेशक

Sd/-

शीलभद्र दास

DIN:1059210

निदेशक

Sd/-

संजीव कुमार राय

M.No. A52998

कंपनी सचिव

Sd/-

अमित पटवारी

भागीदार

M.No. 061971

दिनांक: 23.07.2024

स्थान: गुवाहाटी

दिनांक: 26.11.2024

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India

31.03.2024 की वित्तीय विवरण

टिप्पणी 1
विवरण

	31.03.2024 तक (000 रु. में)	31.03.2023 तक (000 रु. में)
प्राधिकृत प्रत्येक 1000 रुपए के 600000 साम्य शेयर	600,000	600,000
जारी अभिदत्त तथा प्रदत्त प्रत्येक 1000 रुपए के 358500 साम्य शेयर	358,500	358,500
कुल	358,500	358,500

कंपनी के 1000 के एक समान मूल्य के साम्य शेयर के रूप में उल्लिखित एक ही श्रेणी के शेयर है।

टिप्पणी 1 क

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी की राशी का समाधान नीचे दिया गया है-

विवरण	31.03.2024 तक साम्य शेयर		संख्या	31.03.2023 तक साम्य शेयर	
	संख्या	(000 रु. में)		संख्या	(000 रु. में)
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर जोड़े - वर्ष के दौरान जारी	358,500	3,558,500.00	358,500.00	358,500	
वर्ष के अंत तक बकाया शेयर	-	358,500.00	358,500.00	358,500	

टिप्पणी 1 ख

शेयर धारकों की मार्च 31, 2024 तक कुल प्रदत्त पूंजी क 5% से अधिक धारिता निम्नानुसार है -

क्र. सं.	शेयर धारक के नाम	31.03.2024 तक धारित शेयरों की संख्या	% धारिता
1	भारत के राष्ट्रपती	358,480	99.99
2	सचिव एन ई सी	10	0
3	उप सचिव एन ई सी	10	0

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 2 आरक्षित एवं अधिशेष
विवरण

	31.03.2024 तक (000 रु. में)	31.03.2023 तक (000 रु. में)
लाभ और हानि के विवरण अधिशेष/घाटा)		
आदि शेष	-633,406	-676,200
निवल लाभ/निवल हानि	12,778	42,794
इति शेष	-620,628	-633,406.31
भवन ग्रांट	141,760	94,393
पूँजी आरक्षित - कर्मचारियों के लाभ के लिए (वीआरएस)		
मूल्य हास रिजर्व	-358	-358
सब्सिडी रिजर्व-विक्री रिजर्व	-	-
सहायता अनुदान-एन एम एफ पी के तहत	56	56
सामान्य आरक्षित	322,200	322,200
कुल	-156,970	-217,115

टिप्पणी 2 दीर्घ कालीन ऋण
विवरण

	31.03.2024 तक (000 रु. में)	31.03.2023 तक (000 रु. में)
गैर प्रत्याभूत		

डोनर मंत्रालय(अपरिपक्व)	-	-
कुल		-
टिप्पणी 4 दीर्घकालीन व्यवस्था विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	(000 रु. में)	(000 रु. में)
दीर्घ कालीन व्यवस्था		
उपदान की व्यवस्था	831	646
छूट्टी रियायत की व्यवस्था	860	566
कुल	1,691	1,212

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 5 विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	(000 रु. में)	(000 रु. में)
1. एमएसएमइ		
2. विवादित कारण - एमएसएमइ		-
3. विवादित कारण - अन्यान्य	44,647	44,647
4. अन्यान्य	43,911	314,031
कुल	88,558	358,679

टिप्पणी 6 विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	(000 रु. में)	(000 रु. में)
अर्जित ब्याज और उधार पर देय	17,707	17,707
अन्य देय	223,138	234,838
उपदान की देय	22	19
छूट्टी नकदीकरण प्रावधान	27	18
कार्य मूलधन ऋण और ब्याज/दंडात्मकब्याज का पुर्नमूल्यांकन		-
कुल	240,894	252,581

अन्य देय में सांविधिक देयराशि,प्रतिभूती जमा राशि और ग्राहकों से अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी 7 विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	(000 रु. में)	(000 रु. में)
आदि शेष	15,672	15,934
जोड़-परिवर्धन	136,300	715
घटाएँ-अवमूल्यन रिजर्व में अंतरिकत	30	60
घटाएँ - अवमूल्यन	1,014	918
कुल	150,928	15,672

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 8 विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	(000 रु. में)	(000 रु. में)
कच्ची सामग्रियाँ		
तैयार माल	4,739	4,413
भंडा और अधिशेष	182	182
अन्य*	269	269

कुल 5,190 4,864.27

अन्य के अंतर्गत पैकिंग सामग्रियाँ और ईंधन सामग्रियाँ शामिल हैं जिन्हें लागत पर लाया जाता है।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 9
विवरण

	31.03.2024 तक (000 रु. में)	31.03.2023 तक (000 रु. में)
भूगतान के लिए देय होने की तारीख से 6 माह से कम समय से बकाया व्यापार प्राप्ती योग्य राशियां	3,975	2,340
भूगतान के लिए देय होने की तारीख से 6 माह से कम समय से बकाया व्यापार प्राप्ती योग्य राशियां	77,073	77,609
कुल	81,047	79,949

टिप्पणी 10 नकदी और बैंक में जमा राशि
विवरण

	31.03.2024 तक (000 रु. में)	31.03.2023 तक (000 रु. में)
क. बैंक में शेष	74,244	327,816
ख. उपलब्ध नकदी	314	94
ग. मार्गस्थ प्रेषण		
घ. बैंकों में सावधिक जमा	97,548	93,663
ड. पी एन बी, जू रोड वी आर एस के तहत सावधिक जमा	7,153	5,139
कुल	179,259	426,712

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 11 अल्पकालिक-मियादी ऋण और अग्रीम
विवरण

	31.03.2024 तक (000 रु. में)	31.03.2023 तक (000 रु. में)
ख. अन्य		
जमा	10,735	2,701
ऋण और अग्रीम	37,562	36,888
अन्यन्य	35,332	36,360
Total	83,629	75,949

टिप्पणी 12 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां
विवरण

	31.03.2024 तक (000 रु. में)	31.03.2023 तक (000 रु. में)
प्राप्ती योग्य कर	12,638	7,647.61
अप्रत्यक्ष प्राप्य कर	77	75
कुल	12,715	7,723

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India
CIN: U01409AS1982GOI001932
Tele: +91 361 2341427, Website : www.neramac.com

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 13

**प्रचालनों से राजस्व
विवरण**

	31.03.2024 तक (000 रु.में)	31.03.2023 तक (000 रु.में)
बिक्रियां	365,447	965,952
अंतर शाखा बिक्री		
अन्य प्रचालन राजस्व	6,785	675
सेवाओं की बिक्री	-	-
कुल	372,231	966,627

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 14

विवरण

	31.03.2024 तक (000 रु.में)	31.03.2023 तक (000 रु.में)
मताधिकारी फीस	-	-
ब्याज	5,517	4,620
वाहनों के किराए से आय	-	-
विविध प्राप्ती	312	142
इवेंट और प्रदर्शनी परियोजना	23,647	130,664
कुल	29,476	135,426

टिप्पणी 15

विवरण

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के 31.03.2024 तक 31.03.2023 तक (000 रु.में) (000 रु.में)	
इति स्टॉक	4,739	4,413
आदि स्टॉक	4,413	3,338
कुल	-326	-1,075

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 16

विवरण

	31.03.2024 तक (000 रु.में)	31.03.2023 तक (000 रु.में)

मजदूरी और वेतन(बोनस सहित)	23,164	19,043
स्चाफ कल्याण	1,905	615
भविष्य निधि के लिए अंशदान प्रभार सहित	1,101	1,115

कुल **26,170.34** **20,773**

टिप्पणी 17

विवरण	31.03.2024 तक (000 रु.में)	31.03.2023 तक (000 रु.में)
कार्य पूंजी ऋण पर ब्याज	-	1,400
कार्यशील पूंजी ऋण पर दंड ब्याज	-	177
कुल	-	1,577

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 18

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (000 रु.में)
विज्ञापन व्यय	-	26
प्रशासनिक व्यय	-	49
लेखा व्यय	-	47
आंतरिक लेखा व्यय	-	-
लेखा परिक्षकों की पारिश्रमिक	-	59
बैंक प्रभार	-	35
बोर्ड बैठक का व्यय	-	110
पुस्तकें और पत्रिकाएं	-	161
परामर्श प्रभार	-	80
विजली व्यय	-	43
प्रदर्शनी एवं व्यपार मेला	-	-
इवेंट एवं प्रदर्शनी	-	7
भाड़ा एवं परिवहन	-	11
इंधन लागत(कोल,एलपीजी,डीजल)	-	46
जीएसटी	-	24
बीमा	-	409
साक्षात्कार व्यय	-	570
मजदूरी व्यय	-	458
विधिक खर्च	-	21,984
बैठक एवं सम्मेलन	-	121,766
विविध व्यय	-	575
कार्यालय व्यय	-	162
पैकिंग सामग्री	-	338
	-	196
	-	236
	-	29
	-	-
	-	26
	-	0
	-	118
	-	-
	-	23
	-	110
	-	49
	-	28
	-	12
	-	55
	-	214
	-	154
	-	991
	-	493

नेरामेक लिमिटेड

डी. पटवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

Sd/-

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)

DIN:09598427

प्रबंध निदेशक

Sd/-

शीलभद्र दास

DIN:1059210

निदेशक

Sd/-

संजीव कुमार राय

M.No. A52998

कंपनी सचिव

Sd/-

अमित पटवारी

भागीदार

M.No. 061971

दिनांक: 23.07.2024

स्थान: गुवाहाटी

दिनांक: 26.11.2024

डाक एवं कोरियार	39	58
मूद्रण एवं लेखन सामग्री	260	336
प्रसंस्करण व्यय	0.5	-
प्रोफेशनल व्यय	822	157
दर एवं कर		111
नवीकरण फीज	50	3
किराया	3,262	3,338
मरम्मत और रखरखाव	115	159
आर ओ सी व्यय	23	68
कमीशन व्यय		-
स्टॉल व्यय	201	491
यात्रा व्यय	1,796	1,330
टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	60	66
यात्र और भत्ता	10	20
वाहन का रखरखाव	109	117
अन्यन्य व्यय	952	1,393
वाहन किराया व्यय	48	197
स्थीर सम्पत्ती विक्री पर घाटा	0.05	
कुल	32,669.56	132,618

टिप्पणी 19 विवरण	31.03.2024 तक (000 रु.में)	31.03.2023 तक (000 रु.में) (000 रु.में)
क) उपदान	-	13,683
ख) छुट्टी रियायत	-	7,235
ग) वेट देय	-	225
घ) आरक्षित एवं अधिशेष	-	3,852
पुनरुद्धार अनुदान	22,000.00	
कुल	22,000	24,995

टिप्पणी 20 असाधारण सामग्री	31.03.2024 तक (000 रु.में)	31.03.2023 तक (000 रु.में)
(क) पूर्व अवधि समायोजन	-3,407	1,125

टिप्पणी 21 लेखा परीक्षक पारिश्रमिक विवरण	-	0
पिछले वर्ष की वैधानिक लेखापरीक्षा फीस	-	43
ख) वैधानिक लेखा परीक्षा फीस चालू वर्ष	80	94
ग) चालू वर्ष कर लेखापरीक्षा शुल्क	30	24

**उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन लिमिटेड
नकदी प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**

विवरण	2023-24		2022-23	
	(000 रु. में)	(000 रु. में)	(000 रु. में)	(000 रु. में)
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
वर्ष के दौरान निवल लाभ जोड़े -	12,778		42,794	
विवरण	1,014		918	
उपदान का प्रावधान	185		-10,947	
छूट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	294		-5,712	
खड़ाव स्टॉक व्यवस्था	-		-	
अचल संपत्तियों की बिक्री से लाभ	0		60	
ब्याज भूगतान	-		1,577	
प्राप्त ब्याज	-5,517		-4,620	

कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन से उत्पन्न नकदी

स्टॉक में कमी(कमी/वृद्धि)	-325		-1,075	
देनदारों में कमी(कमी/वृद्धि)	-1,098		45,794	
अग्रिमों में (कमी/वृद्धि)	-7,680		3,649	
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी				
व्यापार उधार दाताओं में(कमी/वृद्धि)	-270,121		210,138	
रिजर्व एवं अधिशेष में वृद्धि/(कमी)			318,348	
वर्तमान देयताओं में (वृद्धि/कमी)	-11,687		-381,815	
	-239,783		217,669	

परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)

निवेशक गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
नियत परिसंपत्तियों की खरीद	-136,300.26		-715	
अचल संपत्तियों का निपटान				
प्रप्त ब्याज	5,517.14		4,620	
पूंजी कार्यवृद्धि में प्रगति	123,082.50		-58,184	
		-7,671		-54,280

निवेशक गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह (ख)

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
दीर्घकालीन ऋण उधार लेना	-		-20,000	
शेयर केपिटल	-		-	
ब्याज की भूगतान	-		-1,577	
वित्तीय गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह				-21,577

वर्ष के दौरान कुल अंतर्वाह		-247,453		141,813
जोड़े नकद में शुरुआत की अवधि		426,712		#REF!
अवधि के अंत में नकद		179,259		#REF!

नेरामेक लिमिटेड

डी. पटवारी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

Sd/-

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)

DIN:09598427

प्रबंध निदेशक

Sd/-

शीलभद्र दास

DIN:1059210

निदेशक

Sd/-

संजीव कुमार राय

M.No. A52998

कंपनी सचिव

Sd/-

अमित पटवारी

भागीदार

M.No. 061971

दिनांक: 23.07.2024

स्थान: गुवाहाटी

दिनांक: 26.11.2024

टिप्पणी-7 स्थीर संपत्ती

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास			नेट ब्लाक	
	शुरूआत में लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	कटौती/समायोजन	वर्ष के दौरान लागत	प्रारंभ के वर्ष	वर्ष में	कटौती/समायोजन	कुल तक
वर्ष								
साल के दौरान								
अंत में								
साल का								
वर्ष								
साल के दौरान								
वर्ष के अंत								
वर्ष के अंत								
पिछले साल								
वर्ष के अंत								
जमीन	2,453,932			2,453,932				2,453,932
भवन	11,344,766	135,982,446		147,327,212	25,246,912	552,490	257,994,02	146,774,722
कार्यालय सामग्री	132,167	237,517		369,684	1,821,101	106,768	1,927,869	262,916
कंप्यूटर	275,282	80,300		355,582	3,134,490	149,063	3,283,553	206,519
इलेक्ट्रिकल	328,259	-		328,259	844,474	58,386	902,860	269,873
फर्निचर	265,262	-		265,262	3,605,126	33,129	3,638,255	232,133
इलेक्ट्रिकल सामग्री	70,172			70,172	856,014	13,841	869,855	56,331
प्लॉट और मशीनरी	503,783	-		503,783	21,450,037	7,505	21,457,542	496,278
वाहन	298,873	-	-30,048	268,825	2,039,359	92,975	2,132,334	175,850
कुल	15,672,496	136,300,263	-30,048	151,942,711	58,997,513	1,014,157	60,011,670	150,928,554
								15,672,496

टिप्पणी 7 क

उत्तर पूर्वी क्षेत्री कृषि विपणन निगम लिमिटेड

पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

Capital Work in progress aging schedule as on 31-03-24 पूंजीगत कार्य प्रगति पर 31-03-2024 तक की सूची

सी डब्ल्यू आई पी

सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि

कुल

1 वर्ष के कम 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष

राशि रु. में

परियोजनाएं प्रगति पर हैं

-

-

19,906,029.00

अस्थायी रूप से निलंबन कर दी गई परियोजनाएं

-

टिप्पणी 9 क प्राप्य व्यापार
उत्तर पूर्वी क्षेत्री कृषि विपणन निगम लिमिटेड

पूँजीगत कार्य प्रगति पर 31-03-2024 तक की सूची

विवरण	भूगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया#				राशि रु.में	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	कुल	कुल
अच्छ माना जाता -निविदाद व्यापार प्राप्य	3,974,808.36	2,340,436.11	176971	-919462.13	7,40,381.93	3,13,50,09.44
संदिग्ध माना जाता -निविदाद व्यापार प्राप्य						30,251,785.00
अच्छ माना जाता -निविदाद व्यापार प्राप्य						
v) विवादित व्यापार प्राप्य को संदिग्ध माना गया						49,697,480.00
						49,697,480.00
						49,697,480.00
						59,697,480.00
						81,047,499.44
						79,949,265.20
						81047

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी
31-03- 2024 तक के वित्तीय विवरण भाग की टिप्पणियां

टिप्पणी: 22

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चालू वित्त वर्ष की धारणा के आधार पर तैयार किए गए हैं। इन्हें भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार तैयार किया गया है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन किया जा सके, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ संशोधित किए गए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाए गए लेखांकन मानक पिछले वर्ष के मानकों के अनुरूप हैं। लेखांकन नीतियों का लगातार पालन किया जा रहा है, जिनका विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है।
- कंपनी ने प्रतिस्थित आय एवं व्यय बढ़ोतरी के आधार पर व्यापारिक प्रणाली की अनुसरण करते हैं।
- जब कि लेखांकन नीतियाँ विशेष रूप से सुसंगत हैं और आम तौर पर लेखा नितियों के साथ स्वीकृत हैं।

ख. वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों, राजस्व और व्यय, आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरणों के रिपोर्ट किए गए शेष को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस वर्ष में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम जात/भौतिक होते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से पहचाना जाता है।

ग) एसएमसी स्थिति

कंपनी एसएमसी स्थिति के अंतर्गत नहीं है

घ) नियत परिसंपत्तियाः(सम्पत्ति,परयोजना और सामग्री)

1. सम्पत्ति,संयंत्र और सामग्री उपकरण को संचित हानियाँ यदि कोई हो, शुद्ध अधिग्रहण लागत पर बताया गया है। बाद की लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या उपयुक्त रूप में एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। केवल तभी जब यह संभव हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रभावित होंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव का शुल्क उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।
2. सेवानिवृत्ति या संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निपटान पर होनेवाले लाभ और हानि को लाभ हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
3. संपत्ति,संयंत्र और उपकरण (यदि कोई हो) जो तुलन पत्र की तिथि को इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें "प्रगति में पूंजीगत कार्य" के रूप में प्रकट किया जाता है।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास प्रो-राटा आधार पर प्रदान किया जाता है। हालांकि रुपए की लागत वाली संपत्ति खड़ी के वर्ष में 5.000 या उससे कम का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।
5. फ्री होल्ड जमीन मूल्यहीन नहीं है।
6. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुर्नमूल्यांकन, उपयोगी जीवन और संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है और यदि उफयुक्त हो तो संभावित रूप समायोजित किया जाता है।
7. बैलेंस शीट के आंकड़ों में तीन लीजहोल्ड भूमि विवरण शामिल नहीं हैं जैसा कि नीचे बताया गया है क्योंकि स्वामित्व और शीर्षक विलेख नेरामेक के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है।

क) असम सरकार द्वारा दिनांक 05.01.2009 को 2,30,400 वर्ग फुट पट्टे की भूमि सिलचर में की आवंटित की। उसी के आवंटन को असम सरकार, 0/0 महाप्रबंधक, जिला, उद्योग और वाणिज्य केंद्र, कछार द्वारा अपने पत्र (12/2/2018) द्वारा रद्द कर दिया गया था। जनवरी 2020 को जीएमडीआई और सीसी द्वारा भूखंड का अधिग्रहण किया गया था।

ख) 30.03.2001 को मेघालय सरकार द्वारा आवंटित 4000 वर्ग मीटर भूमि बर्णीहाट में पट्टे पर आवंटित किया है।

ग) 05.09.1986 को त्रिपुरा सरकार द्वारा 3.64 हेक्टेयर नालकाटा में पट्टे पर भूमि आवंटित किया है।

ड.) मूल्यह्रास :

अवमूल्यन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -II के भाग ग में यथा उल्लिखित उपयोगी जीवन अवधि के आधार पर दिया गया है।

(इ) परिसंपत्तियों की विरूपण:

किसी परिसंपत्ति को विकृति के रूप में उस समय समझा जाता है जब परिसंपत्तियों की वह क्षमता इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक होती है। विकृति हानि को उस वर्ष में लाभ- हानि लेखा में प्रभावित किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की विकृत पर संपत्ति के रूप में पहचान की जाती है।

च) माल (इन्वेंटरी):

इन्वेंटरी का मूल्यांकन उनकी लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर जो भी निवेशों का मूल्यांकन लागत कम (फीफो पर) भारित औसत, जैसा भी मामला हो, और अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रदान करने के वाद शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है, जहां आवश्यक समझा जाता है। लागत पर माल को बिक्री के स्थान पर लाने के सभी शुल्क शामिल हैं। उपभोज्य भंडारके के स्टॉक का मूल्य कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

छ) राजस्व मान्यता:

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व को रिटर्न और व्यापार छूट के शुद्ध रूप में मान्यता दी जाती, जब माल/सेवाओं के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक खरीदार को हस्तांतरित किए जाते हैं, जो आम तौर पर रीजस्व ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

अन्य आय जैसे ब्याज आय को सांख्यिक/समय के आधार पर मान्यता दी जाती है जबकी लाभांश (यदि कोई हो) को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया हो।

ज) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण AS-3 में बताए गए अप्रत्यक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी और नकदी समतुल्य नकदी और बैंक शेष राशि को दर्शाते हैं, जिसमें सावधि जमा शामिल है।

झ) पूर्व अवधि मदें

कंपनी अपने खाते उपार्जन आधार पर तैयार करती है और इसलिए सामान्य तौर पर ऐसी कोई मद मौजूद नहीं होती। हालाँकि, यदि कोई पूर्व अवधि मद है और महत्वपूर्ण पाई जाती है, तो उसे वित्तीय विवरणों में अलग से दिखाया जाता है।

ञ) निवेश

रिपोर्टिंग अवधि में कोई निवेश नहीं था।

ट) कर्मचारी लाभ:

गैर छूट आधार पर प्रत्याशित दायित्व पर आधारित कर्मचारी के अल्पकालिक लाभों को उस वर्ष में संबंधित अवधि के लाभ एवं हानि के विवरण में खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ठ) कर्मचारी लाभ:

अपेक्षित दायित्व के आधार पर अल्पावधि कर्मचारी लाभ, बिना छूट के आधार पर, उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

रोजगार के बाद लाभ:

परिभाषित अनुदान योजना:

पश्च नियोजन और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवा की है। निगम के कर्मचारी उपर्युक्त स्कीमों में कर्मचारी के कुल वेतन के विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर मासिक नियत अंशदान करते हैं।

परिभाषित लाभ योजना:

उपदान/ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी की व्यवस्था लेखांकन मानक (ए एस) 15-कर्मचारियों के लाभ के शर्तानुसार किसी लिपिक द्वारा, वित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण: छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था लेखांकन मानक (ए एस) 15-कर्मचारियों के लाभ के शर्तानुसार किसी लिपिक द्वारा, वित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

झ) कर्मचारी पृथक्करण लागत:

उन कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति को जिन्होंने कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प दिया है, विकल्प के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

ञ) प्रति शेयर कामाई

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कर पश्चात लाभ/हानि (असाधारण मद के कर पश्चात प्रभाव, यदि की हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला ईयरिंग की गणना कर के बाद लाभ/हानि को विभाजित करके (असाधारण आईटम कर के बाद के प्रभाव यदि कोई हो) को विभाजित करके लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों को व्यय या आय के लिए समायोजित किया जाता है जो कि संभावित साम्य शेयरों से संबंधित है,) प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए साम्य शेयरों की भारत औसत संख्या और साम्य शेयरों की संख्या जो सभी कमजोर संभावित साम्य शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

ट) सरकारी अनुदान और रियायत

किसी व्यय मद से संबंधित सरकारी अनुदान या रियायत को इसकी प्राप्ति के समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है। अचल संपत्तियों के संबंध में सरकारी अनुदान संबंधित अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत से कम कर दिया जाता है।

ठ) प्रस्तावित लाभांश

संशोधित लेखा मानक 4 तुलन पत्र तिथि के बाद होनेवाली आकस्मिकताओं और घटनाओं के अनुपालन में, साम्य शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश और वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन कर को देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। तुलन पत्र की तारीख और ऐसे घषित होने पर मान्यता दी जाएगी।

ड) उधार लागत:

वह उधार लागतें जो अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन अथवा निर्माण पर आरोप्य होती हैं, उनको इस प्रकार की परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जिसमें इसके निर्दिष्ट प्रयोग अथवा बिक्री के लिए इसे तैयार कराने के लिए काफी समय लगता है। अन्य उधार लागतों को एक ऐसे खर्च के रूप में माना जाता है जिसमें उनका व्यय किया जाता है।

ढ) आकस्मिक देयताएं:

आकस्मिक देयताएं ऐसे मौजूदा संभावित देयताओं के संबंध में बताई जाती हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है किंतु उनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने अथवा घटित नहीं होने से की जाती है जोकि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में होती हैं।

ण) खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी का एकल कारोबार है जिसे "उत्पाद आधारित कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन" के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कंपनी का कारोबार कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत जारी ए एस -17 में यथा परिभाषित भिन्न खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत नहीं आता है।

त) निवेश के लिए लेखांकन:

निवेश लागत पर किए जाते हैं। नियत जमा में निवेश पूंजी व्यय और राजस्व व्यय के लिए लगाई जाने वाली उपयोग में लाई गई निधि को निरूपित करता है

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

31.03 2024 तक के वित्तीय विवरण भाग की टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी: 23

a) शेयर केपिटल

विवरण	तक 2024 मार्च 31	2023 ,मार्च 31तक
प्राधिकृत शेयर केपिटल	00-60,00,00.0	00-60,00,00.0
प्रदत्त पूंजी	35,85,00.000	35,85,00.000

ख) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	सं.	2024 मार्च 31 तक	सं.	2023 ,मार्च 31 तक
शुरुआत अवधि में	35850	35,85,00.000	35850	35,85,00.000
इस अवधि के दौरान जारी	शुण्य	शुण्य	शुण्य	शुण्य
अवधि के अंत में	35850	35,85,00.000	35850	35,85,00.000

ख) इक्विटी शेयरधारकों की हिस्सेदारी का ब्यौरा

विवरण	तक 2024 मार्च 31	2023 ,मार्च 31तक
-------	------------------	------------------

	ना	%	ना	%
भारत के राष्ट्रपति	358480	99.99	358480	99.99
उत्तर पूर्व परिषद शीलांग(उपवसचिव)	20	0.01	20	0.01

वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त सूचना

1. आंकड़ों को मौजूदा वर्ष के प्रस्तुतीकरण से पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक होने पर दोबारा समूहवद्ध किया गया है/द्वारा वर्गीकृत किया गया है।
2. अदरक प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना करने के लिए निगम के पास 4000 वर्ग मीटर का एक अपना भूखंड है जो ई पी आई पी, बिर्नीहॉट में संख्या 12 पर स्थित है, जिसे मेघालय सरकार द्वारा अस्थाई रूप से आवंटित किया गया है और जिस का मूल्य शून्य लिया गया है।
3. कार्यालय भवन के निर्माण के लिए निगम के पास कामरूप ,असम में दिसपुर राजस्व सर्किल के अंतर्गत स्वयं की 1.54 बीघा जमीन है जिसे असम सरकार द्वारा 22,50,000/- रुपए की कुल कीमत पर आवंटित किया गया है। इस राशि का भुगतान 25 वर्ष के लिए भू राजस्व और करों की 28,210/की राशि के साथ मई 2011 में किया गया था।
4. काजू फैक्ट्री की स्थापना के लिए निगम के पास धुबरी जिला के मनकाचार में 6 बीघा 2 कट्ठा और चार लाचा जमीन है जिसका मूल्य 2,03,932/- है।
5. निगम ने मानकाचर काजू प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कर रहा है, जिसे एनएलसीपीआर के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से असम में "मनकाचर में काजू प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना" की परियोजना के लिए 248.34 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है, जिसमें से प्राप्त कुल राशि 203.19 हजार रुपये है। परियोजना लागत में वृद्धि के कारण निर्माण पूरा नहीं हो सका और रुका हुआ है। तनाव बढ़ने के कारण बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए एनईसी से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है। हालाँकि, निर्माणाधीन संयंत्र का मूल्यांकन 24.02.2020 को किया गया था और पुनर्मूल्यांकन राशि 199.06 लाख रुपये थी। इसे वित्त वर्ष 2018-19 के खातों में 'पूर्व अवधि समायोजन' शीर्षक के तहत मान्यता दी गई है तथा चालू वर्ष में खातों को बैलेंस शीट में **WIP** के अंतर्गत अंतिम पुनर्मूल्यांकन तिथि के मूल्य के अनुसार दर्शाया जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।
6. नेरामेक ने सीक्स माईल, गुवाहाटी में एक मार्केटिंग परिसर का निर्माण कर रहा है, जिसे उत्तर पूर्व परिषद(एन ई सी) द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। पत्र सं. दिनांक - 14/03/2017, एनईसी कार्यालय सह वाणिज्यिक भवन (ब्लाक 1) के लिए बी+जी+5 और अतिथि गृह (ब्लाक 2) के लिए जी+3 के प्रावधान के साथ 6040.00 वर्ग मीटर। के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ। आर्किटेक्ट कंसल्टेंट, मेसर्स डिजाईनर्स गिल्ड को दिनांक- 06/11/2017 को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नियुक्त किया गया था। साईत की व्यवसायिक व्यवहार्यता और अनुमेय एफ.ए.आर. कार्यालय सह वाणिज्यिक भवन के लिए बी+जी+7 और अतिथि गृह बी+जी+5 के

प्रावधान के साथ, 6835.45 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र को 31/01/2018 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिनांक-28/03/2018 को जीएमडीए/जीएमसी प्राधिकरणों को निर्माण की अनुमति आवश्यक प्राप्त करने के लिए रखा गया था। फिलहाल भवन के चरण-1 का निर्माण जनवरी 2023 को पूरा हुआ।

31-03-2024 की स्थिति

परियोजना का नाम	सीक्स माइल, गुवाहाटी में नेरामेक लिमिटेड के विपणन परिसर का निर्माण
परियोजना लागत	रु. 12.89 करोड़
वित्त पोषित	उत्तर पूर्वी परिषद, शीलांग
कार्यान्वयन एजेंसी	नेरामेक लिमिटेड
परियोजना प्रबंधन सलाहकार	मे. हिंदूस्थान प्रीफव लि.(एस पी एल)
वास्तुकार सलाहकार	मे. दिजाइनारस गील्ड
निर्मित क्षेत्र	3923 स्को,मि.
कार्य के दायरे में मंजिलें	ब्लॉक-1 (बी+जी+4) ब्लॉक-2 (बी+जी+1)
अनुबंध प्रारंभ तिथि	07.09.2020
अनुबंध पूर्ण होने की तिथि	06.03.2022
स्वीकृत समय की विस्तार	20.12.2022
मंजूरीकृत रकम	12.89
उपयोग की गई राशि	पूरी राशि
दोष दायित्व के विरुद्ध रोकी गई राशि (हैंडओवर की तारीख से 1 वर्ष तक)	रु.65.04 लाख

7. प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है। यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत है, तो जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि को मान्यता दी जाती है।
8. व्यापार प्राप्तियों में पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम लिमिटेड से प्राप्तियां शामिल हैं। आदेश संदर्भ संख्या 920/WBSSC दिनांक 31.10.2011 के अनुसार 1500.76 लाख टन प्रमाणित गेहूं बीज की आपूर्ति के लिए 496.97 लाख, 7 साल बाद भी राशि का निपटारा होना बाकी है और मामला मुकदमेबाजी के तहत है और प्राप्य के विरुद्ध राशि की प्राप्ति में तिरूपति एगो सीड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को देय रकम 446.47 की राशि संदिग्ध है।

10. बकाया ऋण पर 28.23 करोड़ रुपये के बट्टे खाते में डालने वाले ब्याज और 32.22 करोड़ रुपये (30.09.2021 तक की गणना) का गैर-निधि आधारित समर्थन "पूंजी अनुदान-गैर-निधि आधारित समर्थन" के तहत पोस्टिंग के माध्यम से इस खातों में प्रभावी किया गया है। आरक्षित एवं अधिशेष" वित्त वर्ष 2022-23 के खातों में।

11. 31.03.2021 को भारत सरकार के 28.23 रुपये के बकाया ऋण पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज की राशि खातों की किताबों में 33.99 करोड़ दर्ज की गई है। हालाँकि, पुनरुद्धार पैकेज के तहत 32.33 रुपये की राशि को बट्टे खाते में डालने की मंजूरी दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 1.77 करोड़ रुपये का अंतर आया। यह अंतर ब्याज के आंकड़े के गलत अनुमान के कारण उत्पन्न हुआ है। 1.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ब्याज राशि को माफ करने की अनुमति देने के लिए डोनर मंत्रालय को अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।

12. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यशील पूंजी ऋण का पुनर्भुगतान, नेरामेक ने 2,15,76,548/- रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण ब्याज सहित चुकाया, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान डोनर मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था।

13. जिला उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (डीआई एंड सीडी), सिलचर, कछार और नेरामेक के बीच दिनांक 05-01-2009 को निष्पादित लीज डीड के अनुसार, 16 बीघा (230400 वर्ग फीट) भूमि का एक भूखंड 30 वर्ष की अवधि के लिए मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए नेरामेक को पट्टे पर आवंटित किया गया था। हालाँकि, डीआई एंड सीए ने अप्रैल 2019 में आवंटन रद्द कर दिया क्योंकि 36.45 लाख रुपये का पट्टा किराया बकाया था। तदनुसार, भूखंड को ले लिया गया और निगम की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए 36.45 लाख रुपये का पट्टा किराया माफ करने के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग, असम सरकार को अनुरोध पत्र दिया गया। विभाग ने पट्टा किराया माफ करने के मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 16.02.2019 को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कछार, सिलचर को पत्र भेज दिया है। इस मामले पर असम सरकार के संबंधित विभाग के साथ बातचीत की जा रही है।

14. एएस-18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है, जिसमें 38,56,660.00 रुपये वेतन और भत्ते के रूप में भुगतान किए गए, 1,38,707.00 रुपये चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किए गए और 84,355 रुपये निगम के प्रबंध निदेशक को एलटीसी के रूप में भुगतान किए गए।

15. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरक्षित और अधिशेष के तहत 38,52,000/- रुपये की बिक्री सब्सिडी लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

16. अल्पावधि ऋण और अग्रिम के तहत 'अन्य' शीर्षक के तहत रिपोर्ट की गई राशि के विवरण के बारे में खुलासा

क्र.सं.	विवरण	रकम(₹.)
1	असम ऊर्जा विकास एजेंसी	27,046.00
2	भुगतान की गई राशि विरोध (आयकर)	5,717,915.00
3	कानूनी शुल्क पर आर.सी	107,492.00
4	प्राप्य अनुदान	12,144,534.00
5	देनदार के लिए प्रावधान	8,933,049.00
6	अन्य प्राप्य	631,404.67
7	विविध लेनदार अग्रिम	8,794,320.16
	कुल	36,355,761.00

17. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निगम के प्रबंध निदेशक को वेतन और भत्ते के रूप में 28,04,532/- रुपये की राशि दी गई।

18. एएस-18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है, जिसमें 38,56,660.00 रुपये वेतन और भत्ते के रूप में भुगतान किए गए, 1,38,707.00 रुपये चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किए गए और 84,355 रुपये निगम के प्रबंध निदेशक को एलटीसी के रूप में भुगतान किए गए।

19. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान **NERAMAC** ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जीएस रोड शाखा, गुवाहाटी पर 10,00,000/- रुपये की एक बैंक गारंटी जारी की, जो कि प्रोजेक्ट मिनी मिशन I के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड) के पक्ष में सावधि जमा संख्या 55580IGL0000124 दिनांक 08-03-2027 को गिरवी रखकर जारी की गई।

20. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जीएस रोड शाखा, गुवाहाटी पर 15,99,237 रुपये की राशि के लिए सावधि जमा संख्या 55580IGL000322dt.31.12.2022 को गिरवी रखने के खिलाफ एक बैंक गारंटी जारी की है और 23,98,856 रुपये की राशि चेक संख्या 069674 के जरिए असम के कामरूप जिले के सत्र न्यायालय में लंबित मेसर्स हार्वेल अगुआ प्राइवेट लिमिटेड मामले के खिलाफ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कामरूप मेट्रो गुवाहाटी को जमा की है।

21. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निगम ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष डिक्रीटल राशि के रूप में 80,03,985/- रुपये (अर्थात 23,24,074.47/- रुपये लागत और 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ) जमा की, जो कि आर एंड जेड डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाम नेरामेक के मामले में विशेष सिविल सूट संख्या 667/1998 में विद्वान 5वें अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, वडोदरा द्वारा दिनांक 24-04-2009 को पारित डिक्री में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा विशेष सिविल आवेदन संख्या 13556/2023 दिनांक 05-03-2023 में पारित आदेश के विरुद्ध है।

22. पुनरुद्धार अनुदान के रूप में 2.20 करोड़ रुपये की राशि 'ऑपरेशन को समर्थन' शीर्षक के अंतर्गत दी गई है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार, उक्त अनुदान निगम द्वारा होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए है। तदनुसार, 2.20 करोड़ रुपये के अनुदान को वर्ष के लाभ और हानि खाते में 'असाधारण मद' के माध्यम से समायोजित किया गया है।

23. आकस्मिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है

(रु.000 में)

देनदार	दावा का गई राशि	उपबंधित देयताएं	आकस्मिक देयताएं
सौभाग्य एडवरटाइजिंग, कोलकाता	1,990.00	1,262.00	728.00
मे.हरवेल अगुवा प्रा.लि.	3998.00	1223.00	2,775.00
मे, आर एंड जेड डिस्ट्रीब्यूटर	8003.00	249	7754
रत्नागिरी इम्पेक्स प्रा..लि.	41492	18725	22767
एआईडीसी (मेमो नंबर सीएडीआईसी (1/ए) 67/2014 - 15 दिनांक 10.01.2020 के माध्यम से एआईडीसी द्वारा प्लॉट वापसी	3645.81	0	3645.81

कुल	59128.81	21459	37669.81
------------	----------	-------	----------

24. पूर्व अवधि की वस्तुएँ

लाभ एवं हानि खाते को निम्नलिखित मदों से डेबिट/क्रेडिट किया गया है:

विवरण	डेबिट	क्रेडिट
क्षेत्रीय कार्यालय असम		42600.00
क्षेत्रीय कार्यालय असम		5000.00
क्षेत्रीय कार्यालय असम	204.00	
डाईनाटेक	12200.00	
डाईनाटेक	2500.00	
डाईनाटेक	16580.00	
डाइनाटेक	5730.00	
डाइनाटेक	8011.00	
डाइनाटेक	16025.00	
सूधा एचोसीयट	203800.00	
यूको बैंक, मानकाछार	780.00	
अग्नीम संजीव राय, सी एस	8852.00	
अग्नीम संजीव राय, सी एस	6928.00	
अग्नीम खाता(संजीव दास)	50000.00	
अग्नीम संजीव राय, सी एस	7914.00	
अग्नीम संजीव राय, सी एस	1000.00	
अग्नीम (भृगू के मेधी)	7421.00	
कृष्णा एचोसीयट	468.00	
एम बोरार एवं कंपनी	15104.00	
एसबीआई टीडीआर 36339174400	10118.00	
एसबीआई टीडीआर-36339183017	3400.00	
एसबीआई टीडीआर -36339184124	2537.00	
कृष्णा एचोसीयट	27104.00	
अग्नीम(लाचीत कुमार नाथ)	5812.00	
मनोज पाठक	10000.00	
पुनरुद्धार अनुदान		4133568.00
एसबीआई- टीडीआर-39921082140		1000.00
असम सेवा समिति	42000	
शुधा एवं एशोसियत	60000.00	
केशरी औ एशोसियत	9440.00	
टीडीएस-194जे(पेशेवर फीज)	30000.00	
अग्नीम कृष्णा रय	3028.00	
टी के घोस ओ कम्पनी शीसपत्रीट लेखाकार	22420.00	
एम बोरार एंड कम्पनी	7552.00	

अग्रिम (अनुराग काश्यप)	470.00	
अग्रिम (अनुराग काश्यप)	3500.00	
अग्रिम (अनुराग काश्यप)	21000.00	
दिल्ली हाट इकाई (सीएल)	27465.00	
क्षेत्रीय कार्यलय अगरतला (सीएल)	50.00	
क्षेत्रीय कार्यलय असम (सीएल)	40170.00	
कूल	774443.00	4281168.00

25. भारत सरकार ने 18 अगस्त, 2021 को नेरामेक के लिए 17,00 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की। पैकेज में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

क. फंड आधारित समर्थन: 17.00 करोड़ रुपये का ताजा निवेश, वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2023-24 के दौरान 2 किश्तों में अनुदान जारी किया जाएगा, मोटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 2/3: 1/3 के अनुपात में:

शीर्ष	रु. कड़ोरो में
रेगुलर कर्मचारियों के लिए वीआरएस के लिए धनराशि	4.96
कार्यशील पूंजी समर्थन	6.36
संचालन का समर्थन करना	2.20
कंप्यूटर और ईआरपी सिस्टम ई-कॉमर्स पोर्टल	2.23
अन्य वैधानिक बकाया, प्रतिबद्ध और वर्तमान देनदारियाँ	1.25
कूल	17.00

ख. गैर-आधारित समर्थन:

शीर्ष	रु. कड़ोरो में
31.03.2021 को भारत सरकार के बकाया ऋण का कंपनी के इक्विटी शेयरों में रूपांतरण	28.23
भारत सरकार के बकाया ऋण पर 30.09.2021 तक गणना की गई ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालना	32.22
कूल	60.45

ग. बकाया दीर्घकालिक उधारों को इक्विटी में बदलने के लिए निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को 10.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60.00 करोड़ रुपये किया गया।

25. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुनरुद्धार पैकेज का कार्यान्वयन
फंड आधारित समर्थन

क्र. सं.	विवरण	खर्च(रु.) कड़ोरो में	टिप्पणी
1.	कार्यशील पूंजी समर्थन	6.36	नेरामेक के पुनरुद्धार पैकेज के हिस्से के रूप में कार्यशील पूंजी सहायता के रूप में 6.करोड़ रुपये आवंटित किए 36 जाएंगे। इस निधि का उपयोग खरीद और अन्य व्यवसाय संबंधी गतिविधियों को निधि देने के लिए निर्धारित तरीके

			से किया जा रहा है। जैसा कि देखा जा सकता है, यह निधि चक्रीय प्रकृति की है और व्यवसाय के आधार पर भुगतानवापसी की जाती है। इसके / वाअलानेरामेक सीपीईड अग्रतला और अन्य को कार्यशील पूंजी सहायता के रूप में 0.करोड़ रुपये का उपयोग 16 किया गया है।
3.	संचालन का समर्थन करना	2.20	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खातों में संचित घाटे के लिए समायोजन किया जाएगा।
4.	कंप्यूटर और ईआरपी सिस्टम ई-कॉमर्स पोर्टल	0.60	ईआरपी सिस्टम, ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म के - भुगतान के लिए
5.	अन्य वैधानिक बकाया, प्रतिबद्ध और वर्तमान देनदारियाँ	1.12	1. पूर्व अवधि समायोजन के तहत 0. 41 करोड़ रुपये एमसीएशुल्क बुक किया गया।

. गैर-आधारित समर्थन:

1.	31.03.2021 को भारत सरकार का बकाया ऋण ओएस 28.23 करोड़ रुपये 26.11.2021 को 1000/- रुपये अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया है।	28.23	
2.	30.09.2021 तक 32.33 करोड़ रुपये का ब्याज और दंडात्मक ब्याज 'पूंजी अनुदान-गैर-निधि आधारित समर्थन' प्रमुख के तहत आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया गया है।	32.33	
3.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(6) और 61(1)(ए) के तहत कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10.00 करोड़ से संशोधित होकर 60.00 करोड़ हो गई।	60.00	

w. i) कंपनी अधिनियम, 2013 के लिए प्रभाग I - गैर-इंडिया अनुसूची III पर मार्गदर्शन नोट के पैराग्राफ 8.4.4 के अनुसार रिपोर्टिंग। भुगतान के लिए देय व्यापार देयताओं के लिए अनुसूची का निम्नलिखित प्रकटीकरण नीचे दिया गया है

विवरण	(रकम रुमें ..)	
		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया

	एक वर्ष से कम	वर्ष 2-1	वर्ष 3-2	वर्ष से अधिक 3	कुल
i. एमएसएमई	ना	ना	ना	ना	ना
ii. अन्यान्य	ना	ना	ना	ना	ना
iii. विवादित बकाया राशि एमएसएमई -	ना	ना	ना	ना	ना
iii. विवादित अन्यान्य बकाया राशि	ना	ना	ना	ना	ना

26. अनुसूची III-अनुपात के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात निम्नलिखित हैं

विवरण	मीटर	भाजक	यूओएम	2022-23	2023-24	टिप्पणी
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियाँ	टाइम्स	0.97	1.10	अनुकूल
डेबिट इक्विटी अनुपात	कुल डेबिट	शेयरधारकों की इक्विटी	टाइम्स	1.70	0.92	मध्यम
डेबिट सेवा कवरेज अनुपात	डेबिट सेवा के लिए कमाई उपलब्ध है	ऋण सेवाएँ	टाइम्स	2.10	ना	-
इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारकों की इक्विटी	प्रतिशत	11.93%	3.56%	प्रतिकूल
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत सूची	टाइम्स	4.89	7.64	अनुकूल
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण बिक्री	औसत खाता प्राप्य	टाइम्स	0.014	1.00	प्रतिकूल
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	टाइम्स	1.04	0.39	प्रतिकूल
शुद्ध पूंजी कारोबार	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	टाइम्स	-60.00	11.28	अनुकूल
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	प्रतिशत	4.24%	3.49	प्रतिकूल
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले कमाई	लगाई गई पूंजी	प्रतिशत	5.46%	6.34	प्रतिकूल

निवेश पर प्रतिफल	निवेश से आय	निवेश	प्रतिशत	ना	ना	-
------------------	-------------	-------	---------	----	----	---

- 1 कर के बाद शुद्ध लाभ+मूल्यहास+ब्याज(आय)
- 2 ब्याज+मूलधन भुगतान
- 3 (इन्वेंट्री खोलना+इन्वेंट्री बंद करना)/2
- 4 (शुरुआती व्यापार प्राप्य+समापन व्यापार प्राप्य)/2
- 5 (प्रारंभिक व्यापार देय + समापन व्यापार देय)/2
- 6 वर्तमान परिसंपत्तियाँ-वर्तमान देनदारियाँ
- 7 मूर्त निवल मूल्य+कुल ऋण
- 8 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया

(ए) एएस 15 (संशोधित 2005) के तहत 31 मार्च 2024 तक ग्रेच्युटी योजना का सहीक मूल्यांकन सदस्यता डेटा का सारांश के विवरण में मान्य व्यय

क	पर जैसा	2023	2024
1	कर्मचारियों की संख्या	2	2
2	कुल मासिक वेतन रुपए में	228,971	241,811
3	कर्मचारियों की औसत आयु (वर्ष)	53	54
4	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	14	15
5	औसत भावी सेवा (वर्ष)	7	6
6	मूल्यांकित पूर्ण वर्षों की संख्या	28	30
7	जीवन में कमी शेष कार्य समायोजित	6	5

1. गणना में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं

वित्तीय मान्यताएँ	31.03.2023	31.03.2024
छूट की दर	7.15% प्रति वर्ष.	6.95% प्रति वर्ष.
वेतन में वृद्धि की दर	5% प्रति वर्ष.	5% प्रति वर्ष.
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर	ना	ना

- 2.

जनसांख्यिकीय मान्यताएँ	31.03.2023	31.03.2023
मृत्यु दर	आईएएलएम 14-2012 %100 का	आईएएलएम का 14-2012 %100
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	वर्ष 60	वर्ष 60

सभी आयु वर्गों के लिए आयु के आधार पर अपघटन दरें (% प्रति वर्ष))	2	2	
---	---	---	--

3. इस रिपोर्ट में मूल्यांकित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:

मुख्य योजना प्रावधान	ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, संशोधित आज तक
सामान्य सेवा निवृत्ति आयू	वर्ष 60
ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन निहित अवधि	अंतिम आहरित मूल वेतन महंगाई भत्ता + वर्षों की निरंतर सेवा 5
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	26/15x वेतन x पूर्ण सेवा के वर्षों की संख्या
देय ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा	₹20,00,000 .
शीघ्र सेवानिवृत्ति पर लाभ	सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान
वापसीइस्तीफा/	सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान
सेवा में मृत्यु या विकलांगता पर लाभ	सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान सिवाय इसके कि कोई निहित शर्त लागू नहीं होती

4. AS15 (संशोधित 2005) के तहत ग्रेच्युटी योजना की एकचुरियल गणना 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि (संपत्ति, देयताएं और अनुभव इतिहास)

i) संपत्ति और देयता का सारांश (बैलेंस शीट स्थिति)

विवरण	अब तक				
	2020/03/31	2021/03/31	2022/03/31	2023/03/31	2024/03/31
दायित्व का वर्तमान मूल्य	16902471	13442129	14661865	664652	853493
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0	0	0	0
अपरिचित पिछली सेवा लागत	0	0	0	0	0
एसेट सेलिंग के प्रभाव	0	0	0	0	0
शुद्ध परिसंपत्ति (देयता) /	1(1690247)	13442129)	14661865))	664652))	(853493)

iii) को समाप्त लाभ और हानि अवधि 2024 मार्च 31

के विवरण में मान्यताप्राप्त कुल व्यय

A	नियोक्ता व्यय के घटक	रु.
1	वर्तमान सेवा लागत	122355
2	ब्याज दर	47523
3	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	
4	कटौती लागत(डिट्रैक)/	
5	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) -	
6	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ) -	
7	अपरिचित विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ) -	
8	शुद्ध एकचुरियल घाटा(लाभ)/	18963
9	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	188841

iv) AS15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत बीमांकिक गणना, बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता) - 31 मार्च 2024

क	वित्तपोषित स्थिति	
1	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	853493
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(853493)
3	वित्तपोषित स्थिति अधिशेष/(घाटा)	(14661865)
4	बैलेंस शीट परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	0
5	पिछली सेवा लागत का हिसाब न किया गया	0
6	शुद्ध संपत्ति/(देयता) को बैलेंस शीट में मान्यता दी गई है	(853493)
		0
1	अवधि की शुरुआत में बैलेंस शीट में शुद्ध पति/(देयता) को मान्यता दी गई	(664652)
2	नियोक्ता का विस्तार	188841
3	लाभ का भुगतान किया गया	0
4	शुद्ध अधिग्रहण/व्यावसायिक संयोजन	0
5	अवधि की शुरुआत में बैलेंस शीट में शुद्ध पति/(देयता)।	(853493)

V. 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए परिभाषित लाभ दायित्व और संपत्ति के उचित मूल्य का समाधान

क	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	रु.
1	अवधि की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	664652
2	वर्तमान सेवा लागत	122355

3	ब्याज लागत	47523
4	कटौती लागत/(क्रेडिट)	0
5	निपटान लागत/(क्रेडिट)	0
6	पिछली सेवा लागत-(निहित लाभ)s	0
7	पिछली सेवा लागत-(गैर निहित लाभ)	0
8	अधिग्रहण	
9	बीमांकिक(लाभ)/हानि	18963
10	किया गया लाभ का भुगतान	0
11	अवधि की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	853493

ख	परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	रु.
1	अवधि की शुरुआत में संपत्ति की योजना बनाएं	0
2	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	0
3	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0
4	वास्तविक कंपनी का योगदान	0
5	फंड ट्रांसफर	0
6	कर्मचारी योगदान	0
7	लाभ का भुगतान किया गया	0
8	अंतिम अवधि में संपत्ति की योजना बनाएं	0
9	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	0

ए) एस 15 (संशोधित 2005) के तहत 31 मार्च 2024 तक अवकाश नकदीकरण योजना बीमांकिक मूल्यांकन

1. सदस्यता डेटा का सारांश

क	पर जैसा	31-03-2023	31-03-2024
1	कर्मचारियों की संख्या	2	2
2	कुल मासिक वेतन रुपए में	228,971	241,811
3	कर्मचारियों की औसत आयु (वर्ष)	53	54
4	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	14	15
5	औसत भावी सेवा (वर्ष)	7	6
6	मूल्यांकित पूर्ण वर्षों की संख्या	28	30
7	जीवन में कमी शेष कार्य समायोजित	6	5

1. गणना में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं:

	वित्तीय मान्यताएँ	31-03-2023	31-03-2024
1	छूट की दर	7.15% प्र.व.	6.95% प्र.व.
2	वेतन में वृद्धि की दर	5% प्र.व.	5% प्र.व.

3	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर	ना	ना
----------	--	----	----

जनसांख्यिकीय मान्यताएँ	31-03-2023	31-3-2024
मासिक दर	आईएएलएम का 14-2012 %100	आईएएलएम का 14-2012 %100
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
सभी आयु वर्गों के लिए आयु के आधार पर अपघटन दरें (% प्रति वर्ष)	2	2

1. इस रिपोर्ट में मूल्यांकित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:

1.

सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष
ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन	अंतिम आहरित मूल वेतन महंगाई भत्ता +
छुट्टी की गणना के लिए उपलब्ध वेतन	अंतिम प्राप्त सकल वेतन
वार्षिक अवकाश पात्रता	दिन 30
अधिकतम स्वीकार्य छुट्टी सेवा से बाहर निकलने के समय संचय छुट्टी देयता) के निर्धारण में व्यक्तिगत कर्मचारी के अवकाश शेष पर लागू(दिन 300
रोजगार के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं	ना
भविष्य में छुट्टी का लाभ	जी हाँ
भविष्य में अवकाश प्राप्ति का आधार	एलआईएफओ आधार *
हॉसमाप्ति के समय नकदीकरण की अनुमति है,	जी हाँ
अवकाश नकदीकरण फार्मूला	छुट्टी के शेष दिनों की संख्या x निकासी पर वेतन 30/

1. परिसंपत्तियां और देयताएं (बैलेंस शीट स्थिति)

विवरण	अब तक				
	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
दायित्व का वर्तमान मूल्य	9176196	7439723	7819258	583973	886880

योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0	0	0	0
अपरिचित पिछली सेवा लागत	0	0	0	0	0
सेलिंग एसेट के प्रभाव	0	0	0	0	0
शुद्ध परिसंपत्ति / (देयता)	(9176196)	(7439723)	(7819258)	(583973)	(886880)

ख)लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य पर समायोजन का अनुभव करें

विवरण	अब तक				
	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
योजना देयताओं पर (लाभ) हानि /	1476851	(111034)	1450413	(29079)	11310
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ (हानि) /	0	0	0	0	0

ग) 31 मार्च 2024 को समाप्त लाभ और हानि अवधि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय

क)	नियोक्ता व्यय के घटक	रु.
1	वर्तमान सेवा लागत	122355
2	ब्याज लागत	47523
3	योजनीगत संपत्ति पर सेऊवित लाभ	
4	कटौती लागत/क्रेडिट	
5	पिछली सेवा लागत-(निहित लाभ)	
6	पिछली सेवा लागत-(गैर निहित लाभ)	
7	अपरिचित विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ) -	
8	शुद्ध एकचुरियल घाटा(लाभ)/	18963
9	लाभ और हानीके विवरण में मान्यताप्राप्त कुल वायय	188841
ख	मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए वास्तविक अंशदान और लाभ भुगतान 31	
	वास्तविक लाभ भुगतान	0
	वास्तविक योगदान	0

iv) AS15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत बीमांकिक गणना, बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता) - 31 मार्च 2024

क	वित्तपोषित स्थिति	रु.
1	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	853493
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
3	वित्तपोषित स्थिति अधिशेष/(घाटा)	(853493)
4	बैलेंस शीट परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	
5	हिसाब न किया गया पिछली सेवा लागत	
ख	बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति(देयता)/	(853493)
1	अवधि की शुरुआत में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति(देयता)/	(664652)
2	नियोक्ता व्यय	188841
3	भुगतान किया गया लाभ	
4	शुद्ध अधिग्रहण/व्यवसायिक संयोजन	
5	अवधि के अंत में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति(देयता)/	(853493)

iv) 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए परिभाषित लाभ दायित्व और परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान

क	परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
1	अवधि की शुरुआत में संपत्ति की बनाएं योजना	0	
2	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	0	
3	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0	
4	वास्तविक कंपनी का योगदान	0	
5	फंड ट्रांसफर	0	
6	कर्मचारी योगदान	0	
7	लाभ का भुगतान किया गया	0	
8	अंतिम अवधि में संपत्ति की योजना बनाएं	0	
9	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	0	

बीमांकिक धारणा

1	छूट देने की दर	5.85% वार्षिक
2	वेतनो में वृद्धि की दर	5.00% वार्षिक
3	योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति की प्रत्याशित दर	लागू नहीं
4	मृत्यु दर	100% आईएएलएम 12-14
5	निकासी दर	2.00% वार्षिक

	परिवर्तित किया गया फंड	0
--	------------------------	---

	कर्मचारी योगदान	0
	लाभ किया गया भूगतान	0
	अवधि के अंत में परिसंपत्तियों की योजना बनाएं	0
C	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	0